माला, खंड 7, अंक 31

सोमवार, 8 मई, 2000
18 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 7 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अन प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 31, सोमवार, 8 मई, 2000/18 वैशाख, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 581 से 600	6-33
अतारांकित प्रश्न संख्या 6310 से 6539	33-294
उत्तर प्रदेश में दलितों पर हुए कथित अत्याचारों के बारे में	295-302
सभा पटल पर रखे गए पत्र	302-310
राज्य सभा से संदेश	311
संविधान (नब्बेवां संशोधन) विधेयक, 2000	311-315
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) गंजम जिले के चक्रवात से प्रभावित लोगों को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में गोपालपुर (उड़ीसा) में यूरिया के दो जहाजों को किनारे पर लगाने के आदेश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अनादि साहू	317
(दो) बिहार के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत और दूरभाष सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० दुखा भगत	318
(तीन) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से बरून से औरंगाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती श्यामा सिंह	318
(चार) नागपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	319
(पांच) सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश में प्राथमिकता देने की पूर्ववर्ती नीति को अपनाए जाने की आवश्यकता	
श्री के० मुरलीधरन	320
(छह) केरल में कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना का शीघ्र विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
श्री वरकला राधाकृष्णन	321
(सात) अफीम उत्पादकों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अफीम उत्पादकों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रामसागर रावत	321

विषय	कॉलम
(आठ) श्रमिकों के हितों की रक्षा की दृष्टि से बंद पड़ी चीनी मिलों को अर्थक्षम बनाने बनाने हेतु बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री मंजय लाल . . .	321
(नौ) राष्ट्रीय स्लम नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया .	322
कतिपय विधेयकों को विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को सौंपे जाने के लिए सूचना के बारे में टिप्पणी.	323
कीटनाशी (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सुन्दर लाल पटवा	324
प्रो० रासा सिंह रावत	324
श्री राजो सिंह	327
श्री बसन गौडा रामनगौडा पाटिल (यत्नाल) . .	330
श्री वरकला राधाकृष्णन	331
श्री खारबेल स्वाइं	333
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी.	336
श्री रामजीवन सिंह .	338
श्री रवि प्रकाश वर्मा .	341
श्री गिरधारी लाल भार्गव . . .	343
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	344
श्री के० येरननायडू . . .	346
कुंवर अखिलेश सिंह.	347
श्री सुरेश रामराव जाधव	347
खण्ड 2 से 7 और 1 . . .	353
पारित करने के लिए प्रस्ताव	353
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शांता कुमार. . .	353
श्री अनादि साहू	354
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	358
डा० बी०बी० रमैया	361
श्री वसुदेव आचार्य	363

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी . . 368
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह . 370
प्रो० रासा सिंह रावत 374
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा. . . 376
श्री जी०एम० बनातवाला 378
श्री गिरधारी लाल भार्गव . 381
श्री चन्द्र भूषण सिंह 382
श्री रमेश चेन्नितला. 384
श्री बिक्रम केशरी देव . 386
खण्ड 2 और 1 393
पारित करने के लिए प्रस्ताव 393
गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) निरसन विधेयक
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री शांता कुमार. 393
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन 394
श्री वरकला राधाकृष्णन. 395
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह . 397
खण्ड 2 और 1 400
पारित करने के लिए प्रस्ताव 400

लोक सभा

सोमवार, 8 मई, 2000/18 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगी श्री दहयाभाई परमार के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री दहयाभाई परमार 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने गुजरात के पाटन संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से एक कंसल्टिंग परामर्श देने वाले इंजीनियर, श्री परमार एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किये और उनकी दशा सुधारने के लिए विभिन्न शैक्षणिक और सहकारी संस्थायें स्थापित की।

श्री दहयाभाई परमार का निधन 86 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल, 2000 को अहमदाबाद, गुजरात में हो गया।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है यह सभा भी मेरे साथ शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है।

अब, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी-देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 581 — श्री सुन्दर लाल तिवारी

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक ही हफ्ते में शैड्यूल्ड कास्ट्स के दस लोगों को मार दिया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप इस विषय को अभी मत उठाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको यह समझना चाहिए कि प्रश्नकाल अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल के बाद, आप जो भी मुद्दा उठाना चाहती हैं, उठा सकती हैं। किन्तु प्रश्नकाल में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती और अन्य माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। मैं 'शून्यकाल' के दौरान आपको मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा, किन्तु अभी नहीं।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

इस समय कुमारी मायावती तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात समझें। आप एक राज्य का विषय उठा रहे हैं, तब भी मैं आपको 'शून्यकाल' के दौरान अनुमति दूंगा, किन्तु अभी नहीं। कृपया अपने स्थान पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जीरो ऑवर में रेज कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात समझें कि आपने प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए कोई भी सूचना नहीं दी है। अब, आप प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं। हर बार आप राज्य का विषय ही उठा रहे हैं। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जायें।

[हिन्दी]

यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं आप सबसे यह अपील कर रहा हूं कि आप सब लोग अपने स्थान पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्नकाल स्थगित करने हेतु अध्यक्षपीठ पर किस प्रकार दबाव डाल सकते हैं? यह क्या है? इसके अलावा, यह राज्य का विषय है। कृपया अपने स्थान पर जायें।

[हिन्दी]

यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं। सभा की कार्यवाही चलाने का यह तरीका नहीं है। आप प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए अध्यक्षपीठ पर किस प्रकार दबाव डाल सकते हैं? आप सभा की कार्यवाही को किस प्रकार रोक सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको प्रोसीजर मालूम है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मालूम है, तो आप अपनी सीट पर जाकर बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्नकाल को स्थगित करने हेतु कोई सूचना नहीं दी है। प्रश्नकाल स्थगित करने की एक प्रक्रिया होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया है। महोदया, कृपया आप अपने स्थान पर चली जायें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो इसे जीरो ऑवर में रेज कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय नेताओं से भी अपील कर रहा हूं। यह कोई तरीका नहीं है। आपको सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। यह क्या है ? यह ऐसा मामला है जो राज्य से संबंधित है। आप सभा की कार्यवाही में किस प्रकार बाधा डाल सकते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री अल्वी, क्या आपने क्वेश्चन ऑवर को सस्पैंड करने के लिए नोटिस दिया है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने क्वेश्चन ऑवर को सस्पैंड करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर जायें। आप इस मामले को शून्यकाल में उठा सकते हैं, इस समय नहीं, आपने प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए कोई सूचना नहीं दी है। कृपया इस बात को समझें कि आप कोई सूचना दिए बिना इस मामले को उठा रहे हैं। यह प्रक्रिया नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई सूचना दी है?

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मायावती जी ने जो मामला उठाया है, वह बहुत गंभीर है। इस बारे में कई रिपोर्टें उत्तर प्रदेश से आई हैं कि वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, दलितों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। *(व्यवधान)* यह इतना गंभीर विषय है कि इस पर निश्चित रूप से विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा करने का कोई समय मिल जाये, इसका आप आश्वासन दे दीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक प्रक्रिया होती है। यदि आप चाहें, तो आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। किन्तु यह कोई तरीका नहीं है। आपको सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। आप इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा कर सकते हैं तथा इसे अंतिम रूप दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : आप आश्वासन दे दीजिए कि चर्चा हो जायेगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप यह आश्वासन क्यों नहीं देते कि इस पर चर्चा की जायेगी ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे तथा उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं, कृपया आप अपने स्थान पर चले जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

आप अपनी जगह पर बैठ जाइये। ऐसा नहीं चलेगा। आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बैटरियों का पुन: प्रयोग

*581. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :***
श्री तरुण गोगोई :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत लागू किये जाने के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है जिससे पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से सीसे को निकालने के लिए प्रयुक्त लैड एसिड बैटरियों को एकत्रित करने और उन्हें पुन: प्रयोज्य बनाने के कार्य को नियमित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इन नियमों के कब तक लागू होने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) आम जनता से आपत्तियां/सुझाव मांगने के लिए बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 नामक एक अधिसूचना प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रस्तावित प्राथमिक अधिसूचना के अनुसार सभी विनिर्माता, आयातकर्ता, रि-कन्डीशर्नस, एसेम्बलर्स एवं डीलर बेची गई नई बैटरियों के बदले प्रयुक्त बैटरियां संग्रह करेंगे। विनिर्माताओं, आयातकर्ताओं, रि-कन्डीशनर्स, एवं एसेम्बलर्स से अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रयोजन के लिए संग्रह केन्द्र स्थापित करें। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पुन: प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए संग्रह की गई बैटरियां केवल उन्हीं पुन: प्रयोगकर्ताओं को भेजी जानी होती हैं जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास पंजीकृत हों। उपभोगताओं से अपेक्षा है कि प्रयुक्त बैटरियों को डीलरों, अधिकृत रिसाइक्लरों आदि को वापस लौटा दें या उन्हें निर्दिष्ट संग्रह केन्द्रों में जमा करा दें। विनिर्माता, आयातकर्ता तथा डीलर अपनी बाय-बैक तथा लेड एसिड बैटरियों की बिक्री बाबत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति को एक तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेंगे। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति इसके लिए निगरानी एजेंसी होगी।

(ग) प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के अंदर आपत्तियां एवं सुझाव भिजवाए जा सकते हैं। ये नियम अंतिम रूप से तैयार की गई अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

साल वृक्षों का बचाया जाना

*582. **श्री सुशील कुमार शिंदे :***
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों ने साल वनों के पुनरोपण और पुनरुद्धार के लिए कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ऐसी योजनाओं की लागत कितनी है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के साल वनों में 30 लाख साल वृक्ष जलवायु परिवर्तनों का शिकार बन गये हैं और मृतप्राय हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों में साल वनों को बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट या प्रमाण नहीं मिले हैं कि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में साल के वृक्ष सूख रहे हैं। फिर भी यह सूचित किया गया है कि 1995-96 से 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश में 4591 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 41.82 लाख साल छिद्रक के आक्रमण से प्रभावित हुए थे। 1999 के दौरान साल छिद्रक उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और देहरादून वन प्रभाग तथा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में भी साल छिद्रक का आक्रमण देख गया था। साल छिद्रक का आक्रमण भारत में पहली बार 1899 में देखा गया और उसके बाद से नियमित अन्तरालों पर यह महामारी का स्वरूप लेता रहा है। यह देखा गया है कि आद्रता का स्तर 90% से अधिक है और तापमान 26 डिग्री सेल्सियम के लगभग होता है, यह तेजी से बढ़ता है और महामारी का स्वरूप ले लेता है।

(ङ) सुनिर्धारित अनुसंधान प्रक्रिया के अनुसार जर्जर एवं बेकार वृक्ष हटाए गए हैं और छिद्रक के आक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ''ट्रैप ट्री आपरेशन'' चलाया गया है। मध्य प्रदेश में 13.92 लाख प्रभावित वृक्षों को काटकर वनों से हटाया जाना था और हरे साल वृक्षों को बचाने के लिए 6.38 करोड़ धुतों को पकड़ा गया और मारा गया। इससे मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रभावित इलाकों में काफी बड़े पैमाने पर साल छिद्रक के आक्रमण पर नियंत्रण किया गया।

बलात्कार संबंधी कानून

***583. श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री आर०एस० पाटिल :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने यौन अपराधों से संबंधित विद्यमान कानूनों को और अधिक कठोर बनाने के लिए उनमें अनेक संशोधन करने की तथा विशेषकर ऐसे मामलों से निपटने हेतु विशेष न्यायालय गठित करने की भी सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में हिरासत के दौरान बलात्कारों तथा बाल यौन शोषण की बढ़ती हुई घटनाओं के मद्देनजर बलात्कार संबंधी कानूनों की तत्काल समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान कानूनों में कब तक आवश्यक संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां। विधि आयोग ने, अपनी 172वीं रिपोर्ट मार्च, 2000 में प्रस्तुत की है। तथापि, आयोग ने, यौन अपराधों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है।

(ख) विधि आयोग ने, अपनी 172वीं रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग और 376घ में संशोधन करने की सिफारिश की है तथा इसी संहिता में एक नई धारा 376ङ के अन्त:स्थापन और धारा 509 के संशोधन की भी सिफारिश की है। इसी प्रकार, विधि आयोग ने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114क के उपान्तरण, धारा 155 के खंड (4) का लोप करने और धारा 53क तथा धारा 146(4) के अन्त: स्थापन की सिफारिश की है।

(ग) से (ङ) चूंकि, दाण्डिक विधि और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अन्तर्गत आते हैं अत:, भारत सरकार का राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विधि आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं/बिजलीघर

***584. श्री रामशकल :**
श्री राजो सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं/बिजलीघर हैं और उनकी राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विद्युत परियोजनाओं/बिजलीघरों की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ इन परियोजनाओं/बिजलीघरों में से प्रत्येक के लिए कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है ?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) 31.3.2000 की स्थितिनुसार देश में 41 गैस आधारित विद्युत केन्द्र हैं। इन विद्युत केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ नीचे दिया गया है :–

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गैस विद्युत केन्द्रों की संख्या	अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता (मे०वा०)
1	2	3	4
1.	हरियाणा	1	286.00
2.	जम्मू और कश्मीर	1	175.00
3.	राजस्थान	2	451.50
4.	उत्तर प्रदेश	2	1469.00
5.	दिल्ली	1	1282.00
6.	गुजरात	8	2927.00
7.	महाराष्ट्र	3	1832.00
8.	गोवा	1	48.00
9.	आंध्र प्रदेश	3	542.40
10.	केरल	2	485.00
11.	तमिलनाडु	2	130.00
12.	पाण्डिचेरी	1	32.50
13.	बिहार	1	90.00
14.	पश्चिम बंगाल	3	100.00
15.	असम	7	560.00
16.	त्रिपुरा	3	148.50
	जोड़ :	41	9558.90

(ख) से (घ) कुछ विद्यमान गैस आधारित विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा और अनुमानित लागत निम्नवत है :–

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	ईंधन का प्रकार	अनुमानित लागत
राजस्थान				
1.	रामगढ़ सी०सी०जी०टी०–आर०एस०ई०बी०	71	गैस	288.63 करोड़ रुपये
2.	अन्ता सी०सी०जी०टी०–चरण-2, एन०टी०पी०सी०	650	गैस/नापथा	243.71 मिलियन अमरीकी डॉलर + 899.64 करोड़ रु०
उत्तर प्रदेश				
3.	औरैया सी०सी०जी०टी०, चरण-2, एन०टी०पी०सी०	650	गैस/नापथा	243.844 मिलियन अमरीकी डॉलर + 857.622 करोड़ रु०
दिल्ली				
4.	प्रगति सी०सी०जी०टी०, डी०वी०बी०	330	गैस	59.888 मिलियन अमरीकी डॉलर + 819.3 करोड़ रु०
गुजरात				
5.	धुवण सी०सी०जी०टी०, मै० गुजरात राज्य विद्युत निगम लि०	100	प्राकृतिक गैस	350.469 करोड़ रुपये
6.	कवास सी०सी०जी०टी० चरण-2, एन०टी०पी०सी०	650	गैस/नापथा	243.69 मिलियन अमरीकी डॉलर + 831.57 करोड़ रु०
7.	गांधार सी०सी०जी०टी०, एन०टी०पी०सी०	650	गैस/नापथा	243.62 मिलियन अमरीकी डॉलर + 845.113 करोड़ रु०
महाराष्ट्र				
8.	डाभोल सी०सी०जी०टी०, चरण-2 मै० डाभोल पावर कम्पनी, मै० एनरॉन यू०एस०	1444	गैस	1868 मिलियन अरमीकी डॉलर
	जोड़	4545		

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

*585. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण विद्युतीकरण का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण विद्युतीकरण का निजीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण प्रणाली को सुचारू बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसेट ऊर्जन का राज्य-वार, वर्षवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) योजना आयोग ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वित्तीय परिव्ययों और वास्तविक लक्ष्यों को वार्षिक आधार पर अंतिम रूप प्रदान करता है। योजना आयोग ने वर्ष 2000-01 के लिए वित्तीय परिव्ययों और वास्तविक लक्ष्यों को अभी तक अंतिम रूप प्रदान नहीं किया है।

(ग) और (घ) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में घोषित की गई नीति शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के संबंध में सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू हैं।

(ङ) वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्यों को सीधे ही निधियां मुहैया कराने का निर्णय लिया है, इन निधियों को पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर०ई०सी०) के माध्यम से प्रदान किया जाता था। इसके अतिरिक्त जन-जातीय गांवों और दलित बस्तियों में तथा कमजोर वर्गों के लिए विद्युतीकरण कार्यक्रम पर जोर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2000-01 के दौरान 415 जन-जातीय गांवों और 2440 दलित बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु 16.67 करोड़ रुपये की ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जाएगा, जो कि जन-जातीय गांवों, दलित बस्तियों के विद्युतीकरण तथा अन्य कमजोर वर्गों के लाभ से संबंधित विद्यमान स्कीमों की समीक्षा करेगा तथा विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए संशोधनों को सुझाएगा ताकि जनता के अन्य वर्गों/क्षेत्रों के समान वे भी विद्युतीकरण का लाभ उठा सकें।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा
(वर्ष 1991 की जनगणना)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997-98 उपलब्धियां	1998-99 उपलब्धियां	1999 (फरवरी, 2000 के 2000 अंत तक) उपलब्धियां (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	(a)	(a)	(a)
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	48	शून्य
3.	असम	20	शून्य	शून्य (ए)
4.	बिहार	5	8	17 (बी)
5.	गोवा	$	$	$
6.	गुजरात	9	4	
7.	हरियाणा	(a)	(a)	(a)
8.	हिमाचल प्रदेश	139	45	7
9.	जम्मू और कश्मीर	14	एन०ए०	एन०ए०
10.	कर्नाटक	शून्य	13	5 (सी)
11.	केरल	(a)	(a)	(a)
12.	मध्य प्रदेश	463	300	54
13.	महाराष्ट्र	$	$	$
14.	मणिपुर	52	50	11
15.	मेघालय	43	शून्य	शून्य (बी)
16.	मिजोरम	12	3	4
17.	नागालैंड	शून्य	10	शून्य (ए)
18.	उड़ीसा	800	817	683 (सी)
19.	पंजाब	(a)	(a)	(a)
20.	राजस्थान	698	685	235
21.	सिक्किम	$	$	$
22.	तमिलनाडु	(a)	(a)	(a)
23.	त्रिपुरा	14	3	4 (सी)

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	851	711	397
25.	पश्चिम बंगाल	48	83	161 (सी)
	जोड़ (राज्य)	3207	2780	1578
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	(a)	(a)	(a)
	जोड़ (अखिल भारत)	3207	2780	1578

(a) शत-प्रतिशत विद्युतीकरण गांव।

$ वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार शत-प्रतिशत विद्युतीकृत गांव।

एन०ए०— उपलब्ध नहीं।

(ए) 11/99 के अंत तक की सूचित प्रगति।

(बी) 12/99 के अंत तक की सूचित प्रगति।

(सी) 1/2000 के अंत तक की सूचित प्रगति।

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पम्पसेटों के उर्जन की वर्षवार और राज्यवार प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000 (फरवरी 2000 के अंत तक) (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3398	59997	13419
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	शून्य
4.	बिहार	932	813	437
5.	गोवा	391	135	68
6.	गुजरात	25931	26262	25353
7.	हरियाणा	943	835	734
8.	हिमाचल प्रदेश	318	294	296
9.	जम्मू और कश्मीर	533	लागू नहीं होता	लागू नहीं
10.	कर्नाटक	32685	59674	30880
11.	केरल	14723	24050	17737
12.	मध्य प्रदेश	52699	45857	16360
13.	महाराष्ट्र	59473	58810	54942
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	1903	1312	1091
19.	पंजाब	8941	9810	8772
20.	राजस्थान	25306	25051	19625
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	41920	34673	27584
23.	त्रिपुरा	—	121 (*)	—
24.	उत्तर प्रदेश	11645	16113	9240
25.	पश्चिम बंगाल	1610	2855	1475
	जोड़ (राज्य)	283351	366663	228013
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	713	581	347
	जोड़ (अखिल भारत)	284064	367244	228360

* गत वर्ष की उपलब्धि को मिलाकर (97-98)।

स्रोत : के०वि०प्रा०

गहरे समुद्र में तेल की खोज

***586. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के गहरे समुद्र में तेल की खोज करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन गहरे समुद्र क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां ओ०एन०जी०सी० द्वारा खोज कार्य किए जाने की संभावना है; और

(ग) नौवीं योजना अवधि में तेल की खोज के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) की पश्चिमी तट पर कच्छ अपतट, मुंबई अपतट और

केरल-कोंकण अपतट तथा पूर्वी तट पर कृष्णा-गोदावरी अपतट और कावेरी अपतट के गहरे पानी वाले क्षेत्रों में अन्वेषण करने की योजनाएं हैं।

वर्ष 2000-2002 के दौरान ओ०एन०जी०सी० की 22500 लाइन किलोमीटर द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े और 1,19,000 लाइन किलोमीटर त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े अर्जित करने और पूर्वी तट और पश्चिमी तट के गहरे पानी वाले क्षेत्रों में आठ अन्वेषक कूपों का वेधन करने की योजनाएं हैं।

हाल ही में ओ०एन०जी०सी० ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन०ई०एल०पी०) के तहत पूर्वी तट के गहरे पानी वाले क्षेत्रों में तीन ब्लाक अवार्ड किए हैं। इन ब्लाकों में अन्वेषण कार्य भी समयबद्ध ढंग से किए जाएंगे।

(ग) नौवीं योजना के दौरान गहरे पानी वाले बेसिनों में अन्वेषण करने के लिए ओ०एन०जी०सी० द्वारा 210 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 723 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा गहरे पानी वाले उन चार ब्लाकों में संयुक्त उद्यमों/निजी कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में निवेश किया जाएगा जिनके लिए हाल ही में 12 अप्रैल, 2000 को एन०ई०एल०पी० के अंतर्गत संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे।

[हिन्दी]

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा

*587. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग का देश के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और राज्यवार क्या उपलब्धियां रही; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान और पूरी नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) देश के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने समयबद्ध कार्य योजना बनाई है। देश में 607,491 गांवों में से 374,605 गांवों में अर्थात् 61.77% को 31 मार्च, 2000 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष 232,886 गांवों में मार्च, 2002 तक उत्तरोत्तर रूप से यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। दूरसंचार विभाग की 177,038 गांवों को यह सुविधा देने की योजना है, जबकि 55,848 गांवों की यह सुविधा निजी फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जानी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां तथा आगामी दो वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) के नए लक्ष्य के आधार पर वर्ष 2000-2001 के लिए निधियों की आवश्यकता लगभग 450 करोड़ रु० प्राक्कलित की गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए देश में वी०पी०टी० सुविधा उपलब्ध करने के लिए 3057 करोड़ रु० की निधि प्रस्तावित है।

विवरण

वी०पी०टी० के राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां

राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001	2001-2002
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार	181	30	53	56	63	55	8	0
आंध्र प्रदेश	3000	1566	400	526	0	15	0	0
असम	4000	2484	2900	2907	3000	826	5000	3043
बिहार	12000	2615	6000	2137	8000	4602	24651	29634
गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	508	195	20	0	26	0	4	39
हिमाचल प्रदेश	2500	1504	1000	1209	2500	2577	4000	2633
जम्मू और कश्मीर	1200	437	1000	763	1500	4481	2000	971

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	3000	3389	2500	2521	2000	2455	1265	0
केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	5500	3878	4000	3707	5000	3546	5860	0
महाराष्ट्र	2940	2725	2670	2462	0	165	0	0
गोवा	60	36	30	10	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	362	50	171	21	750	18		
मणीपुर	232	115	232	48	300	44		
मेघालय	812	180	232	233	300	111	5110	5000
मिजोरम	122	15	52	30	79	14		
नागालैंड	214	44	232	21	307	58		
त्रिपुरा	258	70	81	51	264	58		
उड़ीसा	8819	2402	2400	2242	3000	2102	14000	10061
पंजाब	1245	1327	345	173	0	39	0	0
राजस्थान	5000	3269	2540	2585	0	548	0	0
तमिलनाडु	1000	2530	142	196	0	11	55	91
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	14000	8618	7500	8219	7000	8303	18000	11206
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	8000	2197	5500	2937	6000	4440	9000	7020
पश्चिम बंगाल	7800	3153	4930	3955	4826	3520	10900	7300
सिक्किम	200	4	70	50	174	10	100	40
कलकत्ता दूरसंचार	47	22	0	0	47	0	47	0
कुल	83000	42855	45000	37058	45136	33965	100000	77038

एल०पी०जी० की मांग और उसका उत्पादन

*588. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में एल०पी०जी० की कुल मांग और उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक गांव में राजसहायता प्राप्त एल०पी०जी० प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है ताकि वनों का संरक्षण किया जा सके और खाना बनाने में प्रयोग की जा रही खाद को नष्ट होने से रोका जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) वर्ष 1999-2000 दौरान देश में एल०पी०जी० का कुल उत्पादन 4484 टी०एम०टी० था। 1999-2000 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से एल०पी०जी० की कुल बिक्री 5856 टी०एम०टी० थी। इनके अंतर को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है। 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार एल०पी०जी० के लगभग 468.38 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं और प्रतीक्षा सूची 63.25 लाख उपभोक्ताओं की है।

(ख) और (ग) वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एल०पी०जी० की उपलब्धता बढ़ाने का निर्णय किया है। देश में 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार एल०पी०जी०

डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए तेल कंपनियों को कलैण्डर वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल०पी०जी० कनैक्शन जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एल०पी०जी० की उपलब्धता पहले ही बढ़ा दी है ताकि वहां एल०पी०जी० कनैक्शनों की कोई प्रतीक्षा सूची न रहे। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त एल०पी०जी० कनैक्शनों का लाभ लेने के लिए अपना तदनुरूपी मिट्टी तेल के कोटे का परित्याग करने की सलाह भी दी गई है और इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों ने एल०पी०जी० कनैक्शनों का लाभ लिया है।

[अनुवाद]

मोटर वाहनों में एल०पी०जी० का प्रयोग

*589 **श्री अजय सिंह चौटाला :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटर वाहनों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में एल०पी०जी० के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रसलय ने जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्राहकों को पेट्रोल पम्पों से एल०पी०जी०, उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इससे देश के तेल आयात बिल को कम करने में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०) एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन समझा जाता है। इसका वाहन ईंधन के रूप में उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा प्रासंगिक नियमों में आवश्यक संशोधनों के पश्चात् ही आरंभ हो सकता है।

(ग) और (घ) मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक 4 मई, 2000 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों को आरंभिक आवस्था में देशभर में 92 एल०पी०जी० निस्तारण स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

(च) इससे तेल एवं तेल उत्पादों के आयात बिल में वृद्धि होने की संभावना है। तथापि, इसकी सही सीमा का अभी अनुमान लगाया जाना है।

पत्तन क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

*590. **श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्तर अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य के मद्देनजर चालू वर्ष में पत्तन प्रबंधन/निगमीकरण का विकास करने तथा पुनर्गठन करने और प्रभावी कार्यकरण हेतु प्रचालन संबंधी अनेक कार्यों का निजीकरण किए जाने की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पत्तनों में गैरसरकारी क्षेत्र की भूमिका पर माडल दस्तावेज जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित माडल दस्तावेजों की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) पत्तन प्रबंधन, निगमीकरण एवं निजीकरण से संबंधित चालू वर्ष की कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :

- नई बर्थों का निर्माण एवं उन्हें सुसज्जित करना
- मिश्रित कार्गो की बढ़ती हुई मात्रा के मद्देनजर अद्यतन विकसित तकनीक वाले उपस्कर की प्राप्ति
- इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ई०डी०आई०) की स्थापना
- जलयान यातायात प्रबंध प्रणाली (वी०टी०एम०एस०) की स्थापना
- श्रमिक प्रशिक्षण एवं कल्याण
- पत्तन की वर्तमान सुविधाओं एवं उनकी क्षमता में वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका
- चरणबद्ध ढंग से महापत्तनों का निगमीकरण

चालू वर्ष में महापत्तनों को विकास हेतु 1589.99 करोड़ रु० का योजना खर्च निर्धारित किया गया है।

पत्तन प्रबंधन/निगमीकरण की पुनर्संरचना हेतु महापत्तनों को चरणबद्ध ढंग से निगमित करने का निर्णय लिया गया है जिसकी शुरूआत नए पत्तन इन्नौर से होगी तथा उसके पश्चात् जवाहर लाल नेहरु एवं हल्दिया पत्तन को निगमित किया जाएगा। इन्नौर पत्तन के प्रबंधन हेतु इन्नौर पत्तन कंपनी नाम की एक कंपनी बनाई जा चुकी है। जवाहर लाल नेहरु पत्तन के

निगमीकरण हेतु क्रियाकलापों का एक कलेंडर तैयार किया जा चुका है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित 52.80 मिलियन टन की क्षमता वाली 13 निजी क्षेत्र/आबद्ध पत्तन परियोजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है जिसमें 3926 करोड़ रु० का निवेश किया जाएगा। 34.4 मिलियन टन की क्षमता एवं 3500 करोड़ रु० के निवेश वाली 8 परियोजनाएं अभी बोली प्रक्रिया में हैं। 5 मिलियन टन की कुल क्षमता एवं 450 करोड़ रु० के निवेश वाली 3 परियोजनाओं हेतु अभी बोली आमंत्रित की जानी है।

(ख) से (घ) निजी क्षेत्र के पत्तन परियोजनाओं हेतु मंत्रालय ने एक ऐसा आदर्श दस्तावेज तैयार किया है जिसमें पारदर्शी बोली प्रक्रिया, अर्हता एवं चयन का तरीका, बोली मूल्यांकन प्रक्रिया, समापन भुगतान, विवाद समाधान प्रक्रिया इत्यादि और लाइसेंस करार की शर्तों का विशद वर्णन है साथ ही इसका उद्देश्य निजी पार्टियों के चयन में बैंक संबंधी विश्वसनीयता, एकरूपता और समय की बचत तय करना है।

[हिन्दी]

डाक प्रणाली का आधुनिकीकरण

*591. **प्रो० दुखा भगत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक प्रणाली में कुप्रबंधन को समाप्त करने के लिए उनका आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने के साथ डाक प्रणाली को आधुनिक बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल थे।

महत्पूर्ण डाकघरों में कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संस्थापना। विशेषकर ऐसे प्वाइंटों में जहां ग्राहकों के साथ सम्पर्क होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 2660 कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान क्रमश: 918, 1429 तथा 1250 मशीनें लगाई गईं। इन मशीनों पर प्रतिवर्ष 12 करोड़ लेन-देन किए जा रहे हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपग्रह प्रौद्योगिकी अपनाकर तथा 77 वेरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल्स (वीएसएटी) की संस्थापना करके धन अंतरण प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। 62 उच्च गति के वेरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल्स (वीएसएटी) की संस्थापना के लिए मार्च, 2000 में आदेश दिया गया है। इस नेटवर्क से प्रतिवर्ष 1.25 करोड़ मनीआर्डर भेजे जा रहे हैं।

प्रमुख महानगरों में मेल प्रोसेसिंग का स्वचलीकरण करने के लिए भी कार्रवाई की गई है। आठवीं योजना के दौरान चेन्नई और मुम्बई में ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग प्रणालियां संस्थापित की गईं तथा प्रतिदिन लगभग 12 लाख पत्र छांटे जा रहे हैं।

लेखादेय डाक जैसे पंजीकृत डाक मदें, बीमा डाक मदें आदि की छंटाई का स्वचलीकरण करने के उद्देश्य से 9वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 41 रेल डाक सेवा (आरएसएस) कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत मेल सेंटर्स स्थापित किए गए हैं।

[अनुवाद]

मनीआर्डर के फार्म

*592. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनीआर्डर फार्म के अधिकांशत: क्षेत्रीय भाषाओं में प्राय: मुद्रण नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस मामले पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) हिन्दी भाषी राज्यों में मनीआर्डर फार्मों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में मुद्रित करना विभाग की एक लम्बे समय से चली आ रही नीति है जबकि अहिन्दी भाषी राज्यों में मनीआर्डर फार्म तीन भाषाओं अर्थात् क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी एवं अंग्रेजी में छपे जाते हैं।

तमिलनाडु सर्किल में नवम्बर, 1998 में प्राप्त हुई शिकायतों को छोड़कर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। वहां मनीआर्डर फार्मों की भारी मांग को पूरा करने के लिए अन्य सर्किलों से मनीआर्डर फार्म मंगवाए गए थे जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में छपे हुए नहीं थे। तथापि, शिकायतें प्राप्त होने पर इस स्टॉक को तत्काल वापस ले लिया गया था।

निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिट्टी के तेल का आबंटन

*593. **श्री अधीर चौधरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों को औद्योगिक ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का आबंटन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की उन तेल कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है;

(ग) किस मूल्य पर मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया और गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों को कुल कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया; और

(घ) निजी क्षेत्र की कंपनियों ने किस सीमा तक मिट्टी के तेल के कोटे का उचित उपयोग किया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) मिट्टी तेल एक आबंटित उत्पाद है और केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक आबंटन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को किया जाता है। पी०डी०एस० के माध्यम से वितरण की निगरानी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार पी०डी०एस० के बाहर और विशेष क्षेणियों के अंतर्गत रेलवे, रक्षा, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय आदि के लिए आबंटन करती है। इनको तेल कंपनियों द्वारा सीधे आपूर्ति की जाती है। केन्द्रीय सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिट्टी तेल का सीधा आबंटन नहीं करती।

संविधान की समीक्षा

***594. श्री के०पी० सिंह देव :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेंकटचलैय्या आयोग ने भारत के संविधान की समीक्षा करने संबंधी कार्य शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन विशिष्ट क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जो उक्त समीक्षा के अन्तर्गत आयेंगे ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) संविधान के किसी भी पक्ष को संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग को विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तथापि, आयोग के निर्देश-निबंधनों में विगत 50 वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, यह समीक्षा करना शामिल है कि संसदीय लोकतंत्र के ढ़ांचे में रहते हुए, संविधान किस प्रकार शासन की दक्षतापूर्ण, अबाध और प्रभावकारी प्रणाली की परिवर्तनशील आवश्यकताओं और आधुनिक भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के प्रति सर्वोत्तम ढंग से अनुक्रियाशील हो सकता है और साथ ही संविधान के मूल ढ़ांचे तथा उसकी मूल विशेषताओं में हस्तक्षेप किए बिना, उसके उपबंधों में अपेक्षित परिवर्तन, यदि कोई हों, करने की सिफारिश करना भी है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927

***595. श्री तिरुनावक्करसू :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वन अधिनियम, 1927, जो अब पुराना हो गया है, के स्थान पर नया अधिनियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने का निर्णय किया है और संशोधन संबंधी प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से तैयार किए गए भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएं

1865 में पहली बार मसौदा तैयार किए गए भारतीय वन अधिनियम को 1878 में संशोधन किया गया था और 1927 में पुन: समेकित किया गया था। मौजूदा भारतीय वन अधिनियम, 1927 उन वनों से संबंधित समेकित विधि है जिनका प्रबंधन उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप संरक्षण संबंधी पहलुओं पर और अधिक बल देता है। प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1. यह विभिन्न वन और संबंधित अधिनियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 में राज्यों द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों को अद्यतन करता है और समेकित करता है। इसमें कुछ और परिभाषाएं भी जोड़ी गई हैं।

2. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में की गई घोषणाओं में प्रभावी बनाने के लिए मसौदे में उपयुक्त प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है। अधिनियम की प्रस्तावना "वनों, वन उत्पादों को लाने ले जाने और लकड़ी गौर वन उत्पाद पर लेवी योग्य शुल्क से संबंधित विधि को समेकित करना" को "वनों की स्थिति बहाल करने, संरक्षण और प्रबंधन के लिए उससे संबंधित और आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना" के रूप में संशोधित किया गया है।

3. केन्द्र सरकार ने वनों की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के लिए राज्यों को निदेश देने और नियम बनाने तथा आवश्यक और अत्यावश्यक उपाय करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

4. केन्द्र सरकार को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर आरक्षित अथवा संरक्षित वन तैयार करने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने की शक्तियां भी दी गई हैं तथा अपने शक्तियों

का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन करने के लिए किसी सरकार, अधिकारी या व्यक्ति को निदेश देने की शक्तियां भी दी गई हैं।

5. ग्रामीण समुदाय को उनकी अपेक्षाएं पूरा करने के लिए आवास के निकटस्थ ग्रामीण वनों के बचाव और प्रबंध के लिए बड़े उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। ग्रामीण वन के क्षेत्र का विस्तार इस दृष्टिकोण से सामुदायिक भूमि, संस्थानिक भूमि, ग्रामीण सामूहिक भूमि और अन्य बंजर भूमि तक किया गया है कि ग्रामीण समुदाय को समुदाय के सामूहिक लाभ के लिए बायोमास उत्पादन को निरन्तर बनाए रखने के सिद्धान्त पर वन के संरक्षण, विकास और व्यवस्था का दायित्व सौंपा जाएगा। राज्य सरकार आरक्षित वन से भिन्न किसी वन/भूमि, जो सरकार या ग्राम पंचायत या समुदाय या जिस पर सरकार अथवा ग्राम पंचायत या समुदाय का कोई हक है, को ग्रामीण वन बना सकती है। अनुमोदित योजना के अनुसार ग्राम वन का प्रबंधन समुदाय के पास रहेगा।

6. ग्राम समुदाय संशोधित अधिनियम में उपबंधित साझेदारी आधार पर भोगाधिकार सयुंक्त वन प्रबंध के उपबंध के अधीन आरक्षित वन सहित अन्य अवक्रमित वनों के प्रबंध में भी भागीदार हो सकता है।

7. खेती के स्थानांतरण पर नियंत्रण का प्रस्ताव भी किया गया है ताकि प्रभावित लोगों के हितों की सुरक्षा करते हुए प्रभावित क्षेत्र और उपयुक्त भूमि प्रयोग को पुन: संगठित किया जा सके।

8. निजी भूमि पर पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त उपबंध किए गए हैं। अपनी भूमि जिसमें उसने पेड़ पौधे उगाए हैं, के संबंध में किसी कृषक अथवा किसी व्यक्ति के वृक्ष उगाने वाले के रूप में पंजीकरण का उपबंध है। भूमि की अधिकतम सीमा की विधि के प्रयोजन से वन रोपस्थली को कृषि भूमि जोत में शामिल नहीं किया जाएगा। सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को निजी क्षेत्र से वृक्षों की कतिपय जातियों/लकड़ी को काटने और लाने ले जाने पर विशेषतौर पर प्रचलित प्रतिबंधों में ढिलाई बरतने अथवा छूट देने की शक्तियां दी गई हैं। राज्यों को किसी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के किसी विशेष हिस्से से किसी विशेष प्रकार के वृक्ष अथवा सभी वृक्षों को काट कर नष्ट करने अथवा हटाने को निषिद्ध करने अथवा प्रतिबंधित करने के लिए शक्तियां दी गई हैं। वृक्षों को लगाने और उनके बचाव के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्र के किसी विशिष्ट भाग में वृक्षों के संरक्षण के लिए वृक्ष प्राधिकरण का प्रस्ताव रखा गया है।

9. राज्यों को वन उत्पादों की बिक्री और निपटान पर लेवी अधिरोपित करने की शक्तियां दी गई हैं। वन उत्पाद के निर्धारित मूल्य या वन उत्पाद के लिए प्रदत्त प्रतिफल की राशि के अधिकतम 15 प्रतिशत की दर से "वन विकास कर" लगाया जाएगा। यह किसी अन्य देय शुल्क अथवा कर के अतिरिक्त होगा और राज्य की समेकित निधि का हिस्सा नहीं होगा। यह राशि वनों को पुन: उगाने और बचाव के लिए ही प्रयोग की जाएगी।

10. वन पर आधारित उद्योगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनेक विनियामक उपाय किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपबंध किए गए हैं कि वन उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योगों का ऐसे कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता का पता लगाए बिना स्थापित न किया जाए। किसी संभावित शोषण से किसानों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी वन उत्पाद के समर्थन मूल्य को नियत करने के लिए उपबंध किए गए हैं।

11. बचाव के उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। आरक्षित और संरक्षित वनों को अनधिकृत रूप से काटने और वन उत्पादों को ले जाने के अपराधों और अन्य अपराधों के लिए दंडनीय उपबंधों को और अधिक कठोर बनाया गया है। अधिक्रमण जैसे कुछ अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है और न्यूनतम अनिवार्य कारावास और जुर्माने के लिए उपबंध किया गया है। वन संरक्षण के लिए उत्तरदायी वन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों द्वारा दोषी परम्परा के निवारण के लिए उपबंध किए गए हैं।

12. आरा मिल के नियंत्रण, कतिपय वन उत्पादों के संसाधन, संकटाधीन (वन) वृक्षों की जातियों के उत्पाद को अधिकार में रखने, उनका व्यापार करने और उनके संसाधन के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं।

13. यह निश्चित करने के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं कि सरकारी वनों का प्रबंधन अनुमोदित प्रबंध योजना के अनुसार ही किया जाएगा।

14. अधिनियम के अधीन प्रक्रिया में व्यापक संशोधन किया गया है। वन अधिकारियों को वन अपराध में प्रयोग किए गए यंत्रों, उपस्करों, मशीनरी, संयंत्र, वाहन आदि सहित जब्त वन उत्पाद अधिहरित करने की शक्ति प्राप्त है। वन अपराधों के निवारण और उनका पता लगाने के लिए अन्तर-विभागीय सहयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

15. लकड़ी और चन्दन की लकड़ी के उत्पाद, लाल चन्दन और अगरू की लकड़ी तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित संकटाधीन वन प्रजातियों पर कब्जा करने, ले जाने और उनका निपटान करने को विनियमित करने के लिए उपबंध बनाए गए हैं।

16. वन अपराधों का पता लगाने में सहायता करने वाले व्यक्ति तथा वन अधिकारियों को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है।

भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

*596. **डा० बी०बी० रमैया :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवकों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्यवाही किए जाने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो विधिक प्रणाली में अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां। भारत के उच्चतम न्यायालय ने, अखिड़गन बनाम राज्य में अपने तारीख 8.3.2000 के निर्णय (जिसे 2000 (2) स्केल 263 के रूप में रिपोर्ट किया गया है), में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न निदेश दिया है :

"...यह सत्य है कि शीघ्र विचारण की धारणा सभी विचारणों को लागू होनी चाहिए, किन्तु भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के विचारण के लिए अनेकानेक कारणों से इस गति को और बढ़ाना होगा..."

(ख) मामलों के शीघ्रतापूर्वक निपटान के लिए सरकार ने, अनेक कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विशेष न्यायालयों (जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायालय भी है)/अधिकरणों की स्थापना और विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी है। दंड प्रक्रिया संहिता में भी कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है।

उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने, यह सूचित किया है कि ऊपर निर्दिष्ट निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मतों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों पर पूर्विकता के आधार पर कार्यवाही कर रहा है।

स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार

*597. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पीड पोस्ट सेवा को निजी कूरियर सेवा से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजी कूरियर सेवा के साथ कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्पीड पोस्ट सेवा में सुधार लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) वास्तव में स्पीड पोस्ट सेवा को, विशेषकर पार्सल और दस्तावेज के क्षेत्र में, निजी कूरियर सेवा के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। निजी कूरियर सेवा व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर कार्य करती है और उसके पास समर्पित मानवशक्ति, परिवहन तथा अन्य सहायक साधन हैं। डाक विभाग ने भी निजी कूरियरों की चुनौती का सामना करने के प्रयोजन से स्पीड पोस्ट सेवा को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। मुफस्सिल शहरों तथा जिला मुख्यालयों में 494 राज्य स्पीड पोस्ट कार्यालय खोलकर और राष्ट्रीय नेटवर्क पर देश के 100 बड़े नगरों और शहरों को जोड़कर स्पीड पोस्ट कार्यालयों के नेटवर्क का द्वि-स्तरीय आधार पर विस्तार किया गया है। ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए समर्पित वितरण कर्मचारियों को लेकर नोडल कार्यालय स्थापित करके वितरण प्रणाली का पुनर्गठन किया गया है और जहां संभव है वितरण बीट्स का मशीनीकरण किया गया है। इसके अलावा, बुकिंग तथा वितरण कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, वितरण सेवा की गुणवत्ता की दैनिक मॉनीटरिंग के साथ ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली शुरू की गई है। मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए ग्राहक के परिसर से फ्री-पिक-अप सेवा सुविधा भी शुरू की गई है। स्पीड पोस्ट सेवा को आगे और मजबूत बनाने के लिए सरकार को एक पूर्णतया समर्पित व्यवसाय विकास ग्रुप बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें बाजार में अपनी पकड़ और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक संपूर्ण प्रबंधन ढांचा तथा प्रचालन कर्मचारी मौजूद हों। वस्तुतः पिछले तीन वर्षों के दौरान स्पीड पोस्ट की वृद्धि अत्यंत उत्साहजनक रही है; जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

1997-98 में राजस्व	1998-99 में राजस्व	1999-2000 में राजस्व
77.95 करोड़ रु०	91.36 करोड़ रु०	126.17 करोड़ रु०

पिछले वित्त वर्ष के दौरान राजस्व में वृद्धि उससे पिछले वर्ष अर्थात् 1998-99 की तुलना में 38 प्रतिशत थी जो बाजार सूचना के अनुसार कूरियर उद्योग की वृद्धि दर से अधिक है। कूरियर उद्योग की वृद्धि दर लगभग 25 प्रतिशत है।

सेल्यूलर टेलीफोन कंपनियों की बैंक गारंटी

*598. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डी०ओ०टी०) ने 600 करोड़ रुपए मूल्य को सेल्यूलर टैलीफोन कंपनियों की बैंक गारन्टी जब्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो किन कंपनियों की बैंक गारन्टी जब्त की गयी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय सेल्यूलर टेलीफोन आपरेटर्स एसोसिएशन (सी०ओ०ए०आई०) ने इस मामले पर आपत्तियां दर्ज की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सभी गैर-सरकारी आपरेटरों ने सरकार से अपनी-अपनी बैंक गारन्टियों को बढ़ाने का आग्रह किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (छ) माइग्रेशन पैकेज के साथ पठित लाइसेंस करारों के अंतर्गत ऑपरेटरों की लाइसेंस शुल्क तथा अन्य बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण के लिए वित्तीय बैंक गारंटियां (एफ०बी०जी०) रखनी तथा प्रस्तुत करनी थीं। चूंकि कुछ ऑपरेटरों की वित्तीय बैंक गारंटियां 31 मार्च, 2000 को समाप्त हो रही थीं अत: राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के अंतर्गत देय लाइसेंस शुल्क तथा वायरलेस शुल्क और रॉयल्टी की अन्य बकाया राशि, दोनों का प्रतिभूतिकरण आवश्यक हो गया था। तदनुसार 10 ऑपरेटरों की 189.49 करोड़ रु० की इन वित्तीय बैंक गारंटियों के लिए पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) दर्ज किया गया। इन ऑपरेटरों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भारतीय सेल्यूलर ऑपरेटर संघ ने इस कार्रवाई पर दो कारणों से आपत्ति की थी कि कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया था और कि बैंक गारंटियों की वैधता 31 मार्च, 2000 तक ही आवश्यक थी। तथापि, इसमें यह तथ्य ध्यान में नहीं रखा गया था कि ऑपरेटरों की बकाया राशि कवर करने के लिए वित्तीय बैंक गारंटियां प्रस्तुत करना अपेक्षित था, इनमें भविष्य में समय-समय पर बकाया होने वाली राशि भी शामिल है। उसके बाद ऑपरेटरों को सलाह दी गई कि वे अपनी बकाया राशि कवर करने के लिए तथा एक वर्ष के लिए अपनी वैधता बढ़ाने के लिए अपनी वित्तीय बैंक गारंटियों की राशि संशोधित करें।

विवरण

जिन सेल्यूलर कंपनियों की बैंक गारंटियों पर लियन दर्ज किया गया था, उनके नाम

1. भारतीय सेल्यूलर
2. भारती टेलीनेट
3. बी०पी०एल० मोबाइल कम्यूनिकेशन्स
4. बी०पी०एल०, यू०एस० वेस्ट
5. एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन
6. फास्सेल
7. मोदी टेल्स्ट्रा
8. स्काई सेल कम्यूनिकेशन्स
9. स्टर्लिंग सेल्यूलर
10. टाटा कम्यूनिकेशन्स

राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार का लक्ष्य

***599. श्री बृजलाल खाबरी :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) अभी तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) और एन०एच०ए०आई० के मामले में लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए इस मंत्रालय की रा०रा० (मूल) स्कीम के तहत तथा एन०एच०ए०आई० (निवेश) शीर्ष के तहत वर्षवार आबंटन और व्यय निम्न प्रकार है :–

वर्ष	आबंटन (करोड़ रु०)		व्यय (करोड़ रु०)	
	रा०रा०(मूल) स्कीम	*एनएचएआई (निवेश)	रा०रा०(मूल) स्कीम	एनएचएआई (निवेश)
1997-98	551.24	290	494.56	290
1998-99	792.13	101	680.27	101
1999-2000	1084.62	1192	**1084.62	1192

* एन०एच०ए०आई० (निवेश शीर्ष के तहत एन०एच०ए०आई० को आबंटित राशि को मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय माना जाता है।

** व्यय संबंधी ब्यौरे प्रतीक्षित होने के कारण आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) के मामले में वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां

क्रम सं०	स्कीम	यूनिट	9वीं योजना-लक्ष्य (1997-2002) कि० मी०/संख्या	नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997-2000) में कार्य-निष्पादन			नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में नियत लक्ष्य प्राप्त करने में कमी (प्रतिशत)	नौवीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए शेष लक्ष्य
				लक्ष्य (कि०मी०/संख्या)	उपलब्धि (कि०मी०/संख्या)	प्रतिशत उपलब्धि		
	सामान्य रा०रा० कार्य							
1.	चौड़ा करके 2 लेन बनाना	कि०मी०	1194	644	786	122	0	सड़क गुणता में सुधार पर जोर दिया जाएगा।
2.	चौड़ा करके 4 लेन बनाना	कि०मी०	202	130	290	223	0	
3.	कमजोर 2 लेन को मजबूत बनाना	कि०मी०	2908	1651	1522	92	8	
4.	बाइपास	सं०	20	15	5	33	67	
5.	बड़े पुल	सं०	40	35	31	89	11	
6.	छोटे पुल	सं०	226	183	186	74	26	
7.	एक्सप्रैस वे	एकदम चुनिंदा आधार पर केवल उन खंडों में जहां यातायात सघनता अत्यधित हो।						

नोट : बाइपासों और पुलों के निर्माण के मामले में बड़ी कमी आई है। मुख्यतया भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और उपयोगी सुविधाओं की शिफ्टिंग में लम्बा समय लगने के कारण ऐसा हुआ है। 2 लेन/4 लेन बनाने से संबंधित लक्ष्य इसलिए हासिल किए जा सके क्योंकि बाइपासों और पुलों के लिए नियत धनराशि इसी बीच सड़कें चौड़ी करने संबंधी कार्यों पर खर्च की गई।

* उपर्युक्त लक्ष्यों/उपलब्धियों में एन०एच०ए०आई० कार्यक्रम शामिल नहीं है।

विवरण-II

एन०एच०ए०आई० कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना	यूनिट	इस परियोजना में समाहित कुल लम्बाई (कि०मी०)	पहले ही चार लेन पूरी हो चुकी (कि०मी०)	चल रहे कार्यान्वयना-धीन कार्य (कि०मी०)	सौंपी जाने वाली लम्बाई (कि०मी०) 2000-2001	सौंपी जाने वाली लम्बाई (कि०मी०) 2001-2002	कुल कितनी लम्बाई सौंपी जानी है (कि०मी०) (2002 तक)	पूरा करने की लक्षित तारीख
(क) स्वर्णिम चतुर्भुज चौड़ा करके चार/छः लेन बनाना	कि०मी०	5952	558	712	3167	1515	4682	वर्ष 2003
(ख) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारिडोर चौड़ा करके चार/छः लेन बनाना	कि०मी०	7300	630	272	378	0	378	वर्ष 2009
कुल	कि०मी०	13252	1188	984	3545	1515	5060	
2. एन०एच०ए०आई० द्वारा अन्य कार्य	कि०मी०	1000	0	214	161	625	786	वर्ष 2009

"प्राइज पेट्रोलियम" तथा एच०पी०सी०एल० के बीच समझौता

*600. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को प्राइज पेट्रोलियम के साथ समझौता करने से क्या-क्या विशिष्ट लाभ हुए हैं;

(ख) इस उद्यम में एच०पी०सी०एल० की इक्विटी अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राइज पेट्रोलियम ने भारत में तेल संसाधनों के बारे में भूकम्पीय आंकड़ों को खरीदा है;

(घ) यदि हां, तो एकत्रित किए गए आंकड़े किस सीमा तक प्रामाणिक हैं;

(ङ) एच०पी०सी०एल०-प्राइज पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादित किए जाने वाले सम्भावित नए तेल का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कार्य की निर्धारित समय सीमा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) (1) विशेष रूप से नियंत्रणमुक्त परिदृश्य के दौरान एच०पी०सी०एल० रिफाइनरियों के लिए इसके अपने स्रोतों से क्रूड आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना; और

(2) अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम कार्यों को ऊर्ध्वाधर एकीकरण प्रदान करना।

(ख) 50 प्रतिशत इक्विटी एच०पी०सी०एल० द्वारा धारित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) प्राइज पेट्रोलियम को 1998 में पंजीकृत किया गया था तथा इसके वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ करने हैं।

केरल में ट्रांसमिशन लिंकों को मजबूत किया जाना

6310. **श्री जी०एम० बनातवाला : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड का विचार केरल में विद्युत लाकर इसकी विद्युत आपूर्ति स्थिर करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों को मजबूत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मदुरई में तिरूवनंतपुरम और बंगलौर से कोझीकोड (केरल) तक प्रत्येक परियोजना के संबंध में 400 के०वी० की लाइन के प्रस्ताव पर कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) इस समय दक्षिण क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों से केरल का हिस्सा लगभग 400 मे०वा० है जिसे विद्यमान उदुमलपेट उत्तरी त्रिचूर 400 के०वी०डी०/सी० लाइन और 220 के०वी० अंत: राज्यीय संयोजकों के द्वारा पारेषित किया जा रहा है। इसके अलावा कायमकुलम जी०बी०सी०सी०पी० से उत्पादित समस्त 300-350 मे०वा० विद्युत का केरल में समुपयोजन किया जा रहा है जिसके लिए पावरग्रिड के एक पृथक 220 के०वी० पारेषण प्रणाली का निर्माण किया है। विद्यमान पारेषण लाइनों को केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत के वर्तमान हिस्से को केरल में अंतरित करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है।

तथापि, केरल में विद्युत की भावी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पावरग्रिड तिरूवनंतपुरम में एक नये 400/200 के०वी० उप-केन्द्र के साथ-साथ मदुरई-तिरूवनंतपुरम 400 के०वी० डी/सी लाइन को स्थापित करने पर विचार कर रहा है। इस पारेषण लाईन हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। बंगलौर-कोझीकोड 400 के०वी० लाइन को पावरग्रिड द्वारा भावी परियोजनाओं की संबंधित पारेषण प्रणालियों के साथ निर्माण हेतु अभिज्ञात किया गया है।

एन०टी०पी०सी० द्वारा विशेष प्रयोजन वाहन

6311. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पर्यावरण रक्षा और जल प्रबंधन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस०पी०वी०) बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वनरोपण और जल प्रबंधन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के धन का उपयोग किस प्रकार करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) पर्यावरण संरक्षण एवं जल प्रबंधन हेतु विशेष प्रयोजन वाहन (एस०पी०वी०) तैयार करेगा। एस०पी०वी० को एन०टी०पी०सी० के अंतर्गत चलाया जायेगा, जिसमें पावर प्लांट की स्थापना के लिए 1% पूंजीगत लागत को वनीकरण तथा जल प्रबंधन हेतु अलग रखा जायेगा। बाद में एस०पी०वी० के स्कोप का विस्तार किया जायेगा ताकि विद्युत मंत्रालय के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को शामिल किया जा सके। एन०टी०पी०सी० एस०पी०वी० के निर्माण के लिए ब्यौरे तैयार कर रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में जल विद्युत परियोजना

6312. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पूर्णिया जिले में विशाल जलाशय है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जलाशय से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्णिया में कोई जल विद्युत परियोजना की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, बिहार के पूर्णिया जिले में जल विद्युत विकास हेतु कोई भी स्कीम अभिज्ञात नहीं की गई है।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम में वनाच्छादित

6313. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में वनाच्छादित क्षेत्र की उपग्रह से कोई चित्रावली तैयार कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी-घाट क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्र तेजी से घट रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। अक्तूबर, 1989 से अक्तूबर, 1993 की अवधि के उपग्रह आंकड़ा के उपयोग से वन आवरण के मूल्यांकन के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट, 1997 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के श्रीकालम, विशाखापत्तनम और विजयानगरम के सम्मिलित जिलों में 3018 वर्ग कि०मी० की कमी हुई है।

(ग) पूर्वी घाटों में वन आवरण की कमी के बारे में कोई पृथक मूल्यांकन नहीं किया गया है तथापि पूर्वी घाटों वाले राज्यों में वन स्थिति रिपोर्ट, 1995 की तुलना में नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट, 1997 के अनुसार वन आवरण कमी की/वृद्धि का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रम सं०	राज्य		वन आवरण में कमी/वृद्धि (वर्ग कि०मी०)
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	3822
2.	उड़ीसा	–	70
3.	तमिलनाडु	–	19

(घ) पूर्वी घाटों वाले राज्यों में वन आवरण को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 1.15 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण हेतु नौवीं योजना के दौरान 6245.04 लाख रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वनों के विकास और परिरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

खराब टेलीफोन

6314. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनैतिक लोगों द्वारा टेलीफोन के तार काटे जा रहे हैं अथवा उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है और सरकार इसे नियंत्रित नहीं कर पायी है जिसके कारण सरकार दिल्ली में टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए उचित और संतोषजनक सेवा प्रदान करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक कितनी बार टेलीफोन के तार काटे/चुराए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या इस समय दिल्ली के विभिन्न एक्सचेंजों में विशेषकर आर०के० पुरम क्षेत्र में बड़ी संख्या में टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उक्त टेलीफोनों को कब तक ठीक कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। केबल रूटों के असुरक्षित स्थानों जहां अक्सर चोरियां होती हैं, पर पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से सघन गश्त जैसे एहतियाती उपायों के बावजूद भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में केबल की कुछ चोरियां हो जाती हैं जिससे दूरसंचार सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रभावित उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए इन केबलों को तत्काल ठीक कर दिया जाता है।

(ख) एम०टी०एन०एल०, दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान चोरी की घटनाओं की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	केबलों की संख्या
1997-98	238
1998-99	194
1999-2000	179

(ग) केबल चोरी के ये सभी मामले जांच के लिए सम्बन्धित पुलिस थानों में दर्ज कराये जा रहे हैं। केबल चोरी की

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वरिष्ठ स्तर के पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

(घ) अभी तक केबल चोरी में कमी दर्शाने वाली कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं हुई है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। 28.4.2000 की स्थिति के अनुसार केवल एम०टी०एन०एल०, दिल्ली नेटवर्क में केबल टूटने के कारण 4484 उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, आर०के० पुरम में दिनांक 24.4.2000 को बाहरी एजेंसी द्वारा केवल एक 200 पेयरों वाली एक भूमिगत वितरण केबल क्षति ग्रस्त की गई थी जिससे 39 उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवा प्रभावित हुई। इस केबल को अब ठीक कर दिया गया है और सेवाएं सामान्य हो गयी हैं।

[हिन्दी]

दूरभाष विभाग, जामनगर के विरुद्ध शिकायतें

6315. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के जामनगर क्षेत्र में दूरभाष विभाग के विरुद्ध काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान और आज तक प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई और इसका क्या परिणाम निकला ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) प्राप्त शिकायतों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। लिखित शिकायतों के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

जनवरी 98 से दिसम्बर, 98 तक	–	267
जनवरी 99 से दिसम्बर, 99 तक	–	418
जनवरी 2000 से मार्च, 2000 तक	–	250

(ग) प्राप्त शिकायतों में टेलीफोन के कार्यकरण, नया टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने, नये टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था करने, विश्वसनीय मीडिया का प्रावधान करने से सम्बन्धित समस्याएं सम्मिलित हैं। नये टेलीफोन कनेक्शन के लिए 41, नये टेलीफोन एक्सचेंज के लिए 16 अनुरोधों, विश्वसनीय मीडिया के 15 मामलों, एस०टी०डी० सुविधा के 15 मामलों तथा कर्मचारियों के 2 मामलों को छोड़कर सभी अन्य मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विदेश संचार निगम लिमिटेड

6316. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लि० ने इंडिया इनफो कंपनी में 30% शेयर बिना आर्थिक स्थिति का विचार किए खरीद लिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंडियाइन्फो डॉट कॉम प्राइवेट लि०, बंगलौर के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता-ज्ञापन की शर्तों के अनुसार बिना कोई भुगतान किए विदेश संचार निगम लि० की कंपनी में 30 प्रतिशत साझेदारी होगी। इसके अतिरिक्त, विदेश संचार निगम लि० को 3 वर्ष की अवधि में न्यूनतम 201 करोड़ रुपए की गारंटीशुदा राशि सहित कंपनी के राजस्व में से 20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।

(ख) विदेश संचार निगम लि० वर्ष 1995 से इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। नई आई०एस०पी० नीति के परिणामस्वरूप भारत में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत से नए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रति-स्पर्धात्मक परिदृश्य बन गया है। अत: समृद्ध विषय-वस्तु और ई-कॉमर्स क्षमताएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस समय, विदेश संचार निगम लि० के नेट पर स्वतन्त्र विषय-वस्तु और ई-कॉमर्स सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञता हासिल नहीं है। इंडियाइन्फो के साथ साझेदारी से एक संयुक्त पोर्टल वी०एस०एन०एल०-इंडियाइन्फो डॉट कॉम (को-ब्रांडेड पोर्टल) के माध्यम से वी०एस०एन०एल० समृद्ध विषय-वस्तु और ई-कामर्स उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाएगा।

इससे वी०एस०एन०एल० की सेवाएं अन्य प्रतिस्पर्धी आई०एस० पी० के समकक्ष हो जाएंगी, जिनके पास इसी प्रकार की साझेदारी के माध्यम से विषयवस्तु और विज्ञापनों की अभिगम्यता है। इस प्रकार यह साझेदारी वी०एस०एन०एल० के लिए वित्तीय लाभ देने के साथ ही वी०एस०एन०एल० इंटरनेट सेवाओं का मूल्यवर्धन करेगी।

राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य

6317. श्री साहिब सिंह : क्या **पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक में मौजूद भौतिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय ढांचागत सुविधाओं की स्थिति क्या है;

(ग) क्या ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य नेटवर्किंग से जुड़े हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उन उद्योगों और अभयारण्यों को नेटवर्किंग से जोड़ने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) इस मंत्रालय द्वारा संकलित अंतिम सूचना के अनुसार देश में 86 राष्ट्रीय उद्यान और 448 अभयारण्य हैं।

(ख) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए मूलभूत संरचना है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, ''बाघ परियोजना'', और ''हाथी परियोजना'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए वित्त-व्यवस्था करती है। सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा ''बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास'' नामक एक योजना अलग से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) से (ङ) प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य विशेषकर जो ''बाघ परियोजना'' में शामिल हैं, उनमें इन्टरनेट सम्पर्क व्यवस्था है।

एन०टी०पी०सी० द्वारा केन्द्रीय विद्यालय को सुविधाएं

6318. श्री राजैया मल्याला : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०टी०पी०सी० ने रामुगंडम के एन०टी०पी०सी० परिसर में स्थित केन्द्रीय विद्यालय को कोई सुविधा और वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय (के०वि०) रामागुंडम हेतु वित्तीय परिव्यय निम्नवत् है :–

1997-98	–	57,93,000 रुपए
1998-99	–	57,55,000 रुपए
1999-2000	–	73,90,000 रुपए

के०वी० रामागुंडम का समस्त पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की पूर्ति, के०वी० संगठन (के०वी०एस०) मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम द्वारा की जाती है। के०वी० रामागुंडम के कर्मचारियों को के०वी०एस० मानदंडों के अनुसार सभी सुविधाएं जैसे :– आवास, चिकित्सा सुविधा इत्यादि प्रदान की जाती हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 के लिए के०वी० रामागुंडम के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :–

शिक्षण कर्मी	48
गैर-शिक्षण कर्मी	12
कुल	60

वर्ष 1999-2000 के लिए विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत है :–

एन०टी०पी०सी०	387
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	420
अन्य	34
कुल	841

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

6319. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की स्थिति क्या है जिसके चालू वर्ष के दौरान हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अब तक हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विद्युत क्षेत्र में चल रही स्वीकृत/प्रस्तावित नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और परियोजना-वार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ छः समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं वर्ष 1998-99 में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का कार्यनिष्पादन निम्नवत् था।

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन
1.	एन०टी०पी०सी०	उत्कृष्ट
2.	एन०एच०पी०सी०	-वही-
3.	पावरग्रिड	-वही-
4.	पी०एफ०सी०	-वही-
5.	आर०ई०सी०	-वही-
6.	नीपको	बहुत अच्छा

वर्ष 1999-2000 के दौरान कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान उपलब्धियों का ब्यौरा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमवार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की बड़ी निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा उनकी वर्तमान स्थिति के साथ संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

1998-99

1. **नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन०टी०पी०सी०) :**

कर के पश्चात् शुद्ध लाभ	–	2815.73 करोड़ रुपये
उत्पादन	–	1,09,500 मिलियन यूनिट

2. **नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एन०एच०पी०सी०) :**

कर के पश्चात् शुद्ध लाभ	–	305.30 करोड़ रुपये
उत्पादन	–	9,917 मिलियन यूनिट

3. **नार्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि० (नीपको) :**

कर के पश्चात् शुद्ध लाभ	–	58.22 करोड़ रुपये
उत्पादन	–	1935.93 मिलियन यूनिटे

4. **पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० (पी०जी०सी०आई० एल०) :**

कर के पश्चात् शुद्ध लाभ	–	444.42 करोड़ रुपये
सर्किट किलोमीटर	–	3444
लाइन उपलब्धता	–	98.64%

5. **पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पी०एफ०सी०) :**

कर के पश्चात् शुद्ध लाभ	–	541.36 करोड़ रुपये
स्वीकृत ऋण	–	3338.75 करोड़ रुपये
संवितरित ऋण	–	2467.00 करोड़ रुपये

6. **रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आर०ई०सी०) :**

कर के पश्चात् शुद्ध लाभ	–	299.24 करोड़ रुपये
स्वीकृत ऋण	–	2878.73 करोड़ रुपये
संवितरित ऋण	–	2202.60 करोड़ रुपये

विवरण-II

कुछ प्रमुख चालू केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं०	परियोजना का नाम	चालू होने की तिथि
1	2	3
	जल विद्युत परियोजना	
1.	दुलहस्ती (3 x 130 मे०वा०) जे० एंड के०	मार्च, 2002
2.	धौलीगंगा (4 x 70 मे०वा०) उ०प्र०	2004-05
3.	चमेरा (चरण-2) (3 x 100 मे०वा०) हि०प्र०	2004-05
4.	कोयल कारो (4 x 172.5 + 1 x 20 मे०वा०), बिहार	चालू होने की तिथि से 8 वर्ष
5.	लोकतक डी/एस (3 x 30 मे०वा०) मणिपुर	2006-07
6.	तीस्ता चरण-5 (3 x 170 मे०वा०) सिक्किम	2006 07
7.	नाथपा-झाकरी (6 x 250 मे०वा०) हि०प्र०	2001-02
8.	टिहरी चरण-I (4 x 250 मे०वा०) उ०प्र०	2001-03
9.	कोटेश्वर बांध (4 x 250 मे०वा०) उ०प्र०	2005-06
10.	दोयांग (3 x 25 मे०वा०) नागालैंड	2000-01
11.	रंगानदी (3 x 135 मे०वा०) अरुणाचल प्रदेश	2001-02
12.	तुरियल (2 x 30 मे०वा०) मिजोरम	2005-07
13.	कोपिली चरण-2 (1 x 25 मे०वा०) असम	2003-04
	ताप विद्युत परियोजना	
1.	फरीदाबाद गैस पावर परियोजना, हरियाणा	06,99-10/2000
2.	सिम्हाद्री टी०पी०एस०, आंध्र प्रदेश	03/2002-12/2002
3.	रामागुण्डम टी०पी०पी० चरण-3, आंध्र प्रदेश	निवेश की तिथि से 55 माह
4.	फरक्का एस०टी०पी०एस० चरण-3, पश्चिम बंगाल	अभी अंतिम रूप दिया जाना है
5.	तालचेर एस०टी०पी०पी० चरण-2, उड़ीसा	11/2003-02/2006
6.	नैवेली टी०पी०एस०-1, तमिलनाडु	11/2001-05/2002
	पारेषण परियोजना	
	निर्माणाधीन परियोजनाएं	
1.	किशनपुर-मोगा पारेषण प्रणाली	दिसम्बर, 2000
2.	नाधपा-झाकरी पारेषण प्रणाली	दिसम्बर, 2000
3.	जालंधर-हमीरपुर पारेषण प्रणाली	जुलाई, 2000
4.	टिहरी पारेषण प्रणाली	मार्च, 2002
5.	पूर्व-उत्तरी अंत-क्षेत्रीय एच०वी०डी०सी० लिंक	मार्च, 2000
6.	400/220 के०वी० इलाहाबाद उपकेन्द्र	मार्च, 2001

1	2	3
7.	अगरतला पारेषण प्रणाली	दिसंबर, 2000
8.	तालचेर पारेषण प्रणाली	जून, 2003
9.	उ०क्षे० में एल०डी० एंड सी० स्कीमें	जनवरी, 2002
10.	द०क्षे० में एल०डी० एंड सी० स्कीमें	जनवरी, 2002
11.	उ०पू०क्षे० में एल०डी० एंड सी० स्कीमें	अप्रैल, 2004
12.	पू०क्षे० में एल०डी० एंड सी० क्षेत्र	सितम्बर, 2003

केन्द्र सरकार से निवेश मंजूरी हेतु प्रतीक्षित प्रमुख नई केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मे०वा०)
1	2	3
	जल विद्युत प्रोजेक्ट	
1.	पार्वती एच०ई०पी० चरण-II हि०प्र०	4x 200 = 800
2.	बगलिहार एच०ई०पी०, ज० एवं क०	3x 150 = 450
3.	चेमेरा एच०ई०पी०, चरण-II हि०प्र०	3x 200 = 300
4.	तीस्ता चरण-III एच०ई०पी०, सिक्किम	6x 100 = 1200
5.	धालेश्वर एच०ई०पी०, मिजोरम	3x 40 = 120
6.	लोकतक, डाउनस्ट्रीम एच०ई०पी०, मणिपुर	3x 30 = 90
7.	टिहरी बांध चरण-II एच०ई०पी०, उ०प्र०	4x 250 = 1000
8.	कामेंग एच०ई०पी०, अरुणाचल प्रदेश	4x 150 = 600
9.	तुरुवई, एच०ई०पी०, मिजोरम	3x 70 = 210
	ताप विद्युत प्रोजेक्ट	
1.	औरैया सी०सी०पी०पी० चरण-II उ०प्र०	650
2.	रिहन्द एस०टी०पी०पी० चरण-II उ०प्र०	2x 500 = 1000
3.	अन्ता सी०सी०जी०टी० चरण-II राज०	650
4.	कवास सी०सी०पी०पी० चरण-II गुजरात	650
5.	झनोर गन्धार सी०सी०पी०पी० चरण-II गुजरात	650
6.	रामागुण्डम टी०पी०पी०-III आन्ध्र प्रदेश	1x 500 = 500
7.	तलचेर एस०टी०पी०पी०-II उड़ीसा	4x 500 = 2000
8.	सिपत एच०टी०पी०पी०, मध्य प्रदेश	3x 660 = 1980
9.	कहलगांव एस०टी०पी०पी० चरण-II	2x 660 = 1320

पावरग्रिड की नई स्कीमें

क्रम सं०	स्कीमें	चालू होने की संभावित कार्यक्रम
1	2	3
1.	प०क्षे० में एकीकृत भार प्रेषण एवं संचार	2003-2004
2.	जमशेदरपुर-राउरकेला ग्रिड सुदृढ़ीकरण	अनुमोदन से 36 माह
3.	तालचेर-मेरामुंडी ग्रिड सुदृढ़ीकरण	-वही-
4.	पूर्णिया-डलखोला का लीलो	जुलाई, 2001
5.	पूर्व-पश्चिम अंत: क्षेत्रीय लिंक	अनुमोदन से 36 माह
6.	सिलीगुड़ी में बोंगईगांव-मालदा लाइन पर लीलो	अनुमोदन से 30 माह
7.	पूर्णिया में बोंगईगांव-मालदा लाइन पर लीलो	अक्तूबर, 2002
8.	जौपोर में आई०सी०टी०	अनुमोदन से 24 माह
9.	मालदा में आई०सी०टी०	अनुमोदन से 18 माह
10.	भारत-बांग्लादेश टी०/एल०	अनुमोदन से 48 माह
11.	कोल्हापुर-पॉडा	अनुमोदन से 36 माह
12.	कैथालगुडी के लिए रिएक्टर	अनुमोदन से 12 माह
13.	रंगानदी-जीरो	अनुमोदन से 24 माह
14.	विजयवाड़ा-नैल्लोर-चैन्नई	अनुमोदन से 24 माह
15.	द० क्षेत्र का प्रणाली सुदृढ़ीकरण	अनुमोदन से 30 माह
16.	एन०एल०सी० विस्तार	मार्च, 2001
17.	आई०सी०टी० नागार्जुन सागर	अनुमोदन से 24 माह
18.	रामागुण्डम-2	अनुमोदन से 48 माह
19.	कैगा-विस्तार	अनुमोदन से 36 माह
20.	आई०सी०टी०-बल्लभगढ़	अनुमोदन से 24 माह

1	2	3
21.	कानपुर-बल्लभगढ़ लाइन पर सीरिज कम्पनसेटर्स	अनुमोदन से 24 माह
22.	धौलीगंगा टी०एल०	अनुमोदन से 48 माह
23.	विंध्याचल पुन: व्यवस्थित	अनुमोदन से 12 माह
24.	तालचेर-2	अनुमोदन से 48 माह
25.	ताला एच०ई०पी०-2	अनुमोदन से 48 माह
26.	कवास-2	अनुमोदन से 24 माह
27.	गांधार-2	अनुमोदन से 24 माह
28.	औरैया-2	अनुमोदन से 24 माह
29.	अन्ता-2	अनुमोदन से 24 माह
30.	सिपत	जनवरी, 2000
31.	दुलहस्ती चरण-2	मार्च, 2002
32.	चमेरा-2	अनुमोदन से 48 माह

महाराष्ट्र में एम०ए०आर०आर० टेलीफोन

6320. श्री चिंतामन बनगा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में विशेषकर थाणे जिले में एक नई "मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो" प्रणाली स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) थाणे जिले सहित महाराष्ट्र में नई मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम०ए० आर०आर०) प्रणाली की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

6321. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपार्गों की स्थिति यातायात योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों के नए निर्माण-कार्यों और मरम्मत कार्यों के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या आबंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) चालू वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल कितने लंबे राजमार्गों की मरम्मत की जाएगी ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	वर्ष	रा०रा० (मूल) (करोड़ रु०)	अनुरक्षण एवं मरम्मत (करोड़ रु०)
(i)	1997-98	29.50	40.53
(ii)	1998-99	45.00	46.31
(iii)	1999-2000	50.45	47.70

(घ) और (ङ) जी, हां। सिवाए 1999-2000 के दौरान जिसका व्यय इस प्रकार है :–

(i) रा०रा० (मू०) 39.38 करोड़ रु०

(ii) अनु० एवं मरम्मत 43.95 करोड़ रु०

जनवरी से मार्च, 2000 तक कार्य अवधि में डामर की भारी कमी के कारण आंध्र प्रदेश लो०नि०वि० 1999-2000 के दौरान आबंटित धनराशि का पूर्णत: उपयोग नहीं कर सका।

(च) वर्ष 2000-2001 के दौरान रा०रा० की 3967 कि०मी० की समग्र लम्बाई के नेमी अनुरक्षण का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

एस०डी०सी०ए० टेलीफोन एक्सचेंज

6322. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जिले-वार कितने शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरियाज टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये एक्सचेंज राज्य में, विशेषत: बिलासपुर जिले में ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों को इस सेवा से जोड़ा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्रों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बिलासपुर जिले के एक्सचेंज सहित ये एक्सचेंज सामान्यत: ठीक से कार्य कर रहे हैं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सीमा क्षेत्रों के एक्सचेंज सहित इस नेटवर्क के सभी टेलीफोन एक्सचेंज सामान्यत: आपस में जुड़े हुए हैं।

विवरण

***मध्य प्रदेश** में कार्यरत कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस०डी० सी०ए०) टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे*

क्रम सं०	जिले का नाम	एस०डी०सी०ए० केन्द्र (एस०डी०सी०सी०) में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	8
2.	बेतुल	8
3.	शिवपुरी	8
4.	भोपाल	2
5.	कोरबा	5
6.	बिलासपुर	8
7.	जंगीरचैंप	5
8.	छत्तरपुर	8
9.	टिकनगढ़	4
10.	सिहोर	5
11.	छिन्दवाड़ा	10
12.	दमोह	6
13.	देवास	5
14.	धार	6
15.	दुर्ग	8
16.	कवरधा	2
17.	राजनन्दगांव	6
18.	गुना	9
19.	ग्वालयिर	6
20.	दतिया	1
21.	इंदौर	4
22.	हरदा	2
23.	होशंगाबाद	7
24.	जबलपुर	5
25.	कटनी	2
26.	कंकेर	7
27.	दंतेवाड़ा	15
28.	बस्तर	13
29.	झाबुआ	6
30.	खण्डवा	8
31.	खरगौन	11
32.	मंडला	8
33.	डिन्डोरी	2
34.	मंदसौर	5
35.	नीमच	3
36.	मुरैना	6
37.	शेवपुर काला	3
38.	भिण्ड	4
39.	नरसिंहपुर	5
40.	पन्ना	5
41.	रायगढ़	7
42.	जसपुर	12
43.	रायपुर	11

1	2	3
44.	महासमुन्द	4
45.	धमतारी	3
46.	रायसेन	7
47.	राजगढ़	5
48.	रतलाम	4
49.	रीवां	5
50.	सागर	7
51.	सतना	6
52.	सेवनी	6
53.	उमरिया	2
54.	शहडोल	9
55.	मानपुर	1
56.	सिद्धी	7
57.	शाजापुर	5
58.	कोरिया	2
59.	सुरगुजा	14
60.	उज्जैन	6
61.	विदिशा	7
	जोड़	361

[अनुवाद]

कश्मीर में बिक्री केन्द्रों के लिए लंबित आवेदन पत्र

6323. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीलर चयन बोर्ड ने कश्मीर घाटी में खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए लम्बित आवेदन पत्रों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ बिक्री केन्द्रों को 'कोको पम्प्स'' के बहाने ''हैंडलिंग कांट्रेक्टर्स'' नामक निजी पार्टियों को तीन वर्ष के पट्टे के आधार पर सौंप दिया गया है या सौंपा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चयन के औचित्य क्या हैं और इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन पट्टों को प्रदान करने में बरती विसंगतियों के आलोक में इन पट्टों को रद्द किये जाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (छ) कश्मीर घाटी में डीलर चयन बोर्ड आम चुनवों की घोषणा के कारण चयन प्रक्रिया पर स्थगन तथा जुलाई, 1999 में आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन तथा तदनतंर अन्य डीलर चयन बोर्डों के साथ-साथ इसके भंग होने के कारण खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के चयन के लिए लंबित आवेदन पत्रों के विषय में विचार नहीं कर सका।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के विकास के संबंध में किए गए निवेशों की निष्क्रियता से बचने की दृष्टि से ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों, जिनके लिए स्थल अधिकार में ले लिए गए हैं तथा कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित (सी०ओ०सी०ओ०) आधार पर सुविधायें प्रतिष्ठवित की गई हैं, को चलाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बिक्री अधिकारी ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र का प्रभारी है। श्रम संविदाकार की नियुक्ति इन दिशानिर्देशों के तहत प्रदत्त तरीके से एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, जिसका एक वर्ष के लिए और नवीकरण किया जा सकता है।

तद्नुसार, तेल कंपनियों ने काश्मीर घाटी में उपर्युक्त योजना के अनुसार कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित के रूप में तीन खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें विकसित की हैं।

नए एक्सप्रेस राजमार्गों के लिए कार्यक्रम

6324. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नए एक्सप्रेस राजमार्गों, लिंक हाइवेज और कॉरीडोर रोड्स के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के कुल कार्यक्रम क्या हैं तथा इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संरचना क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) का कार्यक्रम संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के तहत निधियों का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्यक्रम और 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान आबंटन क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV में दिया गया है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) का प्रमुख अध्यक्ष होता है तथा इसके पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य हैं। इस समय चार पूर्णकालिक सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य हैं।

विवरण-I

9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम

क्रम सं०	स्कीम	इकाई	9वीं योजना-लक्ष्य (1997-2002) (कि०मी०/संख्या)
	सामान्य रा०रा० कार्य		
1.	दो लेन बनाना	कि०मी०	1194
2.	चार लेन बनाना	कि०मी०	202
3.	कमजोर 3 लेनों का सुदृढ़कीरण	कि०मी०	2908
4.	बाईपास	सं०	20
5.	बड़े पुल	सं०	40
6.	छोटे पुल और आर०ओ०बी०	सं०	226
7.	एक्सप्रैसमार्ग	अति चुनिंदा आधार पर जहां यातायात की सघनता अपवादिक रूप से अधिक है।	

विवरण-II

गत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि का आबंटन (लाख रु० में) दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2949.83	4500.00	5045.00
2.	असम	1821.00	2600.00	4186.83
3.	बिहार	1900.00	3405.31	6000.00
4.	चन्डीगढ़	30.00	82.00	100.00
5.	दिल्ली	800.00	1400.00	700.00
6.	गोवा	900.00	1100.00	1700.12
7.	गुजरात	3675.00	5346.96	7307.17
8.	हरियाणा	1100.00	2613.50	4200.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	2500.00	4000.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	150.00	100.00	100.00
11.	कर्नाटक	2900.00	3500.00	4600.08
12.	केरल	3600.00	6744.46	10468.12
13.	मध्य प्रदेश	1700.00	2200.00	3226.75
14.	महाराष्ट्र	2900.00	4811.63	10354.31
15.	मणिपुर	700.00	700.00	1010.75
16.	मेघालय	920.00	1000.00	1730.28
17.	मिजोरम	0.00	0.00	300.00
18.	नागालैंड	100.00	200.00	800.00
19.	उड़ीसा	2600.00	4000.00	3850.00
20.	पांडिचेरी	70.00	100.81	319.46
21.	पंजाब	1300.00	2500.65	1819.56
22.	राजस्थान	2550.00	3450.00	4550.30
23.	तमिलनाडु	2500.00	3624.75	6500.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	50.00
25.	उत्तर प्रदेश	4608.00	7078.14	9155.35
26.	पश्चिम बंगाल	5375.00	7150.94	5138.02
27.	जोगीघोपा पुल	1244.00	0.00	0.00
28.	मंत्रालय	0.17	3.86	20.00
29.	बी०आर०डी०बी०	7031.00	8500.00	11230.00
	जोड़	55124.00	79213.01	108462.00

विवरण-III

एन०एच०ए०आई० कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना	यूनिट	इस परियोजना में समाहित कुल लम्बाई (कि०मी०)	पहले ही चार लेन पूरी हो चुकी (कि०मी०)	चल रहे कार्यान्वयना-धीन कार्य (कि०मी०)	सौंपी जाने वाली लम्बाई (कि०मी०) 2000-2001	सौंपी जाने वाली लम्बाई (कि०मी०) 2001-2002	कुल कितनी लम्बाई सौंपी जानी है (कि०मी०) (2002 तक)	पूरा करने की लक्षित तारीख
(क) स्वर्णिम चतुर्भुज चौड़ा करके चार/छः लेन बनाना	कि०मी०	5952	558	712	3167	1515	4682	वर्ष 2003
(ख) उत्तर-दक्षिण और पूर्व पश्चिम कारिडोर	कि०मी०	7300	630	272	378	0	378	वर्ष 2009
कुल	कि०मी०	13252	1188	984	3545	1515	5060	
2. एन०एच०ए०आई० द्वारा अन्य कार्य	कि०मी०	1000	0	214	161	625	786	वर्ष 2009

विवरण-IV

भा०रा०रा०प्रा० (निवेश) के अंतर्गत भा०रा०रा०प्रा० के लिए धनराशि का आबंटन (करोड़ रु०)

क्र०सं०	वर्ष	धनराशि
1.	1997-98	290
2.	1998-99	101
3.	1999-2000 (बजट)	160
	1999-2000 (उपकर)	1032

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पेट्रोल की बिक्री

6325. **डा० बलिराम :** क्या **पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, बस्ती और गोरखपुर जिलों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा सड़कों पर पेट्रोल की बिक्री की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त जिलों में पेट्रोल की अनधिकृत बिक्री को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल विपणन कम्पनियों ने यह सूचित किया है कि उन्हें मध्य उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, वाराणसी, बस्ती तथा गोरखपुर जिलों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा मार्गों पर पेट्रोल की बिक्री करने के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लोक अदालतों के कृत्य और उपलब्धियां

6326. **श्री जय प्रकाश :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में गठित की गई लोक अदालतों के कृत्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली सहित देश के अन्य महानगरों में स्थायी लोक अदालतों के गठन हेतु कोई नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो वह नीति कब तक तैयार और क्रियान्वित की जाएगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा), जो लोक अदालतों को स्थापित करने, उनका मानीटर और पुनर्विलोकन करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित शीर्षस्थ निकाय है, लोक अदालतों की प्रगति का निरंतर पुनर्विलोकन और मानीटर करता है। 31 दिसंबर, 1999 तक, संपूर्ण देश में 49415 लोक अदालतें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें लगभग 97.2 लाख मामले

सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाए गए। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में और साथ ही सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और स्वायत्त निकायों में स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जा रही हैं। दिल्ली में, दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, साधारण बीमा निगम, आदि के लिए पृथक् लोक अदालतें स्थापित की गई हैं जिनमें अब तक 2145 मामले सौहार्द्रपूर्ण ढंग से पहले ही निपटाए जा चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर में वनों का विकास

6327. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई विस्तृत वानिकी कार्यक्रम क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गईं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में वनों के सतत विकास के लिए राज्य वानिकी कार्य योजना नामक (एस०एफ०ए०पी०) व्यापक योजना तैयार की है। इस अवधि के दौरान संस्थानों का विकास करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के अलावा, राज्य ने 2.05 मिलियन हैक्टेयर प्राकृतिक वनों का पुनरूद्धार करने और 4.22 मिलियन हैक्टेयर वनेत्तर भूमियों पर वृक्षारोपण करने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। 20 वर्षों की अवधि वाले इन कार्यक्रमों के लिए 57177.2 मिलियन रुपयों की कुल वित्तीय आवश्यकता होगी। राज्य के वानिकी क्षेत्र में वित्तीय निवेशों का मौजूदा स्तर इस विस्तृत योजना में अपेक्षित निवेश की तुलना में बहुत कम है।

(ग) राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 29206 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था और यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

[अनुवाद]

सीधे स्थानीय काल करने की सुविधा

6328. **श्री सुनील खां :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलशडीहा में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पाखन्ना और पलशडीहा के बीच स्थानीय काल सुविधा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। इस समय दुर्गापुर टेलीफोन एक्सचेंज से पलशडीहा को सेवा प्रदान की जा रही है।

(ख) (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पाखन्ना को परजरा टेलीफोन एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जा रही है। पाखन्ना तथा पलशडीहा के उपभोक्ताओं के पास दोनों तरफ स्थानीय काल करने की सुविधा है।

(ङ) उक्त (ग) व (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एच०पी०सी०एल० के साथ सरकार का समझौता ज्ञापन

6329. **श्री कृष्णमराजू :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2000-2001 के लिए सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस अवधि के दौरान कच्चे तेल का लक्षित उत्पादन कितना है;

(घ) गत तीन वर्षों में कंपनी का लाभ क्या है और इसकी तुलना क्या है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में स्थापना व्यय में गिरावट आई है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसे खर्च को कम करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०) के समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का कोई लक्ष्य नहीं है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान निवल लाभ निम्नवत है :–

रुपए/करोड़

99-2000	98-99	97-98	96-97
(अनंतिम)	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(वास्तविक)
1050	901	701	612

(ङ) और (च) स्थापना व्यय में वृद्धि मुख्यत: संशोधन के क्रियान्वयन के कारण रही है। तथापि, कार्पोरेशन ने बजटीय नियंत्रण और मानवशक्ति एवं भत्तों के युक्तिकरण सहित लागत नियंत्रण और कमी के उपाय आरंभ कर दिए हैं।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें।

वर्ष 2000-2001 के लिए समझौता लक्ष्यों के ब्यौरे

मानदंड	इकाई	2000-01 समझौता ज्ञापन प्रस्तावित "(बहुत अच्छा)"
क्रूड थ्रूपुट	एम०एम०टी०	मुंबई रिफाइनरी : 5.70 विसाख रिफाइनरी : 6.85
कुल आस्त्रुत	भार प्रतिशत	मुंबई रिफाइनरी : 63.30 विसाख रिफाइनरी : 72.20
ईंधन एवं हानि (मुंबई हाई सहबद्ध गैस समेत)	भार प्रतिशत	मुंबई रिफाइनरी : 7.50 विसाख रिफाइनरी : 7.00
विक्रय-बाजार अंश	प्रतिशत	
एम०एस० – खुदरा		26.1
एच०एस०डी० – खुदरा		23.6
खुदरा बिक्री केन्द्र; एल०पी०जी० डीलरशिपें का चालू होना	प्रतिशत	65
स्नेहक – बाजार अंश	प्रतिशत	27.2
ग्राहक संतुष्टि:		
पुनरविक्रेता (एम०एस०/एच०एस०डी०)	प्रतिशत	96
पुनरविक्रेता (मिट्टी तेल)	प्रतिशत	96
प्रत्यक्ष उपभोक्ता	प्रतिशत	96
विमानन	प्रतिशत	96
एल०पी०जी०	प्रतिशत	96
सकल लाभ (पी०बी०ओ०आई०टी०)*	करोड़ रुपए	1270
नियोजित पूंजी के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ*	प्रतिशत	7.62

*इनमें आय की पूर्वावधिक एवं असाधरण मदें, एल०पी०जी० सिलेंडर क्षतिपूर्ति शामिल नहीं है।

उपरोक्त के अलावा निम्नांकित के विषय में लक्ष्य रखे गए हैं :–

(क) मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न पहलू।

(ख) परियोजनाओं/परियोजनाओं के कुछ मीलपत्थरों की पूर्ति।

(ग) 5 एल०पी०जी० संयंत्रों तथा 1 स्नेहक मिश्रण संयंत्र के लिए आई०एस०ओ० प्रमाणन।

(घ) सुरक्षा।

[हिन्दी]

बिहार में केन्द्र प्रायोजित परियोजनाएं

6330. डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में प्रतिवर्ष कितनी केन्द्र आयोजित पर्यावरणीय परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ख) प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई; और

(ग) राज्य में निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनाओं के ब्यौरे प्राप्त लक्ष्यों के ब्यौरे तथा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं का निकट भविष्य में भी जारी रहने की सम्भावना है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 के दौरान उपलब्धियां	
		वित्तीय	वास्तविक
1.	राष्ट्रीय नदी सरंक्षण योजना	158.95	–
2.	अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार में अनुसूचित जातियों तथा ग्रामीण गरीबों की सहभागिता	36.09	–
3.	एकीकृत वनीकरण तथा पारिविकास परियोजना	143.24	1510 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।
4.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी चारा परियोजना	245.52	3029 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।
5.	गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद	8.00	अग्रिम कार्य
6.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां	38.76	–

[अनुवाद]

उड़ीसा में चल रही परियोजनाओं का क्रियान्वयन

6331. श्रीमती हेमा गमांग : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में, विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन की हाल में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निगरानी संबंधी मानक मानदण्ड तथा परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य में तथा जनजातीय क्षेत्रों में संचार संबंधी ढांचागत सुविधाओं के नेटवर्क का विकास, संवर्धन तथा मजबूती प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित नई पहलों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) उड़ीसा के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :–

मद	1997-98		1998-99		1999-2000	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
नेट स्विचन क्षमता	44000	50354	82300	89216	116000	133240
सीधी एक्सचेंज लाइनें	35000	67178	60000	68175	87000	89036
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	8819	2402	2400	2242	3000	2102

उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं

मद	1997-98		1998-99		1999-2000	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
नेट स्विचन क्षमता	3750	1008	8100	27326	15520	25692
सीधी एक्सचेंज लाइनें	3000	13373	6500	16265	9350	21858
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	1400	759	1500	763	1332	651

उपलब्धि में हुई प्रगति की मासिक आधार पर निगरानी की जाती है।

(ग) जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्य में संचार नेटवर्क विकसित और सुदृढ़ बनाने के लिए नए टेलीफोन खोले जा रहे हैं तथा मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय संचार माध्यम पर एसटीडी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित लक्ष्य तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31.1.2000 तक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :–

मद	उड़ीसा		उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्र	
	लक्ष्य 2000-2001	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31.3.2000 तक उपलब्धि	लक्ष्य 2000-2001	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31.3.2000 तक उपलब्धि
नेट स्विचन क्षमता	12500*	272810	17000*	54026
सीधी एक्सचेंज लाइनें	10000	224389	12000	51496
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	14000	6746	120	2173

*स्विचन क्षमता के लक्ष्य अनंतिम हैं।

डाक टिकटें

6332. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के चयनित पर्यटक क्षेत्रों पर डाक-टिकट जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) फिलैटलिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर, जो स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी करने तथा अन्य संबद्ध मामलों पर डाक विभाग को परामर्श देती है, सरकार ने देश की प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत पर विशेष डाक-टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत, आगे यह निर्णय लिया गया है कि देश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर डाक-टिकट जारी किए जाएं। इनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। इस वर्ष पूर्वोत्तर की वनस्पति एवं जीवजगत् पर ध्यान आकर्षित करने के लिए डाक-टिकटों का एक सेट जारी किया गया है।

डाक सुविधाएं

6333. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2000-2001 के दौरान कुछ नए डाक सर्किलों और नए डाक डिवीजनों के सृजन हेतु कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विभाग के पास किसी भी नए डाक सर्किल के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक नया डाक डिवीजन बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) बिहार सर्किल में बेतिया डिवीजन।

(ग) बेतिया डिवीजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

उड़ीसा में रसोई गैस हेतु प्रतीक्षा सूची

6334. डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में रसोई गैस कनेक्शनों हेतु प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गए;

(ख) पंजीकृत व्यक्तियों को रसोई गैस कनेक्शन न दिए जाने के क्या करण हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत कुल प्रतिक्षा सूची लगभग 0.60 लाख थी।

नए एल०पी०जी० कनेक्शन एल०पी०जी० की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लेक तथा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर पूरे देश में चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार ने 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के पास पंजीकृत सारी प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान लगभग 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने की योजना बनाई है।

केरल में सड़क-निर्माण

6335. श्री टी० गोविन्दन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार द्वारा अनुशंसित वन क्षेत्र में सड़क-निर्माण पर लगे प्रतिबंध में ढील दिए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) वन क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में यह शर्त है कि केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना सड़कों के निर्माण सहित वनेतर उद्देश्यों के लिए किसी भी वन क्षेत्र को उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए।

केरल राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अर्थात् 1995 से 1999 तक वन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए 3 प्रस्ताव भेजे हैं। केन्द्र सरकार ने इन सभी 3 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एक्सप्रेस पार्सल डाक केन्द्र

6336. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में नया एक्सप्रेस पार्सल डाक केन्द्र खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह एक्सप्रेस पार्सल डाक सेवा केन्द्र समयबद्ध तरीके से पार्सलों को भेजने के संबंध में ग्राहकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करेगा;

(ग) यदि हां, तो नागपुर सहित सम्पूर्ण देश में उक्त डाक सेवा पुन: शुरू कब की गई थी;

(घ) यदि हां, तो डाक सेवा 1994 में कार्य कर रही डाक सेवा से किस सीमा तक अच्छी है; और

(ङ) इसमें ग्राहकों को किस प्रकार से मदद मिलेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एक्सप्रेस पार्सल डाक सेवा 1.3.1999 को पुन: प्रारंभ की गई थी। जिसमें नागपुर सहित देश के सभी राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र शामिल हैं।

(घ) और (ङ) 1.3.1999 को पुन: प्रारंभ की गई सेवा निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है :—

(i) पिछली सेवा के मुकाबले व्यापक नैटवर्क।

(ii) यह संविदात्मक आधार पर कॉरपोरेट प्रयोक्ताओं तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जरूरत को पूरा करती है।

(iii) डोर-टू-डोर सेवा।

(iv) समयबद्ध वितरण।

(v) अभी बुक करो भुगतान बाद में (बुक नाउ पे लेटर) सुविधा।

(vi) दूरी पर आधारित किफायती दरें।

(vii) अनुमेय 35 कि०ग्रा० अधिकतम भार के साथ वीपीपी सुविधा।

इस सेवा की व्यावसायिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 3.56 करोड़ हो गई है, जबकि वर्ष 1998-99 में यह 0.55 करोड़ रुपये थी।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

6337. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में विचारित सुधारों के अग्रेषण में, आंध्र प्रदेश पारेषण निगम को चार वितरण कम्पनियों में विभाजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में विद्युत क्षेत्र हेतु यह सुधारों संबंधी प्रथम प्रक्रिया है; और

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के संबंध में अन्य कौन-कौन से सुधार उपाय किए गए हैं और इन सुधारों से कितनी सहायता मिल सकेगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम में निम्नलिखित कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं :—

(i) राज्य विद्युत सुधार अधिनियम अधिनियमित कर दिया गया है।

(ii) राज्य विद्युत नियामक आयोग कार्यरत है।

(iii) राज्य विद्युत बोर्ड को एक विद्युत उत्पादन कम्पनी, आन्ध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी एक पारेषण कंपनी, आन्ध्र प्रदेश पारेषण कंपनी में विकेन्द्रित कर दिया गया है।

(iv) आन्ध्र प्रदेश पारेषण कम्पनी, पारेषण कंपनी ने हाल ही में अपनी टैरिफ संरचना राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है।

(v) चार वितरण कम्पनियां बनाई गई हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वितरण लाइसेंस देने को लंबित होने तक फिलहाल एपट्रान्सको इनके जरिए वितरण कार्य कर रहा है।

(vi) इन वितरण कम्पनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन-कनेक्शन

6338. श्री राजो सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रपति-पदक से पुरस्कृत देश के सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को नि:शुल्क टेलीफोन-कनेक्शन उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तीनों रक्षा-सेवाओं में शौर्य-पुरस्कार विजेताओं को ही रियायती टेलीफोन-सुविधा प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

डाकघरों में महिला प्रधान एजेंट

6339. श्री जार्ज ईडन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाकघर की बचत योजनाओं में महिला प्रधान एजेंटों के कमीशन में वृद्धि किए जाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में डाकघर की बचत योजनाओं में कुल कितनी महिला प्रधान एजेंट काम कर रही हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एम०पी०के०बी०वाई०) एजेंटों को देय कमीशन की दर में वृद्धि के लिए एजेंट्स एसोसिएशन तथा अन्य से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) देश में इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहीं महिला प्रधान एजेंटों की कुल संख्या 31.1.1999 की स्थिति के अनुसार 1,67,557 है।

पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियां

6340. श्री भान सिंह भौरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस वितरण के लिए तमिलनाडु में चल रही योजना जैसी योजना शुरु करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) गांवों में दरवाजे तक एल०पी०जी० पहुंचाने के लिए तेल कंपनियों द्वारा तमिलनाडु में तंजोर, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, पंजाब में संगरूर में एल०पी०जी० भरने वाले सचल वाहनों और गुजरात में देवघर में स्किड माऊंटेड सुविधाओं के माध्यम से एल०पी०जी० की आपूर्ति आरंभ कर दी गई है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प

6341. श्री अशोक अर्गल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोलियम क्षेत्र के निजीकरण के बाद अनुमानित रूप से कितने पेट्रोल पम्प और दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा 1996 : 98 की विपणन योजना में 927 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें सम्मिलित कर ली गई हैं। विपणन योजना में सम्मिलित स्थानों के संबंध में तेल कंपनियों द्वारा डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरों के चयन के लिए समय-समय पर विज्ञापन दिया जाता है। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिपों के चालू किए जाने में लगभग 6-12 माह लग जाते हैं। पेट्रोलियम क्षेत्र की नियंत्रणमुक्ति अप्रैल, 2002 से निर्धारित है। 2002 के बाद से खुदरा बिक्री विपणन योजना तैयार नहीं की गई है।

चुरू में आप्टिकल फाइबर केबिल

6342. श्री राम सिंह कस्वां : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान चुरू (राजस्थान) दूरसंचार मंडल में किन-किन शहरों और नगरों को आप्टिकल फाइबर केबिल से जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सूचीबद्ध नगर तथा गांवों को संसाधन उपलब्ध होने पर लगभग 10.70 करोड़ रुपए के व्यय से वर्ष 2000-2003 के दौसन चूरू में फाइबर केबल के साथ जोड़ने की योजना का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चूरू जिले में आगामी तीन वर्षों (2000-2003) के दौरान ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़े जाने वाले केंद्रों की सूची

1.	अबरसर	21.	कुसुमदेसर
2.	आबसर	22.	लालगढ़
3.	आदसर	23.	लाम्बोरबारी
4.	बैण	24.	लिल्की
5.	बंधानाऊ	25.	मलसीसर
6.	भादासर	26.	मोमासर
7.	भादासी	27.	नागलबाड़ी
8.	भीमसर	28.	नेशाल
9.	भुख्वास	29.	पहाड़सर
10.	चंगोई	30.	पाटलीसर
11.	चुंबकीया ताल	31.	राजलदेसर
12.	धीखास	32.	रामपुआ बेरी
13.	डूडवाखड़ा गांव	33.	रणसर
14.	गौरीसर	34.	रतन नगर
15.	घंगू	35.	रीरी
16.	गोलासर	36.	सहबा
17.	हड्याल (आरएस)	37.	सालासर
18.	हमीरवास	38.	संखू किला
19.	जसरासर	39.	सतरा
20.	खुड़ी	40.	तारा नगर

[अनुवाद]

दिल्ली में पाइप लाइन गैस की आपूर्ति

6343. श्री अनन्त नायक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के कुछ हिस्सों में पाइप लाइन से एल० पी० जी० की आपूर्ति आरम्भ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी के किन-किन क्षेत्रों में पाइप लाइनों से एल०पी०जी० की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार पाइप लाइन से वितरण नेटवर्क का विस्तार पूरे देश में करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जे०वी०सी०) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पाइपलाइनों के माध्यम से दिल्ली के काकानगर, बापानगर, पंडारा पार्क, पंडारा रोड, गोल्फ लिंक्स, सुन्दर नगर, सुजानसिंह पार्क और निजामुद्दीन क्षेत्रों में घरेलू/वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि ब्रिटिश गैस और महाराष्ट्र सरकार के साथ गेल की जे०वी०सी० महानगर गैस लिमिटेड (एम०जी० एल०), मुंबई में घरेलू/वाणिज्यिक/लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं को पाइप द्वारा गैस की आपूर्ति कर रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पी०सी०ओ०/एस०टी०डी०/आई०एस०डी० बूथ

6344. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कितने पी०सी०ओ०/एस०टी०डी०/आई०एस०डी० बूथ स्थापित किए गए;

(ख) राज्य में जिले-वार ऐसे बूथों की स्वीकृति हेतु कितने आवदेन लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन आवेदनों को कब स्वीकृत किया जाएगा या निपटा दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में 75881 पी०सी०ओ०/एस०टी०डी०/आई०एस०डी० बूथों की संस्थापना की गई हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश, दूरसंचार में पी०सी०ओ० के आबंटन के लिए लम्बित आवेदनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) तकनीकी व्यवहार्यता होने पर और आवेदकों द्वारा अन्य शर्तें पूरी करने पर लम्बित आवेदनों को उत्तरोत्तर रूप से निपटाया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	दूरसंचार जिलों के नाम	लम्बित आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	368
2.	अलीगढ़	188
3.	अल्मोड़ा	0
4.	बरेली	436
5.	बिजनौर	51
6.	देहरादून	26
7.	एटा	118
8.	गाजियाबाद	802
9.	मेरठ	92
10.	मुरादाबाद	0
11.	मुज़फ्फरनगर	0
12.	मथुरा	24
13.	नैनीताल	0
14.	श्रीनगर गढवाल (कोटद्वार)	13
15.	रामपुर	0
16.	सहारनपुर	249
17.	बदाऊं	100
18.	उत्तरकाशी (नई टिहरी)	0
19.	पिलीभीत	0
20.	कानपुर	114
21.	लखनऊ	0
22.	वाराणसी	20
23.	इलाहाबाद	10
24.	गोरखपुर	59
25.	झांसी	0
26.	मऊ	9
27.	सीतापुर	0
28.	बाराबंकी	0
29.	फैज़ाबाद	6
30.	इटावा	1
31.	फरूखाबाद	1
32.	मिर्जापुर	7
33.	बस्ती	13
34.	लखीमपुर	1
35.	गोंडा	96
36.	शाहजहांपुर	42
37.	उन्नाव	0
38.	मैनपुरी	0
39.	आजमगढ़	0
40.	जौनपुर	165
41.	सुल्तानपुर	12
42.	बहराइच	1
43.	राय बरेली	47
44.	बलिया	17
45.	प्रतापगढ़	18
46.	गाजीपुर	23
47.	बांदा	0
48.	हमीरपुर	0
49.	उरई	0
50.	फतेहपुर	0
51.	हरदोई	0
	कुल	3129

अजमेर, राजस्थान में रसोई गैस कनेक्शन

6345. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अजमेर जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान एजेंसियों द्वारा वर्ष-वार कितने रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नए रसोई गैस कनेक्शनों के लिए कितने उपभोक्ताओं को पंजीकृत किया गया;

(ग) जिले में कितने अतिरिक्त गैस कनेक्शन जारी किए गए और एजेंसी-वार कितने उपभोक्ताओं के नाम प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(घ) क्या संबंधित तेल-कंपनियां, पंजीकृत उपभोक्ताओं और किसी एजेंसी की प्रतीक्षा-सूची में नामित उपभोक्ताओंके नामों को अन्य एजेंसी को अतंरित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को अजमेर जिले में रसोई गैस एजेंसियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ज) सरकार को किन-किन स्थानों पर गैस एजेंसियां खोलने के संबंध में प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में सरकार की कार्य-योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) राजस्थान के अजमेर जिले में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए कुल एल०पी०जी० कनेक्शनों की संख्या निम्नवत् है :–

वर्ष	जारी किए गए एल०पी०जी० कनेक्शन
1997-98	21570
1998-99	7200
1999-2000	13653

अजमेर में 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची लगभग 14600 है।

(घ) और (ङ) किसी एजेंसी के पास पंजीकृत उपभोक्ताओं और प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध भावी ग्राहकों को किसी अन्य एजेंसी को अंतरित करने का तेल कंपनियों का अधिकार सुरक्षित है।

(च) और (छ) तेल कंपनियों ने रिपोर्ट भेजी है कि अजमेर जिले में उनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध वर्ष 1999-2000 के दौरान कदाचार/अनियमितता के किसी सिद्ध मामले का पता नहीं चला है।

(ज) राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों से गैस एजेंसी खोलने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं और ये एजेंसियां आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थानों पर खोली जातीं हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर भराई केन्द्र

6346. श्री मुद्रागाड़ा पद्मानाभम् : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विचार कंपनी स्वामित्व वाले और कंपनी के भराई केन्द्रों (पेट्रोल और डीजल) को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी गोदावरी जिले में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा ऐसे कितने भराई केन्द्रों को स्थापित करने का विचार है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से पंचायत/नगरपालिका क्षेत्र हैं जहां ऐसे भराई केन्द्रों को स्थापित किया जाएगा तथा उन तेल कंपनियों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निजी डीलरों को भराई केन्द्र आबंटित करने की प्रणाली को समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) तेल कंपनियों का पूर्वी गोदावरी जिलान्तर्गत कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा प्रचालित दो खुदरा बिक्री केन्द्र, एक अनापार्थी पंचायत में तथा दूसरा राजमुन्द्री बाई-पास एवं राजानगरम के बीच, स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) स्थानों के संबंध में विज्ञापन तथा डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से चयन की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित करने की प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

डाक-तार सेवा में सुधार

6347. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में डाकतार और दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा राजस्थान में डाक-तार तथा दूरसंचार संवाओं में सुधार के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :–

1. **डाक**

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 90 नए डाकघर खोले हैं।

(ख) ग्रामीण जनता को डाक सुविधा प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 35 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं में सुधार के लिए 2074 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में इंफ्रास्ट्रक्चरल फर्नीचर मुहैया कराया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया कम्प्यूटरीकरण :

कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण छंटाई केन्द्रों की स्थापना	लगाई गई बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें	स्थापित किए गए बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क	स्थापित की गई विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर प्रणालियां
01	60	18	05

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया आधुनिकीकरण :

आधुनिक बनाए गए डाकघर	आधुनिक बनाए गए रेल डाक सेवा कार्यालय
13	02

2. **तार**

माइक्रो-प्रोसेसर आधारित प्रौद्योगिकी का समावेश करके तार सेवाओं को आधुनिक बनाया गया है। तार नेटवर्क में 2 स्टोर एंड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एस०एफ०एम०एस०एस०), 32 इलेक्ट्रॉनिक की-बोर्ड कंसन्ट्रेटर (ई०के०बी०सी०), 209 इलेक्ट्रॉनिक की-बोर्ड (ई०के०बी०), 2 फार्मेटेड टर्मिनल कन्सन्ट्रेटर तथा 28 फार्मेटिड टर्मिनल्स उपलब्ध कराए गए हैं।

3. **दूरसंचार**

राजस्थान दूरसंचार सर्किल में 13.3.2000 की स्थिति के अनुसार, 10.96 लाख चालू टेलीफोन कनेक्शनों के साथ स्विचिंग क्षमता वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक टाइप, 14.14 लाख लाइनें हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 2.1 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, राजस्थान में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मार्च, 2002 के अंत तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने तथा सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को विश्वसनीय दूरसंचार मीडिया से जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

घाटों का निर्माण करने संबंधी योजना

6348. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अन्तस्थलीय जल परिवहन का वास्तविक रूप से उपयोग करने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही नगरों और नदियों पर घाटों का निर्माण करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और घाटों का निर्माण करने के संबंध में कितना कार्य किया गया है;

(ग) तटवर्ती राज्यों में इस संबंध में कितनी राशि खर्च की गई है और उक्त योजनाओं के लिए और अधिक राशि देने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) 9वीं योजना के 308 करोड़ रु० के प्रावधान में तीनों राष्ट्रीय जलमार्गों पर टर्मिनलों के निर्माण के लिए 94.25 करोड़ रु० की राशि भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोज्य नहरों और नदियों पर राज्य सरकार द्वारा घाटों/टर्मिनलों सहित अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 10.50 करोड़ रु० का प्रावधान मौजूद है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अधीन स्कीम की 50% लागत राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति के आधार पर ऋण के रूप में दी जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में तीनों राष्ट्रीय जलमार्गों पर टर्मिनलों/घाटों के लिए आबंटित निधियां नीचे दी गई हैं :–

(करोड़ रु०)

	1997-98	1998-99	1999-2000 (अन्तिम)
रा०ज०-1	2.20	4.27	0.37
रा०ज०-2	0.19	1.79	1.78
रा०ज०-3	शून्य	4.05	7.52
केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (सी०एस०एस०)	0.68	1.50	0.50

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर कारागोला, बलिया में फ्लोटिंग टर्मिनलों, कलकत्ता में जी०आर० जेटी, पटना में स्थायी टर्मिनल और इलाहाबाद में फ्लोटिंग टर्मिनल की स्थापना की स्कीमें प्रगति पर हैं। कलकत्ता, हल्दिया, पाकुर, फरक्का, भागलपुर, कारागोला, मुंगेर, पटना, बलिया और इलाहाबाद में टर्मिनल उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर धुबरी, जोगीघोपा, पांडु, तेजपुर, नियामती, सदिया और शेखोबा में फ्लोटिंग टर्मिनलों के प्रावधान की स्कीमें विद्यमान हैं जिनके अंतर्गत सर्वप्रथम पांच स्थानों पर फ्लोटिंग टर्मिनल स्थापित किए जा चुके हैं और उनका रख-रखाव किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-3 पर 11 स्थानों पर टर्मिनल स्थापित करने और उनका निर्माण करने के लिए भूमि अधिग्रहण की स्कीमें प्रगति पर हैं।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल और केरल के तटवर्ती राज्यों में क्रमश: राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1 और 3 द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त गोवा, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तटीय राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न स्वीकृत स्कीमें चल रही हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अधीन यात्री टर्मिनल सुविधाओं के विकास के लिए प्रत्येक राज्य में 25.00 लाख रु० खर्च किए गए हैं। वर्ष 1999-2000 में किए गए 50 लाख रु० के बजटीय प्रावधान की तुलना में वर्ष 2000-01 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए 350 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

तेल कम्पनिओं और तेलशोधक कारखानों का कार्य-निष्पादन

6349. श्री राजनारायण पासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की उन तेल कंपनियों/तेलशोधक कारखानों के कार्य-निष्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जो अपनी इष्टतम क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तेल कंपनियों और तेलशोधक कारखानों की वर्ष-वार और कंपनी-वार उत्पादन लागत कितनी थी; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा उक्त अवधि के दौरान उत्पादन लागत में आई कमी से संबंधित ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

6350. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों की इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने हेतु निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) योजना अवधि के दौरान इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) देश में मैन्युअल टेलीफोन एक्सचेंजों का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में परिणत करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, क्योंकि नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में कोई भी स्थानीय मैन्युअल टेलीफोन एक्सचेंज विद्यमान नहीं था।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना

6351. श्री रामजी मांझी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितनी दुर्घटनाएं हुई और किस-किस प्रकार वाहनों से दुर्घटनाएं हुई तथा इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सुरक्षा के कारणों से सड़क मार्ग निर्धारित करने संबंधी कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) दुर्घटना संबंधी आंकड़े राज्य पुलिस विभाग रखता है न कि राजमार्ग प्राधिकारी।

(ख) और (ग) रा०रा०-58 के दिल्ली-हरिद्वार खंड में 18.50 कि०मी० लम्बाई में विभाजक (सेन्ट्रल मीडियन) के निर्माण हेतु 130.78 लाख रु० के दो अनुमान 31.3.2000 को स्वीकृत किए गए।

(घ) उपर्युक्त कार्य मार्च, 2001 तक पूरे होने की संभावना है।

[हिन्दी]

पर्यावरण संबंधी फिल्मों का प्रसारण

6352. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पर्यावरण और वन संबंधी फिल्मों का नियमित रूप से प्रसारण करने के लिए संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने पर्यावरण एवं वनों से संबंधित फिल्मों के प्रसारण के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से समय-समय पर संपर्क किया है।

दूरदर्शन अपने विभिन्न चैनलों पर कई फिल्में प्रसारित कर रहा है। लेकिन पर्यावरण और वन से संबंधित विषय के महत्व को दृष्टि में रखते हुए अधिक दर्शकगणों पर वांछित प्रभाव डालने के लिए विशेषकर प्राइम टाइम के दौरान अधिक फिल्मों को प्रसारित करने की आवश्यकता है। प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्मों के प्रसारण के लिए मंत्रालय को फीस का भुगतान करना होगा।

[अनुवाद]

दिल्ली-गुड़गांव मार्ग पर अनधिकृत कब्जे

6353. **डा० रमेशचन्द तोमर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुरानी दिल्ली-गुड़गांव मार्ग पर समालखा ग्राम से कापसहेड़ा, दिल्ली सीमा तक सरकारी भूमि पर सड़क के दोनों ओर अनधिकृत कब्जों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनधिकृत कब्जों से विशेषकर सुबह और शाम कार्यालय में आने-जाने के समय यातायात अवरुद्ध होने लगा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी भूमि को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्यत: "प्रवेश निषेध" घंटों के दौरान गुड़गांव से दिल्ली आने वाले भारी वाहनों की पार्किंग से और सड़क पर बैठे फल/सब्जी तथा अन्य विक्रेताओं के कारण अक्सर सुबह और शाम कार्यालय समय के दौरान यातायात में बाधा आती है।

(ग) सड़क पर विक्रेताओं को बैठने से मना करने के लिए तथा "प्रवेश निषेध" घंटों के दौरान भारी वाहनों की पार्किंग को रोकने के लिए समय-समय पर पुलिस सहायता ली जाती है।

तमिलनाडु में तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा गैस/तेल की खोज

6354. **श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु के त्रिवेल्लोर जिले में तेल/गैस को खोज की गई/की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम मिले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) तमिलनाडु में ऐसी कुल कितनी अपतटीय और तटीय खोजें की गई हैं अथवा किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) ने तिरूवलूर जिले में 1369 ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर भूकंपीय आंकड़े प्राप्त किए थे पर किसी वेधनयोग्य संभावना की पहचान नहीं की जा सकी।

(घ) दिनांक 1.4.2000 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु तथा अपतट में इससे जुड़े क्षेत्रों में ओ०एन०जी०सी० द्वारा किए गए अन्वेषण प्रयास निम्नानुसार हैं :–

	तट		अपतट	
द्विआयामी सर्वेक्षण	38,374	जी०एल०के०	40,289	एल०के०
त्रिआयामी सर्वेक्षण	1,049 5,732	एस०एस०के० जी०एल०के०	3,239	एल०के०
वेधित संभावनाएं	124		29	
हाइड्रोकार्बन खोजें	24		3	
वेधित अन्वेषणात्मक कूप	319		52	

वर्ष 2000-2002 के दौरान ओ०एन०जी०सी० द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्वेषण प्रयास निम्नानुसार है :–

द्विआयामी सर्वेक्षण	550	जी०एल०के०	1000 एल०के०
त्रिआयामी सर्वेक्षण	2850	जी०एल०के०	-
अन्वेषणात्मक कूप	34		बहुत उथले जल में कुछ स्थान वेधन के लिए निर्धारित किए जा रहे हैं।

जहां तक निजी/संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियों का संबंध है, तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्र में दो अन्वेषणात्मक ब्लाक निजी/जेवी कंपनियों को संविदा पर प्रदान कर दिए गए हैं। हाल में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत अपतट कावेरी में दो ब्लाक प्रदान कर दिए गए हैं तथा इनमें से एक ब्लाक के लिए संविदा पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

जी०एल०के० = ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर
एल०के० = लाइन किलोमीटर
एस०एस०के० = मानक वर्ग किलोमीटर

गोदी-श्रमिकों का मजदूरी और मकान किराया भत्ता

6355. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पांच गोदी श्रमिकों के महासंघ से दो मुद्दों–समय-समय पर मजदूरी समझौता करने तथा भूतलक्षी प्रभाव से मकान किराया भत्ते का भुगतान किए जाने के संबंध में अभ्यावदेन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) उक्त महासंघ की मांगों को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) महासंघों/संघों से प्राप्त अनेकों अभ्यावेदनों के अतिरिक्त हड़ताल के अनेक ऐसे नोटिस प्राप्त हुए थे जिनमें वेतन समझौते के आवर्तन और मकान किराया भत्ते के पूर्व प्रभाव से भुगतान के मुद्दों का उल्लेख था।

(ग) जी, हां। माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में दि० 26 अप्रैल, 2000 को महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

(घ) इस बैठक में हड़ताल से संबंधित दो मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था और इन मुद्दों के समाधान के लिए इस मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों से महासंघों को अवगत कराया गया। इस बैठक के परिणामस्वरूप महासंघों ने हड़ताल का नोटिस वापस लेने का निर्णय लिया।

(ङ) इस मामले पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र से शीघ्र इन मुद्दों के समाधान की उम्मीद है।

पेट्रोल पम्पों का पनुर्स्थापन

6356. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए पेट्रोल पम्पों की स्थापना/पेट्रोल पम्पों के पुनर्स्थापन को उचित ठहराने के लिए ''सी'' श्रेणी के कस्बों/बाजारों से 5 किमी० की परिधि के भीतर सभी खुदरा दुकानों की औसत बिक्री को आधार बनाने के क्या कारण हैं;

(ख) परिमाण दूरी-संबंधी मानदण्डों का ब्यौरा क्या है तथा क्या इन मानदण्डों का अनुसरण ''सी'' श्रेणी के कस्बों/बाजारों में पेट्रोल पम्पों का पनुर्स्थापन करते समय भी किया जाता है; और

(ग) ''सी'' श्रेणी के बाजारों में पेट्रोल पम्पों के पुनर्स्थापन विषय पर 6 मई, 1987 को आई०ओ०सी० कार्यालय में हुई उद्योगों की बैठक तथा मुख्य क्षेत्रीय विपणन प्रबन्धक द्वारा परिचालित तत्संबंधी कार्यवाही-सारांश का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार ''ग'' श्रेणी के कस्बों/बाजार की परिधि सीमाओं के पांच किलोमीटर के भीतर स्थित सभी खुदरा बिक्री केंद्रों की औसत बिक्री, खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशीप की स्थापना करने/स्थान परिवर्तन के लिए स्थान की सम्भाव्यता का आकलन करने के लिए ली जाती है।

(ख) मात्रा दूरी मानकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मात्रा दूरी मानक, सभी श्रेणियों के बाजार में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की स्थापना करने/स्थान परिवर्तन करने को ध्यान में रख कर, रखे जाते हैं।

(ग) आई ओ सी के कार्यालय में 6 मई, 1987 को आयोजित उद्योग की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ''ग'' श्रेणी के बाजार से स्थान परिवर्तन, मात्रा दूरी मानकों का पालन करते हुए किया जा सकता है तथा ''घ'' श्रेणी के बाजार के रूप में परिभाषित कस्बे से गुजरने वाले राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थापित किया जा सकता है। तथापि ऐसा स्थान परिवर्तन ''ग'' श्रेणी के बाजार में परिधि सीमाओं (अर्थात् नगरपालिका की सीमाओं के 5 किलामीटर के भीतर) के भीतर होना चाहिए।

विवरण

बाजार	दूरी मानदंड	मात्रा मानदंड
1	2	3
1. खुदरा बिक्री केन्द्र		
(क) केवल एच०एस० ही अथवा एस०एस०/एच०एस०डी०		
''क'' श्रेणी 1986 की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर	1. महानगरीय शहर और अन्य शहर (नगरपालिका सीमाओं से 15 कि०मी० की परिधि सहित)	1. केवल एच०एस०डी० : प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान न्यूनतम 50 कि०मी० प्रतिमाह निकासी होनी चाहिए।
	2. औसत संयुक्त एम०एस०/एच०एस०डी० थ्रूपुट (3 कि०मी० के अर्थव्यास के भीतर) 80 कि०ली० प्रतिमास से कम नहीं होनी चाहिए।	2. संयुक्त एम०एस०/एच०एस०डी० : एच०एस०डी० - 25 कि०ली० प्रतिमाह, एम०एस० - 30 कि०ली० प्रतिमाह | प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान

1	2	3
	3. टाऊन प्लानिंग प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थानों पर कोई प्रतिबंध नहीं।	
"ख" श्रेणी-1981 की जनगणनानुसार 2 और 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर	1. नागपालिका सीमाओं के 5 कि०मी० के भीतर खुदरा बिक्री केन्द्रों की औसत संयुक्त एम०एस०/एच०एस०डी० थ्रूपुट 80 कि०ली० प्रतिमाह से अधिक होनी चाहिए।	1. केवल एच०एस०डी० : प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि०ली० प्रतिमाह होनी चाहिए।
	2. टाऊन प्लानिंग प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थलों पर कोई प्रबन्ध नहीं।	2. संयुक्त एम०एस०/एच०एस०डी० : एच०एस०डी० - 50 कि०ली० प्रतिमाह | प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान एम०एस० - 5 कि०ली० प्रतिमाह
"ग" श्रेणी - अन्य कस्बे	मौजूदा बिक्री केन्द्र से 5 कि०मी० के अर्ध-व्यास के भीतर औसत संयुक्त थ्रूपुट 80 कि०ली० प्रतिमाह से अधिक होनी चाहिए।	1. केवल एच०एस०डी० : प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि०ली० प्रतिमाह होनी चाहिए। 2. संयुक्त एम०एस०/एच०एस०डी० : एच०एस०डी० - 50 कि०ली० प्रतिमाह | प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान एम०एस० - 5 कि०ली० प्रतिमाह
"घ" श्रेणी - राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग	प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्र के 15 कि०मी० (दोनों ओर) के भीतर प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र संयुक्त थ्रूपुट 80 कि०मी० प्रतिमाह से अधिक होनी चाहिए।	1. केवल एच०एस०डी० : प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि०ली० प्रतिमाह होनी चाहिए। 2. संयुक्त एस०एस०/एच०एस०डी० : एच०एस०डी० - 50 कि०ली० प्रतिमाह | प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान एम०एस० - 5 कि०ली० प्रतिमाह
"ङ" श्रेणी (राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों से दूर के क्षेत्र और 10 कि०मी० अर्धव्यास के भीतर बिना किसी खुदरा बिक्री केन्द्र के कृषि प्रधान क्षेत्र)।	इन बाजारों में केवल लागत के खुदरा बिक्री केन्द्र विकसित किए जाते हैं।	केवल एच०एस०डी० : प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 25 कि०ली० प्रतिमास
(ख) केवल एम०एस० :		
"क" श्रेणी	कोई नहीं	प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान निकासी 30 कि०मी० प्रतिमाह होनी चाहिए।
"ख" श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्रों का औसत व्यापार प्रस्तावित स्थान के 5 कि०मी० अर्धव्यास के भीतर 35 कि०ली० प्रतिमाह से कम नहीं होना चाहिए।	कोई नहीं

1	2	3
"ग" श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्रों का औसत व्यापार प्रस्तावित स्थान के 5 कि०मी० के भीतर 35 कि०ली० प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।	कोई नहीं
"घ" श्रेणी	राजमार्ग के साथ-साथ दोनों ओर 15 कि०मी० के भीतर न्यूनतम मात्रा 35 कि०ली० प्रतिमाह होनी चाहिए।	कोई नहीं

टिप्पणी : एम०एस० मौजूदा एच०एस०डी० खुदरा बिक्री केन्द्र में जोड़ा जा सकता है बशर्ते न्यूनतम 5 कि०ली० की संभाव्यता उपलब्ध हो। तथापि एच०एस०डी० के एम०एस० के मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्र के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

हल्के गैस सिलेंडरों का निर्माण

6357. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हल्के गैस सिलेंडरों के निर्माण का है जहां सिलेंडरों को मानव द्वारा ढोकर निवास-स्थलों तक पहुंचाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कम वजनी सिलेंडरों का उपयोग करने की संभवत: वर्तमान में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के तहत है।

तमिलनाडु में विद्युत परियोजनाएं

6358. डा० सी० कृष्णन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के ओगनेकल में कोई विद्युत परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन एन०एच०पी०सी० कावेरी बेसिन की होगेनक्कल (120 मे०वा०) समेत 1150 मे०वा० की अनुमानित अदोहित जल विद्युत शक्यता का ईष्टतम समुपयोजन करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा है। एन०एच०पी०सी० शिवासमुद्रम, मेकेदातु, रसिमनाल और होगेनक्कल जल विद्युत परियोजनाओं जो कि सस्ती विद्युत का उत्पादन करेंगे का क्रियान्वयन प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए तैयार हो जायेगा बशर्ते कि इन परियोजनाओं की विद्युत में हिस्सेदारी के संबंध में कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच पारस्परिक रूप में संतोषजनक समझौता हो जाए।

[हिन्दी]

कोयले की पर्तों में मीथेन गैस के भण्डार

6359. श्री अरूण कुमार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोयले की पर्तों में मीथेन गैस के भण्डारों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भण्डार से कुल कितनी मात्रा में गैस प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस गैस पर आधारित एक परियोजना तैयार करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) ओ०एन०जी०सी० ने कोल बेड मीथेन (सी०बी०एम०) के अन्वेषण के लिए बिहार के झरिया बेसिन में चार कूपों का वेधन किया है। इसके अलावा बिहार में दो ब्लाकों की पहचान सी०बी०एम० के अन्वेषण और दोहन के लिए की जा चुकी है। सी०बी०एम० नीति के अनुसार बोलियां आमंत्रित करने के लिए तैयारी पूरी नहीं हुई है। सी०बी०एम० भण्डारों का पता अन्वेषण के बाद ही लग सकता है और उसके बाद ही ऐसे भण्डारों के उपयोग की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

नदियों से रेत निकालना

6360. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों का वन्य क्षेत्रों से नदियों से रेत निकालने पर प्रतिबंध लगाने के निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने ऐसे प्रतिबंध को वापिस लेने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी नहीं, चूंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों, नियमों और इनके दिशा-निर्देशों के अनुसार, वन क्षेत्रों से नदी में रेत एकत्र करना एक वनेतर गतिविधि है इसलिए इनके लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्कता है। इसके अलावा अगर वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का भाग है, तो वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधान भी इस पर लागू होंगे।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाक विभाग के विरुद्ध शिकायतें

6361. श्री पी०आर० खूंटे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवा डाक विभाग द्वारा डाक वितरण में विलंब/डाक का वितरण न किए जाने के कारण विभिन्न साक्षात्कार/लिखित परीक्षा देने से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) आज की तारीख तक न्यायालयों में ऐसी घटनाओं के कितने मामले लंबित हैं;

(घ) डाक विभाग द्वारा कितने व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की गई; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) डाक विभाग प्रत्येक वर्ष 15766 मिलियन डाक वस्तुओं का निपटान करता है। जबकि, डाक की इतनी विशाल मात्रा के लिए प्रदान की जा रही सेवाएं कुल मिलाकर संतोषजनक हैं; विभाग को पत्रों के, जिनमें साक्षात्कार अथवा लिखित परीक्षाओं के लिए संप्रेषित पत्र भी शामिल हैं; विलंब से वितरण/वितरण न होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) डाक विभाग में डाक पारेषण तथा वितरण की निरंतर पुनरीक्षा करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली है ताकि विभिन्न उपायों द्वारा विलंब और सेवा की अन्य कमियों को दूर किया जा सके।

(ग) समूचे देश में विभिन्न फोरमों/न्यायालयों में ऐसी घटनाओं से संबंधित 89 शिकायतें लंबित हैं।

(घ) डाक विभाग ने 66 मामलों में मुआवजे का भुगतान किया है।

(ङ) डाक के पारेषण तथा वितरण की समुचित तथा और अधिक प्रभावी मानीटरिंग एक अनवरत प्रक्रिया है। तथापि, डाक में बिलंब/वितरण न होने के बारे में प्राप्त शिकायतों की मॉनीटरिंग को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाए गए हैं :–

(i) डाक के समय पर पारेषण के लिए इंडियन एयरलाइन्स, रेलवे तथा राज्य परिवहनों के प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वयन रखा जाता है।

(ii) मुंबई तथा चेन्नई में मशीन द्वारा छंटाई प्रारंभ की गई है तथा महानगरों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में मोपेडों के माध्यम से डाक के वितरण के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान की गई है।

(iii) छंटाई को सुगम बनाने तथा डाक के पारेषण एवं वितरण में तेजी लाने के लिए ग्रीन चैनल (स्थानीय), मैट्रो चैनल, राजधानी चैनल, बिजनेस चैनल, वल्क मेल चैनल तथा पत्रिका चैनल के माध्यम से प्रारंभिक अवस्था में डाक को अलग-अलग किया जाता है।

(iv) डाक का लाइव सर्वे किया जाता है तथा वितरण की कार्यकुशलता की मानीटरिंग के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

(v) अधिक कार्य-कुशलता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मेल कार्यालयों में पंजीकृत छंटाई का तथा महानगरों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में ट्रांजिट मेल कार्यालयों में डाक पारेषण का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(vi) पिनकोड के प्रयोग का प्रचार किया जा रहा है।

(vii) प्राप्तकर्ताओं से संपर्क करके वितरण कर्मचारियों के गुणात्मक कार्य की जांच की जाती है तथा वितरण में विलंब के लिए दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

(viii) विभाग द्वारा वितरण सेवा को प्रदान किए जा रहे महत्व का आकलन श्रेष्ठ पोस्टमैन पुरस्कार योजना द्वारा हो जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक छमाही में देश के प्रत्येक डिवीजन श्रेष्ठ वितरण कर्मचारी की पहचान की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

(ix) पारेषण में तेजी लाने के लिए वीएसएटी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है तथा इस प्रकार अधिक समयबद्ध तथा कार्यकुशल वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ०-बूथ

6362. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक टेलीफोन-बूथ के संचालक नकली नाम और पते पर एस०टी०डी०/आई०एस०डी०-कनेकशन लेते हैं और एक-दो महीने बाद गायब हो जाते हैं, जिससे सरकारी राजकोष को करोड़ों रुपए का घाटा होता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और अभी तक सरकार की जानकारी में राज्यवार ऐसे कितने मामले आए;

(ग) क्या उक्त मामलों में विभागीय कर्मचारी भी लिप्त पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश और राजस्थान प्रत्येक में एक मामला उत्तर प्रदेश में चार मामले ध्यान में आए हैं। अन्य राज्यों में ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) कुछ मामलों में विभागीय कर्मचारियों को शामिल पाया गया था। उन कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

डिगबोई रिफाइनरी

6363. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सबसे पुरानी डिगबोई रिफाइनरी के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं और इस कार्य के लिए कितनी राशि नियत की है;

(ग) क्या डिगबोई रिफाइनरी के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसे आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी० एल०) ने डिग्बोई रिफाइनरी के आधुनिकीकरण में 618 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही कर दिया है। इसके अलावा उपर्युक्त के अतिरिक्त आई०ओ०सी०एल० सुविधाओं के प्रतिस्थापन/उन्नयन पर 762 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है।

(ग) और (घ) डिग्बोई रिफाइनरी में क्रूड थ्रूपुट 1997-98 में 502 हजार मीट्रिक टन (टी०एम०टी०) से बढ़कर 1999-2000 में 603 टी०एम०टी० हो गया है।

लेखा-परीक्षण संबंधी आपत्तियां

6364. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा-परीक्षण संबंधी अपत्तियों और उनमें संलिप्त धनराशि की संख्या वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती जा रही है और वर्ष 1979-80 तथा उसके पश्चात् की समयावधि से संबंधित आपत्तियों का अब तक निराकरण नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लेखा-परीक्षण में दर्ज की गई आपत्तियों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है और त्रुटि के प्रकरणों में जिम्मेवारी तय करने के लिए समुचित कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लोक लेखा समिति ने भी इस विषय पर गंभीर चिंता जताई है और लेखा परीक्षण द्वारा दर्ज बकाया आपत्तियों का निराकरण करने में हो रही यथार्थ प्रगति की जानकारी दिए जाने की इच्छा प्रकट की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या समिति को इस विषय में हुई प्रगति से अवगत कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) लेखा-परीक्षा के प्रेक्षण एक सतत प्रक्रिया है। उठाए गए प्रेक्षणों की संख्या तथा इसमें शामिल धन हर वर्ष भिन्न-भिन्न होता है। तथापि, वर्ष 1997-98 तक उठाए गए लेखा परीक्षा प्रेक्षणों तथा डाक तथा दूरसंचार विभागों के संदर्भ में मई/जून, 1999 के अंत तक जिनका निबटान नहीं किया गया, इन शेष लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की कुल संख्या 10,422 थी। पिछले कुछ वर्षों के लिए तदनुरूप आंकड़ों की अपेक्षा कम है। कुछ बकाया प्रेक्षण, वर्ष 1979-80 के शुरू होने वाली अवधि से संबंधित भी हैं। विभागीय कार्यकलापों में कई गुना विस्तार तथा वित्तीय लेनदेन में तदनुरूप वृद्धि के कारण इनमें से कुछ प्रेक्षणों के अंतर्गत राशि में बढ़ोत्तरी हुई है। तथापि, यह राशि वर्ष 1997-98 के दौरान दूरसंचार विभाग के कुल व्यय के एक प्रतिशत से भी कम थी।

(ख) और (ग) जी, हां। लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का उत्तर संबंधित यूनिट अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय के भीतर देना अपेक्षित होता है तथा यूनिट के प्रमुखों को आवश्यक होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने सहित कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।

(घ) से (च) डाक विभाग के संदर्भ में लोक लेखा समिति ने अपनी 5वीं रिपोर्ट (12वीं लोक सभा) में इच्छा व्यक्त की थी कि सर्किल-वार बकाया लेखा परीक्षा आपत्तियों को दर्शाने वाला तिमाही विवरण प्राप्त करने के अलावा भविष्य में इस प्रकार मामले लंबित होकर इकट्ठे न हों, इसके लिए विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी नोट अगस्त, 1999 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंतर्गत आपत्तियों के निबटान में की गई प्रगति भी दर्शाई गई थी। दूरसंचार विभाग के सदर्भ में, समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट (12वीं लोक सभा) के पैरा 35 में लंबित पड़े मामलों के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की थी तथा इच्छा व्यक्त की थी कि दूरसंचार विभाग अपने अधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश करे तथा बकाया लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों के निबटान के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत तत्काल और प्रभावी उपाय करे तथा इस दिशा में की गई प्रगति के बारे में समिति को जानकारी दें। इसके अनुपालन में लेखा परीक्षा जांच रिपोर्टों तथा आपत्तियों के निबटान के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा चूक के मामले में उत्तरदायित्व निर्धरित करने के लिए अनुदेश जारी किए। पैरा 35 पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट भी तत्रैव लेखापरीक्षा द्वारा विधीक्षा के बाद मई, 1999 में समिति को प्रस्तुत किया गया था।

पेट्रोनेट के एल०एन०जी० का विपणन

6365. श्री दिनशा पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ तेल कंपनियां देश में पेट्रोनेट की एल०एन०जी० तरलीकृत प्राकृतिक गैस के संयुक्त विपणन पर सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो गुजरात में दाहेज टर्मिनल से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के संयुक्त विपणन का विचार रखती हैं;

(घ) क्या इन कंपनियों द्वारा नई पाइपलाइनों को बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नई पाइपलाइनों को बिछाने का काम कब से शुरू हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) गुजरात में दहेज टर्मिनल से पुनरगैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) का विपणन करने के विषय में पेट्रोनेट एल०एन० जी० लि० के साथ गैस अथॉरिटि आफ इंडिया लि०, इंडियन आयल कारपोरेशन लि० तथा भारत पेट्रोलियम कारेपोरेशन लिमिटेड के द्वारा करार शीर्ष पर हस्ताक्षीरत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) पाइपलाइन नेटवर्क संरूपण अंत्य उपभोक्ताओं विशेष के विशिष्ट स्थानों पर निर्भर करता है। एल०एन०जी० टर्मिनल तथा संबंधित पाइपलाइन नेटवर्क एक ही समय पर चालू किए जाते हैं।

इंटरनेट सुविधा

6366. श्री झेलखोमांग झैकिप : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ख) मणिपुर के किन-किन शहरों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है और वर्ष 2000-2001 के दौरान इसे किन-किन स्थानों में उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) एन०टी०पी० 1999 के अनुसार लगभग सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट एक्सेस प्रदान किया गया है।

(ख) इम्फाल में इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है तथा मणिपुर के सभी जिला मुख्यालयों अर्थात् बिशनपुर, चंदेल, चूड़चन्द्रपुर, इम्फाल, लाम्फेलपेट, सेनापति, तमेंगलोंग, थाउबल, उखरूल में शिलांग इंटरनेट नोड से स्थानीय कॉल आधार पर यह सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2000-2001 के दौरान इम्फाल में एक इंटरनेट नोड स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा वर्ष 2000-2001 के दौरान ब्लाक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबे खोलने की योजना है।

[हिन्दी]

निविदाएं आमंत्रित करने के संबंध में एन०टी०पी०सी० के विरुद्ध शिकायतें

6367. श्री तुफानी सरोज : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा केन्द्रीय विद्युत सेवा और विद्युत वित्त निगम को विज्ञापन देने के संबंध में 5000 करोड़ रुपये के ठेके देने के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन ठेकों के संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बोर्ड के सदस्यों पर दबाव डाला गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

फरक्का बांध पर जल विद्युत परियोजना

6368. श्री अबुल हसनत खां : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरक्का बांध पर एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय पहलू की जांच कर ली गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरा करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल की फरक्का बैराज जल विद्युत परियोजना (5x25 मे०वा०) की तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसे तकनीकि-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) में प्राप्त किया गया है, को के०वि०प्रा० द्वारा जल संसाधन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन फरक्का बैराज जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु कुछ शर्तों के अध्याधीन दिनांक 11.11.1991 को उपयुक्त पाया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय पहलुओं की जांच कर ली गई है और इसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है।

नैवेली ताप विद्युत संयंत्र

6369. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिक विद्युत उत्पादन व राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए तमिलनाडु के नैवेली ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) तमिलनाडु में नैवेली ताप-विद्युत परियोजना के विस्तार कार्य का पहले से ही क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति करने के लिए 670 मे०वा० की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता अधिष्ठापित की जा रही है। ब्यौरा निम्नवत है :–

क्रम सं०	परियोजना/क्रियान्वयन एजेंसी का नाम		क्षमता (मे०वा०)	चालू करने की निर्धारित तिथि
	केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	नैवेली टी०पी०एस०-1 विस्तार नैवेली लिग्नाईट कारपोरेशन द्वारा	यूनिट-1 यूनिट-2	210 210	11/2001 5/2001
	निजी क्षेत्र			
2.	नैवेली टी०पी०एस० बाई मै० एस०टी०-सी०एम०एस० इलैक्ट्रिक कम्पनी	यूनिट-1	250	9/2002

[हिन्दी]

एम०आर०टी०पी०सी० में लंबित मामले

6370. **श्री मानसिंह पटेल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग में राज्य-वार प्रत्येक लंबित मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान मामलों के पंजीकरण और लंबित मामलों के शीघ्र निपटाने के संबंध में कोई समीक्षा कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग को सुदृढ़ करने/पुनर्गठित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठलानी) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत सृजित एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। आयोग एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं/अवरोधक व्यापार प्रथाओं/अनुचित व्यापार प्रथाओं (एम०टी०पी०/आर०टी०पी०/यू०टी०पी०) तथा उनसे संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है। निम्नलिखित सारणी में 31.3.2000 तक की स्थिति के अनुसार आयोग के समक्ष लंबित मामलों की विभिन्न श्रेणियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

31.3.2000 तक की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या

क्र०सं०	श्रेणी	लंबित मामलों की संख्या
1.	एम०टी०पी० जांचें	8
2.	आर०टी०पी० जांचें	1408
3.	यू०टी०पी० जांचें	1271
4.	व्यादेश संबंधी आवेदन	268
5.	मुआवजा संबंधी आवेदन	2100
6.	अवमानना संबंधी आवेदन	10

आयोग इन मामलों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखता।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चूंकि ये न्यायिक कार्यवाहियां हैं अत: ऐसे मामले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचारार्थ तथा निपटान के लिए सूचीबद्ध कर दिए जाते हैं।

(घ) सरकार ने एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 की समीक्षा करने के लिए तथा एक आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून का भी प्रस्ताव रखते के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए 31.5.2000 तक का समय दिया गया है।

[अनुवाद]

पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ समझौता

6371. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौते न करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) भारत सरकार की संशोधित वृहत् विद्युत नीति के अंतर्गत पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन को साख-पत्र, राज्यों की केन्द्रीय योजना सहायता के शेयर व अनय माध्यमों के जरिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए बैंकर की भूमिका निभाने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पी०टी०सी० एवं राज्य सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौते के लिए पार्टी बनाना जरूरी नहीं समझता है। सी०पी०ए० एवं पी०टी०सी० के अंतर्गत निधि अंतरण के लिए आर०बी०आई० को केवल अपरिवर्तनीय स्थायी आदेश चाहिए यदि, राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड पी०टी०सी० एवं रा०वि०बो० के मध्य हुए विद्युत क्रय समझौते के अनुसार भुगतान में किसी प्रकार की चूक करता है।

जैव-सुरक्षा नयाचार

6372. **श्री श्रीनिवास पाटील :**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र-प्रायोजित जैव-सुरक्षा नयाचार को मांट्रियल में 130 देशों से अधिक के प्रतिनिधियों ने अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत भी उपरोक्त नयाचार पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो नयाचार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) भारत इस नयाचार से किस प्रकार लाभान्वित होगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जैव सुरक्षा संबंधी कार्टेजिना प्रोटोकाल को जैव-विविधता संबंधी कन्वेंशन के पक्षकार देशों के सम्मेलन की जनवरी, 2000 में मांट्रियल में आयोजित असाधारण बैठक के पुन: प्रारम्भ सत्र द्वारा अपनाया गया था। भारत ने इस बैठक में भाग लिया था। नीरोबी, कीनिया में 15-26 मई, 2000 के होने वाली जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन के पक्षकार देशों की पांचवीं बैठक में और इसके पश्चात् 5 जून 2000 से 4 जून 2001 तक न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे।

(ग) प्रोटोकोल से आधुनिक प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप सजीव परिवर्तित जीवों के सुरक्षित अंतरण, हैंडलिंग और उपयोग के क्षेत्र में जिससे कि जैविक विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग तथा विशेषकर ट्रान्सबांउड्री आवाजाही पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्तर की सुरक्षा मिलेगी।

(घ) प्रोटोकॉल के क्षमता निर्माण उपबंध में पक्षकर विकासशील देशों में जैव-सुरक्षा में मानव संसाधन की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और उसके उन्नयन की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सर्वेक्षण

6373. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होने वाले व्यय का कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त व्यय को किन-किन स्रोतों से जुटाया जाएगा तथा प्रत्येक स्रोत से कितनी-कितनी राशि जुटाई जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में योजना के अन्तर्गत 30000 गांवों को विद्युतीकृत करने तथा 20 लाख पम्प सेटों के उर्जीकरण करने का लक्ष्य को प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए निधियों के प्रमुख स्रोत हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण, राज्य के स्वयं के स्रोत, विभिन्न स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण आदि।

[अनुवाद]

गांवों का विद्युतीकरण

6374. **श्रीमती कैलाशो देवी :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं/आठवीं योजना अवधि के दौरान कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई,

(ख) क्या आठवीं योजना अवधि में इसमें काफी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) के अनुसार वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर सातवीं/आठवीं योजना अवधियों के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या क्रमश: 100506 और 18504 है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना की तुलना में आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति में कुछ गिरावट आई है। कई गांव जो विद्युतीकरण नहीं किए जा सके हैं वे सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में है। राज्य सरकारें अन गांवों को विद्युतीकृत करना खर्चीला समझती हैं। इसके अतिरिक्त रियायती संसाधनों की कमी से भी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम प्रभावित हुआ है।

(घ) वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्यों को सीधे ही निधियां मुहैया कराने का प्रस्ताव किया है जिन्हें कि पहले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम निगम के माध्यम से प्रदान किया जाता था। इसके अतिरिक्त जनजातीय गांवों और दलित बस्तियों में तथा कमजोर वर्गों के लिए विद्युतीकरण कार्यक्रम पर जोर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2000-2001 के दौरान 415 जनजातीय गांवों और 2440 दलित बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु 16.67 करोड़ रुपए की ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जायेगा। जो कि जनजातीय गांवों, दलित बस्तियों के विद्युतीकरण तथा अन्य कमजोर वर्गों के लाभ से संबंधित विद्यमान स्कीमों की समीक्षा करेगा तथा विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए संशोधनों को सुझायेगा ताकि जनता के अन्य वर्गों/क्षेत्रों के समान वे भी विद्युतीकरण का लाभ उठा सकें।

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी इक्विटी

6375. श्री मोहनुल हसन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरसंचार विभाग (डी०ओ०टी०) ने इस निर्णय पर आपत्ति उठाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ ही दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०)/अनिवासी भारतीय (एन० आर०आई०) ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी (ओ०सी०बी०) की 51% तक इक्विटी की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) द्वारा स्वत: आधार पर थी तथा अधिक राशि के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ० डी०आई०) पर विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफ०आई०पी०बी०) द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता था। दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के लिए स्वत: आधार पर 51% की सीमा को फरवरी, 2000 में बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।

बुनियादी, सेल्यूलर मोबाइल, पेजिंग, मूल्य वर्द्धित सेवा तथा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन बाई सेटेलाइट जैसी दूरसंचार सेवाओं के मामले में एफ०डी०आई०/एन०आर०आई०/ओ०सी०बी० इक्विटी 49 प्रतिशत तक सीमित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंतर्गत अतिथि गृह

6376. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के दक्षिण क्षेत्रीय मुख्यालय के तहत विभिन्न राज्यों में कितने अतिथि गृह अपने स्वामित्व में रखे गए हैं अथवा पट्टे पर दिए गए हैं अथवा अधिग्रहित किए गए हैं;

(ख) ऐसे अतिथि गृहों में कितने अतिथि कक्ष उपलब्ध हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अतिथि गृहों पर राज्य-वार यूनिट-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिथि गृहों के अलावा विभिन्न होटलों में राज्य-वार/यूनिट-वार आवास और टेलीफोन वालों के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) एन०टी०पी०सी० के दक्षिण क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में गेस्ट हाऊस तथा गैस्ट रूमों की संख्या :–

	गैस्ट हाऊसों की संख्या	रूमों की संख्या
आंध्र प्रदेश		
रामागुण्डम	1 अपने स्वामित्व वाला	20
हैदराबाद	1 लीज पर	6
सिम्हाद्री	1 लीज पर	4
केरल		
कायमुकुलम	1 अपने स्वामित्व वाला	5
त्रिवेन्द्रम	1 लीज पर	3
तमिलनाडु		
त्रिचि	1 लीज पर	4
चेन्नई	1 लीज पर	2
कर्नाटक		
बंगलौर	1 लीज पर	3

गत तीन वर्षों के दौरान गैस्ट हाऊसों पर व्यय राशि

(रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
आंध्र प्रदेश			
रामागुण्डम	11,64,000	9,11,000	8,58,819
हैदराबाद	3,66,504	4,55,709	5,92,634
सिम्हाद्री	59,338	1,97,608	2,49,233
केरल			
कायमकुलम	1,24,340	3,81,624	5,53,656
त्रिवेन्द्रम	21,701	2,533	15,823
तमिलनाडु			
त्रिचि	शून्य	शून्य	3,35,722
चेन्नई	8,792	45,477	7,387
कर्नाटक			
बंगलौर	2,69,011	2,73,559	3,00,832

गत तीन वर्षों के दौरान गैस्ट हाऊसों को छोड़कर विभिन्न होटलों में आवास तथा टेलीफोन कॉल पर खर्च की गई धनराशि

(रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
आवास पर			
आंध्र प्रदेश			
रामागुण्डम	शून्य	शून्य	शून्य
हैदराबाद	14,064	1,50,294	55,592
सिम्हाद्री	3,43,118	7,05,061	13,64,080
केरल			
कायमकुलम	शून्य	शून्य	शून्य
त्रिवेन्द्रम	45,663	37,076	67,608
तमिलनाडु			
त्रिचि	शून्य	शून्य	54,395
चेन्नई	1,43,784	3,59,950	3,18,137
कर्नाटक			
बंगलौर	2,78,681	3,48,721	2,51,137
टेलिफोन कॉल पर			
आंध्र प्रदेश			
रामागुण्डम	30,199	48,904	58,125
हैदराबाद	65,357	85,696	1,44,177
सिम्हाद्री	3,136	12,200	27,079
केरल			
कायमकुलम	शून्य	शून्य	82,929
त्रिवेन्द्रम	शून्य	12,593	शून्य
तमिलनाडु			
त्रिचि	शून्य	शून्य	1,53,079
चेन्नई	शून्य	शून्य	शून्य
कर्नाटक			
बंगलौर	2,36,457	1,77,305	1,19,348

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

6377. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 29 फरवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने तथा इन्हें चौड़ा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तथा 12 अत्यंत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(घ) यदि हां, तो क्या इनकी मरम्मत हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जबलपुर उपमार्ग की क्या स्थिति है तथा इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 5070 कि०मी० है।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान चौड़े किए गए और नवीकरण किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रकार हैं :–

वर्ष	चौड़े किए गए कि०मी० की संख्या	नवीकरण किए गए कि०मी० की संख्या
1997-98	23.31	311.53
1998-99	17.60	353.35
1999-2000	36.00	357.50

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 और 12 को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में रा०रा० 7 और 12 सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 2000-2001 के दौरान राज्य सरकार को अब तक 12.26 करोड़ रु० जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित आई०आर० क्यू० कार्यक्रम 2000-2001 के तहत 350 कि०मी० की लम्बाई में सड़क गुणता के सुधार के लिए 71 करोड़ रु० की अनुमानित लागत के प्राक्कलन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 82.8 कि०मी० और 96 कि०मी० की लम्बाई में 16.97 करोड़ रु० और 17.82 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की स्वीकृति क्रमश: रा० रा० 7 और 12 के लिए हैं।

(च) जबलपुर बाइपास की स्थिति सामान्यत: अच्छी है। इस बाइपास का निर्माण कार्य जून, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में दूरसंचार-सुविधाएं

6378. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष और अगले वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के गांवों में टेलीफोन-नेटवर्क का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र के सभी पिछड़े क्षेत्रों में दूरभाष-केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं तथा टेलीफोन-कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र के गांवों में चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए टेलीफोन-नेटवर्क के विस्तार हेतु योजनाएं नीचे दी गई हैं :–

वर्ष 2000-2001 :

मद	महाराष्ट्र-राज्य
नए ग्रामीण एक्सचेंज	345
नियत स्विचन-क्षमता	1,45,000

जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

वर्ष 2001-2002 :

विभाग के नौवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार, मार्च, 2002 तक सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मांग पर टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे। जिलावार योजनाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) से (ङ) टेलीफोन-एक्सचेंजों की संस्थापना कर दी गई है और प्राथमिकता आधार पर पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन-कनैक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। 31.3.2000 तक पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन-एक्सचेंज क्षमता, सीधी एक्सचेंज-लाइनों और प्रतीक्षासूची की जिलावार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 8498 की प्रतीक्षासूची निपटाए जाने की संभावना है।

विवरण-I

2000-2001 के दौरान महासष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार के जिलावार ब्यौरे

क्रम सं०	जिला	नए एक्सचेंज	स्विचन-क्षमता
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	15	11500
2.	अकोला	7	1000
3.	वाशिम	8	1500
4.	अमरावती	14	3000
5.	औरंगाबाद	15	6000
6.	बीड	9	1500
7.	भंडारा	2	2000
8.	गोंदिया	2	2000
9.	बुलढाना	7	3000
10.	चन्द्रपुर	7	2500
11.	धुले	5	2000
12.	नंदुरबार	2	1000
13.	गढचिरोली	2	1000
14.	जलगांव	3	6000

1	2	3	4
15.	झलना	5	1500
16.	कल्याण	5	4000
17.	कोल्हापुर	30	15000
18.	लातूर	20	4000
19.	नागपुर	6	4000
20.	नान्देड़	10	4000
21.	नासिक	20	6000
22.	उस्मानाबाद	5	2000
23.	परभनी	7	2000
24.	हिंगोली	3	1000
25.	पुणे	25	14500
26	रायगढ़	5	4000
27.	रत्नगिरी	8	3000
28.	सांगली	30	15000
29.	सतारा	20	6000
30.	सिंधुदुर्ग	9	3000
31.	सोल्हापुर	20	6000
32.	वर्धा	2	3500
33.	यवतमाल	17	2500
	कुल	345	145000

विवरण-II

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता, सीधी एक्सचेंज लाइनों और प्रतीक्षासूची की जिलावार स्थिति

क्रम सं०	जिला	गांवों की कुल संख्या	वी०पी०टी० सहित गांव	एक्सचेंजों की संख्या	स्विचन क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	प्रतीक्षा सूची
1.	अहमदनगर	118	77	7	1048	753	284
2.	अमरावती	344	98	3	1120	888	16
3.	भंडारा	284	167	9	1580	1108	65
4.	गोंदिया						
5.	चन्दपुर	742	270	11	1376	730	95
6.	धुले	997	600	43	10016	7953	550
7.	नन्दुरबार						
8.	गढ़चिरोली	1450	—	19	4288	2449	235
9.	जलगांव	63	20	2	272	225	13
10.	कल्याण	1135	500	57	38288	26821	4903
11.	नागपुर	97	60	4	872	483	13
12.	नान्देड़	185	70	8	2776	2314	95
13.	नासिक	828	500	47	12376	8548	1953
14.	पुणे	144	27	2	304	208	60
15.	रायगढ़	47	41	3	520	328	52
16.	यवतमाल	528	176	11	2784	1926	164
	कुल	6962	2606	226	77620	54734	8498

विशाखपत्तनम विद्युत परियोजना

6379. डा० राजेश्वरम्मा चुक्कला : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विशाखापत्तनम ताप विद्युत परियोजना के लिए काउंटर गारंटी की राशि बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसे पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) मैसर्स हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में प्रवर्तित की जा रही विशाखापटनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे०वा०) की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 25 जुलाई, 1996 को 943.75 मिलियन अमरीकी डॉलर + 1324.993 करोड़ रुपये की (एक अमरीकी डॉलर = 35 रुपये की दर से) अनुमानित पूर्णता लागत पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 16.5.1998 को सरकार ने एक संशोधित प्रक्रिया के जरिए इस परियोजना को काउंटर गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना को भारत सरकार की काउंटर गारंटी 19 अगस्त, 1998 को जारी की गई। के०वि०प्रा० काउंटर गारंटी जारी नहीं करता है अपितु परियोजनाओं के लिए केवल तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करता है। परियोजना के प्रवर्तकों द्वारा अभी वित्तीय समापन प्राप्त किया जाना है और निर्माण कार्य आरंभ किए जाने हैं। परियोजना को प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त करने की तिथि के बाद 44 माह के भीतर चालू करने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

वाराणसी की यातायात समस्या के समाधान हेतु योजना

6380. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी, उत्तर प्रदेश में सड़क यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सरकारो की बरूना और गंगा नदियों को और गहरा करके राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) जी, नहीं। बरूना नदी के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तथापि, नौवहन हेतु बरूना नदी के विकास के बारे में अभी हाल ही में वाराणसी के आयुक्त से प्राप्त अनुरोध के मद्देनजर, इस बारे में विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गई है।

गंगा नदी के हल्दिया से इलाहाबाद खंड को पहले ही राष्ट्रीय जलमार्ग-I घोषित किया जा चुका है। यह वाराणसी से गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्गों का अनुरक्षण और रख-रखाव जिसमें नौवहन चैनल को गहरा बनाना, निकर्षण, बंडालिंग इत्यादि शामिल हैं, एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय जलमार्ग-I के विकास हेतु विभिन्न स्कीमें लागू करने के लिए वार्षिक योजना 2000-01 में 14.55 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं।

टिहरी बांध परियोजना

6381. श्री सईदुज्जमा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध परियोजना के निर्माण के कारण कितने परिवार विस्थापित हुए;

(ख) प्रभावित परिवारों को अब तक दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) टिहरी परियोजना से प्रभावित आबादी के पुनर्वास का कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में कॉफर बांध के निर्माण से प्रभावित पुराने टिहरी शहर के 5091 शहरी परिवार तथा 2064 ग्रामीण परिवार शामिल हैं। चरण-I के पुनर्वास का कार्य पूरा हो गया है। चरण-I के सभी ग्रामीण परिवारों को पुन: स्थापन कॉलोनियों में कृषि योग्य भूमि देकर पुनर्वास किया गया है। पुरानी टिहरी शहर के शहरी आबादी के लिए भी मुआवजा दिया गया है और नये टिहरी शहर में भूमि, फ्लैट, दूकान आदि उपलब्ध कराये गये हैं तथा अन्य पुन: स्थापन क्षेत्र पहले ही पूरे कर लिए गए हैं।

चरण-II में 2845 ग्रामीण परिवार प्रभावित हुए हैं, जिन्हें बांध पूरा होने और जलाशय की घेराबंदी करने के पहले ही पुनर्वास करना है।

उपर्युक्त के अलावा आंशिक रूप से प्रभावित 3998 ग्रामीण परिवार हैं जिन्हें पुन: स्थापित नहीं करना है, अपितु उन्हें उनकी भूमि की जलमग्न होने के कारण नकद मुआवजा दिया जाना है।

(ग) 31 मार्च, 2000 तक टिहरी जल विद्युत परियोजना, चरण-I (1000 मे०वा०) में 2484.83 करोड़ (अनंतिम) रुपये का खर्च बताया गया है।

(घ) परियोजना के 250 मे०वा० की चारों इकाइयों को दिसम्बर, 2002 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

कोयलकारो परियोजना

6382. डा० संजय पासवान : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रांची जिले में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की कोयल-कारो जल विद्युत परियोजना कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) बिहार के कोयलकारो जल विद्युत परियोजना (710 मे०वा०) को आरंभ में मार्च, 1980 के मूल्य स्तर पर 444.67 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर जून, 1981 में अनुमोदन दिया गया था। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा इसके लिए भूमि प्राप्ति का विरोध किए जाने के कारण इसमें मुख्य कार्य आरंभ नहीं किए जा सके। अगस्त, 1984 में स्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अन्य बातों के साथ-साथ विस्थापित लोगों के पुनर्वास की मांगें की गई। आर एंड आर पैकेज प्रस्तुत करने के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक आदेश 6.2.89 को हटा दिया एवं निर्देश दिया कि पुनर्वास योजना को लागू किया जाए एवं प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाए। नवम्बर, 1991 में भारत सरकार ने परियोजना की संशोधित लागत अनुमान, जो 1338.81 करोड़ रु० था, को अनुमोदन दे दिया।

सरकार द्वारा धीमी प्रगति कर रहे केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की समीक्षा के लिए गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 26.2.97 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परियोजना पर आगे किसी भी प्रकार के व्यय पर रोक लगा दी जाए। इस प्रकार परियोजना संबंधी कार्य रोक दिया गया। तत्पश्चात बिहार के माननीय सांसदों के निवेदन के आधार पर विद्युत मंत्रालय ने परियोजना पर पुन: कार्य शुरू करने के लिए कदम उठाया। बिहार की कोयलकारो जल विद्युत परियोजना को सरकार द्वारा 8.10.98 को अनुमोदित बृहत् विद्युत परियोजना नीति के अन्तर्गत अभिज्ञात बृहत् विद्युत परियोजनाओं में से एक माना गया है। बृहत् परियोजनाएं रियायत के लिए भी हकदार हैं जिससे कि परियोजनाओं की टैरिफ और भी आकर्षक बनेगी।

इसके बाद विद्युत मंत्रालय ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि वे परियोजना प्रभावित लोगों का पुन: सर्वेक्षण कराएं जिससे कि एन०एच०पी०सी० सर्वोच्च न्यायालय की दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ई०एम०पी०) तैयार कर सके। क्रियान्वयन के पूर्व केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से बिजली के खरीददारों से वचनबद्धता प्राप्त करना आवश्यक है। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल ने परियोजना की बिजली को खरीदने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनके अनुसार इसकी 7.13 रु० प्रति यूनिट की अनंतिम टैरिफ काफी महंगी है। बिहार ने इस परियोजना से बिजली खरीदने की बचनबद्धता दी है जो यह उस सीमा तक लेगा तो विद्यमान टैरिफ दर के हिसाब से इसके लिए जरूरी हो। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना से विद्युत खरीदने के लिए क्षेत्र के बाहर वाले राज्यों में सहमति प्राप्त करने हेतु एन०एच०पी०सी० को कह दिया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को घाटा

6383. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकारी क्षेत्र की कई इकाइयां/संस्थाएं/संगठन घाटे में चल रही/रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाई-वार/संगठन-वार/संस्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन छह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से तीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां 1999-2000 के दौरान घाटे में चल रही हैं। पोत परिवहन विभाग के अधीन घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के नाम	वर्ष 1999-2000 के दौरान निवल घाटा	संचयी घाटा
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम	53.85 करोड़ रु० (अनन्तिम)	1139.60 करोड़ रु० (अनन्तिम)
हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता	20.00 करोड़ रु० (अनन्तिम)	165.00 करोड़ रु० अनन्तिम)
केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०, कलकत्ता	63.00 करोड़ रु० (अनन्तिम)	576.77 करोड़ रु० (अनन्तिम)

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के अधीन भी सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है नामत: इंडियन रोड कनस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि० (आई०आर०सी०सी०)। 18.9.1985 को लिए गए निर्णय के द्वारा सरकार ने आई०आर०सी०सी० को नए ठेके नहीं लेने और इसको बन्द करने का चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया था। सरकार ने अब 1.2.2000 को आई०आर० सी०सी० को बन्द करने का निर्णय ले लिया है।

गुजरात में पेट्रोल-पंप और रसोई गैस एजेंसियां

6384. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वर्ष-वार कुल कितने पेट्रोल-पंपों और रसोई-गैस एजेंसियों की मंजूरी दी गई;

(ख) इनमें से अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के आवेदनों पर कितने पेट्रोल-पंप और रसोई-गैस एजेंसियों की मंजूरी दी गई;

(ग) क्या अनेक बार विज्ञापन जारी किए गए और आवेदन आमंत्रित किए गए किन्तु इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन किया गया। उपर्युक्त में से एक खुदरा बिक्री केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में और 15 खुदरा बिक्री केन्द्र शहरी क्षेत्रों में थे। 8 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप ग्रामीण क्षेत्रों में 4 शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में और 14 शहरी क्षेत्रों में थे।

अनु० जाति, अनु० जनजाति और रक्षा श्रेणी के लिए क्रमश: 2, 3 और 1 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप आबंटित की गई हैं। 4, 3 और 4 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन क्रमश: अनु० जाति/अनु० जनजाति और रक्षा श्रेणी के लिए किया गया। वर्तमान नीति के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पृथक आरक्षण नहीं है।

शेष स्थानों के लिए चयन, डीलर चयन बोर्डों के गठन के बाद किया जाएगा।

नन्दन कानन प्राणि-उद्यान

6385. श्री कमल नाथ : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लैक्स सिक्यूरिटी प्लेग्स नन्दन कानन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सामाचार में मामले के किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करवाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) पिछले वर्ष जून में एक बाघ के अपने बाड़े में से निकल जाने और उद्यान के एक कर्मचारी को मार डालने; 12 फरवरी को एक बाघ द्वारा साठ वर्ष के बूढ़े व्यक्ति को घायल करके मार डालने और नीलगाय के गले को तेज धारदार उस्तरे (रेजर) से काटे जाने संबंधी खबरों में दर्शाए गए तथ्य सही हैं। पहली घटना सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित नहीं है और यह रक्षक (कीपर) के अपने दु:साहस की वजह से घटी। यदि नन्दन कानन प्राणि-उद्यान के चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार बनी होती तो बाद की दो घटनाओं को टाला जा सकता था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करवाए जाने के बावजूद भी, मुख्यता किसी कानूनी विवाद, जिसमें किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा कुछ क्षतिपूर्ति राशि अदा की जानी अपेक्षित है, की वजह से सुरक्षा दीवार पूरी नहीं हो पाई है।

प्रमुख पत्तनों का कार्य-निष्पादन

6386. श्री अनंत गुढ़े : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रमुख पत्तनों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2000 तक पत्तन-वार और वर्ष-वार क्या मानक निगरानी मानदंड अपनाए गए;

(ग) चालू वर्ष हेतु निर्धारित माल ढुलाई के लक्ष्य का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान जारी आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रम के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) महापत्तनों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) पत्तनों की कार्य-कुशलता का आंकलन मुख्यतया औसत बर्थिंग-पूर्व समय, औसत टर्न-राऊंड समय, प्रति पोत बर्थ दिवस आऊटपुट, प्रचालन आय, प्रचालन व्यय जैसे निष्पादन सूचकों और लक्ष्यों की तुलना में वास्तव में हैंडल किए गए कार्गो के आधार पर किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान कार्गो के पत्तन-वार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दर्शाई गई हैं :–

(मिलियन टन)

पत्तन	1997-98		1998-99		1999-2000	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
कलकत्ता	24.30	28.16	30.00	29.38	30.90	31.00
पारादीप	11.80	13.30	13.35	13.11	13.75	13.64
बिजाग	35.60	36.01	36.00	35.65	35.00	39.51
चेन्नै	32.50	35.53	36.50	35.20	35.50	37.44
तूतीकोरिन	9.40	9.98	10.20	10.15	10.50	9.99
कोचीन	11.80	12.32	12.25	12.68	12.40	12.80
नव मंगलूर	12.80	15.28	15.50	14.21	14.60	17.60
मुरगांव	18.00	21.18	20.20	18.02	18.00	18.23
ज०ला० नेहरू	9.60	8.90	10.00	11.72	12.85	14.98
मुम्बई	34.60	32.10	34.00	30.97	32.00	30.38
कांडला	36.60	38.90	40.00	40.64	42.50	46.30
जोड़	237.00	251.66	258.00	251.73	258.00	271.87

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए कार्गो हैंडलिंग के मामले में पत्तन-वार नियत लक्ष्य के ब्यौरे :–

(मिलियन टन)

पत्तन	लक्ष्य
कलकत्ता (सी०डी०एस०)	11.48
हल्दिया (एच०डी०सी०)	24.92
पारादीप	36.40
विशाखापत्तनम	40.47
चेन्नै	42.44
तूतीकोरिन	10.90
कोचीन	12.12
नव मंगलूर	20.31
मुरगांव	19.69
ज०ला० नेहरू	17.58
मुम्बई	28.67
कांडला	41.97
जोड़	287.00

(ग) चालू वर्ष के दौरान मुख्य स्कीमों के तहत विभिन्न महापत्तनों में संभावित अतिरिक्त क्षमता बढ़ोत्तरी के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

क्रम सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मिलियन टन)	चालू होने की संभावित तारीख
1	2	3	4
1.	पारादीप पत्तन में कोयला हैंडलिंग सुविधाएं (ए०डी०बी० स्कीम)	20.00	दिसम्बर, 2000 तक चालू होने की संभावना
2.	पारादीप में एक तेल बर्थ तथा रिसेप्शन सुविधाओं का निमार्ण	6.00	जुलाई, 2000
3.	पारादीप में पश्चिमी क्वे का निर्माण तथा विस्तार	2.00	जून, 2000
4.	विजाग में एल०पी०जी० बर्थ का निर्माण	1.00	अगस्त, 2000
5.	विशाखापत्तनम पत्तन के बाहरी बन्दरगाह में बहुउद्देश्यीय बर्थ का निर्माण (शेष क्षमता)	0.5	अगस्त, 2000
6.	इन्नौर में नए पत्तन का निर्माण (ए०डी०बी० स्कीम)	16.00	सितम्बर, 2000 तक चालू होने की संभावना

1	2	3	4
7.	टूटीकोरिन पत्तन में पी०एस०ए० टर्मिनल की अतिरिक्त क्षमता	0.5	मार्च, 2001
8.	मुरगांव पत्तन में एम०ओ०एच०-पी० में संशोधन	1.00	मार्च, 2001
9.	मुरगांव पत्तन में मूरिंग बोया स्थापित करना	2.00	दिसम्बर, 2000
10.	जे०एल० नेहरू पत्तन में बी०-ओ०टी० कन्टेनर टर्मिनल (शेष क्षमता)	4.2	जुलाई, 2000
11.	मुम्बई पत्तन में सब-मैरिन पाइप-लाइनों को बदलना	7.00	जून, 2000
12.	कांडला में चौथी तेल जेट्टी का निर्माण	2.00	दिसम्बर, 2000
	कुल	60.2	मिलियन टन

पूर्वोत्तर में जल/ताप विद्युत उत्पादन

6387. **श्री भीम दाहाल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर में कार्य कर रहे विद्युत स्टेशनों की ताप और जल विद्युत क्षमता में वृद्धि का वर्षवार व राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन राज्यों में कुछ विद्युत स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों का उद्देश्य ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन और उपलब्धता में सुधार लाना और क्षमता लाभ प्राप्त करने के लिए जल विद्युत केन्द्रों का उन्नयन करना है। गत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचालनाधीन विद्यमान ताप विद्युत और जल विद्युत केन्द्रों की क्षमता अभिवृद्धि में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। तथापि, क्षमता लाभ प्राप्त करने के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण हेतु निम्नलिखित पांच विद्यमान ताप/जल विद्युत केन्द्रों को अभिज्ञात किया गया है :–

क्रम सं०	विद्युत केन्द्र	अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा० में)	प्रकार	राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र	जिस राज्य में अवस्थित है
1	2	3	4	5	6
1.	लकवा	120	ताप विद्युत	राज्य क्षेत्र	असम
2.	नामरूप	133.5	ताप विद्युत	राज्य क्षेत्र	असम
3.	चन्द्रपुर	60	ताप विद्युत	राज्य क्षेत्र	असम
4.	किरदमकुलई	60	ताप विद्युत	राज्य क्षेत्र	मेघालय
5.	लोकतक	105	ताप विद्युत	केन्द्रीय क्षेत्र	मणिपुर

डाकघर

6388. **डा० गिरिजा व्यास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1999-2000 के अंत तक देश में राज्यवार कितने गांवों में डाकघर नहीं हैं; और

(ख) उक्त गांवों में डाकघर कब तक खोल दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ?

(ख) उक्त गांवों में डाकघर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक चरणबद्ध रूप में खोले जाने की संभावना है बशर्ते कि प्रस्ताव नए डाकघर खोलने के लिए विनिर्धारित मानदंडों के अनुरूप हों। इसके अलावा यह धनराशि उपलब्ध रहने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी पर भी निर्भर करेगा।

विवरण

बिना डाकघर वाले गांवों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्रम सं०	सर्किल	बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12274
2.	असम	22638
3.	बिहार	66494
4.	दिल्ली	75
5.	गुजरात	5556
6.	हरियाणा	4441
7.	हिमाचल प्रदेश	14351
8.	जम्मू एवं कश्मीर	4958
9.	कर्नाटक	19704
10.	केरल	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	61286
12.	महाराष्ट्र	29075
	गोआ	156

1	2	3
13.	उत्तर-पूर्व	
	अरुणाचल प्रदेश	3375
	मणिपुर	1398
	मेघालय	5038
	मिजोरम	312
	नागालैण्ड	896
	त्रिपुरा	4057
14.	उड़ीसा	39455
15.	पंजाब	9056
16.	राजस्थान	28308
17.	तमिलनाडु	7226
18.	उत्तर प्रदेश	94658
19.	पश्चिम बंगाल	33559
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	118
	सिक्किम	234
	जोड़	468698

बिना डाकघर वाले गांवों की कुल संख्या = 468698

शेरों की संख्या

6389. **श्री पी०एस० गढ़वी :**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री दिलीप संघाणी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में शेर पाए जाते हैं और शेरों, बांघों और विभिन्न प्रजातियों के वन विडालों की तुलनात्मक संख्या अभयारण्य-वार कितनी है;

(ख) क्या कुछ शेरों को विदेशों से लाया गया है और कुछ शेर गुजरात से मध्य प्रदेश स्थानांतरित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 89 गिर शेरों और उनके बच्चों को मार डाला गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार अभयारण्य-वार शेरों के संरक्षण पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) एशियाई शेर केवल गुजरात राज्य के गिर वनों में ही पाया जाता है जहां इसकी संख्या 1995 के दौरान की गई पिछली गणना के समय 304 थी। बाघ और तेंदुए की संख्या के आंकड़े संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गिर राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य गुजरात सरकार की एक प्रतिष्ठित परियोजना है और उन्होंने इसके लिए काफी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा निम्नलिखित बजट प्रावधान किए गए हैं

मुख्य शीर्ष	1997-98 बजट	व्यय	1998-99 बजट	व्यय	1999-2000 बजट	11/99 तक व्यय
2406-एफ और डब्ल्यू एल गैर योजना	434.10	434.15	524.66	484.29	538.96	127.73
2406-एफ और डब्ल्यू एल गैर योजना	106.61	109.91	67.04	63.73	81.71	37.52

"राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरे नीचे दिया गया है :–

वर्ष		लाख रुपए
1996-97	–	21.00
1997-98	–	5.05
1998-99	–	5.00

शेरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :–

1. मृदा और आर्द्रता संरक्षण कार्यों, घास आरक्षित क्षेत्रों में सुधार अवांछनीय बढ़ोत्तरी के उन्मूलन आदि जैसे कार्यों को क्रियान्वित करके क्षेत्र की जैव उत्पादकता संभावना को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं।

2. अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए परिसर दीवार के साथ-साथ सभी संवदेनशील स्थानों पर चैक पोस्ट स्थापित किए गए हैं।

3. फील्ड स्टाफ को गश्त के लिए हथियार, गोला-बारूद तथा वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

4. बेहतर संचार व्यवस्था तथा प्रतिक्रिया के लिए वायरलैस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

5. सुरक्षित क्षेत्रों पर जैवीय दबाव कम करने के लिए गांवों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु राजस्व गांवों, वनों में बसे गांवों तथा मालधारी अन्तरीपों में पारि-विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

6. जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रकृति संबंधी शिक्षा और जागरूकता हेतु कैम्प लगाए जा रहे हैं।

7. जंगली शाक भक्षी पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए पशु टीकाकरण कैम्प आयोजित किए गए हैं।

8. वास-स्थलों में आग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए "फायर लाइन्स" तैयार की गई हैं।

9. गिर के आस-पास सिंहों की अधिक संख्या वाले वास-स्थलों में सुधार किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सिंहों की संख्या जो 1990 में 284 थी, 1995 में बढ़कर 304 हो गई।

विवरण-I

राज्यों द्वारा सूचित किए अनुसार देश में बाघों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1997
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु	33	65	97	95	97	62
2.	महाराष्ट्र	160	174	301	417	276	257
3.	पश्चिम बंगाल	73	296	352	353	335	361
4.	कर्नाटक	102	156	202	257	305	350
5.	बिहार	85	110	138	157	137	103
6.	असम	147	300	376	376	325	458
7.	राजस्थान	74	79	96	99	64	58
8.	मध्य प्रदेश	457	529	786	985	912	927
9.	उत्तर प्रदेश	262	487	698	735	465	475
10.	आन्ध्र प्रदेश	35	148	164	235	197	171
11.	मिजोरम	—	65	33	18	28	12
12.	गुजरात	8	7	9	9	5	1
13.	गोवा, दमन और दीव	—	—	—	2	3	6
14.	उड़ीसा	142	173	202	243	226	194
	कुल योग	1578	2589	3454	3981	3375	3435
15.	केरल	60	134	89	45	57	एन०आर०
16.	मेघालय	32	35	125	34	53	एन०आर०
17.	मणिपुर	1	10	6	31	—	एन०आर०
18.	त्रिपुरा	7	6	5	—	—	एन०आर०
19.	नागालैण्ड	80	102	104	104	83	एन०आर०

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	अरुणाचल प्रदेश	69	139	219	135	180	एन०आर०
21.	सिक्किम	—	—	2	4	2	एन०आर०
22.	हरियाणा	—	—	1	—	—	एन०आर०
	कुल योग	249	426	551	353	375	एन०आर०

एन०आर० : राज्यों द्वारा सूचित नहीं किया गया।

विवरण-II

राज्यों द्वारा सूचित किए अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	1984	1989	1993	1997
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	301	152	138
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	121	98	एन०आर०
3.	असम	123	123	246	एन०आर०
4.	बिहार	113	134	203	एन०आर०
5.	गुजरात	498	702	772	832
6.	हरियाणा	10	19	25	एन०आर०
7.	हिमाचल प्रदेश	199	199	821	एन०आर०
8.	जम्मू और कश्मीर	4	4	—	एन०आर०
9.	कर्नाटक	238	283	455	एन०आर०
10.	केरल	—	27	16	एन०आर०
11.	मध्य प्रदेश	1322	2036	1700	1851
12.	मणिपुर	7	—	—	एन०आर०
13.	महाराष्ट्र	380	580	417	431
14.	मिजोरम	6	38	49	28
15.	नागालैण्ड	72	72	—	एन०आर०
16.	उड़ीसा	266	279	378	422
17.	राजस्थान	270	461	475	474
18.	सिक्किम	—	1	—	एन०आर०
19.	त्रिपुरा	27	37	18	एन०आर०
20.	तमिलनाडु	189	119	139	110
21.	उत्तर प्रदेश	880	1095	711	1412
22.	पश्चिम बंगाल	112	108	108	एन०आर०
23.	दादर और नागर हवेली	—	10	15	16
24.	गोवा, दमन एवं दीव	10	18	31	25
	कुल योग	4747	6767	8828	5738

बंगलौर में फर्मों का पंजीकरण

6390. **श्री कोलुर बसवनागौड़ : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर में नये उद्यमियों को कम्पनी नाम उपलब्ध कराते हुए कोई तत्काल योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलौर में कम्पनी पंजीकरण हेतु एक वाह्य नकदी काउंटर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन

6391. **श्री बी० वेंकटेस्वरलु :**
डा० मन्दा जगन्नाथ :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन हेतु कुल कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(ख) रसोई गैस कनेक्शनों हेतु सभी लम्बित आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या लगभग 8.87 लाख थी।

(ख) नए एल०पी०जी० कनेक्शन एल०पी०जी० उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लेक तथा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर पूरे देश में चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार ने 1.12.1999 तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत सारी प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान लगभग 1 करोड़ एल०पी०जी० कनेक्शन जारी करने की योजना बनाई है।

कर्नाटक के विभिन्न कार्य परियोजनाओं के लंबित प्राक्कलन

6392. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए विभिन्न कार्य परियोजना प्रस्तावों के प्राक्कलन केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक कार्य परियोजना प्रस्ताव की अनुमानित लागत क्या है और इन कार्य परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जिन राष्ट्रीय राजमार्गों से भारत सरकार मुख्य रूप से संबंधित है, उनका कोई प्राक्कलन लंबित नहीं है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ सभी राजनीतिक दलों की बैठक

6393. श्रीमती कांति सिंह : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने ग्यारह सूत्री कार्यसूची पर चर्चा करने के लिए 29 अप्रैल, 2000 को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या चुनाव आयोग द्वारा पहले भी सरकार को समय-समय पर चुनाव सुधार संबंधी अनेक प्रस्ताव भेजे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रस्तावों को स्वीकार किया गया और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रांची, बिहार में रसोई गैस की आवश्यकता

6394. श्री राम टहल चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार के रांची जिले हेतु रसोई गैस की मासिक आवश्यकता कितनी है और इस संबंध में आपूर्ति की क्या स्थिति है;

(ख) सरकार ने जिले में रसोई गैस की पूरी आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या जिले के रसोई गैस की आपूर्ति में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आगामी कुछ वर्षों में जिले में अधिक रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) फिलहाल रांची सहित बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास सूचीबद्ध एल०पी०जी० ग्राहकों की मांग तकरीबन पूर्णतया पूरी की जा रही है।

(ग) से (ङ) रांची जिले में मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रचालन के क्षेत्र के तहत एल०पी०जी० की आपूर्ति कर रहे हैं। बिहार के रांची जिले में दो स्थान 1996-98 की एल०पी०जी० विपणन योजना में सम्मिलित कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

टी०डी०एम० कार्यालय

6395. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में डाल्टनगंज स्थित दूरसंचार मंडल कार्यालय को टी०डी०एम० कार्यालय में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) मौजूदा मानदंडों के अनुसार, किसी दूरसंचार जिला द्वारा 11550 चालू कनेक्शनों का कार्यभार हो जाने पर उसका दर्जा दूरसंचार जिला प्रबंधक (टी०डी०एम०) के स्तर तक बढ़ाने पर विचार किया जाता है। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार डाल्टनगंज के चालू कनेक्शन 8958 हैं। डाल्टनगंज में 11550 चालू कनेक्शनों का अपेक्षित कार्यभार होने पर उसके लिए टी०डी०एम० स्तर का दर्जा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

व्यर्थ जल परिशोधन पर सेमिनार

6396. श्री के० येरननायडू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मार्च, 2000 के दौरान हैदराबाद में व्यर्थ जल परिशोधन विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो व्यर्थ जल के प्रबंधन और उसके विनियमन पक्षों पर व्यक्त विचारों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन विचारों को क्रियान्वित करने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) अपशिष्ट जल प्रबंधन और विनियमक पहलुओं पर व्यक्त विचारों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

- सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्रों के स्थान पर संयुक्त अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए सम्मलित प्रयास किए जाने चाहिए, इससे औद्योगिक अपशिष्ट जल में मलजल के परिवर्धन से समग्र शोधन क्षमता में सुधार होगा।
- अपेक्षित निपटान मानकों को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन सुविधा टर्मिनल का निर्माण करने/सुदृढ़ बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। नगर पालिकाओं और उद्योगों के बीच ऐसी सुविधाओं की पूंजीगत लागत और उपचार लागत बराबर-बराबर आधार पर बांटी जानी चाहिए।
- उद्योग/टर्मिनल उपचार चरण पर शोधित अपशिष्ट जल के पुन: प्रयोज्य और उसे पुन: उपयोग में लाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिएं।
- संयंत्र नियंत्रण और उत्पादन की स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जिनसे अपशिष्ट न्यूनतम होता है, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए/हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- अपशिष्ट जल में ठोस पदार्थों के समग्र घुलन का सान्द्रण एक गम्भीर समस्या है और इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
- विनियमक एजेंसियों को ग्राही पर्यावरण पर शोधित बाहिस्राव के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधानात्मक अध्ययन आरम्भ करने चाहिए।

(ग) सेमिनार का उद्देश्य आपसी विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान और सहभागियों में संयुक्त अपशिष्ट जल शोधन के संबंध में अधिक जागरूकता पैदा करना था जोकि अन्त में कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होगी।

हरियाणा में ताप विद्युत संयंत्र

6397. श्री रतन लाल कटारिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास हरियाणा में कई ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण किए जाने संबंधी कतिपय प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में वर्तमान में कार्य कर रहे विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के पास हरियाणा में ताप विद्युत संयंत्र निर्माण स्वीकृति का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) पानीपत ताप विद्युत केन्द्र की मौजूदा क्षमता को चरण-4 के अंतर्गत 210 मे०वा० की अतिरिक्त क्षमता संस्थापित कर 650 मे०वा० से बढ़ाकर 860 मे०वा० किया जा रहा है। इस इकाई को दिसम्बर, 2000 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा है। हरियाणा पावर जेनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के फरीदाबाद तथा पानीपत ताप विद्युत केन्द्र भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चरण-2 के अंतर्गत आता है। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पानीपत ताप विद्युत केन्द्र की मौजूदा संस्थापित क्षमता को 4x110 मे०वा० से बढ़ाकर 32 मे०वा० की वृद्धि करते हुए प्रत्येक यूनिट की क्षमता को 110 मे०वा० से 118 मे०वा० करने का प्रस्ताव है। यूनिट-2 के सफलतापूर्वक चालू होने पर अन्य इकाइयों पर भी काम शुरू किया जाएगा।

प्रमुख पत्तनों के साथ सड़क नेटवर्क

6398. श्री दिलीप संघाणी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख पत्तनों के साथ सड़क नेटवर्क बनाने के लिए पूर्व में कुछ कार्य योजनाएं तैयार की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके व्यवहार्यता-अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और हल्दिया, उड़ीसा में पारादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तमिलनाडु में चेन्नै, इन्नौर और टूटीकोरिन, केरल में कोचीन, कर्नाटक में नव मंगलूर, गोवा में मुरगांव, महाराष्ट्र में मुम्बई और जवाहरलाल नेहरू और गुजरात में कांडला महापत्तनों के लिए सड़क संपर्क बनाने की योजना बनाई है। विकास हेतु अभिज्ञात सड़क संपर्कों में राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड तथा राज्यीय सड़कें भी शामिल हैं। इस दिशा में प्रथम प्रयास के रूप में, पत्तनों को जोड़ने वाले संपूर्ण सड़क नेटवर्क का अध्ययन करके उपयुक्त सड़क संपर्कों के लिए व्यव्हार्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी तैयार करने का प्रस्ताव है।

(ग) महाराष्ट्र में मुम्बई और जवाहरलाल नेहरू पत्तन, पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता और हल्दिया, कर्नाटक में नव मंगलूर पत्तन, तमिलनाडु में टूटीकोरिन पत्तन के मामले में व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी हेतु परामर्श कार्य सौंपा जा चुका है। केरल में कोचीन और उड़ीसा में पारादीप पत्तन के लिए परामर्श कार्य शीघ्र सौंपा जाना है। आगे की कार्य-सूची व्यवहार्यता अध्ययन के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

6399. श्री विजय गोयल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर जैसे उन्नत देशों की विद्युत उत्पादन प्रणाली/प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उनकी विद्युत उत्पादन और वितरण प्रणाली को अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) यद्यपि सरकार ने विभिन्न विकसित देशों में विद्युत उत्पादन प्रणाली/प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया है, लेकिन सरकार को इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियों, प्रौद्योगिकियों की जानकारी है।

विद्युत उत्पादन के परम्परागत तरीके में विश्व के लगभग सभी देशों के पास विद्युत उत्पादन के तीन स्रोत नामशः ताप विद्युत, जल विद्युत तथा न्यूक्लीय है। उन्होंने अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों यथा पवन, सौर तथा वायोगैस आदि का भी दोहन किया है।

विद्युत उत्पादन के उपरोक्त उल्लिखित सभी चारों प्रकार भारत में भी उपलब्ध है। मार्च, 2000 तक अधिष्ठापित क्षमता 97836.88 मे०वा० था जिसमें 70186.16 मे०वा० ताप विद्युत, 23,816.09 मे०वा० जल विद्युत, 2680 मे०वा० न्यूक्लीय तथा 1154.71 मे०वा० पवन विद्युत शामिल है।

गत दशक के दौरान विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। सरकार ने भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 में संशोधन करके इन उपायों की शुरूआत की है जिसके तहत विद्युत क्षेत्र को विद्युत उत्पादन में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके बाद जैसे पद्धतियों को सरल व कारगर बना कर तथा विद्युत क्षेत्र में निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की भागेदारी की सीमा बढ़ा करके उपायों की एक श्रृंखला आरंभ की गई है। सरकार ने 1998 में जल विद्युत नीति तथा नवम्बर, 1998 में एक संशोधित मेगा विद्युत नीति की भी घोषणा की है और इसके अतिरिक्त विद्युत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998 को लागू किया है ताकि पारेषण क्षेत्र पर जोर प्रदान किया जा सके। पारेषण में भी निजी क्षेत्र की भागेदारी को संभव बना दिया गया है। सुधार और पुनर्संरचना आज कल सरकार का वरीयता वाला क्षेत्र रहा है जिसके तहत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की 1998 में स्थापना की गई थी। 14 अन्य राज्यों ने अलग-अलग अपने-अपने विनियामक आयोगों की स्थापना कर ली है। सरकार के नवीनतम नीतिगत पहल दिसम्बर, 2001 के अन्त तक समस्त प्रक्रिया को समाप्त करना तथा समयबद्ध तरीके से 100% मीटरिंग करना है। सरकार प्रतिस्पर्धात्मक बोली की उस पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किये जाने को प्रोत्साहित करती रही है जिससे अधिकतम विकसित और दक्ष विद्युत उत्पादन तथा पारेषण प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा सकता है और विद्युत को आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

कलकत्ता पत्तन का निगमीकरण

6400. डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन के निगमीकरण में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या हल्दिया डॉक सिस्टम को कलकत्ता पत्तन के सीमा क्षेत्र से बाहर करने तथा इसका गठन एक पृथक निगम निकाय के रूप में करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) इस समय कलकत्ता पत्तन का निगमीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने सिद्धांत रूप में

मौजूदा पत्तनों का चरणबद्ध रूप से निगमीकरण करने का निर्णय लिया है और शुरूआत जवाहर लाल नेहरू और हल्दिया पत्तनों से की जाएगी।

मौजूदा सड़क कोष संबंधी संकल्प को वापस लेना

6401. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौजूदा सड़क कोष को शासित करने वाले 1998 के संकल्प को वापस लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु पेट्रोल और "हाई स्पीड डीजल" पर सांविधिक उपकर लगाने हेतु कोई विधेयक लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त विधेयक कब तक पेश किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) मौजूदा केन्द्रीय सड़क कोष को शासित करने से संबंधित 1977 और 1988 के संकल्पों को वापिस लेने और राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों और ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) पर सांविधिक उपकर की वसूली के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय सड़क कोष विधेयक प्रारंम्भिक स्तर पर है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि एच०एस०डी० पर 1.00 रु० प्रति लीटर उपकर की 50% राशि ग्रामीण सड़कों के विकास पर व्यय की जाएगी। एच०एस०डी० पर उपकर से प्राप्त 15% राशि और पेट्रोल पर उपकर से प्राप्त 30% राशि राज्यीय सड़कों के विकास हेतु उपयोग में लाई जाएगी। शेष राशि, अर्थात् एच०एस०डी० पर उपकर से प्राप्त 30% राशि और पेट्रोल पर उपकर से प्राप्त 70% राशि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रेल-ओवर-ब्रिजेज और कर्मी-रहित फाटकों पर सुरक्षा कार्यों के निर्माण हेतु उपयोग में लाई जाएगी।

भारतीय नौवहन कंपनियों हेतु विशेष सुविधा

6402. डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्यत: भारतीय नौवहन कंपनियों और विशेषकर भारतीय नौवहन निगम की सुविधा हेतु विशेष रणनीति अपनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल०एन०पी० परिवहन कार्य, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं, में भारतीय नौवहन कंपनियों को शामिल करने हेतु मानदंडों की छूट में एल०एन०जी० परिवहन में अनुभव पर बल नहीं दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सुरक्षा के अच्छे रिकार्ड रखने वाली बड़े पोत चलाने वाली भारतीय कंपनियां भी एल०एन०जी० के परिवहन अनुबंध हेतु योग्य होंगी;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में किन मानदंडों को अंतिम रूप दिया गया है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार नौवहन उद्योग, जिसमें भारतीय नौवहन निगम भी शामिल है, के लिए राष्ट्रीय नौवहन नीति तैयार करने हेतु पहले ही कदम उठा चुकी है जिसमें निम्नलिखित राजकोषीय और वित्तीय प्रस्ताव शामिल किए गए हैं :—

(i) नौवहन उद्योग को निर्यात उद्योग का दर्जा देना

(ii) आयकर अधिनियम की धारा 33 ए०सी० को पुन: स्थापित करना

(iii) मूल्य ह्रास को 20% से बढ़ाकर 40% करना

(iv) भारतीय नाविकों को कर राहत और

(v) तटीय नौवहन को अवसरंचना उद्योग घोषित करना।

ऊपर (ii) पर उल्लिखित प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय पहले ही सहमत है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने भा०नौ०नि० को फरवरी, 2000 में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान कर दिया है। जिससे उसे और अधिक वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी।

(ग) से (च) पेट्रोनेट एल०एन०जी० लि० ने एल०एन०जी० के परिवहन के लिए पोतस्वामी और प्रचालकों की पूर्व-अर्हता हेतु विश्व स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए थे। तथापि, कोई भी भारतीय नौवहन कंपनी उसमें निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने की स्थिति में नहीं थी। सरकार ने अब एल०एन०जी० के परिवहन में भारतीय नौवहन कंपनियों की भागीदारी सरल करने के लिए कदम उठाए हैं। वास्तव में सरकार ने दभोल पावर कंपनी हेतु एल०एन०जी० के परिवहन के लिए भारतीय नौवहन निगम को मितसुई ओ०एस०के०, जापान और एनरॉन से संबद्ध कंपनी "एलांटिक कामर्शियल फाइनेंस कंपनी" के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए हाल ही में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसके अतिरिक्त, एक एल०एन०जी० परिवहन नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और यह नीति भारतीय ध्वज जलयानों द्वारा एल०एन०जी० के परिवहन की पक्षधर है।

तटीय विनियमन जोन से प्रभावित भूमि

6403. श्री आर०एल० भाटिया :
श्री अब्दुल हमीद :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय विनियमन जोन के प्रतिबन्धों से कुछ भू-क्षेत्र प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंजाब और असम राज्यों में इस जोन के अंतर्गत कितने प्रतिशत भूमि है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) तटीय विनियिमन क्षेत्र (सी०आर०जैड०) अधिसूचना 1991 में समुद्र के तटीय क्षेत्र, खाड़ी मुहाना क्रीक नदियों और पश्य जल, जो हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक (समुद्र से भूमि की तरफ) और लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच की भूमि जो उच्च ज्वार से प्रभावित होती है, को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अधिनियम में तटीय विनियमन क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना और उनका विस्तार करना, प्रचालन और प्रक्रिया तथा विकासात्मक कार्यों को करने के लिए विनियमन/प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं।

(ग) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना पंजाब और असम राज्यों पर लागू नहीं होती है क्योंकि इन दोनों राज्यों में कोई समुद्र तटीय क्षेत्र नहीं है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु बोलियां आमंत्रित किया जाना

6404. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने चार गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु नई बोलियां आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं हेतु पहले भी दो बार बोलियां आमंत्रित की गई थी;

(घ) यदि हां, उस समय बोलियों पर कोई निर्णय न लेने के क्या कारण हैं;

(ङ) उस वक्त और कब बोलियां प्रस्तुत करने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं; और

(च) इन विद्युत परियोजनाओं के संबंध में बोलियों को अंतिम रूप से निपटाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) शीघ्र ही अन्ता-II, औरैया-II, कवास-II और गंधार-II संयुक्त चक्र विद्युत परियोजनाओं के संबंध में प्रमुख संयंत्र पैकेज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक आधार पर नई बोलियों को आमंत्रित कर रहा है।

(ग) एन०टी०पी०सी० को पहले मार्च, 1999 में अन्ता-II और औरैया-II के लिए बोलियां प्राप्त हुई थीं। तथापि, केवल एक ही बोली प्राप्त हुई और वह भी बोली खोले जाने की निविदा-अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। इसीलिए, इस बोली को बिना खोले ही बोलीकर्ता को वापस भेज दिया गया। अन्ता-II और औरैया-II की खराब प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, कवास-II और गंधार-II के लिए बोली खोले जाने को बढ़ा दिया गया। तदुपरांत, बोली दस्तावेजों में संशोधन करने के पश्चात् अन्ता-II, औरैया-II, कवास-II और गांधार-II के लिए एन०टी०पी०सी० द्वारा जून, 1999 में बोलियां प्राप्त की गईं।

(घ) से (च) कवास-II और गंधार-II के लिए प्रमुख संयंत्र पैकेजों के संबंध में आई०बी०बी० के लिए बोलीकर्ताओं नामश: मैसर्स भेल और मैसर्स एशिया ब्राउन बोवेरी (ए०बी०बी०) से दो बोलियां प्राप्त हुई, जबकि अन्ता-II और औरैया-II हेतु प्रमुख संयंत्र पैकेज के लिए मैसर्स भेल से केवल एक बोली प्राप्त हुई।

इन परियोजनाओं की राष्ट्रीय महत्ता को देखते हुए तथा समय को बर्बाद होने से बचाने के लिए मंत्रालय द्वारा एन०टी०पी०सी० को लोकहित में सलाह दी गई कि वह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से ली गई कानूनी सलाह के आधार पर बोलीकर्ताओं के साथ वार्ता करके बोलियों को अंतिम रूप दे। तथापि, एन०टी०पी०सी० ने विभिन्न विशिष्टताओं और अपेक्षाओं के संबंध में कुछ प्रमुख भिन्नताओं को ध्यान में रखकर दोनों बोलियों को गैर-प्रतिक्रियाशील माना और बोली शर्तों की समीक्षा करने तथा बेहतर प्रतिस्पर्द्धा और प्रतिक्रिया के लिए बोलीकर्ताओं को पर्याप्त समय प्रदान करने के पश्चात् दुबारा बोली करने का निर्णय लिया है।

विशेष वितरण कोष

6405. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा देश के विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए वित्त प्रदान करने हेतु विशेष वितरण कोष स्थापित करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा किन कारकों के रहते इस कोष को स्थापित करना पड़ा; और

(ग) इस कोष के प्रस्तावित उपभोग के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए योजना आयोग द्वारा त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए०पी० डी०पी०) हेतु विशेष निधि बनाने संबंधी एक स्कीम चालू की गई है। स्कीम में विद्युत उत्पादन स्टेशनों (ताप और जल दोनों) के जीवन विस्तार/उन्नयन/नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उप पारेषण एवं वितरण

प्रणाली को सशक्त बनाये जाने से संबंधित कार्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है। स्कीम को वार्षिक योजना 2000-01 से प्रचालनात्मक बनाया जायेगा और इसमें 1 अप्रैल, 2000 के बाद आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं को शामिल किया जायेगा। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत (डिमांड सं० 30) वर्ष 2000-01 के लिए 1,000 करोड़ रु० की धनराशि आबंटित की गई।

स्कीम के क्रियान्वयन अनुदान एवं ऋण के सम्मिश्रण के जरिये स्कीम के वित्त पोषण हेतु रूपात्मकताओं को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य यूटीलिटियों को व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार करनी पड़ेगी। योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति परियोजना के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करेगी।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा बिटूमन का उत्पादन

6406. **श्री थावरचन्द्र गेहलोत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिटूमन का उत्पादन कर रही सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और उनकी कम्पनीवार वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें उपभोक्ता केन्द्रों के माध्यम से बिटूमन की आपूर्ति की जाती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल कंपनियां, अर्थात्, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी० पी०सी०एल०), कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड (सी०आर०एल०), चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (सी०पी०सी०एल०) तथा मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एम०आर०पी०एल०) देश में बिटूमेन का निर्माण कर रही हैं। वर्ष, 1999-2000 (अनन्तिम) के दौरान इसका कंपनी वार उत्पादन निम्नवत् है :–

पेट्रोलियम कंपनियों के नाम	आंकड़े टी०एम०टी० में
आई०ओ०सी०एल०	1369
एच०पी०सी०एल०	334
बी०पी०सी०एल०	274
सी०आर०एल०	66
सी०पी०सी०एल०	306
एम०आर०पी०एल०	137
योग :	2487

(ख) बिटूमेन की आपूर्ति उपभोक्ता केन्द्रों के माध्यम से नहीं की जा जाती है।

[अनुवाद]

उपग्रह-टेलीफोन सुविधा

6407. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में उपग्रह-टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर उड़ीसा में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। विभाग ने प्रत्येक तूफान ग्रस्त दूरसंचार सर्किल को प्रभावित क्षेत्रों में प्रयोग के लिए 5 अदद उपग्रह आधारित परिवहनीय इमरजेंसी टर्मिनल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) डिजिटल सेटलाइट नेटवर्क के माध्यम से 9 तटवर्ती जिलों से भुवनेश्वर को 2 एम०बी०पी०एस० सम्पर्कता प्रदान करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष उड़ीसा के तटवर्ती जिलों के लिए 10 अदद उपग्रह आधारित टेलीफोन प्रदान किये जाएंगे।

[हिन्दी]

टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

6408. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1999-2000 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धि प्राप्त की गई;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के दोनों क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त नेटवर्क में कितने नए टेलीफोन कनेक्शनों को पृथक से जोड़े जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1999-2000 के दौरान 45.5 लाख नए टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 49.18 लाख रही,

जिसमें 12.03 लाख टेलीफोन कनैक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए थे।

(ग) और (घ) मार्च 2002 तक देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसमें सरकार के प्रयासों में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाएगा। सरकार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य में वृद्धि की गई है तथा 185 लाख के मूल प्रस्ताव को बढ़ाकर 222.7 लाख कर दिया गया है।

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में 57.9 लाख नए टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। इनमें से लगभग 15 लाख लाइनें ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने की संभावना हैं।

[अनुवाद]

संपत्ति पर पंजीकरण शुल्क की समान दर

6409. डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में संपत्ति पर पंजीकरण शुल्क की समान दर निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं। राज्य सरकारें, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 के अनुसार, फीस नियत करने के लिए सशक्त हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय बचत पत्र का भुगतान न किया जाना

6410. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अप्रैल, 2000 के "दैनिक जागरण" में "राष्ट्रीय बचत पत्र का भुगतान न करने पर डाक विभाग दोषी: फोरम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उपभोक्ता शिकायत निवारण संघ ने डाक अधिकारियों को ग्राहकों को वांछित सेवा न प्रदान करने का दोषी पाया है और ब्याज सहित भुगतान करने के अलावा डाक विभाग पर दंड शुल्क लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा डाक विभाग को ग्राहकों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) श्री सत्यनारायण (संयुक्त हिन्दू परिवार) द्वारा दिनांक 26.3.93 को अशोक विहार प्रधान डाकघर, नई दिल्ली से 5000/- रु० मूल्य का एक छह वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्र (आठवां निर्गम) क्रम सं० 04 डीडी 72221 तथा 1000-1000/-रु० मूल्य के दो बचत-पत्र सं० 758381 एवं 758382 खरीदे गए थे। छह वर्ष की परिपक्वता अवधि के बाद जब खरीददार ने उक्त राष्ट्रीय बचत-पत्रों को भुनाने के लिए पोस्टमास्टर, अशोक विहार प्रधान डाकघर से संपर्क किया, तो यह ध्यान में आया कि बचत-पत्रों में खरीददार के नाम के आगे लिखा हुआ "एच०यू०एफ०" शब्द कटा हुआ था। धारक को परिपक्वता मूल्य का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि वे राष्ट्रीय बचत-पत्र महानिदेशक, डाक-तार के पत्र सं० 3-26/98-एसबी दिनांक 28.4.79 के साथ पढ़े जाने वाले राष्ट्रीय बचत-पत्र (नियमावली), 1989 के नियम-4 का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए थे जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय बचत-पत्र (आठवां निर्गम) संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के नाम पर तब तक जारी नहीं किए जा सकते हैं, जब तक बचत-पत्रों की खरीद के आवेदन पर किसी अन्य व्यस्क सदस्य अथवा सह-समांशी का नाम शामिल किया जाता। इन नियमों में, नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए बचत-पत्रों पर ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय बचत-पत्रों के खरीदार ने खरीद के आवेदन पर एक वचन दिया था कि वह राष्ट्रीय बचत-पत्र पर (आठवां निर्गम) नियमावली, 1989 का पालन करने के लिए सहमत है। अत: पोस्टमास्टर, अशोक विहार प्रधान डाकघर द्वारा खरीददार को सूचित किया गया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी हुए ऐसे बचत-पत्रों के ब्याज सहित पूर्ण परिपक्वता मूल्य का भुगतान केवल वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(ग) जी, हां। शिकायतकर्ता द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम् शालीमार बाग के समक्ष दिनांक 5.7.99 को प्रस्तुत किए आवेदन पर जिला फोरम ने दिनांक 9.2.2000 के अपने निर्णय में विभाग को उक्त तीनों बचत-पत्रों के परिपक्वता मूल्य 14105/- रु० तथा साथ ही परिपक्वता की तारीख अर्थात् 27.3.99 से इसके भुगतान तक ब्याज और 500/- रु० प्रतिपूर्ति के बतौर अदा करने का आदेश दिया। विभाग ने 3.4.2000 को राज्य आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे 6.4.2000 को खारिज कर दिया गया।

(घ) विभाग ने उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें नई प्रौद्योगिकी के साथ सेवाओं का आधुनिकीकरण, बेहतर प्रबंध नियंत्रण तथा सेवाओं की मॉनीटरिंग, उपभोक्ताओं को आसानी से जानकारी सुलभ कराना आदि शामिल हैं।

अपर्याप्त डाक और तार सुविधाएं

6411. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में डाक और तार सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में डाक और तार नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उड़ीसा में ऐसी ग्राम पंचायतों/विकास खंडों का ब्यौरा क्या है जहां अभी तक उक्त सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। उड़ीसा में एक डाकघर द्वारा औसतन 3818 व्यक्तियों तथा 19.14 वर्ग कि० मी० क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाती है जबकि इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत 5477 व्यक्ति एवं 21.32 वर्ग कि० मी० है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में डाक नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य निम्नानुसार हैं :–

योजना वर्ष	लक्ष्य	लक्ष्य	
	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उपडाकघर	पंचायत संचार सेवा केन्द्र
1997-98	27	2	शून्य
1998-99	10	2	20
1999-2000	14	2	30

शेष दो वर्षों के लिए लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) उड़ीसा की सभी ग्राम पंचायतों/खंड विकास क्षेत्रों को डाकघरों/पंचायत संचार सेवा केन्द्रों अथवा निकटवर्ती डाकघरों द्वारा डाक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 5254 ग्राम पंचायतों में से, 5076 ग्राम पंचायतों में डाकघर तथा 85 में पंचायत संचार सेवा केन्द्र हैं। इस प्रकार, केवल 93 ग्राम पंचयातें ही ऐसी रह जाती हैं जहां डाकघर अथवा पंचायत संचार सेवा केन्द्र नहीं हैं।

(घ) डाकघर विनिर्धारित मानदंडों के अनुसार औचित्यपूर्ण पाए जाने पर खोले जाते हैं। नए डाकघर खोलना धनराशि की उपलब्धता जैसे संसाधनों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पदों की मंजूरी पर निर्भर करता है।

दूरसंचार विभाग

(क) जी, नहीं। उड़ीसा में पर्याप्त तार सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य में 30 तारघर तथा 3555 संयुक्त डाक-तार घर कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) उड़ीसा में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तार-घर खोलने के लिए कोई विनिर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। 1699 ग्राम पंचायतों तथा 7 खंड विकास क्षेत्र ऐसे हैं जहां तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। विभाग की नीति के अनुसार, मार्च 2002 तक प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। डाकघरों में लगाए गए सार्वजनिक टेलीफोनों का उपयोग फोनोकॉम पर तार सुविधा मुहैया कराने के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में सेलुलर टेलीफोन सेवा

6412. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्णिया, बेगूसराय और सहरसा जिलों में सेलुलर टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) प्रारंभ में प्रौद्योगिक परियोजना के रूप में कुछेक चुनिंदा शहरों में सेल्यूलर सेवाएं शुरू कर रहा है। इस परियोजना के तहत शामिल किए जाने के लिए बिहार राज्य के प्रस्तावित शहरों के नाम नीचे दिए गए हैं। उक्त परियोजना अक्तूबर – नवम्बर, 2000 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

1. पटना
2. बिहारशरीफ
3. हाजीपुर
4. आरा
5. राजगीर
6. बाढ़

देश के अन्य भागों में सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदान करने के मामले पर भी विभाग में कार्रवाई चल रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं से अपने को अलग करना

6413. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने गैस पर आधारित चार विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश में आधुनिक प्रसारण प्रणाली की स्थापना के लिए परियोजना शुरू कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। अंता-2, औरैया-2, कवास-2 तथा गांधार-2 आदि मुख्य संयंत्र पैकेजों के लिए एनटीपीसी द्वारा पहले जून, 1999 में बोलियां प्राप्त की गई थीं। चूंकि बोलीकर्ता अर्हक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे और बोली दस्तावेजों की मुख्य अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे, इससे बोलियां, अनुत्तरदायी हो गई थीं और एनटीपीसी बोर्ड ने पुन: बोली का निर्णय लिया। इन चार गैर विद्युत परियोजनाओं के मुख्य संयंत्र पैकेजों के लिए एनटीपीसी द्वारा हाल ही में आईसीबी आधार पर नये सिरे से बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय, देश में विद्युत प्रणालियां क्षेत्रीय आधार पर प्रचालित की जाती हैं, इसमें उत्तर, पश्चिम, दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं। 2011-12 अर्थात् 11वीं योजना की अंतिम अवधि और नवीनतम इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण में अनुमानित भार को कवर करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) द्वारा तैयार नवीनतम उत्पादन विस्तार योजना के आधार पर उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी रहेगी। यदि उत्तरी क्षेत्र में भार की आपूर्ति पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में अखिल भारतीय स्तर पर वृद्धि की जाती है तो इससे कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसी स्थिति में 11वीं योजना में पूर्वी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र को यथेष्ट विद्युत पारेषण का अनुमान है। 10वीं योजनावधि में देश में क्षेत्रीय समूहों में तथा 11वीं योजना के अंत तक समान नेशनल ग्रिड के रूप में पावर प्रणाली प्रचालन की योजना है। इस प्रस्ताव के अनुरूप बड़े पैमाने पर अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण का अनुमान लगाया गया है। अखिल भारतीय विद्युत प्रणाली समन्वयन तथा आज और 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में अर्थात् 2011-12 के बीच की विद्युत प्रणाली आयोजना अध्ययनों को आगे बढ़ाया गया है। संभावित 5 रूप-रेखाओं में, 400 के०वी०, 765 के०वी० तथा एच०वी०डी०सी० तथा तीन पारेषण वोल्टेज विकल्पों पर समग्र रूप से विचार किया गया है। अभिनिर्धारित पारेषण नेटवर्क प्रमुख उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत निकासी तथा अंतर-क्षेत्रीय अंतरण के लिए अपेक्षित नेटवर्क को कवर करता है। 5 संभावित पारेषण रूप-रेखाओं में से उत्तम संभावना को ध्यान में रखा जाएगा, जिसके लिए के०वि०प्रा० तथा विद्युत यूटिलिटीज के बीच विचार-विमर्श प्रगति पर है।

देश में पारेषण प्रणालियों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें शामिल हैं, लाइनों की श्रंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति, फलैक्सिबल अल्टरनेटिव करंट पारेषण प्रणाली, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पारेषण प्रणाली तथा और अधिक वोल्टेज नामश: 756 के०वी० एसी का शुभारम्भ।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन

6414. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में रसोई गैस के कितनी कनेक्शन जारी किए गए और इनमें वर्षवार कितनी वृद्धि हुई;

(ख) इस समय मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में कितने रसोई गैस काम कर रहे हैं; और

(ग) 2000-2001 के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र हेतु रसोई गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की विपणन योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगावार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में जारी एलपीजी कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :–

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	एलपीजी कनेक्शनों की संख्या
1997-98	2.22
1998-99	1.80
1999-2000	3.99

(ख) 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार राज्य में प्रचालनरत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की कुल संख्या 379 थी।

(ग) मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए दो स्थानों तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एक स्थान को 1996-98 की विपणन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

हैदराबाद में टेलीफोन-एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

6415. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1999 में हैदराबाद शहर में उन टेलीफोन-एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है, जिसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है; और

(ख) उक्त शहर में शेष टेलीफोन-एक्सचेंजों का कब तक आधुनिकीकरण कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जनवरी, 1999 तक हैदराबाद शहर के 59 टेलीफोन-एक्सचेंजों में से 57 को आधुनिकीकृत किया जा चुका है।

(ख) शेष दो टेलीफोन-एक्सचेंजों को सितम्बर '99 और दिसम्बर '99 में आधुनिकीकृत कर दिया गया था।

[हिन्दी]

आई०टी०आई०, मनकापुर

6416. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई०टी०आई०, मनकापुर आय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय आई०टी०आई०, मनकापुर में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) इस समय आई०टी०आई० में कर्मचारियों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार गोंडा जनपद के लड़कों का आई०टी०आई०, मनकापुर में कोई रोजगार सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ निम्नवत् है :–

वर्ष	लाभ (करोड़ रुपयों में)
1996-97	55.78
1997-98	84.94
1998-99	83.08

(ख) अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 2355 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) उपरोक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ब्लू रिबन रिफार्म्स अडवाइजरी पैनल

6417. श्री सुबोध मोहिते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन की भूमिका फिर से बनाने के मामले में ब्लू रिबन रिफार्म्स अडवाइजरी पैनल की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) महासचिव, अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन (आई०टी०यू०) ने एक रिफार्म एडवाईजरी पैनल (आर०ए०पी०) की स्थापना की है। तथापि, इस पैनल की विशिष्ट सिफारिशें अभी प्राप्त होनी बाकी हैं।

[हिन्दी]

नवीनगर सुपर ताप विद्युत केन्द्र

6418. श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना का प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना पर अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) लम्बित चल रही परियोजना में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 10वीं और 11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिहार में नवीनगर ताप विद्युत परियोजना को नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा विकास किए जाने हेतु एक शक्यता वाली परियोजना समझा गया है। एनटीपीसी को परियोजना की व्यवहार्यता तथा इससे उत्पादित की जाने वाली विद्युत की विपण्यता के प्रारंभिक कार्य आरंभ करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्पों पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री

6419. डा० वी० सरोजा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पम्पों पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगावार) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप, तेल विपणन कंपनियां विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों का विक्रय करने के लिए राजमार्गों पर कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों समेत चुनिंदा बिक्री केन्द्रों पर सुविधा भंडार स्थापित कर रहीं हैं। यह मूल्य संवर्धन तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर ग्राहक सेवा की दिशा में एक कदम है।

[हिन्दी]

आई०आर०सी०सी० पर सड़क निर्माण के लिए प्रतिबंध लगाना

6420. श्री रामदास आठवले : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सड़क निर्माण निगम (आई०आर० सी०सी०) पर सड़क निर्माण के ठेके लेने के संबंध में प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई०आर०सी०सी० ने दिल्ली में तेज गति वाली ट्राम परियोजना के क्रियान्वयन, दिल्ली में डी०टी०सी० की भूमि और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की भूमि का वाणिज्यिक दृष्टि से विकास जैसी विभिन्न लाभदायक योजनाएं प्रस्तुत की हैं जो मंजूरी हेतु लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जी हां, भारतीय सड़क निर्माण निगम के घटिया कार्य-निष्पादन के कारण लीबिया में उसे लगे आघात के पश्चात् और समय पर भुगतान प्राप्त न होने की वजह से उन्हें कोई नया ठेका न लेने का निदेश दिया गया था।

(ग) और (घ) भा०स०नि०नि० ने कुछ स्कीमें प्रस्तुत की थीं परन्तु उन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। सरकार ने 1.2.2000 को भारतीय सड़क निर्माण निगम को बंद करने का निर्णय ले लिया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

6421. **श्री आर०एल० जालप्पा :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के खराब हिस्सों के सुधार हेतु कर्नाटक सरकार ने कितनी राशि की मांग की है;

(ख) सरकार कितनी राशि जारी करने पर सहमत हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा, मांगी गई समस्त राशि जारी किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डी० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) 1999-2000 के दौरान कर्नाटक राज्य द्वारा मांगी गई तथा उसे आबंटित राशि इस प्रकार है :–

(लाख रु०)

	मांग	आबंटन
राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य	4500.00	4600.08*
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1224.00	1224.00
रख-रखाव व मरम्मत	3900.46	3921.04
विशेष मरम्मत कार्यक्रम	4800.00	4524.00

*बकाया देनदारियों के लिए 100.08 लाख रु० सहित।

(ग) धनराशि की उपलब्धता और विभिन्न स्कीमों/कार्यों की प्रगति के आधार पर राशि आबंटित की जाती है।

[हिन्दी]

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

6422. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों के दूर-दराज के गांवों में विद्युतीकरण संबंधी कार्य के पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) ग्रमीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अन्तर्गत ऋण सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर दिये जाते हैं। आरईपी द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों को दिये जाने वाले एमएनपी समूह के ऋणों के लिए ब्याज दर 12.5% प्रतिवर्ष है और ऋण को चुकाने की अवधि 20 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष का विलम्बनकाल भी शामिल है।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्राथमिकता का निर्धारण राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के पास उपलब्ध वित्तीय उपलब्धता के मद्देनजर तथा राज्य सरकारों की नीति एवं निदेशों से किया जाता है। विद्युतीकरण के लिए बचे शेष गांव दुर्गम स्थलों में स्थित हैं। राज्य विद्युत बोर्ड इन गांवों के विद्युतीकरण को काफी खर्चीला मानती है। इसके अलावा किफायती संसाधनों के अभाव में भी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को प्रभावित किया है। दूरस्थ गांवों में विद्युतीकरण की धीमी प्रगति कुछ अन्य कारण हैं – अपर्याप्त उप-वितरण प्रणाली सुविधा, कुछ राज्यों में व्याप्त अशांति, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बकाया राशि का भुगतान नहीं होना जिससे नकद प्रवाह रुक सा गया है। उपभोक्ताओं द्वारा उनके पिछड़ेपन एवं दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण बिजली की मांग में अभाव है।

[अनुवाद]

विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग

6423. **श्री एम०के० सुब्बा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना, आठवीं योजना के अंत तक और आज की तिथि के अनुसार देश में विद्युत का प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग कितना है; और

(ख) सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) सातवीं योजना (1989-90) और आठवीं योजना (1996-97) के अंत में देश में वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत क्रमश: 237.95 कि०वा०घं० और 334.26 कि०वा०घं० थी। उपलब्ध अद्यतन के दौरान आंकड़े 1997-98 के हैं जो 349.05 कि०वा०घं० है।

(ख) योजना अवधि के दौरान क्षमता अभिवृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं न कि प्रति व्यक्ति खपत के लिए क्षमता अभिवृद्धि हेतु लक्ष्य निम्नवत हैं :–

	क्षमता अभिवृद्धि हेतु लक्ष्य (मे०वा०)
सातवीं योजना	22,245 मे०वा०
आठवीं योजना	30,538 मे०वा०
नौवीं योजना	40,245 मे०वा०*

* योजना आयोग द्वारा की गई मध्यवर्ती समीक्षा में अनुमान लगाया गया है कि नौवीं योजना के दौरान 28,097 मे० वा० की क्षमता अभिवृद्धि व्यवहार्य होगी।

[हिन्दी]

भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड को बंद करना

6424. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री रामदास आठवले :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड को रूग्ण सरकारी क्षेत्र का उद्यम घोषित किए बिना बंद करने का क्या कारण है;

(ख) क्या भारतीय सड़क निर्माण लिमिटेड में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, ग्रुप महाप्रबंधक और महाप्रबंधकों के उच्च स्तर के पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सभी पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) घटिया कार्य-निष्पादन।

(ख) जी, हां।

(ग) घटिया कार्य-निष्पादन और अपर्याप्त कार्यभार।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। सरकार ने दि० 1.2.2000 को आई०आर० सी०सी० लि० को बंद करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त समुद्री पत्तनों की स्थापना

6425. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई अतिरिक्त समुद्री पत्तन की स्थापना नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में पत्तन सुविधाओं के अभाव के कारण पानी के जहाजों का प्रतीक्षा समय एक सप्ताह से दो सप्ताह तक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में समुद्री पत्तनों का निर्माण करने हेतु अरेबियन समुद्र का विस्तार गुजरात से लेकर राजस्थान के बाड़मेर में भाखासर भवात्रा और जालौर जिलों तक करने का है; और

(च) यदि हां, तो कितनी धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव है और इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपेक्षित पत्तन सुविधाएं मौजूदा महापत्तन न्यासों की क्षमताओं में विस्तार करके उपलब्ध कराई गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में विद्युत की मांग

6426. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री शीश राम सिंह रवि :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की स्थिति आने वाले महीनों में होने वाले विद्युत संकट का आभास दिलाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राजधानी में बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) वर्तमान ग्रीष्मकालीन सत्र के मई-अगस्त, 2000 माह के दौरान

दिल्ली में 2% से 10% तक ऊर्जा अभाव और 9% से 16% तक का व्यस्ततमकालीन ऊर्जा अभाव होने की संभावना है। दिल्ली में बिजली की इस कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

(i) पिछले कई वर्षों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षमता अधिवृद्धि नहीं की गई है।

(ii) दिल्ली विद्युत बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों से बिजली की अनिश्चित उपलब्धता।

(iii) दिल्ली विद्युत बोर्ड प्रणाली में पारेषण एवं वितरण संबंधी समस्याएं।

(iv) निम्न वोल्टेज।

(v) उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां।

(vi) उत्तरी क्षेत्र ग्रिड में निम्न फ्रिक्वेन्सी।

(ङ) वर्ष 2000 के ग्रीष्मकाल में दिल्ली में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना में विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से बिजली की उपलब्धता में सुधार, केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों के अनाबंटित कोटा से आबंटन को 9% (81 मे०वा०) से बढ़ाकर 25% (225 मे०वा०) करना, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का रख-रखाव एवं अनुरक्षण, वोल्टेज में सुधार के लिए केपेसिटरों की अधिष्ठापना और अन्य राज्यों से दिल्ली को सहायता शामिल हैं।

वन विस्तार योजना

6427. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री अरुण कुमार :

क्या **पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वनों के वाणिज्यिक उपयोग से होने वाली आमदनी से कोई वन भूमि विस्तार योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मामला मुख्यत: राज्य सरकार से संबद्ध है, तथापि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एन०एफ०ए०पी०) तैयार किया है। यह राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना, 1988 के अनुसार अगले बीस वर्षों में वानिकी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं के मुद्दे पर विचार के लिए एक व्यापक कार्यनीति दीर्घकालीन योजना बनाई है। राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना का उद्देश्य देश के एक तिहाई क्षेत्र पर वृक्ष लगाना और वनों के सतत् विकास के लिए वन नाशन को रोकना है।

ताज महल के निकट कोयला आधारित उद्योगों को गैस की आपूर्ति

6428. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने ताज महल को प्रदूषण से बचाने के लिए आस-पास के क्षेत्रों में कोयला आधारित उद्योगों को गैस की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ताज महल के आस-पास कितने प्रतिशत उद्योगों को गैस की आपूर्ति की जा रही है; और

(घ) शेष उद्योगों को कब तक गैस की आपूर्ति किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश दिया था कि वह ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र (टी०टी०जैड०) में कोयला आधारित उद्योगों सहित सभी प्रदूषक इकाइयों को गैस आबंटन/स्थान परिवर्तन के लिए आवेदन करने हेतु नोटिस जारी करे।

(ग) और (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने टी० टी० जैड० में ऐसे उद्योगों को गैस की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की है। आगरा और फिरोजाबाद में 381 इकाइयों की कुल पंजीकृत मांग के मुकाबले गेल 82 इकाइयां समाहित करके उनके लगभग 22 प्रतिशत को गैस की आपूर्ति कर रही है। बाकी इकाइयों को गैस आपूर्ति उनके पात्रता मानदंड को पूरा करने और गैस की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

गुजरात में विद्युत की आवश्यकता

6429. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में विद्युत उत्पादन के संबंध में विदेशी कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंजी मेहता) : (क) और (ख) जहां तक ऐसे निजी विद्युत परियोजनाओं का सवाल है, जिसके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकि-आर्थिक स्वीकृति की जरूरत है, के०वि०प्रा० के पास गुजरात में विद्युत उत्पादन के लिए किसी भी विदेशी कम्पनी से ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। हालांकि गुजरात में के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदत्त निम्नलिखित निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं में विदेशी इक्विटी भी शामिल है :–

(i) मैसर्स एसर पावर लिमिटेड की हजीरा सीसीजीटी (515 मे०वा०) (मैसर्स प्राइम हजीरा लिमिटेड लगभग 49% का विदेशी इक्विटी रखा गया है)।

(ii) पागुथान सीसीजीटी (654.7 मे०वा०) (पावरजेन इंडिया लिमिटेड, यू०के०, गुजरात पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं मैसर्स सिमन्स, जर्मनी द्वारा प्रवर्तित)।

(iii) जामनगर परियोजना (500 मे०वा०) (हालांकि इस परियोजना में विदेशी इक्विटी की भागीदारी का विचार है पर विदेशी इक्विटी का नाम अभिज्ञात नहीं हुआ है)।

उपर्युक्त परियोजनाओं के अलावा सरकार द्वारा नवम्बर, 1998 में घोषित बृहत् विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में पिपावाव (2000 मे०वा०) में एक बृहत् विद्युत परियोजना विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए विकासकर्ताओं के चयन हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिपावाव बृहत् परियोजना विकसित करने में निम्नलिखित विदेशी कम्पनियों ने अभिरुचि दिखाई है :–

क्रम सं०	विदेशी कंपनी का नाम	देश	जिन बृहत् विद्युत परियोजनाओं के लिए अभिरुचि दिखाई गई है।
1.	इलैक्ट्रिक डि फ्रांस (ई०डी०एफ०)	फ्रांस	पिपावाव
2.	एनरॉन इंटरनेशनल	यू०एस०एस०	पिपावाव
3.	नेशनल पावर	यू०के०	पिपावाव
4.	ए०बी०बी० ईनर्जी वेंचर	स्वीडन	पिपावाव
5.	इंटरगेन	यू०के०	पिपावाव
6.	शेल	हालैंड	पिपावाव
7.	ब्रिटिश गैस	यू०के०	पिपावाव
8.	बायेरनवेर्क ए०जी०	जर्मनी	पिपावाव
9.	टी०एन०बी०	मलेशिया	पिपावाव
10.	सी०एल०पी० इंटरनेशनल	चीन	पिपावाव
11.	सी०ई०पी०ए०, एशिया	हांगकांग	पिपावाव

पिपावाव बृहत् विद्युत परियोजना के संबंध में 18.4.2000 को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग में इसके क्रियान्वयन एवं बोली प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु एक याचिका दी गई है।

केरल में टेलीफोन-कनेक्शन

6430. श्री वी० एस० शिवकुमार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में केरल में जिलेवार कितने टेलीफोन-कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) इस समय इस राज्य में टेलीफोन-कनेक्शन के जिलेवार कितने लोग प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में स्थानवार कितने टेलीफोन-कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य की प्रतीक्षा-सूची को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, केरल दूरसंचार सर्किल में कार्य कर रहे टेलीफोन-कनेक्शनों की संख्या तथा टेलीफोन-कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान सर्किल में दिए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन-कनेक्शनों की गौण स्विचन क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान 4,50,000 नए टेलीफोन-कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है। शेष आवेदकों को मार्च, 2000 तक क्रमिक रूप से टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है तथा एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

विवरण-I

31.3.2000 को स्थिति के अनुसार केरल दूरसंचार-सर्किल

क्रम सं०	जिले का नाम	कार्य कर रहे टेलीफोन-कनेक्शनों की संख्या	प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	अल्लेप्पी	100122	52183
2.	कालीकट	131640	69511
3.	कन्नानोर	113519	55301
4.	एर्नाकुलम	275203	37797
5.	इडुक्की	45632	22838
6.	कासरागोड	50648	30491
7.	कोट्टायाम	141698	36616
8.	मालापुरम्	90186	83388
9.	पालघाट	85666	43662
10.	पथटनमथिट्टा	102388	31024

1	2	3	4
11.	क्विलोन	127798	60529
12.	त्रिचूर	193166	56999
13.	त्रिवेंद्रम	214029	42849
14.	वाइनाड	20170	22073
केरल राज्य का जोड़		1691865	645261
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र		5541	1803
माहे (पांडिचेरी) संघ राज्य क्षेत्र		7733	101
केरल सर्किल का जोड़		1705139	647165

विवरण-II

क्रम सं०	गौण स्विचन-क्षेत्र का नाम	वर्ष 2000-01 के दौरान दिए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन-कनेक्शनों की संख्या
1.	अल्लेप्पी	3000
2.	कालीकट	80000
3.	कन्नानोर	45000
4.	एर्नाकुलम्	75000
5.	कोट्टायम्	30000
6.	पालघाट	20000
7.	पटनमथिट्टा	25000
8.	क्विलोन	40000
9.	त्रिचूर	50000
10.	त्रिवेंद्रम	55000
	केरल-सर्किल का जोड़	450000

कम्पनी सचिव की नियुक्ति

6431. श्री ए० पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में कम्पनी रजिस्ट्रार के पास 50 लाख रुपये और इससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली कितनी कम्पनियां पंजीकृत हैं;

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1967 की धारा 383 "क" के अनुसार पूर्णकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383 "क" का अनुपालन न करने वाली चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी कम्पनियों के लिए पूर्णकालिक सचिव से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य बनाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक नया प्रावधान शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) 50 लाख रुपए और इससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली कम्पनियों की संख्या लगभग 30902 है।

(ख) और (ग) कम्पनियों में कम्पनी सचिव की नियुक्ति संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है। फिर भी, धारा 383क के गैर-अनुपालन के लिए दायर किए गए अभियोजनों की संख्या वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में क्रमश: 13, 10 और 18 है।

(घ) से (छ) राज्य सभा में 14 अगस्त, 1997 को पुर:स्थापित किए गए कम्पनी विधेयक, 1997 और लोक सभा में 23 दिसम्बर, 1999 को पुर:स्थापित किए गए कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को एक पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है तथा 10 लाख रुपए या इससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कम्पनी अधिनियम के सभी उपबंधों का पालन किए या न किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र किसी पूर्णकालिक सचिव से लेकर कम्पनी रजिस्ट्रार को दायर करेगी। अधिनियम की धारा 383क के उपबंध के गैर-अनुपालन के लिए जुर्माने की राशि को प्रतिदिन 500 रुपए तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश में डाकघर

6432. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जिला-वार कितने डाकघर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में नए डाकघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय हिमाचल प्रदेश में 2767 डाकघर कार्य कर रहे हैं। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान नए डाकघर खोलने के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों की जिलावार संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या
1.	बिलासपुर	144
2.	चम्बा	222
3.	हमीरपुर	223
4.	कांगड़ा	652
5.	किन्नौर	72
6.	कुल्लू	154
7.	लाहौल एवं स्पीति	46
8.	मंडी	366
9.	शिमला	349
10.	सिरमौर	173
11.	सोलन	183
12.	ऊना	183
	कुल :	2767

आंध्र प्रदेश में सड़क और सड़क सुरक्षा

6433. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक आंध्र प्रदेश में सड़क सुधार और सड़क सुरक्षा हेतु गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कोई उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या निकट भविष्य में भी ऐसी बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों के साथ बेहतर संपर्क बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश में सड़क सुधार और सड़क सुरक्षा के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ कोई उच्च स्तरीय बैठक नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की विपणन नीति

6434. श्री नवल किशोर राय :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त करके पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक खुली तथा स्पर्द्धात्मक बाजार बनाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को युक्तिसंगत मूल्य पर ऐसे गुणवत्ता वाले उत्पादों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार ने एक चरणबद्ध तरीके से प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने तथा मार्च, 2002 तक पेट्रोलियम क्षेत्र को पूर्णतया नियंत्रण मुक्त करने के विषय में नवंबर, 1997 में निर्णय लिया था।

(ग) उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर गुणवत्ता उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कार्रवाईयां की गई हैं :–

(1) तेल शोधन क्षेत्र लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। रिफाइनरियों की आयात समता मूल्यनिर्धारण के आधार पर क्षतिपूर्ति की जा रही है।

(2) विगत तीन वर्षों में पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क युक्तिसंगत कर दिए गए हैं।

(3) परिवहन ईंधनों (मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल) की गुणवत्ता का उन्नयन किया गया है।

[अनुवाद]

अपर्दित भूमि पर वनारोपण

6435. श्री शिवजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान वन रोपण के लिए और साथ ही बंजर एवं अपर्दित भूमि के विकास के लिए जमीन देने की

दिशा में राज्यों को मनाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार प्रत्येक राज्य को कितनी सफलता मिली; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा अभी तक कितनी बंजर भूमि अपर्दित भूमि वनारोपण हेतु ली गई है और वन कटाई को रोकने के लिए राज्यवार क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपवर्तन से संबंधित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति गुणावगुण के आधार पर की जाती है परन्तु इसके साथ प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त अनिवार्य रूप से रखी जाती है जिसके जिए राज्यों को उतनी ही गैर वन भूमि उपलब्ध करानी पड़ती है। अपवर्तित की जा रही वन भूमि से दुगनी अवक्रमित वन भूमि पर वनीकरण् पर विचार, अपवाद स्वरूप परियोजनाओं के कतिपय वर्गों में ही किया जाता है। 1999-2000 की अवधि के दौरान 46,765 है० गैर-वन/अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया और वन (संरक्षण) अधिनियम. 1980 के प्रारम्भ से प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत लाया गया कुल क्षेत्र 3,65,962 है० है। इससे संबंधित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिशा-निर्देशों में उचित रक्षोपाय का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वननाशन कम से कम हो। विकास परियोजनाओं को वानिकी संबंधी मंजूरी ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद तथा पारिस्थितिकीय व पर्यावरणीय पहलुओं पर उचित रूप से ध्यान देते हुए दी जाती है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ होने के बाद से किये गए प्रतिपूरक वनीकरण को दर्शने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1999 के दौरान 31.3.2000 तक गैर-वन भूमि/ अवक्रमित वन भूमि पर किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (हैक्टेयर)	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रारम्भ से गैर-वन/ अवक्रमित वन भूमि पर किया गया कुल प्रतिपूरक वनीकरण (हैक्टेयर)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	111	12424
2.	अरूणाचल प्रदेश	108	923
3.	असम	0	578
4.	बिहार	0	68
5.	गोवा	463	556
6.	गुजरात	8793	38054
7.	हरियाणा	289	1367
8.	हिमाचल प्रदेश	286	4612
9.	जम्मू और कश्मीर	0	288
10.	कर्नाटक	5587	26140
11.	केरल	12717	35473
12.	मध्य प्रदेश	9260	121260
13.	महाराष्ट्र	4184	65205
14.	मणिपुर	0	0
15.	मेघालय	0	523
16.	मिजोरम	0	2516
17.	उड़ीसा	504	16843
18.	पंजाब	1867	2094
19.	राजस्थान	836	7763
20.	सिक्किम	58	1517
21.	तमिलनाडु	0	1137
22.	त्रिपुरा	0	1024
23.	उत्तर प्रदेश	0	20751
24.	पश्चिम बंगाल	1564	2400
25.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	138	2184
26.	दादर और नगर हवेली	0	262
	कुल :	46,765	3,65,962

असम में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन

6436. श्री अब्दुल हमीद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओ०एन०जी०सी० तथा ओ०आई०एल० के माध्यम से असम में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राकृतिक गैस उत्पादन की वर्तमान मात्रा असम के लोगों और विभिन्न उद्योगों की प्रतिबद्धता को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो असम में प्राकृतिक गैस की मांग तथा आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कमी को कम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क), (ख) और (ङ) असम में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

- जल अंत:क्षेपण के इनफिल ड्रिलिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन और लिफ्ट प्रक्रम की/के संस्थापना/इष्टतमीकरण के माध्यम से कारगर रिजर्वायर प्रबंधन;
- बेहतर रिजर्वायर रूपरेखन के लिए त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण और विद्यमान उत्पादक क्षेत्रों के भीतर अपेक्षाकृत गहरे पूर्वेक्षण स्थलों का पता लगाना;
- नई खोजों का तीव्रतर विकास;
- बालू नियंत्रण और जल बंदी कार्य;
- और अधिक कच्चे तेल और गैस के भंडार के संचय के लिए तेजी से अन्वेषण;
- क्षेत्रपरक समस्याओं के लिए परामर्शकों की नियुक्ति;
- बेसिन माडलिंग के लिए आधुनिकतम भूवैज्ञानिक अध्ययन;
- ऊपरी असम में असम्बद्ध गैस भंडारों का विकास।

(ग) और (घ) असम में मौजूदा उपभोक्ताओं की गैस की वर्तमान मांग 3.514 मिलियन मानक घनमीटर प्रतिदिन (एम०एम०एस०सी० एम०डी०) है और लाकवा में गैस अथारिटी आफ इंडिया के एल०पी०जी० निकासी संयंत्र के मामले के अतिरिक्त इसकी पूर्ति पूर्णत: की जा रही है।

विदेशों में कार्य के लिए अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की तैनातियां

6437. श्री सुरेश पासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ/इससे संबद्ध संगठनों और अन्य संगठनों के अंतर्गत विदेशों में कार्य के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की तैनाती के बारे में किन्हीं सार्वजनिक प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) 1 जनवरी, 1996 तक विभिन्न श्रेणी में उक्त कार्य के लिए उनके मंत्रालय और संबद्ध संगठनों से संयुक्त राष्ट्र संघ, इससे संबद्ध संगठनों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को तैनात किया गया व ऐसे पदों पर कुल तैनातियों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की तैनातियों का प्रतिशत क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति के आधार पर उक्त पदों पर भर्ती किए गए लोगों की संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा कुल भरे गए पदों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरे गये पदों की वर्षवार राज्यवार प्रतिशतता क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक-सामान्य श्रेणी से संबंधित।

(घ) शून्य।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/ पी०सी०ओ० बूथ

6438. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री शिवाजी माने :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जिलावार विशेषकर औरंगाबाद में कितने एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ स्थापित किए गए; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में और वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त जिले में स्थानवार कितने बूथ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में 34885 एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/ पी०सी०ओ० बूथ स्थापित किए गए जैसा कि निम्नलिखित में दर्शाया गया है :–

वर्ष	स्थापित किए गए पी०सी०ओ० की संख्या
1997-98	8510
1998-99	13170
1999-2000	13205

वर्ष 1997-98 हेतु जिला-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1998-99 तथा 1999-2000 की जिलावार सूचना, जिसमें औरंगाबाद भी शामिल है, संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ख) संशोधित आबंटन नीति के अधीन, एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ सभी पात्र आवेदकों को आबंटित किया जाता है बशर्ते की तकनीकी व्यवहार्यता हो। तथापि, मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में, वर्ष 2000-2001 के दौरान, औरंगाबाद दूरसंचार जिला हेतु 310 पीसीओ का लक्ष्य तय किया गया है। यह फ्रेंचाइजियों पर छोड़ दिया गया है कि वे पीसीओ संबंधी स्थान का चयन करें। लक्ष्य वर्षानुवर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	338	359
2.	अकोला	113	148
3.	अमरावती	268	70
4.	औरंगाबाद	339	197
5.	बीड़	122	65
6.	भंडारा	126	321
7.	बुलढ़ाना	40	190
8.	चंद्रपुर	146	252
9.	धुले	175	120
10.	गढचिरोली	0	0
11.	जलगांव	295	141
12.	जालना	88	13
13.	कल्याण	1256	1351
14.	कोल्हापुर	86	587
15.	लातुर	322	270
16.	नागपुर	696	394
17.	नांदेड़	155	217
18.	नुंदुरबार	0	0
19.	नासिक	325	657
20.	उसमानाबाद	121	51
21.	परभनी	117	278
22.	पुणे	2114	1835
23.	रायगढ़	717	307
24.	रत्नागिरी	175	277
25.	सांगली	865	154
26.	सतारा	296	3
27.	सिंधुदुर्ग	57	66
28.	सोलापुर	21	892
29.	वर्धा	121	141
30.	वासीम	0	0
31.	यवतमाल	106	34
32.	मुंबई	2506	2719
33.	थाणे	685	1032
34.	रायगड़	99	164
	कुल जोड़ :	13170	13205

[अनुवाद]

कच्चे तेल का उत्पादन और आयात

6439. **श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में निकाले गए प्रति मीट्रिक टन कच्चे तेल की औसत उत्पादन लागत तथा विभिन्न देशों से आयातित प्रति मीट्रिक टन कच्चे तेल की औसत उत्पादन लागत के ब्यौरे क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन, आयल इंडिया लिमिटेड तथा निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालित क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1996-97 से वर्ष 1998-99 तक की अवधि के दौरान कच्चे तेल उत्पादन लागत निम्नवत थी :–

वर्ष	उत्पादन लागत* (रुपए/एम०टी०)		
	ओ०एन०जी०सी०	ओ०आई०एल०	सं०उ०/निजी#
1996-97	1319	722.01	1027
1997-98	1568	862.99	953
1998-99	1626	896.95	827

* सांविधिक उद्ग्रहणों को छोड़कर।

प्रति डालर 43.5 रुपए की दर पर रूपान्तरित औसत लागत।

अन्य देशों में क्रूड की उत्पादन लागत अलग-अलग देश में अलग-अलग होती है। इस संबंध में सरकार के द्वारा किसी आंकड़े का रखरखाव नहीं किया जाता है।

पत्तनों में कर्मचारियों की संख्या

6440. श्री पी० डी० एलानगोवन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पत्तनों और न्यासों में कर्मचारियों की संख्या पत्तन कार्यों को संभालने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संवर्गवार और पत्तनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न पत्तनों/पत्तन न्यासों में अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की पत्तनवार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न पत्तनों में अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) इस समय विभिन्न महापत्तन न्यासों और डाक लेबर बोर्डों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। पत्तनवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों और अनु०जा०/अनु०ज०जा० के कर्मचारियों की पत्तनवार संख्या विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) महापत्तन न्यास और डाक लेबर बोर्ड अन्य पिछड़े वर्गों और अनु०जा०/अनु०ज०जा० के कर्मचारियों के लिए सरकारी अनुदेशों का पालन कर रहे हैं।

विवरण-I

दिनांक 31.12.99 की स्थिति के अनुसार महापत्तन न्यासों और डाक लेबर बोर्डों में जनशक्ति

पत्तन न्यास का नाम	श्रेणी-I अधिकारी	श्रेणी-II अधिकारी	श्रेणी-III (कार्गो हैंडल न करने वाले)	श्रेणी-IV (कार्गो हैंडल करने वाले)	श्रेणी-III (कार्गो हैंडल करने वाले)	श्रेणी-IV (कार्गो हैंडल करने वाले)	तटीय कामगार	जोड़
चेन्नई	401	278	5479	2406	1311	125	931	10252
मुम्बई	579	15	19046		5651			25291
विशाखापत्तनम	223	157	2542	2356	2476	1023	54	8831
कांडला	123	74	1412	1510	270	800		4189
कलकत्ता	870	325	6519	6392	910	1146	445	16607
कोचीन	161	134	2972	1223	551	345	153	5539
ज०ला०ने० पत्तन न्यास	192	55	487	106	964			1804
मुरगांव	148	90	1811	1612	416	445		4522
नव मंगलूर	80	130	936	387	319	385	262	2499
पारादीप	105	225	1530	1190	393		1031	4144
टूटीकोरिन	127	86	952	758	88	34		2046

डॉक लेबर बोर्ड का नाम	श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	श्रेणी-IV	कार्गो हैंडलिंग कामगार	जोड़
कलकत्ता	26	19	397	534	1749	2725
तत्कालीन मुम्बई डा० लेबर बोर्ड	18	2	1060		3797	4877
कांडला	2	4	63	34	930	1033
चेन्नई	30	15	346	102	1621	2114
विशाखापत्तनम	19	8	218	114	1724	2083
जोड़ :						98556

विवरण-II

दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापत्तन न्यासों में अ०पि०व०, अनु०जा० और अनु०जन०जा० के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	पत्तन न्यास का नाम	अ०पि०व	अनु०जा०	अनु०ज०जा०
1.	चेन्नई	761	2405	331
2.	मुम्बई	250	4892	1120
3.	विशाखापत्तनम	399	1546	389
4.	कांडला	163	590	271
5.	कलकत्ता	84	3133	499
6.	ज०ला०ने०प० न्यास	19	143	134
7.	मुरगांव	124	296	87
8.	नव मंगलूर	412	299	126
9.	पारादीप	17	414	136
10.	टूटीकोरिन	993	485	98
11.	कोचीन	276	712	202

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

6441. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षमता वृद्धि कार्यक्रम में लक्ष्य प्राप्ति की संभावना नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं; और

(ङ) योजना अवधि के अंतिम दो वर्षों के दौरान कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नौवीं योजना के लिए 40245.2 मे०वा० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सेक्टरवार/टाईप-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र	जल विद्युत	ताप विद्युत	न्यूक्लीयर	जोड़
केन्द्रीय	3455	7574	880	11909.0
राज्य	5815	4933	—	10748
निजी	550 .0	17038	—	17588
जोड़	9820 मे०वा०	29545	8804	40245

(ख) नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नुसार हैं :—

वर्ष	(मे०वा० में)
1997-98	3226
1998-99	4267
1999-2000	4507

(ग) और (घ) जुलाई, 1999 में किए गए मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार 40245 मे०वा० के मूल लक्ष्य के मुकाबले नौवीं योजना के दौरान 28027 मे०वा० क्षमता संवर्धन की संभावना है। कमी के निम्न कारण हैं :—

(i) एस्क्री की अनुपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र परियोजनाओं का विलम्बित वित्तीय समापन

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए निधियों की कमी

(iii) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब

(iv) निवेश निर्णय में विलम्ब

(v) पुनर्निपटान एवं पुनर्वास समस्याएं

(vi) कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं

(vii) संविदात्मक समस्याएं

(viii) जल विद्युत परियोजनाओं के सन्दर्भ में अंतर्राज्यीय विवाद।

(ङ) विद्युत मंत्रालय अधिकार प्राप्त समिति तथा मंत्रालय में गठित कृतक बल के जरिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निकट से मॉनीटरिंग कर रहा है। निजी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए अंत में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संकट समाधान दल का गठन किया गया है।

गायब हो चुकी कम्पनियां

6442. श्री प्रकाश जायसवाल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और कम्पनी कार्य विभाग को उन 80 कम्पनियों

की पहचान करने का निदेश दिया है जिसकी जनता से पैसा लेकर गायब हो जाने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) इन कम्पनियों में बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से किसी कम्पनी की पहचान की गई;

(ङ) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इन प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) सरकार द्वारा छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और कम्पनी कार्य विभाग को यह बताने का आदेश दिया था कि उन 80 कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जिनकी पहचान उन्होंने लुप्त कम्पनियों के रूप में कर ली है।

(ख) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा लुप्त कम्पनियों के रूप में पहचान की गई और रिट याचिका में मिडास टच इनवेस्टर्स एसोसिएशन द्वारा उल्लिखित 80 कम्पनियों के खिलाफ कम्पनी कार्य विभाग द्वारा इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सुनवाई की अगली तारीख दायर करने के लिए की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउन्सल को भेज दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च) उन 80 कम्पनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(छ) लोक सभा में 23.12.1999 को पुर:स्थापित कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 के खंड 122 में इस आशय का एक उपबन्ध लाया गया है कि :–

(क) पांच करोड़ रुपए या इससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली पब्लिक कम्पनी; और

(ख) एक हजार या इससे अधिक लघु शेयर धारकों वाली पब्लिक कम्पनी में ऐसे लघु शेयर धारकों द्वारा चुना गया कम से कम एक निदेशक होगा। इस प्रयोजन से "लघु शेयर धारक" से किसी पब्लिक कम्पनी में बीस हजार रुपए या इससे कम की नामिनल कीमत के शेयरों को धारण करने वाले शेयर धारक से अभिप्रेत हैं।

विवरण

सेबी द्वारा लुप्त हो रही कम्पनियों के रूप में पहचान की गई और 2000 की रिट याचिका संख्या 760 (एम०बी०) में मिडास टच इन्वेस्टर्स एसोसिएशन द्वारा उल्लिखित 80 कम्पनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

वड़ोदरा स्टाक एक्सचेंज

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	कम्पनी रजिस्ट्रार की अभ्युक्ति/टिप्पणी
1	2	3
1.	एडवांस बायो-कोल (इंडिया) लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियों के दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर (बी०/एस० एण्ड ए०/आर०)। धारा 209ए के अन्तर्गत कार्रवाई आरंभ।
2.	एफकोन सिक्यूरिटीज लि०	दिनांक 24.11.98 के समापन आदेशानुसार समापनाधीन।
3.	मालीफिन एंड कैपिटल लि०	बी०/एस० एण्ड ए०/आर० के दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209ए के अन्तर्गत् कार्रवाई आरम्भ।
4.	शुभम ग्रेनाईट्स लि०	बी०/एस० एण्ड ए०/आर० के दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209ए के अन्तर्गत् कार्रवाई आरम्भ।
5.	सूर्यादीप साल्ट रिफाइनरी एंड केमीकल्स वर्क्स लि०	बी०/एस० एण्ड ए०/आर० के दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209ए के अन्तर्गत् कार्रवाई आरम्भ।
6.	भावना स्टील कास्ट लि०	उपलब्ध नहीं। बी०/एस० एण्ड ए०/आर० के दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत दर्ज।

1	2	3
		लुधियाना स्टाक एक्सचेंज
7.	केयरवेल हाइजिंन प्रोडक्ट्स लि०	बी०/एस० एण्ड ए०/आर० के दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209ए के तहत कार्रवाई आरंभ।
8.	सीमा इंडस्ट्रीज लि०	बी०आई०एफ०आर० द्वारा इस कम्पनी को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया और समापन की सिफारिश की गई।
9.	सूकचेन सिमेंट लि०	फाइल स्थिति अद्यतन है। धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण किया जा रहा है।
		बम्बई स्टाक एक्सचेंज
10.	कल्डाइन एयर कोन लि०	वार्षिक विवरणी और तुलन पत्र फाइल न करने पर अभियोजन दायर।
11.	डीजीटल लीजिंग एंड फाइनेन्स लि०	वार्षिक विवरणी और तुलन पत्र फाइल न करने पर अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
12.	फीइनटेक कम्यूनिकेशन लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई।
13.	हितेश टेक्सटाइल्स मिल्स लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ।
14.	ईचल्गरणजी सोया लि०	कम्पनी से उत्तर प्राप्त। बी०/एस० एण्ड ए०/आर० के दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर।
15.	लिम्फा लैबोरेट्रीज लि०	समापनाधीन
16.	पशुपती केबल्स लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई आरंभ।
17.	रीयल टाइम फिनलीज लि०	-यथोपरि-
18.	स्पार्कल फूड्स लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर।
19.	वालकर इंडिया लि०	-यथोपरि-
20.	बिपुल सिक्योरिटीज लि०	-यथोपरि-
21.	गांजी सिक्योरिटीज लि०	-यथोपरि-
		कोयम्बतूर स्टाक एक्सचेंज
22.	ए वी आर सिक्योरिटीज लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई आरंभ।
23.	ग्लोबल ब्लूम्स इंडिया लि०	उपलब्ध नहीं। पुलिस शिकायत दर्ज। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के तहत कार्रवाई आरम्भ।
24.	नौवकराई स्पीनर्स लि०	-यथोपरि-
25.	पैपीलोन एक्सपोर्टस लि०	उपलब्ध नहीं। फाइल न किए जाने पर अभियोजन दायर।
26.	श्याम प्रिन्ट्स एंड पब्लीसर्स लि०	उपलब्ध नहीं। पुलिस शिकायत की गई। अभियोजन शुरु किया गया। धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण भी किया गया है।

1	2	3
		कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज
27.	अरोमा कोक लि०	दायर स्थिति अद्यतन है।
28.	एस्के टेलीकाम	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी के दायर न करने के लिए अभियोजन दायर।
		हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज
29.	अदित्य अल्कालोइड्स	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी के दायर न करने के लिए आयोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई की गई।
30.	एक्यूवा देव इंडिया लि०	-यथोपरि-
31.	कामाक्षी हाउसिंग फाइनेंस लि०	-यथोपरि-
32.	प्रीमीयर एक्यूवा फार्मस लि०	-यथोपरि-
		मद्रास स्टाक एक्सचेंज
33.	एमीगो एक्सपोर्ट्स लि०	उपलब्ध नहीं। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी के दायर न करने के लिए अभियोजन शुरु। पुलिस शिकायत भी की गई। धारा 209क के अन्तर्गत कार्यवाई की गई।
34.	यूनीकोन फार्मास्यूटीकल्स इंडिया लि०	समापन के अन्तर्गत।
		बंगलौर स्टाक एक्सचेंज
35.	रेडी फूड्स लि०	दिनांक 27.3.97 के कोर्ट आदेश के अनुसार कम्पनी को समापन में रखा गया और इसके पश्चात् समापन आदेश दिनांक 6.11.98 के कोर्ट आदेश के अनुसार दोबारा जारी। तदनुसार तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी के दायर न करने के लिए अभियोजन शुरु।
36.	विंन फारम एग्रो इन्डस्ट्रीज लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन शुरु।
37.	एक्मे स्पीनर्स लि०	दायर स्थिति अद्यतन है। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई की गई।
		दिल्ली स्टाक एक्सचेंज
38.	एल्प मोटर फाइनेंस लि०	दायर स्थिति अद्यतन है।
39.	चीराउ फाइनेंस इन्वेंस्टमेंट एंड लीजिंग लि०	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
40.	सिल्सन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी के फाइल न करने पर अभियोजन दायर।
41.	ग्रिब्स होटल्स लि०	फाइल स्थिति अद्यतन है।
42.	हलमार्क ड्रग्स एंड केमिकल्स लि०	दिल्ली से पंजाब को स्थानान्तरित। कम्पनी परिसंपत्तियां पंजाब स्टेट इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा अधिग्रहण की गई।

1	2	3
43.	आई०सी०पी० सिक्योरिटीज लि०	उपलब्ध नहीं। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई। पुलिस में शिकायत की गई।
44.	लक्ष्मया सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट होल्डिंग्स लि०	उपलब्ध नहीं। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत की गई। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
45.	पाटलीपुत्रा क्रेडिट एंड सिक्योरिटीज लि०	फाइलिंग स्थिति अद्यतन है।
46.	सिम्पलैक्स होल्डिंग्स लि०	-यथोपरि-
47.	स्टार इलैक्ट्रोनिक्स लि०	उपलब्ध नहीं। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत की गई। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
48.	स्टार एग्जीम लि०	उपलब्ध नहीं। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस में शिकायत की गई।
49.	टैक्टफुल इन्वेस्ट लि०	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
50.	वेलकम कोर इन्डस्ट्रीज लि०	-यथोपरि-
51.	गोवा फूड्स लि०	-यथोपरि-
52.	कल्याणी फाइनेंस लि०	उपलब्ध नहीं। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत शुरु की गई। पुलिस में शिकायत की गई।
53.	परीक्षा फिन - इन्वेस्ट-लीज लि०	फाइल स्थिति अद्यतन है।
54.	राजगढ़ इन्वेस्टमेंट लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु।
55.	स्टेटस एम जी एम सर्विसेज लि०	तुलना पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु।
56.	जेड इन्वेस्टमेंट्स लि०	उपलब्ध नहीं। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत की गई। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू।
57.	बिग स्टार फिल्म्स लि० पूर्व में मून होल्डिंग्स एंड क्रेडिट लि०	-यथोपरि-
	अहमदाबाद स्टाक एक्सचेंज	
58.	अंकुश फाइनस्टाक लि०	फाइल स्थिति अद्यतन। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई।
59.	एरो सिक्योरिटीज लि०	1998 तक फाइल की गई। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन चलाया गया। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई।

1	2	3
60.	चार्म्स सेरामिक्स लि०	फाइल स्थिति अद्यतन है। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई।
61.	प्रेन्ट लाइन फाइनेन्सियल सर्विसेज लि०	तुलन पत्र ओर वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
62.	इन्टरेक्टीभ फाइनेन्सियल सर्विसेज लि०	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर 12.7.99 को अभयोजन दायर। 1999 तक दस्तावेज फाइल। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
63.	नैसर्गिक एग्रीटेक (इंडिया) लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई।
64.	नीलकेम कैपीटल लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। 1999 तक दस्तावेज फाइल किए गए। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
65.	श्रीजी डाई-केम लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
66.	श्री सुरगोविन्द ट्रेडलिंक लि०	-यथोपरि-
67.	स्पील फाइनेंस लि०	-यथोपरि-
68.	ध्रुव माखन (इंडिया) लि०	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर 13.7.99 को अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई।
69.	इन्टेग्रेटिड एम्यूजमेंट लि०	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। 1998 तक फाइल किया गया और वार्षिक विवरणी 1999 के लिए फाइल की गई। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई।
70.	ग्रीस होटल्स रेसोर्टस एंड हेल्थ फार्म लि०	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
71.	ग्रोथ एग्रो इन्डस्ट्रीज लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर।
72.	हाई-टेक वाइंडिग सिस्टम्स लि०	-यथोपरि-
73.	ईसान इन्फ्रास्ट्रक्टर्स एंड शेल्टर्स लि०	फाइल स्थिति अद्यतन। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
74.	केसर ग्रीनफिल्ड इन्टरनेशनल लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
75.	कोम-आन कम्यूनिकेशन लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। 1999 तक फाइल किया गया। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
76.	ओरिएट ट्रेड लिंक लि०	फाइल स्थिति अद्यतन। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
77.	मोबाइल टेली-कम्युनिकेशन्स लि०	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। 1998 के लिए तुलन पत्र और 1999 के वार्षिक विवरणी फाइल की गई। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।

1	2	3
78.	श्री महालक्ष्मी एग्रीकल्चरल डवलपमेंट लि०	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजन दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।
79.	सिवम एप्रैल्स एक्सपोर्ट लि०	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर अभियोजना दायर। धारा 209क के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की गई।

लम्बे चक्रीय प्राकृतिक वन

6443. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मूलत: लम्बे चक्रीय प्राकृतिक वन देश के भौगोलिक वनों में से मात्र एक प्रतिशत ही बचे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में और अधिक हानि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण उपग्रह आंकड़ों की सहायता से देश के वनावरण का मूल्यांकन करता है। राज्य वन स्थिति रिपोर्ट, 1997 के अनुसार देश का वनावरण 19.27 प्रतिशत है, जिसमें से सघन, खुले और कच्छ वनस्पतियों वाले वनों का प्रतिशत क्रमश: 11.17 प्रतिशत, 7.95 प्रतिशत और 0.15 प्रतिशत है। देश में मूल रूप से दीर्घ चक्रीय प्राकृतिक वनों के विस्तार क्षेत्र के बारे में अलग से कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख) मंत्रालय ने संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे वन आवरण में हो रही कमी पर गम्भीरता से ध्यान दें और ऐसे कारणों का गहराई से विश्लेषण करें जिनसे वन आवरण में कमी आ रही है ताकि इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी कार्यनीति और कार्ययोजना बनाई जा सके और आगामी वर्षों में वन आवरण में वृद्धि की जा सके। वन आवरण में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं :–

(i) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों और भारत सरकार से प्राप्त सहायता से वनीकरण/कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ii) वनों के विकास और उनके परिरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(iii) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और उनके पुनरुद्धार कार्यों में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को दिशानिर्देश।

(iv) वन भूमियों के अपवर्तन को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(v) संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(vi) हाल ही में मंत्रालय ने पारिस्थितिकीय स्थायित्व के लिए वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान को बढ़ाने और वन संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए निवेशों में सुधार करके लोक केन्द्रित विकास के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है।

ताप विद्युत स्टेशनों की कार्यक्षमता

6444. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की अनेक ताप विद्युत परियोजनाएं अपनी परिचालनात्मक अधिष्ठापित क्षमताओं से नीचे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे संयंत्रों की परिचालनात्मक कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) देश में 1999-2000 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों के लिए औसत सयंत्र भार अनुपात (पी०एल०एफ०) 67.3% था। 1999-2000 के दौरान राज्यों में ताप विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्र भार अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कुल ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा लक्षित विद्युत उत्पादन न होने के कारण हैं, विद्युत विनियमन अथवा कम मांग के कारण उत्पादन में कमी, यूनिटों की जबरनबन्दी, आंशिक अनुपलब्धता, पारेषण, वितरण तथा वित्तीय दबाव एवं पुरानी यूनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण।

(ग) और (घ) ताप विद्युत केन्द्रों की उपलब्धता में सुधार के लिए अल्पावधिक व दीर्घआवधिक दोनों प्रकार के उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं, पुराने ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, नव संस्थापित यूनिटों का शीघ्र स्थिरीकरण, पेजर स्कीम के तहत् ओ एंड एम सुधार के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन के जरिए ब्याज आर्थिक सहायता परियोजनाओं का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार। 164 उत्पादन यूनिटों सहित 34 पुराने ताप विद्युत केन्द्रों के आर एंड एम कार्यक्रम के पहले चरण को पूरा कर लिया गया है। इसके साथ 10,000 मिलियन यूनिट वार्षिक अतिरिक्त, उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। सरकार ने

अब आर एंड एम कार्यक्रम का चरण-2 आरंभ कर दिया है, जिसके अंतर्गत 44 ताप विद्युत केन्द्र एवं कुल 20869 मे०वा० क्षमता वाली 198 उत्पादन यूनिटें शामिल हैं।

विवरण

राज्यों में अवस्थित केन्द्रीय यूटिलिटियों सहित 1999-2000 के दौरान राज्यों में विद्युत संयंत्रों के औसत संयंत्र भार घटक (पी०एल०एफ०) (%) को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	1999-2000 (अप्रैल-99-मार्च, 2000) पी०एल०एफ० (%)
1.	दिल्ली	69.8
2.	हरियाणा	53.1
3.	राजस्थान	
	ताप विद्युत	82.8
	न्यूक्लीयर	83.8
4.	पंजाब	74.8
5.	उत्तर प्रदेश	
	ताप विद्युत	70.4
	न्यूक्लीयर	81.1
6.	गुजरात	
	ताप विद्युत	65.8
	न्यूक्लीयर	87.1
7.	महाराष्ट्र	
	ताप विद्युत	71.0
	न्यूक्लीयर	77.2
8.	मध्य प्रदेश	78.2
9.	आंध्र प्रदेश	86.1
10.	कर्नाटक (थर्मल)	82.0
11.	तमिलनाडु	
	ताप विद्युत	72.7
	न्यूक्लीयर	74.8
12.	बिहार	34.2
13.	उड़ीसा	63.9
14.	पश्चिम बंगाल	49.5
15.	डी०वी०सी०	35.8
16.	असम	17.9
	अखिल भारत	67.3

दूरस्थ सेवा क्षेत्र

6445. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को सरकार द्वारा दूरस्थ सेवा क्षेत्र के लिए अनुमति मिल गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रथम चरण में कितने शहरों को इसमें शामिल किये जाने की संभावना है; और

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन०एल०) द्वारा इसमें कितनी धनराशि का निवेश किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

झीलों का संरक्षण

6446. श्री साहिब सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी झीलों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक झील का भौतिक क्षेत्रफल कितना-कितना है;

(ख) क्या इन बड़ी झीलों की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कुल 10 शहरी झीलों के नाम और वास्तविक क्षेत्रफल नीचे दिए गए हैं :–

क्रम सं०	झील का नाम	राज्य/संघ शासित राज्य	झील का क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	कोडयमनाल	तमिलनाडु	26.3
2.	ऊटी	तमिलनाडु	14
3.	नैनीताल	उत्तर प्रदेश	48
4.	डल	जम्मू एवं कश्मीर	1150
5.	सागर	मध्य प्रदेश	82
6.	सुखना	चण्डीगढ़	152
7.	पवाई	महाराष्ट्र	210
8.	रविन्द्र सरोवर	पश्चिम बंगाल	29.2
9.	उदयपुर झील प्रणाली	राजस्थान	520
10.	हुसैन सागर	आन्ध्र प्रदेश	570

(ख) और (ग) इन दस झीलों को शामिल करके राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की 637 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक स्कीम दिसम्बर, 1997 को सरकार के पास अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई थी। वित्तीय संसाधनों की तंगी को देखते हुए इस स्कीम के लिए बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया था। अनेक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय निधियन एजेंसियों से संपर्क किया गया था परन्तु किसी ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई।

कच्चे तेल पर रायल्टी

6447. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल का अंतिम बार किस तारीख को रायल्टी संशोधित की गई थी;

(ख) कच्चे तेल पर रायल्टी की दर को केन्द्र सरकार किस तारीख को संशोधित करेगी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल पर आंध्र प्रदेश को कुल कितनी धनराशि की रायल्टी का भुगतान किया गया था; और

(घ) केन्द्र सरकार के पास विभिन्न राज्यों को रायल्टी के रूप में राज्य-वार कितनी बकाया धनराशि लंबित पड़ी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) हाल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 2.5.2000 के पत्र संख्या ओ-22013/2/98-ओ०एन०जी० 3 के द्वारा रायल्टी को वर्तमान अनन्तिम दर 1.1.2000 से 750 रुपए/मीट्रिक टन से बढ़ाकर 800 रुपए/मीट्रिक टन कर दी है। इसके अलावा कच्चे तेल पर रायल्टी की 1.4.1998 से लागू नई योजना विकसित करने के लिए मंत्रालय में 26.4.2000 को एक समिति गठित की गई थी।

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1997-98 से 1999-2000 के दौरान कच्चे तेल पर रायल्टी के बतौर आंध्र प्रदेश सरकार को कुल 18.11 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कोई धनराशि लंबित नहीं है क्योंकि राज्यों को रायल्टी का भुगतान नियमित रूप से निश्चित तारीख पर या उससे पहले कर दिया गया है।

[हिन्दी]

दूरसंचार जिले

6448. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री अनन्त नायक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार जिला बनाये जाने के मानदंड क्या हैं;

(ख) आज की तारीख में पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में राज्य-वार कितने दूरसंचार जिले बनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 2000-2001 के दौरान कर्नाटक के दूरसंचार विभाग के कार्यकरण को नया रूप देने और राज्य में नये दूरसंचार जिले बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश के कोरबा और उड़ीसा के क्योंझर जिलों को दूरसंचार जिलों के रूप में घोषित किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दूरसंचार संबंधी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय नेटवर्किंग, परिघात प्रवाह और भोगौलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार जिला के रूप में माने जाने वाले सर्किल में बुनियादी प्रबंध और प्रचालनात्मक यूनिट सहित वर्ष 1985 में सैकेण्डरी स्विचन क्षेत्रों (एस०एस०ए०) का गठन किया गया था। नीति के अनुसार, देश में 326 दूरसंचार जिला काम कर रहे हैं।

(ग) से (च) जी, नहीं।

(छ) दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रचालन की बुनियादी यूनिट सैकेन्डरी स्विचन क्षेत्र है। चार्जिंग और रूटिंग योजना, एस०एस०ए० संकल्पना पर आधारित है। अधिकांश ग्रुप "ग" और "घ" संवर्ग, एस०एस०ए० सवंर्ग है। उनकी ट्रांसफर का उत्तरदायित्व एस०एस०ए० के भीतर सीमित है प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक कारणों के कारण एस०एस०ए०/दूरसंचार जिलों के पुनर्गठन पर विचार करना व्यावहारिक नहीं है। अत: कोरबा और क्योंझर में पृथक दूरसंचार जिला का सृजन उपर्युक्त वास्तविक प्रशासनिक, प्रचालनात्मक और तकनीकी बाध्यताओं के कारण व्यवहार्य नहीं है। दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन, अनुरक्षण और विकास की देखभाल तथा दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निपटान करने के लिए कोरबा और क्योंझर में अपेक्षित स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन में आत्म-निर्भरता

6449. श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री जयभद्र सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता न प्राप्त कर पाने के लिए क्या कारक उत्तरदायी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में चल रहे विद्युत अभाव को देखते हुए सतत् आधार पर उद्योगों के साथ सह-उत्पादन कार्य को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) देश में विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त न कर पाने के उत्तरदायी कारक निम्नानुसार हैं :–

- जल विद्युत शक्यता के दोहन में कठिनाइयां, यथा भू-वैज्ञानिक घटनाएं।
- गैस, एल०एच०जी० टर्मिनल, पोर्ट हैंडलिंग सुविधाओं के विकास में अवस्थापनागत अपर्याप्तता।
- वन तथा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति में विलम्ब।
- परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी कारक, यथा निजी क्षेत्र परियोजनाओं को विलम्बित वित्तीय समापन, एस्क्रो कवर की अनुपलब्धता, सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए निधियों की कमी, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, निवेश निर्णयों में विलम्ब, पुनः निपटान तथा पुनर्वास समस्याएं, कानून व व्यवस्था की समस्याएं, संविदात्मक समस्याएं, आर्डर देने में विलम्ब, समय पर परियोजना इनपुटों को मुहैया कराने में असफलता, प्लांट तथा उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब, गुणवत्तापरक उपकरणों की आपूर्ति का अभाव, अक्रमिक आपूर्ति तथा जल विद्युत परियोजनाओं के सन्दर्भ में अंतरराज्यीय विवाद।

(ख) और (ग) सरकार ने अक्तूबर, 1995 में कैप्टिव तथा सह-उत्पादन विद्युत संयंत्रों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों से इन संयंत्रों की स्थापना को उच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया था। सरकार ने दिनांक 6 नवम्बर, 1996 के अपने पत्र तथा संकल्प के माध्यम से संस्थागत कार्यविधि सृजित करने का निर्देश दिया है, जिससे ऐसे प्रस्तावों के शीघ्र निस्तारण के जरिए सह-उत्पादन विद्युत यूनिटों का विद्युत क्षेत्र में शीघ्र तथा स्वचालित प्रवेश संभव हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक की सहायता

6450. **डा० बलिराम** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस धनराशि के उपयोग का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी/प्रदान किये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) उत्तर प्रदेश में रा०रा० 2 के आगरा-वाराणसी खंड को 4 लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु विश्व बैंक ने 16.20 करोड़ रु० की भारतीय मुद्रा के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) उपर्युक्त परियोजना के लिए इस धनराशि का उपयोग इस प्रकार है।

वर्ष	उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रु०)
1997-98	0.223
1998-99	8.257
1999-2000	4.68

(ग) उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ समझौता वार्ता चल रही है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में टेलीफोन-सुविधा

6451. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में जिले-वार कितनी ग्राम-पंचायतों में अभी तक टेलीफोन-सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी ग्राम-पंचायतों में स्थान-वार उक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्य की सभी ग्राम-पंचायतों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्राम-पंचायतों को बेहतर टेलीफोन-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जम्मू-कश्मीर की 1461 ग्राम-पंचायतों में से अभी तक 587 ग्राम-पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है। जिलावार ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

जिला	ग्राम पंचायत
अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा, बड़गाम और श्रीनगर	429
जम्मू	18
कथुआ	3
डोडा	48
ऊधमपुर	24
राजौरी	3
लेह एवं कारगिल	62
कुल :	587

(ख) 2000-2001 के दौरान 102 ग्राम-पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

जिला	ग्राम पंचायत
अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा, बड़गाम और श्रीनगर	72
जम्मू	10
कथुआ	3
डोडा	10
ऊधमपुर	4
राजौरी	3
कुल :	102

(ग) मार्च, 2002 तक उत्तरोत्तर रूप से शेष ग्राम-पंचायतों में दूरसंचार-सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन-सुविधाएं प्रदान करने हेतु डब्ल्यू०एल०एल० तथा सी-डॉट पी०एम०पी० जैसी नई प्रौद्योगिकियां शुरू करने का प्रस्ताव है। अत्यंत दूरस्थ तथा अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) प्रदान करने हेतु सेटेलाइट पर आधारित प्रौद्योगिकियों के उपयोग का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कृष्णा, गोदावरी और कावेरी में गैस पाइपलाइन परियोजना

6452. श्री कृष्णमराजू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन में पाइपलाइन नेटवर्क परियोजना का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेल ने काकीनाडा में एक आयात टर्मिनल की स्थापना हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। के०जी० बेसिन में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए 12.7 करोड़ रुपये की लागत से 16.3 कि०मी० लंबी दो पाइपलाइन परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। इसके अतिरिक्त गेल के०जी० बेसिन में 107.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 131 कि०मी० की लंबाई की ऐसी पांच परियोजनाएं और कावेरी बेसिन में 13.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 33 कि०मी० लंबाई की चार परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। गेल ने काकीनाडा बन्दरगाह क्षेत्र में 500 मिलियन अमेरीकी डालर की अनुमानित लागत से 2.5 से 3.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम०एम०टी०पी०ए०) की प्राप्ति और पुनर्गैसीकरण की सुविधा वाला एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) टर्मिनल स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को एक आरंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

जोखिमपूर्ण अपशिष्ट प्रबन्धन नियम

6453. श्री किरीट सोमैया :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोखिमपूर्ण अपशिष्ट (प्रबन्धन और संचालन) नियम, 1989 में संशोधन करते हुए अनेक विसंगतियों को दूर कर अपशिष्टों के सुरक्षित प्रसंस्करण और निपटान को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त आयात और निर्यात पर भी कठोर नियंत्रण निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जोखिमपूर्ण अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान में यह किस तरह सहायक होगा; और

(घ) आयात तथा निर्यात के लिए निर्धारित कठोर नियंत्रण का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 8 जनवरी, 1999 को जारी प्रारंभिक अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को शामिल करने के बाद 6 जनवरी, 2000 को परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली 1989 को परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) संशोधन नियमावली 2000 के नाम से संशोधनों को अधिसूचित किया है परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली, 1989 के अंतर्गत शामिल आयात और निर्यात के सुरक्षित निपटान और विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियमों सहित संशोधन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :–

1. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली 1989 में अपशिष्टों की 18 श्रेणियों की सूचीबद्ध अनुसूची को अब तीन अनुसूचियों में बदल दिया गया है। अनुसूची-I में परिसंकटमय पदार्थ को उत्पादित करने वाले अपशिष्ट

प्रवाहों और प्रक्रियाओं का वर्णन है। इन प्रक्रियाओं को संचालित करने वाली इकाइयां अब नियमावली के अधीन है। अपशिष्ट में घटकों की संकेंद्रण सीमाओं की सूची अनुसूची-2 में दी गई है। इस संकेंद्रण सीमा का प्रयोग परिसंकटमय/गैर परिसंकटमय के रूप में अपशिष्ट प्रवाह के वर्गीकरण/विशिष्टीकरण की सीमाओं का विवाद के मामलों में प्रयोग किया जाता है। आयातों और निर्यातों की शर्त के अध्यधीन अपशिष्टों की पूर्ण सूची वेसल कन्वेंशन के अनुबंध-8 और 9 के समान है जिनका उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है और इसी अनुसूची के भाग ख में परिसंकटमय विषमताएं दी गई हैं।

2. अब सामूहिक शोधन भंडारण और निष्पादन सुविधाओं और निजी शोधन, भंडारण और निष्पादन सुविधाओं की स्थापना हेतु स्थान निश्चित करने का दायित्व केवल राज्य सरकार का न होकर अधिभोगी, औद्योगिक एसोसियेशन और राज्य सरकार का होगा।

3. रिसाईकिलिंग के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात और निर्यात से संबंधित उपबन्धों की अपनाई जा रही प्रणाली के विस्तृत विवरण तक बढ़ा दिया गया है। अपशिष्ट के अवैध व्यापार से संबंधित बेसल कन्वैंशन के अंतर्गत पुन: निर्यात की आवश्यकताओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

4. भूमि भरण सुविधाओं की रूपरेखा स्थापना और बन्द करने के नियमों को विस्तृत किया गया है।

5. परिसंकटमय अपशिष्टों के पैदा होने के स्थल से निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली की शुरूआत की गई है।

6. आयात और निर्यात के विनियमन के लिए और नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों का उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है और

7. प्राधिकार और आयात के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) संशोधन के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्ट पैदा करने वाली यूनिटों के दखलकार संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपशिष्ट के हथालन और ट्रैक अपशिष्ट को स्पष्ट प्रणाली के माध्यम से इसके अन्तिम निपटान तक के प्राधिकार पाने के अतिरिक्त निपटान के लिए सुविधाएं स्थापित करना सुनिश्चित करेगा। दखलकार को स्थल का पता लगाने और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और निपटान के लिए सुविधाएं स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार बनाया गया है। निपटान के लिए ऐसे स्थलों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना है। देश में अंतिम रूप से भरण और निपटान के लिए अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध है। केवल ऐसे यूनिट जिनके पास अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी है, निपटान सुविधाएं हैं और जो पर्यावरण कानूनों का अनुपालन कर रहे हैं। उनकी नियम की अनुसूची 3 में सूचीबद्ध अपशिष्ट के आयात के लिए लाइसेंस मंजूर किए जाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय को सिफारिश की जाती है।

प्रमुख शहरों में प्रदूषण

6454. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के महानगरों तथा अन्य प्रमुख शहरों में प्रदूषण का वर्तमान स्तर क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान शहर-वार इसकी वृद्धि दर क्या रही;

(ख) क्या वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है;

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान देश के शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर में व्यापक कमी करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा 31 मार्च, 2000 तक शुरू की गई परियोजनाओं तथा इस संबंध में प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष और आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रदूषण की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने हेतु तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) देश के महानगरों और अन्य प्रमुख शहरों के वर्तमान प्रदूषण स्तर में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वायु, ध्वनि और जल में प्रदूषण के स्तर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यौरा निम्नलिखित संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

(ग) देश के महानगरों/प्रमुख शहरों में सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं :–

(i) प्रदूषण को रोकने के लिए बहि:स्राव और उत्सर्जन मानक पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए समयबद्ध आधार पर आवश्यक उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं और दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

(iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उन लघु उद्योगों के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र (सी०ई०टी०पी०) स्थापित करने हेतु साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र (सी०ई०टी०पी०)

की एक योजना प्रारम्भ की है जो अपने बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा सकने में असमर्थ है। 88 साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(iv) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 लागू की गई है जिसके अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं की 29 निर्दिष्ट श्रेणियों का पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाता है।

(v) पूरे देश भर में सीसा रहित पैट्रोल और निम्न सल्फर युक्त डीजल शुरू करने का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश में 1.2.2000 से सीसा रहित पैट्रोल शुरू किया गया है। देश में अब निम्न सल्फर युक्त ईंधन उपलब्ध है। वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

(vi) अत्यधिक प्रदूषित 24 क्षेत्रों का पता लगाया गया है। इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणता में सुधार के लिए कार्ययोजनाएं तैयार की गई हैं।

(vii) पारिनगरों का संकल्पनात्मक (कन्सेपचुअल) फ्रेमवर्क विकसित किया गया है और वर्तमान नगरों को पारिनगरों में परिवर्तित करने हेतु सात नगरों के लिए एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

(घ) प्रदूषण समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए कार्ययोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(i) औद्योगिक, घरेलू, वाहन, कृषि और ध्वनि जैसे विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय कार्ययोजना तैयार की गई है इसमें समन्वित अन्तर्विभागीय नीतियों के लिए आवश्यक समयबद्ध कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने पर भी विचार किया गया है।

(ii) दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता जैसे प्रमुख शहरों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु नगर विशिष्ट कार्ययोजनाएं तैयार की गई हैं और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। चेन्नई में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है और उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(iii) गुवाहाटी और कानपुर नगरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी कार्ययोजनाएं तैयार की गई हैं। कानपुर नगर के भूमि उपयोग और प्रदूषण स्थिति के आधार पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आंचलिक संकल्पना (जोनिंग कंसेप्ट) पर आधारित एक शहरी प्रबंध योजना का सुझाव दिया गया है।

विवरण-I

महानगरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति

8

प्रदूषण स्तर	वार्षिक औसत सान्द्रणरेंज (यू०जी०/एम०-3)			
	औद्योगिक		आवासीय	
	एस०ओ० 2 और एन० ओ० 2	एस०पी० एम०	एस०ओ०2 और एन० ओ०2	एस०पी० एम०
निम्न (एल०)	0-40	0-180	0-30	0-70
मध्यम (एम०)	40-80	180-360	30-60	70-140
उच्च (एच०)	80-120	360-540	60-90	140-210
अत्यधिक (सी०)	>120	>540	>90	>120

स्थिति

क्रम सं०	नगर	एस०ओ० 2	एन०ओ० 2	एस०पी०एम०/ आर०एस० पी०एम०
1.	अहमदाबाद	एल	एम	एम-एच
2.	बंगलौर	एल	एम-एच	एम-एच
3.	भोपाल	एल	एम	एम
4.	कलकत्ता	एम	एम-एच	एच-सी
5.	चेन्नई	एल	एम	एम-एच
6.	दिल्ली	एल	एम	एच-सी
7.	हैदराबाद	एल	एम	एम-एच
8.	इंदौर	एल	एल	एम-एच
9.	जयपुर	एल	एल-एम	एम-एच
10.	कानपुर	एल-एम	एल-एम	एम-एच
11.	कोची	एम	एम	एम-एच
12.	लखनऊ	एल	एल-एम	एम-एच
13.	लुधियाना	एल	एम	एच-सी
14.	मुम्बई	एम	एम-एच	एच-सी
15.	नागपुर	एल	एल-एम	एम
16.	पटना	एल	एम	एम-एच
17.	सूरत	एम-एच	एम	एम-एच
18.	बड़ोदरा	एम	एम	एम-एच
19.	विशाखापत्तनम	एम	एम	एम-एच

स्रोत : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विवरण-II

नगरों में परिवेशी ध्वनि स्तर (सभी आंकड़े डेसीबल में दर्शाए गए हैं)

नगर	रिहायशी		व्यापारिक		संवेदनशील		औद्योगिक	
	दिन	रात	दिन	रात	दिन	रात	दिन	रात
भोपाल	60	44	75	57	73	42	68	47
बंगलौर	59-75	37-59	68-81	46-64	58-74	—	63-86	42-65
कलकत्ता	76-86	58-76	70-90	57-78	69-89	65-70	75-82	53-70
चेन्नई	57-84	45-50	74-80	69-71	46-70	47-50	69-76	63-69
दिल्ली	53-71	—	63-75	—	62-78	—	65-81	—
देहरादून	50	38	70	50	58	42	50	45
हैदराबाद	56-73	40-50	67-84	58-73	62-78	51-67	44-77	42-70
जयपुर	46-82	43-78	64-88	51-80	60-75	55-66	59-81	48-78
कानपुर	49-69	39-59	68-82	57-76	47-61	35-57	63-78	57-63
कोची	70	51	85	56	72	51	70	61
लखनऊ	55	50	70	58	50	40	60	58
मुम्बई	45-81	45-68	63-81	60-75	58-77	46-66	73-79	56-72
वाराणसी	50	40	70	50	55	40	50	50
विआग	74	59	85	70	75	57	75	51

स्रोत : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विवरण-III

महानगरों में अपशिष्ट जल उत्पादन संग्रह और शोधन

क्रम सं०	महानगर का नाम	उत्पादित अपशिष्ट जल की मात्रा (एम०एल०डी०)	अपशिष्ट जल संग्रह (एम० एल०डी०)	अपशिष्ट जल शोधन
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	556.0	430.0	अधिकांश नगरों में अपशिष्ट जल शोधन की केवल आंशिक सुविधाएं हैं।
2.	बंगलौर	400.0	290.0	
3.	भोपाल	189.3	87.0	
4.	कलकत्ता	1432.3	—	
5.	चेन्नई	276.0	257.0	
6.	दिल्ली	1270.0	981.0	
7.	हैदराबाद	348.3	115.0	
8.	इंदौर	145.0	14.0	
9.	जयपुर	220.0	27.0	
10.	कानपुर	200.0	41.0	
11.	मुम्बई	2456.0	109.0	
12.	नागपुर	204.8	45.0	
13.	पटना	219.0	105.0	
14.	पूना	432.0	170.0	
15.	सूरत	140.0	70.0	
16.	बड़ोदरा	120.0	81.0	
17.	वाराणसी	170.0	101.0	
	कुल	9275.0	2923.0	

स्रोत: केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ी जातियों, बेरोजगार युवाओं को रसोई गैस एजेंसियां

6455. **डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष के दौरान उड़ीसा में जिले-वार बेरोजगार युवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को रसोई गैस की कितनी एजेंसियां और पेट्रोल पम्प आबंटित किए गए;

(ख) राज्य में इस वर्ष कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प आबंटित किए जाएंगे; और

(ग) उड़ीसा में अब तक डीलर चयन बोर्ड गठित न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार 25% डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटशिप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के लिए आरक्षित की जाती हैं।

पिछले 2 वर्षों के दौरान तेल कंपनियों ने अनु०जा०/अनु०ज०जा० श्रेणी के तहत कुल 12 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 8 एल०पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित की हैं।

पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त उड़ीसा के लिए वर्तमान विपणन योजनाओं में 30 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 41 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई हैं। विपणन योजना में शामिल किए गए स्थानों को डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापित किया जाता है। डीलर चयन बोर्डों को हाल ही में भंग कर दिया गया है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के लिए साक्षात्कार की तारीख से सामान्यत: 6-12 महीने लग जाते हैं।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत का आबंटन

6456. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से केरल राज्य विद्युत बोर्ड को पूर्वी क्षेत्र से विद्युत आबंटन के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी हां, पूर्वी क्षेत्र से 90 मे०वा० पावर आबंटन हेतु केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस अनुरोध के उत्तर में केरल सरकार को पूर्वी क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० स्टेशनों के 15% अनाबंटित कोटे में से दीर्घावधिक आधार पर (गजुवाका में 500 मे०वा० एच०वी०डी०सी० बैक-टू-बैक लिंक के जरिये पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र राज्यों को कुल 500 मे०वा० पावर आबंटन का 12%) 60 मे०वा० विद्युत का आबंटन किया गया है।

शीशारहित और गंधकरहित पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति

6457. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में शीशा-रहित और गंधकरहित पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का आग्रह किया है ताकि राज्य में प्रदूषण के उच्च स्तर को नियंत्रित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियों ने वाहनों के धुएं के कारण प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे देश में 1.2.2000 से सीसारहित पेट्रोल तथा 1.1.2000 से अधिकतम 0.25% गंधक वाले डीजल की आपूर्ति आरंभ कर दी है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कराये गये तेल खोज सर्वेक्षण

6458. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में कराये गये तेल की खोज संबंधी सर्वेक्षणों पर विस्तृत रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न तेल बेसिनों में तेल होने की संभाव्यता और संभावित उत्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में इन तेल कूपों से और अधिक कच्चा तेल प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या देश में विभिन्न तेल कूपों से कच्चे तेल की खोज और उत्पादन के लिए अभी भी विदेशी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों (1997-2000) के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि० (ओ०एन०जी०सी०) ने जमीनी एवं अपतटीय क्षेत्रों में 17644 ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर (जी०एल०के०)/लाइन किलोमीटर (एल०के०) द्विआयामी तथा 348539 ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर/लाइन किलोमीटर त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण किए हैं तथा

विद्यमान क्षेत्रों के अंतर्गत विस्तार/रूपरेखा वेधन के अलावा वेधन के लिए चौरासी नए संभावना वाले क्षेत्रों में कार्य आरंभ किया है। संभावना वाले इन नए क्षेत्रों के वेधन से कावेरी बेसिन, कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन, कैम्बे बेसिन, ऊपरी असम, असम अराकान वलन पट्टी तथा मुंबई अपतटीय क्षेत्रों में बीस नई हाइड्रोकार्बन खोजें हुई हैं, जिनमें सात तेल वाली तथा तेरह गैस वाली हैं। नए, साथ ही क्षेत्र विस्तार/विकास क्षेत्र के अंतर्गत, दोनों प्रकार के ही, तेल कूपों को वाणिज्यिक उत्पादन पर रखने के लिए उनका अनवरत रूप से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) तेल एवं गैस का अन्वेषण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें बहु-विध दृष्टिकोण शामिल है तथा जिसमें भूकंपीय आंकड़े का अर्जन, संसाधन, निर्वचन तथा अन्वेषी कूपों के वेधन जैसे अनेक घटक सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन०ओ० सीज) के पास अन्वेषण एवं उत्पादन की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञता है। तथापि, विशेष मामलों अथवा क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं अथवा प्रौद्योगिकी, विदेशी विशेषज्ञता अथवा प्रौद्योगिकी, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

(ङ) चुनिंदा क्षेत्र में अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए उपयोजित कुछ विदेशी विशेषज्ञता अथवा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, अपतटीय क्षेत्रों में ओसन बाटम केबल (ओ०बी०सी०) सर्वेक्षण, संक्रमण क्षेत्र (समीपवर्ती तटवर्ती क्षेत्र समेत अत्यधिक उथले जल अपतट के बीच) आंकड़ा अर्जन, वलन पट्टी क्षेत्रों में आंकड़ा अर्जन, जैल प्रौद्योगिकी तथा एडवांस फ्रेक्चरिंग सम्मिलित हैं।

डाकघरों में बचत योजनाएं

6459. **श्री जार्ज ईडन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाकघर बचत योजनाओं में वर्षवार कुल कितना संग्रहण हुआ;

(ख) क्या हाल में की गई ब्याज में कमी के कारण डाकघर बचत में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) डाकघर बचत योजनाओं में और अधिक धन जमा करने हेतु लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) डाकघर बचत योजनाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल वार्षिक जमा राशि निम्नानुसार है :–

वर्ष	राशि (रु० हजार में)
1996-97	33,84,26,788
1997-98	46,83,91,371
1998-99	55,84,43,579

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डाकघर बचत योजनाओं में अधिक धनराशि जमा करने के लिए लोगों को आकर्षित करने हेतु डाकघर बचत योजनाओं की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं :–

(i) डाकघरों की विभिन्न बचत योजनाओं में मिलने वाला ब्याज बैंकों की समान योजनाओं की तुलना में अधिक है।

(ii) डाकघर बचत खाते में अर्जित किया गया ब्याज कर से पूरी तरह मुक्त है।

(iii) राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) में जमा की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर से छूट है।

(iv) पांच वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना खाते में अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80-एल के अंतर्गत कर-मुक्त है।

(v) डाकघर सावधी जमा खाते में जमा धनराशि संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत कर-मुक्त है तथा इस पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80-एल के अंतर्गत कर-मुक्त है।

(vi) 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत आयकर में छूट पाने के योग्य है। ये निवेश संपत्ति कर से पूरी तरह मुक्त हैं। इसके अलावा, ब्याज भी पूरी तरह कर-मुक्त है तथा न्यायालय डिक्री के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कुर्की की अनुमति नहीं है।

(vii) डाकघर मासिक आय योजना में किए गए निवेश से अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80-एल के अंतर्गत कर-मुक्त है।

(viii) राष्ट्रीय बचत योजना खाता 1992 में एक वर्ष में जमा की गई धनराशि आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर से छूट पाने के योग्य होती है। ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80-एल के अंतर्गत कर-मुक्त है।

(ix) किसान विकास पत्र में एक व्यस्क व्यक्ति अपने लिए अथवा किसी अवयस्क की ओर से अथवा अवयस्क के लिए धन निवेश कर सकता है।

पंजाब में पेट्रोल/डीजल पम्पों की स्थापना

6460. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए प्रमुख स्थलों पर एम०एस०/एच०एस०डी० के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या पंजाब और हरियाणा के राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार एम०एस०/एच०एस०डी० के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए 151 स्थानों को व्यावहारिक पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब राज्य में विभिन्न मुख्य जगहों पर पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों तथा एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के सुविधाएं स्थापित करने का अनुरोध किया है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए गए स्थान विपणन योजना में सम्मिलित किए जाएंगे तथा स्थानों के विज्ञापन व साक्षात्कार के आधार पर गुण-दोष पर डीलर चयन बोर्ड के माध्यम से चयन की सामान्य चयन प्रक्रिया के द्वारा आबंटित किए जाएंगे। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू किए जाने में लगभग 6-12 महीने लग जाते हैं।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

6461. **श्री अशोक अर्गल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलोर में वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक अनुकंपा के आधार पर कितनी नियुक्ति की गई;

(ख) इसमें नियुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(घ) इन मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 1995-2000 की अवधि के दौरान, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर में अनुकम्पा के आधार पर दो नियुक्तियां की गई।

(ख) सी०पी०आर०आई० में अनुकम्पा आधार पर की गई दो नियुक्तियों में से एक सामान्य श्रेणी से संबंधित है।

(ग) सी०पी०आर०आई० द्वारा अपनाये गये सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के मामलों पर आर्थिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, परिवार का आकार, कमाने वाले सदस्य का होना और रिक्तियों की उपलब्धता के संदर्भ में विचार किया जाता है। सी०पी०आर०आई० द्वारा स्थापित समिति ने मार्च, 2000 में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु सभी लम्बित पड़े प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया था और अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु किसी भी आवेदक की सिफारिश नहीं की।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियां

6462. **श्री मुद्रागड्डा पद्मनाभम्** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस उपभोक्ताओं को डीलर से दुबारा सिलिंडर लेने के लिए 25 कि० मी० की यात्रा करनी पड़ती है और इस प्रकार भारी असुविधा का समाना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में प्रत्येक मंडल मुख्यालय में रसोई गैस डीलरशिप देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव में क्रियान्वयन हेतु समयावधि क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) ग्राहकों को एलपीजी रिफिल की आपूर्ति उनके संबंधित क्षेत्रों के वितरकों के द्वारा की जाती है।

एलपीजी उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अच्छी सेवा उपलब्ध कराने तथा वर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों समेत देश के भिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए निम्नांकित मानदंड अपनाये जाते हैं :–

(1) 15 किलोमीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करते हुए 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थान।

(2) 15 किलोमीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत आने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और उससे अधिक आबादी वाले शहरी स्थान।

(3) ऐसे मुख्य गांवों, जिनकी आबादी 10,000 और इससे अधिक है, के 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत गांवों का समूह।

(4) ऐसे नगरों जिनकी आबादी 1 लाख और इससे अधिक है के चारों ओर 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित गांव।

तद्नुसार, एलपीजी विपणन योजना 1996-98 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए 124 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। विपणन योजना में सम्मिलित स्थानों के विषय में डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से वितरकों के चयन हेतु तेल कंपनियों के द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के विषय में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यत: 6-12 माह लगते हैं।

दिल्ली विद्युत-बोर्ड (डी०वी०बी०) पर श्वेत पत्र

6463. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विद्युत बोर्ड (डी०वी० बी०) के कार्यकरण पर श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार विद्युत के उत्पादन, वितरण और चोरी के मामलों को रोकने में दिल्ली विद्युत बोर्ड (डी०वी०बी०) की विफलता को देखते हुए इसे अपने अधिकार में लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत बोर्ड (डी०वी०बी०) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में है। केन्द्र सरकार का वर्तमान में डी०वी०बी० के कार्यकरण पर श्वेत-पत्र जारी करने का और न ही बोर्ड का विद्युत उत्पादन और वितरण कार्य अपने पास लेने का कोई प्रस्ताव है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार जनवरी, 1999 में दिल्ली में विद्युत क्षेत्र पर एक नीतिगत पत्र पहले ही प्रकाशित कर चुकी है।

रोजगार कार्यालयों की भूमिका

6464. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत रोजगार कार्यालयों की जहाजरानी और नाविकों के कल्याण के क्षेत्र में क्या भूमिका है;

(ख) देश में भारतीय जहाजरानी निगम के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों की स्थलवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन रोजगार कार्यालयों के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है;

(घ) यदि नहीं, तो इन रोजगार कार्यालयों/केन्द्रों के कम कार्य-निष्पादन का क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अनुसार नाविक रोजगार कार्यालयों का कार्य नाविकों की आपूर्ति, भर्ती और रोजगार का नियंत्रण एवं विनियमन विभिन्न श्रेणियों के नाविकों के रजिस्टर रखना, प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन करना तथा आवर्तन (रोटेशन) के सिद्धांत पर उनको नियोजित करना है। यह कार्यालय भारतीय नाविकों के पंजीकरण, भारतीय और विदेशी ध्वजपोतों पर उनकी नियुक्ति, बर्खास्तगी, प्रत्यावर्तन, पहचान दस्तावेजों आदि से संबंधित कार्य भी करते हैं।

(ख) नाविक रोजगार के मुंबई, कलकत्ता तथा चेन्नई स्थित तीन कार्यालय हैं। जिन्हें नौवहन महानिदेशालय के अधीन गठित किया गया है। नाविक रोजगार कार्यालय भारतीय नौवहन निगम के अधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) नाविक रोजगार कार्यालय के जरिए नाविकों के रोजगार को विनियमित करने की प्रणाली 1950 के दशक में तैयार की गई थी ताकि भारतीय नाविकों को नौवहन कंपनियों के शोषण से बचाते हुए उनके लिए उचित रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के रोस्टर प्रणाली को कड़ाई से लागू करने के परिणामस्वरूप सामान्य रोस्टर में ऊंचे पदों पर कार्यरत अधिक आयु के अनेक नाविकों की मौजूदगी के कारण भारतीय नाविकों का उन जहाजों पर रोजगार अवरूद्ध हो गया है जो युवा नाविकों को वरीयता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कारगर प्रतिस्पर्धा करने के लिए नौवहन कंपनियों को नाविकों का रोस्टर रखने की स्वतंत्रता देने वाली रिटेनर स्कीम 1992-93 में शुरू की गई थी।

निरंतर निर्वहन प्रमाण-पत्रों और नाविकों के रोजगार से संबंधित मुद्दों के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का पालन करते हुए और भारतीय नाविकों की विदेशी ध्वज वाहन पोतों पर रोजगार की वृद्धि करने की सुविधा के लिए सरकार ने भारतीय अथवा विदेशी जलयानों पर केवल नाविक रोजगार कार्यालयों के जरिए नाविक लेने का दबाव न डालने का नीतिगत निर्णय लिया है।

दिल्ली से बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की स्थिति

6465. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली से बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए समय-समय पर हरियाणा सरकार को निधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं।

विभागेत्तर डाकघर

6466. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरांचल [illegible] पहाड़ी और अल्पविकसित क्षेत्रों में विभागेत्तर डाकघर खोलने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जिला-वार कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक जिले में वर्ष-वार कितने विभागेत्तर डाकघर खोले गए; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान इन जिलों में स्थान-वार कितने और ऐसे डाकघरों को खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिंकदर) : (क) जी, हां।

(ख) डाकघर खोलने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या नीचे दी गई है :–

जिला	प्राप्त अनुरोध		
	1997-98	1998-99	1999-2000
पौड़ी	31	20	30
चमोली	37	15	14
रूद्रप्रयाग	15	09	12

(ग) नए डाकघर खोलना इस बात पर निर्भर करता है कि उनके प्रस्ताव नए डाकघरों के लिए विनिर्धारित मानदंडों के अनुसार औचित्यपूर्ण हों। इसके अलावा यह धनराशि उपलब्ध रहने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पद मंजूर किए जाने पर भी निर्भर करता है।

(घ) इन जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :–

जिला	1997-98	1998-99	1999-2000
पौड़ी	–	–	–
चमोली	1	–	–
रूद्रप्रयाग	–	2	1

(ङ) देश में तथा उत्तर प्रदेश के जिलों में डाकघर खोलने के लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं।

चिलका झील से गाद निकालना

6467. श्री अनंत नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिलका झील में जमती जा रही गाद की भारी मात्रा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस झील की गाद की सफाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) जी, हां। चिलका विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लगाए गए अनुमान से यह पता चला है कि 52 नदियों और नालों के जरिए 365499 क्यूबिक मीटर गाद चिलका में आती है जिससे झील संकुचित हो रही है और इसकी जल धारण क्षमता में कमी हुई है।

(ख) से (घ) चिलका झील को सरकार की राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण और प्रबंधन के लिए अभिर्निधारित किया गया है। कार्यक्रम में वनीकरण, मृदा संरक्षण, नालाबन के वास स्थलों में सुधार, पर्यावरणीय जागरूकता, सूचना डाटा बेस आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दसवें वित्त आयोग ने गाद निकालने सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए चिलका झील के सुधार के लिए भी वित्तीय सहायता जारी की है। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अब तक चिलका झील के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को 19.08 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की जा चुकी है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	–	1.48 करोड़ रुपए
दसवां वित्त आयोग	–	17.60 करोड़ रुपए
जोड़ :	–	19.08 करोड़ रुपए

भारतीय समुद्र क्षेत्र में डकैती के मामले

6468. श्री के०पी० सिंह देव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में भारतीय समुद्र क्षेत्र में डकैती में मामलों में अचानक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान हुई डकैती के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार डकैतियों का सामना करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आपराधिक न्याय में विलंब

6469. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 2000 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "डिले इज डेस्ट्रायिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1996 से लम्बित पड़े भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामलों के सरकारी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के बारे में विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने, दांडिक मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विधिक शिक्षा के स्तर में सुधार, विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और विवादों के समाधान के लिए माध्यस्थम और सुलह जैसी आनुकल्पिक पद्धतियों का अपनाया जाना भी है। लोक अदालतों को विवादों के समाधान के लिए एक अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है।

विवरण

1996 से भारतीय दंड संहिता से संबंधित लंबित मामलों के बारे में सरकारी आंकड़े

क्रम सं०	वर्ष	विचारण, जिसमें लंबित मामले भी हैं, के लिए मामलों की कुल संख्या
1.	1996	52,97,662
2.	1997	45,61,004
3.	1998	56,60,484

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

6470. श्री रामशकल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई नीति अपनाई है जिनके भूमि को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) की विद्युत परियोजना के लिए अधिगृहित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रभावित परिवारों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक रोजगार प्रदान नहीं किया गया है; और

(घ) इन परिवारों को कब तक रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने 1993 में सरकार द्वारा अनुमोदित पुन: व्यवस्थापन एवं पुनर्वासनीति अपनायी है। एनटीपीसी विद्युत संयंत्र में बृहत् पूंजी की जरूरत होती है और इनमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है, इसलिए यह स्थानीय निवासियों को पर्याप्त रूप से नौकरी के अवसर नहीं उपलब्ध कराता है। हालांकि अकुशल श्रेणी की अधिकांश नौकरी परियोजना प्रभावित लोगों के लिए आरक्षित है। कुशल वाली श्रेणी में भी नौकरी सुयोग्य परियोजना प्रभावित लोगों को ही प्रस्तावित की जाती है जो नौकरी संबंधी पात्रता पूरा करते हों। एनटीपीसी पुन: व्यवस्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुरूप अन्य रोजगार जैसे ठेकेदारों के साथ रोजगार, स्वरोजगार योजनाएं, दुकान आबंटन एवं अन्य आय उत्पादक योजनाओं को पूरा करने के लिए भी प्रयास करता है।

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एनटीपीसी की दो सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। एक रिहन्द में तथा दूसरा सिंगरौली में। इसके परियोजना प्रभावित परिवार जो सिंगरौली में 1273 तथा रिहन्द में 992 हैं, एनटीपीसी द्वारा पुनर्वास संबंधी सुविधाओं के लिए शामिल हैं। 1273 परियोजना प्रभावित लोगों में से 396 लोगों को सिंगरौली परियोजना में नौकरी दी गई है, जबकि शेष 877 को स्व-रोजगार/आय उत्पादक योजनाएं जिसमें दुकान आबंटन, कायोस्क्स के लिए जगह, स्थानीय सहकारी सोसाइटी के जरिए छोटे-मोटे ठेके आदि उपलब्ध कराये गए हैं। जहां तक रिहन्द परियोजना का सवाल है, इसके 992 परियोजना प्रभावित लोगों में से 129 लोगों को परियोजना में नौकरी उपलब्ध कराई गई है। शेष में से 79 लोग रिहन्द परियोजना में ठेकेदार के रूप में कार्यरत हैं। 394 ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं, 232 के लिए स्व-रोजगार/आय उत्पादक योजना चलाने की व्यवस्था की गई है, जबकि 158 लोगों को संशोधित कार्य योजना के अनुसार पुनर्वास कर दिया गया है।

(घ) सिंगरौली और रिहन्द ताप परियोजनाओं के अकुशल समूह में फिलहाल लोगों की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

निधि कम्पनियां

6471. श्री तिरुनावकरसू : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निधि कम्पनियों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवर को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निधि कम्पनियों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) फिलहाल सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अधिसूचना सं० सा०का०नि० 737(अ) दिनांक 1.11.1999 के अनुसार, प्रत्येक निधि या म्यूचुअल फायदा सोसायटी

के लिए प्रत्येक जमाराशि का आधा प्रतिशत एक अकस्मिक निधि में अंतरित करके इसे बनाए रखना तथा सारी राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखना अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार को दस जमाकर्ताओं से अधिक को जमाराशि वापिस करने में हुई चूक के मामले में निधि की कार्यप्रणाली को मानीटर करने हेतु एक विशेषाधिकारी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। केन्द्रीय सरकार को निधि कम्पनियों के लेखों की विशेष लेखा परीक्षा करने का आदेश देने की भी शक्ति प्राप्त है जो केन्द्रीय सरकार को उपरोक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में एक सर्टीफिकेट केन्द्रीय सरकार को भेजेगी।

सरकार ने हाल ही में निधि कम्पनियों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए नौ सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषयों में निधि कम्पनियों में जमाराशि को बीमा कवर में लाए जाने की संभाव्यता की जांच भी शामिल है।

[हिन्दी]

जनजातीय समुदायों द्वारा वन्य-भूमि पर अतिक्रमण

6472. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनजातीय समुदायों के कुछ व्यक्तियों द्वारा वन्य-भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को जनजातियों द्वारा 1980 के पूर्व अवैध रूप से कब्जा की गई वन्य भूमि को विनियमित करने का अधिकार है;

(ग) यदि हां, तो कितनी जनजातियों ने वन्य-भूमि पर अतिक्रमण किया है और राज्यवार कितने क्षेत्रफल भूमि को विनियमित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और उसके नियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि पर कायम 1980 से पहले के अतिक्रमण संबंधी सभी मामले, जिनमें राज्य सरकार अपनी पहले की वचनबद्धता के कारण वन भूमि के अतिक्रमण को कृषि और अन्य उद्देश्यों हेतु नियमित किए जाने के प्रति वचनबद्ध है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव सदैव इस मानदण्ड के अनुरूप होने चाहिए कि राज्य सरकार ने अतिक्रमण का 'पात्र' श्रेणियों को नियमित करने संबंधी निर्णय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने से पहले ले लिया हो। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

(ग) और (घ) वन भूमि पर 1980 से पहले के अतिक्रमण को नियमित करने के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वन भूमियों पर 1980 से पहले के अतिक्रमण को नियमित करने के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिला	क्षेत्र (हेक्टेयर)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	अण्डमान	1,367	अगस्त 1998 में अनुमोदित
2.	अण्डामान और निकोबार द्वीप समूह	अण्डमान	89	सिद्धान्तत: 31.1.1992 को अनुमोदित
3.	अण्डामान और निकोबार द्वीप समूह	अण्डमान	735	संघ क्षेत्र प्रशासन से 5.10.89 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
4.	अरूणाचल प्रदेश	दिबांग	10,160	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगा गया, 7.10.99 को स्मरण कराया गया।
5.	अरूणाचल प्रदेश	दिबांग	13,419.29	23.20.1992 को सिद्धान्तत: अनुमोदित

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	डांग्स, पंचमहल, सबरकांथा आदि	10,900	नवम्बर, 1994 में अनुमोदित
7.	गुजरात	10 जिले	39,750.59	17.11.1994 को सिद्धान्ततः अनुमोदित
8.	कर्नाटक	चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़, मैसूर आदि	732	8.4.1996 को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकृत
9.	कर्नाटक	19 विभिन्न जिले	14,848.83	मई, 1996 में अनुमोदित
10.	केरल	इडुकी, एरनाकुलम आदि	28,588.159	जनवरी, 1995 में अनुमोदित
11.	मध्य प्रदेश	सभी जिले	1,82,889	विचाराधीन
12.	मध्य प्रदेश	10 जिले	63,449.13	जुलाई, 1990 में अनुमोदित
13.	महाराष्ट्र	धुले	10,185.32	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगा गया है।
14.	महाराष्ट्र	गढ़चिरौली	28,886.4	राज्य सरकार से आवश्यक विवरण मांगा गया है।
15.	राजस्थान	10 जिले	3,171.4	राज्य सरकार से 2.12.98 को सूचना मांगी गई थी, तथा 30.7.99 को स्मरण कराया गया।

[अनुवाद]

पुराने अव्यावहारिक कानून

6473. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने अव्यावहारिक कानून आर्थिक सुधारों में बाधा डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधि आयोग ने इस प्रकार के पुराने अव्यावहारिक कानूनों को समाप्त करने के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ङ) महोदय, विधियों में जो कमियां हैं उनकी समीक्षा करने और समस्या का समाधान करने हेतु केंद्रीय सरकार ने, प्रशासनिक विधि की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया था और उक्त आयोग ने, ऐसे लगभग 1382 केंद्रीय अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की थी जिनकी पहचान अप्रचलित या अनुपयोगी विधि के रूप में या ऐसी विधि के रूप में की गई है जिनके उपांतरण की आवश्यकता है। भारत के विधि आयोग ने, "विधियों का निरसन और संशोधन" संबंधी अपनी 159वीं रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है, जिसे तारीख 27 अक्तूबर, 1999 को सदन के पटल पर रख दिया गया है। इन अधिनियमों से संबंधित भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उक्त विधियों को निरसित/संशोधित किया जा सकता है। 21 अधिनियमों और तीन अध्यादेशों के निरसन के लिए छह विधेयक सदन में पहले ही पुरःस्थापित किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरसंचार-नेटवर्क का विकास

6474. श्री सुंदर लाल तिवारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) चालू वर्ष के लिए राज्य में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि रखी गई है;

(ग) क्या इस हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विकास कार्य पूरा किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक विकास कार्य के लिए खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक राज्य में, विशेषकर छतरपुर और रीवा जिलों में वर्षवार कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान धनराशि निम्न रूप से आंबटित की गई है।

(राशि करोड रु० में)

वर्ष	राशि
1997-98	303.32
1998-99	416.17
1999-2000	516.72

(ख) वर्ष 2000 - 2001 के दौरान मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए प्रस्तावित धनराशि 576.56 करोड़ रुपये हैं।

(ग) स्विचिंग क्षमता, डी ई एल, खोले गए नए एक्सचेंज तथा माइक्रोवेव सिस्टम के संबंध में उपलब्धि लक्ष्य से अधिक रही। तथापि, वी पी टी की संस्थापना में कमी पड़ गई।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान में विकास कार्य हेतु खर्च की गई राशि निम्न प्रकार से है :–

(राशि करोड़ रु० में)

वर्ष	खर्च की गई राशि
1997-98	329.81
1998-99	390.54
1999-2000	384.87

(अनन्तिम लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है)

(ङ) मध्य प्रदेश सर्किल तथा छत्तरपुर और रीवा जिलों में नए नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर	रीवा
1997-98	1,02,642	421	597
1998-99	1,40,237	1000	2867
1999-2000	1,54,816	2905	2543

[अनुवाद]

महेश्वर बांध परियोजना

6475. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में महेश्वर बांध परियोजना के निर्माण के कारण कितने परिवार विस्थापित हुए और हटाए गए;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) मैसर्स श्री महेश्वर हाईडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जो मध्य प्रदेश में 400 मे०वा० के महेश्वर विद्युत परियोजना के प्रवर्तक हैं, द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सौंपे गये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना निर्माण के कारण 2276 परिवारों (11,821 व्यक्ति) को विस्थापित/हटाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड, जो परियोजना के पुन:स्थापन एवं पुनर्वास पैकेज को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है, ने बताया है कि निर्माण कार्य चालू होने से परियोजना स्थल के किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया गया है।

(ख) एमपीईबी ने सूचित किया है उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार मैसर्स एसएमएचपीसीएल ने मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेकर 258 परिवारों को 27.39 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है। विस्थापित परिवारों के पुनर्वास संबंधी सामान्य सिद्धान्त निम्न प्रकार से है :–

(i) राज्य सरकार का उद्देश्य यह है कि पुन:स्थापन के पश्चात् सभी विस्थापित परिवार एक उचित समय-सीमा में अपने पूर्व जीवन स्तर को प्राप्त कर सकें।

(ii) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विस्थापित परिवारों को वर्तमान निवास स्थल से दूसरे स्थल में जाने या नई तरह की जिंदगी शुरू करने में दिक्कत नहीं हो।

(iii) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मेजमान समुदाय पर विस्थापन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय असर नहीं पड़े।

(iv) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

(v) भूमि पर कानूनी अधिकार रखने वाले एवं भूमि के अतिक्रमणकर्ताओं की समस्याओं की उचित प्रकार से समाधान किया जायेगा ताकि क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता या क्षतिपूर्ति के बराबर की धनराशि, जैसी भी यथास्थिति हो, दिया जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सके।

(vi) पुनर्वास के लिए राजस्व वाले गांवों से विस्थापित लोगों एवं वनाच्छादित गांवों के बीच कोई अंतर नहीं किया जायेगा।

(vii) भूमि, भवनों एवं अन्य प्राप्त अचल संपत्तियों के लिए उचित मुआवजा दिया जायेगा। इसी प्रकार नए स्थलों पर आबंटित भूमि के लिए उचित शुल्क ही लिया जायेगा।

(viii) विस्थापित परिवारों को यथासंभव मौजूदा सामाजिक संगठन की संरचना को ध्यान में रखते हुए उनके कार्य-निष्पादन के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र में या प्रभावित क्षेत्रों की सीमा के नजदीक पुनर्वास किया जायेगा।

(ix) नये स्थलों पर पर्याप्त मौलिक एवं सामाजिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं और सामुदायिक सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

(x) भूमि के लिए हकदार परिवारों को पुन:व्यवस्थित करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि भूमि की व्यावहारिक इकाइयां ही उन्हें मुहैया कराई जायें।

(xi) पुन:व्यवस्थापन की प्रक्रिया में नए एवं मेजवान परिवारों को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए विस्थापित परिवारों का इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे मेजवान गांवों के स्वैच्छिक विक्रेताओं से भूमि खरीदें।

(xii) पुनर्वास नीति का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जायेगा कि दलालों एवं मुनाफाखोरों का सफाया हो जाये।

(xiii) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं कृषि से असंबंधित परिवारों को नए स्थानों पर पुनर्वास के लिए प्रारंभिक अवधि में सहायता-अनुदान तथा स्वरोजगार तथा मजदूरी सुविधा उपलब्ध कराकर मदद की जायेगी।

(xiv) परियोजना निर्माण में रोजगार के लिए विस्थापित लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तिपहियों के लिए 'कनवर्जन किट' का विकास

6476. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री जी०जे० जावीया :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद की एक कंपनी ने ऑटोमोटिव रिसर्च आफ इंडिया के सहयोग से तिपहियों के लिए एक नई कनवर्जन किट का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आधारित कनवर्जन किटों की उपलब्धता प्रोत्साहित करने में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (ए आर आई ए), हैदराबाद ने तिपहियों के लिए एक किट परिरूपित एवं विकसित करने के लिए एक प्रायोजित कार्य आरंभ किया है।

खान्देश क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

6477. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के खान्देश क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों और योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खान्देश क्षेत्र के सभी जिलों को जोड़ने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ग) यदि हां, तो क्या खान्देश क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु कोई विदेशी निवेश किया जाने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, 6 और 211 महाराष्ट्र के खान्देश क्षेत्र से गुजरती हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई लगभग 487 कि०मी० है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना नहीं है।

(ख) जी, नहीं। नंदरबार जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी जिले और उनके मुख्यालय पहले ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हैं। नंदरबार जिला मुख्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाकपाल का पद

6478. **श्री पी०आर० खूंटे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक विभाग के अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और कुछ कार्यालयों को दूसरे स्थानों पर हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के रायपुर क्षेत्र के डाकपाल का पद समाप्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार

6479. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अपार भंडार का पता लगाने हेतु योजनाएं तैयार की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में कुछ स्थानों पर सर्वेक्षण भी कराए गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तेल कम्पनियों आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ०आई०एल०) के अन्वेषण कार्य के नौवीं योजना के लक्ष्य तथा वर्ष 1997-2000 के दौरान किए गए कार्य तथा वर्ष 2000-01 की योजनाएं नीचे दी गई हैं :–

ओ०एन०जी०सी०

कार्य	नौवीं योजना के लक्ष्य	वास्तविक (1997-2000)	2000-01 की योजना
भूकंपीय सर्वेक्षण			
जमीनी			
द्विआयामी (जी०एल०के० सम०)*	17810	12062	4302
द्विआयामी (जी०एल०के० सम०)*	19639	39183	12725
अपतटीय			
द्विआयामी (एल०के०एम०)**	12925	5584	27500
द्विआयामी (एल०के०एम०)**	167000	309355	37500
अन्वेषणात्मक वेधन			
जमीनी/अपतटीय कूप (संख्या)	692	401	180

ओ०आई०एल०

कार्य	नौवीं योजना के लक्ष्य	वास्तविक (1997-2000)	2000-01 की योजना
भूकंपीय सर्वेक्षण			
जमीनी			
द्विआयामी (एस०एल०के०)***	5912	3944	1400
द्विआयामी (जी०एल०के०)+	1460	510	1145
त्रिआयामी (वर्ग कि०मी०)++	766	500	350
अपतट			
द्विआयामी (एल०के०एम०)**	1000	–	1000
त्रिआयामी (एल०के०एम०)**	–	–	1000
अन्वेषणात्मक वेधन			
जमीनी/अपतटीय कूप संख्या	83	33	16

* जी०एल०के० सम० = ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर समकक्ष
** एल०के०एम० = लाइन किलोमीटर
*** एस०एल०के० = मानक लाइन किलोमीटर
\+ जी०एल०के० = ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर
++ वर्ग कि०मी० = वर्ग किलोमीटर

(ग) राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा अन्वेषण के लिए चालू वर्ष अर्थात् 2000-01 हेतु निर्धारित निधि लगभग 2452 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) ओ०एन०जी०सी०, ओ०आई०एल० तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा निम्न बेसिनों में सर्वेक्षण किए गए हैं :–

कैम्बे बेसिन, हिमालय की तराई, विंध्यन बेसिन, कावेरी, बेसिन, कृष्णा-गोदावरी बेसिन, ऊपरी असम बेसिन, असम-अराकान फोल्ड बेस्ट, गंगा घाटी बेसिन, राजस्थान बेसिन, जैसलमेर बेसिन, कच्छ-सौराष्ट्र बेसिन, सतपुरा बेसिन, दामोदर बेसिन तथा पूर्व तट व पश्चिम तट बेसिन।

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

6480. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री ब्रजमोहन राम :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विचाराधीन परियोजनाओं के ब्यौरा सहित बिहार में वर्तमान में कौन-कौन सी विद्युत परियोजना कार्य कर रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेशी/निजी निवेशकों ने राज्य में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा जाहिए की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसवंती मेहता) : (क) से (घ) आज तक की स्थितिनुसार बिहार राज्य में विद्युत स्टेशनों तक नाम और उनकी अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जिन विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है और जो क्रियान्वयनाधीन है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

मै० एन०टी०पी०सी० की एक परियोजना नामश: कहलगांव टी०पी०एस०-चरण-2 (2x660 मे०वा०) मात्र ही के०वि०प्रा० में विचाराधीन है। के०वी०प्रा० में कोई जल विद्युत स्कीम जांचाधीन नहीं है।

10वीं और 11वीं योजनावधि में बिहार राज्य में निम्नलिखित अंतर्राज्यीय और अंतरक्षेत्रीय मेगा विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

1. उत्तरी करनपुरा एसटीपीपी—हजारी बाग 2000 मे०वा० एनटीपीसी द्वारा
2. बाढ़ एसटीपीपी—पटना जिला 2000 मे०वा० एनटीपीसी द्वारा
3. कहलगांव चरण-2, भागलपुर जिला 1500 मे०वा० एनटीपीसी द्वारा
4. मैथॉन दायां तट-धनबाद जिला डीवीसी एवं बीएसईएस

उपरोक्त उल्लिखित मेगा विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (कहलगांव को छोड़कर) तैयार की जानी है और तकनीकी-आर्थिक स्वीकृती हेतु इन्हें के०वि०प्रा० में प्रस्तुत किया जाना है।

(ङ) और (च) निजी निवेशक नामश: मै० जमशेदपुर पावर कम्पनी वर्तमान में जोजोबेरा टीपीपी (2x120 मे०वा०) की स्थापना कर रही है जिसके नौवीं योजना के दौरान चालू हो जाने की संभावना है।

विवरण-I

बिहार में विद्युत केन्द्रों की अधिष्ठापित क्षमता

ताप विद्युत

1.	पटना	13.50 मे०वा०
2.	मुज्जफरपुर	220.00 मे०वा०
3.	बरौनी	320.00 मे०वा०
4.	पतरातू	840.00 मे०वा०
5.	तेनूघाट	420.00 मे०वा०

जल विद्युत

6.	सोन पश्चिम कनाल	6.60 मे०वा०
7.	पूर्वी गंडक कैनाल	15.00 मे०वा०
8.	सोन पूर्वी कैनाल	3.30 मे०वा०
9.	सुवर्णरेखा	130.00 मे०वा०
10.	कोसी	20.00 मे०वा०

केन्द्रीय क्षेत्र

ताप विद्युत

11.	कलहगांव चरण-I	840.00 मे०वा०
12.	चन्द्रपूरा	780.00 मे०वा०
13.	बोकारो	877.50 मे०वा०
14.	मैथान जीटी	90.00 मे०वा०

जल विद्युत

15.	पंचेट हिल	80.00 मे०वा०
16.	तिलैया	4.00 मे०वा०
	जोड़ :	4659.90 मे०वा०

विवरण-II

क्रम सं०	परियोजना का नाम क्षमता (मे०वा०)	स्थिति	चालू करने की तिथि
1	2	3	4
ताप विद्युत			
1.	जोजोबेरा टीपीपी (2x210)	वित्तीय समापन 17.12.98 को प्राप्त किया गया था मुख्य संयंत्र और मशीनरी के लिए ओदश भेल को 4/98 में दे दिया गया है।	यूनिट-1 (6/2001) यूनिट-2 (9/2001)
जल विद्युत			
1.	कोयल कारो (4x172.5+1x20)	निधियों की कमी तथा स्थानीय आन्दोलन के कारण कार्य रुके पड़े हैं।	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से 8 वर्ष

1	2	3	4
2.	चन्देली एलबीसी (2x4)	निर्माण कार्य पूरे होने वाले हैं। टीजी सेटों का उत्थान प्रगति पर है।	2001-02
3.	नॉर्थ कोयल (2x12)	सिविल कार्य अंशत: पूरे कर लिए गये हैं, इसके अतिरिक्त एनटीपीसी के साथ संविदात्मक समस्याओं के कारण सिविल कार्य रुके पड़े हैं टीजी सेट्स स्थल पर प्राप्त हो गये हैं।	2001-02

डाक वितरण में विलंब

6481. **प्रो० दुखा भगत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में डाक वितरण में विलंब के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में डाक के सुचारू और समय पर वितरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों में डाक के वितरण में विलंब से संबंधित शिकायतें भी शामिल थीं तथा वर्ष 1998-99 में, ऐसी शिकायतों की संख्या 47,869 थी जो वर्ष के दौरान निपटाए गए डाक परियात का 0.0003 प्रतिशत बैठता है। डाक वितरण में विलंब अधिकांशत: ट्रेनों/राज्य परिवहन की बसों तथा एयर लाइन्सों के अनियमित/विलंब से चलने के कारण होता है, तथा विभाग डाक के पारेषण के लिए इन एजेंसियों पर आश्रित है। मानवीय असफलता के कारण भी विलंब हो जाता है, परन्तु ऐसा केवल यदा-कदा ही होता है।

(ग) डाक पारेषण तथा वितरण की निरंतर पुनरीक्षा के लिए डाक विभाग में एक प्रभावशाली प्रणाली है, ताकि विलंब को दूर किया जा सके। डाक का सुचारू एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) डाक के समय पर पारेषण के लिए इंडियन एयरलाइन्स, रेलवे तथा राज्य परिवहनों के प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वय रखा जाता है।

(ii) मुंबई तथा चेन्नई में मशीन द्वारा छंटाई प्रारम्भ की गई है तथा महानगरों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में मोपेडों के माध्यम से डाक के वितरण के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान की गई है।

(iii) छंटाई को सुगम बनाने तथा डाक के पारेषण एवं वितरण में तेजी लाने के लिए ग्रीन चैनल (स्थानीय), मैट्रो चैनल, राजधानी चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल तथा पत्रिका चैनल के माध्यम से प्रारंभिक अवस्था में डाक को अलग-अलग किया जाता है।

(iv) डाक का लाइव सर्वे किया जाता है तथा वितरण की कार्यकुशलता की मानीटरिंग के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

(v) अधिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मेल कार्यालयों में पंजीकृत छंटाई का तथा महानगरों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में ट्रांजिट मेल कार्यालयों में डाक पारेषण का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(vi) पिनकोड के प्रयोग का प्रचार किया जा रहा है।

(vii) प्राप्तकर्ताओं से संपर्क करके वितरण कर्मचारियों के गुणात्मक कार्य की जांच की जाती है तथा वितरण में विलंब के लिए दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

(viii) विभाग द्वारा वितरण सेवा को प्रदान किए जा रहे महत्व का आकलन श्रेष्ठ पोस्टमैन पुरस्कार योजना द्वारा हो जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक छमाही में देश के प्रत्येक डिवीजन में श्रेष्ठ वितरण कर्मचारी की पहचान की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

(ix) पारेषण में तेजी लाने के लिए वीएसएटी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है तथा इस प्रकार अधिक समयबद्ध तथा कार्यकुशल वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

पूर्वांचल हेतु वन प्रोत्साहन योजना

6482. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में वनों के प्रतिशत में आई कमी के कारण संभावित पारिस्थितिकीय असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए कोई वन प्रोत्साहन योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो असंतुलन दूर करने के लिए योजना कब तक बनाए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) 'पूर्वांचल एकीकृत वनीकरण विकास स्कीम' के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) के 20 जिलों के लिए तीन वर्षों (1999-2000

से 2001-2002) के लिए 4193.66 लाख रुपए की एक परियोजना तैयार करके वर्ष 1999-2000 में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार, नई दिल्ली के योजना आयोग को प्रस्तुत की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध परियोजना में रिक्त पद

6483. श्री सईदुज्जमा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध परियोजना में कितने अधिकारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणियों से संबंधित लोगों को आरक्षित पदों पर नियुक्तियों में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में उक्त श्रेणियों हेतु पद भरने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) वर्तमान में टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (टीएचडीसी) में 315 अधिकारी कार्यरत हैं।

(ख) से (घ) टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लि० (टीएचडीसी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता रहा है। तथापि, इन श्रेणियों में आरक्षण हेतु 45 पदों का बैकलाग बताया गया है जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(i) अनुसूचित जाति (एससी)	29
(ii) अनुसूचित जन-जाति (एसटी)	10
(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग	6
जोड़ :	45

उपरोक्त बैकलाग का मुख्य कारण जल विद्युत उत्पादन के विशेष क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव रखने वाले योग्यता प्राप्त लोगों की अनुपलब्धता होना बताया गया है। टीएचडीसी एक खुले विज्ञापन के माध्यम से एससी, एसटी तथा ओबीसी से संबंधित अधिकारियों के एक विशेष भर्ती अभियान चलाकर इस बैकलाग को पूरा करने का प्रस्ताव रखता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में डाकघर

6484. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री हरिभाऊ शंकर महाले :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय श्रेणीवार और जिलेवार कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में विशेषकर नासिक जिले के मालेगांव क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 के दौरान नए डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के दौरान डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है। मालेगांव परिक्षेत्र में डाकघर तभी खोला जाएगा जब वह नए डाकघर खोलने के लिए विनिर्धारित मानदंडों के अनुरूप होगा। इसके अलावा, यह धनराशि उपलब्ध रहने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी पर भी निर्भर करेगा।

विवरण

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में श्रेणीवार डाकघर

क्रम सं०	जिले का नाम	प्रधान डाकघर		विभागीय उप डाकघर		अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		कुल	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	औरंगाबाद	1	शून्य	25	21	शून्य	शून्य	3	243	29	264
2.	जालना	1	शून्य	12	18	शून्य	शून्य	शून्य	199	13	217
3.	बीड़	1	शून्य	15	18	शून्य	शून्य	2	286	18	304
4.	धुले	1	शून्य	14	20	शून्य	शून्य	5	222	26	242
5.	नन्दुरबार	शून्य	शून्य	8	11	शून्य	शून्य	1	181	9	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	नासिक	3	शून्य	48	43	शून्य	शून्य	14	554	65	597
7.	नानदेड़	1	शून्य	26	25	शून्य	शून्य	शून्य	412	27	437
8.	परभनी	1	शून्य	21	11	शून्य	शून्य	शून्य	272	22	283
9.	लातूर	1	शून्य	13	16	शून्य	शून्य	शून्य	257	14	273
10.	जलगांव	3	शून्य	33	38	1	13	2	429	39	480
11.	उस्मानाबाद	1	शून्य	13	16	शून्य	शून्य	शून्य	251	14	267
12.	रत्नागिरि	2	शून्य	14	64	शून्य	4	2	564	18	632
13.	कोल्हापुर	3	शून्य	40	51	1	9	2	445	46	505
14.	सांगली	2	शून्य	24	55	1	13	1	319	28	387
15.	सिन्धुदुर्ग	2	शून्य	7	49	शून्य	5	शून्य	304	9	358
16.	थाणे	3	शून्य	74	38	2	1	23	283	102	322
17.	रायगढ़	2	शून्य	29	35	1	3	5	356	37	394
18.	मुंबई	11	शून्य	250	शून्य	1	शून्य	11	शून्य	273	शून्य
19.	सतारा	2	शून्य	32	56	शून्य	9	3	553	37	618
20.	शोलापुर	2	शून्य	40	51	1	4	7	424	50	479
21.	अहमदनगर	2	शून्य	27	75	शून्य	शून्य	4	539	33	614
22.	पुणे	3	शून्य	142	67	शून्य	1	33	544	178	612
23.	अकोला	1	शून्य	26	21	शून्य	5	2	341	29	367
24.	अमरावती	2	शून्य	32	20	1	19	6	370	41	409
25.	बुल्दाना	2	शून्य	18	18	शून्य	8	1	304	21	330
26.	भंडारा	2	शून्य	9	23	शून्य	7	1	258	12	288
27.	चंद्रपुर	1	शून्य	12	23	शून्य	5	2	285	15	313
28.	गढ़चिरोली	शून्य	शून्य	3	12	शून्य	शून्य	1	167	4	179
29.	नागपुर	3	शून्य	87	23	शून्य	7	2	227	92	257
30.	वर्धा	1	शून्य	19	10	शून्य	3	शून्य	152	20	165
31.	यवतमाल	1	शून्य	21	22	शून्य	4	शून्य	321	22	347
	कुल	61	शून्य	1134	950	9	120	133	10062	1337	11132
गोआ											
1.	उत्तर गोआ	1	शून्य	35	38	शून्य	1	5	99	41	138
2.	दक्षिण गोआ	1	शून्य	14	17	शून्य	2	2	43	17	62
	कुल	2	शून्य	49	55	शून्य	3	7	142	58	200

रसोई गैस में मिलावट

6485. श्री श्रीमती कैलाशो देवी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू रसोई गैस में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा अधिकांशत: किन क्षेत्रों में हो रहा है; और

(ग) इस मिलावट में लिप्त व्यक्तियों को नामजद करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी कदाचार/अनियमितताओं में लिप्त पाया जाता है तो सिद्ध हुए कदाचार/अनियमितता के लिए इसके स्वरूप के आधार पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की जाती है।

महाराष्ट्र में एल०पी०जी० एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों की स्थापना

6486. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में रसोई गैस की एजेंसियां और पेट्रोल पंप खोलने संबंधी सरकार की क्या योजनाएं हैं;

(ख) महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली और शोलापुर जिलों में रसोई गैस कनेक्शन के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) इन प्रतीक्षा सूचियों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) महाराष्ट्र राज्य और इसके पश्चिमी भाग के लिए पिछली विपणन योजनाओं से संबित स्थानों के अतिरिक्त वर्तमान विपणन योजना 1996-98 में 124 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 84 खुदरा बिक्री केन्द्री डीलरशिप शामिल की गई हैं।

(ख) और (ग) 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर में 11861, जिला सांगली में 18939 और जिला शोलापुर में 3343 की प्रतीक्षा सूची थी।

तेल कंपनियों को 1.12.1999 को विद्यमान प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान पूरे देश के लिए 1 करोड़ नए एल पी जी कनैक्शन जारी करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का आदेश

6487. श्री अनंत गुडे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के हाल ही के आदेश के अनुपालन में दिल्ली सरकार ने सड़क परिवहन व्यवस्था से हजारों सार्वजनिक परिवहन की बसों तथा अन्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस नए कदम का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या यह कदम देश के अन्य महानगरों में भी उठाए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी महानगरवार क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, और

(घ) दिल्ली और अन्य महानगरों में वायु प्रदूषण के वर्तमान स्तर का महानगरवार ब्यौरा क्या है तथा इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में आठ वर्ष से अधिक पुरानी डीजल से चलने वाली बसों और दिल्ली में चल रहे 1990 से पहले के ऑटो और टैक्सियों को सड़क से हटा लिया गया है। इन वाहनों को सड़क से हटा लेने के बाद परिवेशी वायु गुणवत्ता में प्रदूषकों का स्तर कम होता दिखाई पड़ रहा है।

(ग) इस समय सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई कदम उठाने का विचार नहीं है।

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार वर्ष 1990 के दौरान दिल्ली सहित अन्य महानगरों के आवासीय क्षेत्रों में परिवेशी वायु प्रदूषकों के स्तर का मूल्यांकन (वार्षिक औसत) निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :–

शहर	सल्फर डाइ ऑक्साइड (एसओ 2) (यूजी/एम 3)	नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड (एनओ 2) (यूजी/एम 3)	निलम्बित धूलकण प्रदार्थ (एसपीएम) (यूजी/एम 3)
दिल्ली	16.3	26.5	351
मुम्बई	14.4	29.9	247
कलकत्ता	31.5	29.2	268
चेन्नई	8.2	14.0	77
हैदराबाद	15.8	28.4	223
अहमदाबाद	10.8	10.3	34

दिल्ली और अन्य महानगरों में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं—सारे देश में 1.4.2000 से निर्मित मोटर वाहनों के लिए यूरो-I मानकों के समान भारत 2000 के रूप में ज्ञात कठोर व्यापक उत्सर्जन मानक तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1.4.2000 से निजी वाहनों (गैर वाणिज्यिक) के पंजीकरण के लिए यूरो-II मानकों के समान भारत स्टेज-II के रूप में ज्ञात और अधिक कठोर व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित करना, सारे देश में 1.4.1999 से प्रभावी दो स्ट्रोक इंजन ऑयल की विशिष्टियों, ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के अनुरूप उन्नत गुणवत्ता ईंधन की आपूर्ति, सीसायुक्त् पेट्रोल का चलन बन्द करना, ऑटो ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) को अपनाना, स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा, अनुरूपी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के बारे में अधिसूचना जारी करना।

गुजरात में बनासकंठा में एल०पी०जी० एजेंसियों की स्थापना

6488. श्री हरिभाई चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के बनासकंठा जिले में अब तक किन स्थानों पर एल पी जी एजेंसियां स्थापित की गई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन एजेंसियों को और कितने अतिरिक्त एल पी जी कनेक्शन दिए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन एजेंसियों में नए कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया; और

(घ) जारी किए गए अतिरिक्त कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है और इन जिलों में एजेंसीवार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) फिलहाल जिला बनासकांठा में चार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं अर्थात् पालनपुर में दो, दान्तीवाडा में एक तथा दीसा में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 7915 एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए। 1.4.2000 तक की प्रतीक्षा सूची 5692 थी।

इसके अलावा मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड भी बनासकांठा जिले में प्रायोगिक आधार पर सचल भराई वाहनों/स्किडों के माध्यम से एलपीजी आपूर्ति कर रही है।

प्राकृतिक गैस की खोज

6489. डा० गिरिजा व्यास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष और अगले दो वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस की खोज के लिए किन्हीं अन्य स्थानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक गैस की खोज के लिए सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) अन्वेषण, जो एक जारी प्रक्रिया है, तेल और प्राकृतिक गैस (हाइड्रोकार्बन) के लिए एक साथ किया जाता है और इसमें भूकंपीय आंकड़ा अर्जन, संसाधन, निर्वचन, संभावना पहचान एवं वेधन सम्मिलित हैं। अन्वेषण कार्य किया गया है और यह निम्नांकित बेसिनों में किया जाएगा :—

कैम्बे, बेसिन, हिमालय की तराई, विंध्य बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा-गोदावरी बेसिन, ऊपरी असम बेसिन, असम-अराकान वलन पट्टी, गंगा घाटी बेसिन, राजस्थान बेसिन, जैसलमेर बेसिन, कच्छ-सौराष्ट्र बेसिन, सतपुड़ा बेसिन तथा पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट बेसिन।

(ग) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक के दौरान अन्वेषण के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों के द्वारा निर्धारित धनराशि लगभग 5716 करोड़ रुपए है।

आई०ओ०सी० तथा के०पी०सी० द्वारा उद्यम की परियोजनाएं

6490. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन का, कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के संयुक्त उद्यम से कुछ नई परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में कुल कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जुलाई, 1998 में सरकार ने इंडिया आयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 8270 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर उड़ीसा में जगतसिंहपुर जिलान्तर्गत एक 9 एम०एम०टी०पी०ए० क्षमता वाली रिफाइनरी की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया था।

कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने अब स्वयं को इस संयुक्त उद्यम से अलग कर लिया है। इंडियन आयल कार्पोरेशन की, इस परियोजना को, जिसको अगस्त, 2003 तक पूरा होने का कार्यक्रम है, स्वयं निष्पादित करने की योजना है।

कन्टेनर हैंडलिंग क्रेन

6491. श्री नरेश पुगलिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई पत्तन न्यास ने वर्ष 1998 में ''कंटेनर्स हैंडलिंग क्रेन्स'' को पट्टे पर देने के लिए खुली निविदा आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्रेनों की अनुपलब्धता के कारण कितने राजस्व का घाटा हुआ है;

(च) क्या इस घाटे के लिए जिम्मेदारी नियत की गई है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस निविदा को जारी न करने की वर्तमान स्थिति क्या है और राजस्व का और अधिक घाटा रोकने के लिए उक्त ठेका को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केवल दो वैध निविदाएं थीं और जब निविदाओं का विश्लेषण किया जा रहा था तो बोर्ड को यह पता चला कि न्यूनतम निविदाकर्त्ता वित्तीय रूप से अधिक सक्षम नहीं था। विस्तृत जांच के बाद बोर्ड ने दूसरे निविदाकर्त्ता को ठेका सौंपने का निर्णय लिया।

(घ) न्यूनतम निविदाकर्त्ता ने सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। सरकार ने चेन्नई पत्तन में ''विशिष्ट समाधान'' के रूप में कंटेनर टर्मिनल के प्रचालन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करने संबंधी नवीनतम निर्णय के मद्देनजर चेन्नई पत्तन न्यास को क्रेन पट्टे पर देने के प्रस्ताव की समीक्षा करने का निदेश दिया।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) चेन्नई पत्तन न्यास बोर्ड प्रस्ताव की पुन: जांच कर रहा है।

हरिहर से महाराष्ट्र तक चार लेनों वाली परियोजना का सर्वेक्षण

6492. श्री कोलुर बासवन गौड़ : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरिहर से महाराष्ट्र तक चार लेनिंग का काम शुरू करने के लिए सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का काम सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजना रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित पैकेजों में कार्य किया जा रहा है :-

(i) हरिहर-हवारी (282-340 कि०मी०) 58 कि०मी० लम्बाई।

(ii) बेलगांव बाइपास (495-515 कि०मी०) की 20 कि०मी० लम्बाई।

(iii) हरिहर-महाराष्ट्र सीमा, बेलगांव बाइपास और हुबली-धारवाड़ बाइपास (340-592 कि०मी०) को छोड़कर, 202 कि०मी० लम्बाई।

(घ) से (ङ) विभिन्न खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सन् 2000 के अंत तक प्राप्त होने का लक्ष्य है।

वन भूमि संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

6493. श्री चिन्तामन वनगा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वन भूमि संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने के संबंध में वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन्हें क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 22.8.1997 के अपने आदेश में दिया है कि एक अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित किसी क्षेत्र की अधिसूचना को वापस लिए जाने से पहले संबंधित राज्य सरकार इस संबंधी प्रस्ताव को भारतीय वन्यजीव बोर्ड के पास इसके मत जानने के लिए भेजेगा और तदुपरान्त प्रस्ताव को भारतीय वन्यजीव बोर्ड के मत के साथ राज्य की विधान सभा में विचार के लिए रखा जाएगा।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरश: अनुपालन किया जा रहा है।

तमिलनाडु में दूरसंचार सुविधाएं

6494. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में 15 अगस्त, 2000 से पहले शत-प्रतिशत टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकारी प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मार्च 2002 तक तमिलनाडु में मांग पर टेलीफोन उपलबध कराने की योजना बनाई है। तथापि, घटे हुए रजिस्ट्रेशन प्रभारों की विशेष पेशकश के दौरान चेन्नई टेलीफोन जिला के मामले में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 77000 नए रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और ऐसी संभावना है कि 15 अगस्त 2000 तक इन सभी नए रजिस्ट्रेशनों को संपर्कता प्रदान कर दी जाएगी।

(ग) टेलीफोन शिफ्ट करने तथा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की सरल करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :–

(i) अखिल भारत आधार पर शिफ्ट के मामले में विलंब को कम करना, पूर्ण संज्ञापन टिप्पणी पर कार्रवाई करने के अलावा फील्ड अधिकारी फैक्स के जरिए लेखा अधिकारी (टी०आर०) को एक प्रति भेजेगा अथवा ब्यौरा फोन पर सूचित किया जाएगा ताकि वह टेलीफोन कनेक्शन कट जाने की तारीख तक उपभोक्ता को बिल जारी कर सके।

(ii) वह उपभोक्ता को एक मुहरबंद कवर में समापन (क्लोजर) प्रमाण-पत्र सौंपेगा ताकि इसे नए स्टेशन पर टेलिफोन कनेक्शन के लिए आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत कर सके।

(iii) वाणिज्यिक अधिकारियों को, लेखा अनुभाग के बिना किसी उल्लेख के पिछले बिल की दत्त कॉपी सहित आवेदन की प्राप्ति पर तत्काल ओबी जारी करने के लिए कहा जाए।

(iv) किसी भी व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी की गैर-ओवाई टी सामान्य तथा ओ वाईटी - सामान्य श्रेणियों में दिए गए टेलिफोनों का स्थानांतरण, इसे लगाए जाने के एक वर्ष के बाद करने की अनुमति है, जिसके लिए स्थानांतरण कराने वाले व्यक्ति को 500/-रु० का भुगतान करना होता है। यह राशि अप्रतिदेय है।

(v) विशेष श्रेणी के तहत प्रदान किए जाने गए टेलीफोनों को तीसरी पार्टी को ट्रांसफर करने की अनुमति 500/-रु० के अप्रतिदेय शुल्क के भुगतान के प्रति है यदि इसके रजिस्ट्रेशन की तारीख गैर-ओ वाई टी सामान्य श्रेणी के तहत कर दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाएं

6495. श्री राम टहल चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बतनो की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुमला और रांची के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क की खस्ता हालत के कारण रोजाना बड़ी संख्या में जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस राजमार्ग की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, इस रा०रा० की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने गत दो वर्षों के दौरान राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए 618.88 लाख रु० और सड़क गुणता को बेहतर बनाने के लिए विशेष मरम्मत हेतु 515.05 लाख रु० का प्राक्कलन स्वीकृत किया।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	मूल (लाख रु०)	मरम्मत तथा रख-रखाव (लाख रु०)
1997-98	88.51	117.19
1998-99	45.89	104.61
1999-2000	235.37	295.35

[अनुवाद]

डाकघर के भवन का निर्माण

6496. श्री के० येरननायडू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में डाकघर भवन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंबाला हरियाणा में रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना

6497. **श्री रतन लाल कटारिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के अंबाला जिले में रसोई गैस के कनेक्शन हेतु कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटाए जाने की संभावना है;

(ग) वर्ष 2000 के दौरान जिले में कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे; और

(घ) अगले कुछ वर्षों में जिले में स्थापित किए जाने वाली नई रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार हरियाणा के अंबाला जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या 16297 है।

(ख) और (ग) देश भर में नए एलपीजी कनेक्शन एलपीजी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्टॉक उनकी व्यवहार्यता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत पूरी प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए वर्ष 2000 के दौरान सरकार की योजना लगभग 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने की है।

(घ) अंबाला जिले में दो स्थान एलपीजी विपणन योजना 1996-98 में शामिल किए गए हैं।

प्राइवेट बेसिक ऑपरेटर्स

6498. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
डा० रमेश चंद तोमर :
श्री आर०एल० भाटिया :
श्री अब्दुल हमीद :
प्रो० रासासिंह रावत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट बेसिक ऑपरेटर्स ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भागीदारी नहीं निभा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार घनत्व को बढ़ाने और प्रभावपूर्ण सेवाएं प्रदान करने हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना शुरू करने हेतु प्राइवेट बेसिक ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के निर्देश पर प्राइवेट बेसिक ऑपरेटर्स द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या प्राइवेट बेसिक ऑपरेटर्स द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। टेलीफोन सेवा के निजी लाइसेंसधारकों को, उनके द्वारा अपने लाइसेंस करारों में, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों के लिए की गई प्रतिबद्धता के लक्ष्यों को उक्त तीन वर्षों के पूरा होने तक हासिल करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) लाइसेंसधारकों ने अभी तक अपने द्वारा प्रतिबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी निश्चित समय-सीमा का संकेत नहीं दिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी कम्पनियों की विद्युत परियोजनाएं

6499. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री होलखोमांग हौकिप :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक विदेशी कम्पनियों के सहयोग से स्थापित या स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसमें भाग लेने वाली विदेशी और भारतीय कम्पनियों के नाम और ब्यौरे क्या हैं तथा कुल निवेश की धनराशि कितनी है और ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित समय-सारणी क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशी कम्पनियों के निवेश से संबंधित ऐसी 59 निजी विद्युत परियोजनाएं हैं जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता है। इसमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों ने विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन 20 परियोजनाओं का ब्यौरा एवं मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्ण रूप से चालू की गई सात निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा एवं मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	लागत (करोड़ रु०)	विदेशी/भारतीय भागीदार	चालू होने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1.	भद्रावती टीपीएस (मै० सेंट्रल इंडिया पावर) महाराष्ट्र	1072	5187	इस्पात एलॉय लिमिटेड/जीईसी यू०के०/ ईडीएफ, फ्रांस	वित्तीय समापन से 42-48 माह
2.	दुबुरी टीपीपी यूनिट-1 व 2 (मै० कलिंग पावर कार्पोरेशन) उड़ीसा	500	2191.53	जॉर्ज सैकेलरीज, यूएसए/फोस्टर व्हीलर, यूएसए, पार्सन पावर सिस्टम, यू०के०	वित्तीय समापन से 33-36 माह
3.	गौरीपुर टीपीपी (मै० गौरीपुर पावर कंपनी (पश्चिम बंगाल)	150	659.44	थर्मो इकोटेक यूएसए/भेल/बिरला टैक्नीकल/डब्ल्यूबीएसईबी	वित्तीय समापन से 32 माह
4.	रोजा टीपीपी (मै० इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स) उत्तर प्रदेश	567	2432.43	आदित्य बिरला ग्रुप/पावरजेन, यू०के०	वित्तीय समापन से 40 माह
5.	श्रीनगर एचईपी (मै० डंकन्स नॉर्थ हाइड्रो पावर कं० लि०) उत्तर प्रदेश	330	372.32	डंकन्स इंडिया/सिनर्जिक/यूएसए	वित्तीय समापन से 62 माह
6.	भिलाई टीपीपी (मै० भिलाई पावर सप्लाई कंपनी) मध्य प्रदेश	574	2489.71	एल एंड टी/सैल/कम्यूनिटी एनर्जी अल्टरनेटिव, यूएसए	वित्तीय समापन से 39 माह
7.	पीठमपुर डीजीपीपी (मै० शपूरजी पलोनजी पावर कं०लि०) मध्य प्रदेश	119.7	442	शपूरजी पलोनजी पावर/वार्टसिला, फिनलैंड	वित्तीय समापन से 14-17 माह
8.	रतलान डीजीपीपी [मै० जीवीके पावर (रतलाम)] मध्य प्रदेश	118.63	451.29	जीवीके ग्रुप/वार्टसिला, फिनलैंड	वित्तीय समापन से 14-17 माह
9.	विजाग टीपीएस (मै० एचएनपीसीएल) आंध्र प्रदेश	1040	4628.12	हिन्दुजा पावर/नेशनल पावर, यू०के०	वित्तीय समापन से 38-44 माह
10.	रामागुण्डम विस्तार (मै० बीपीएल ग्रुप) आंध्र प्रदेश (आईसीबी रूट पर)	520	2384.57	मै० बीपीएल, इंडिया/मरूबेनी कार्पोरेशन, इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट, जापान	वित्तीय समापन से 33-39 माह
11.	कृष्णापट्नम "बी" टीपीपी (बीबीआई कृष्णापट्नम कं०) आंध्र प्रदेश (आई सीबी रूट पर)	520	2221.32	कांटीनेंटल एनर्जी सर्विस डलीनोवा जेनरेटिंग कंपनी पीएमडीसी, बीबीआई यूएसए	वित्तीय समापन से 36-42 माह
12.	नागार्जुन टीपीपी (मै०. नागार्जुन पावर कार्पोरेशन लि०) कर्नाटक	1015	5495.99	नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स लि०/ फायरसीड लि०, हांगकांग	वित्तीय समापन से 38-42 माह
13.	बंगलौर सीसीपीपी (मै० पीन्या पावर) कर्नाटक	107.6	390.593	सुभाष प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग लि०/ कोन्टल पावर, यूएसए	वित्तीय समापन से 19 माह
14.	नार्थ मद्रास टीपीएस-2 (मै० वीडियोकोन पावर) तमिलनाडु	1050	4423.80	वीडियोकोन/एबीबी, स्विटजरलैंड/नेशनल पावर, यू०के०	वित्तीय समापन से 42-46 माह
15.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (मै० एसपीआईसी) तमिलनाडु	525	2324.10	तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्ट्स लि०/पावर जेन०, यूके	वित्तीय समापन से 39 माह
16.	नार्थ मद्रास टीपीपी (मै० त्रि-शक्ति एनर्जी प्राइवेट लि० तमिलनाडु	525	2246.77	पेम्बीनान रेडजई, मलेशिया प्रो-मैजेस्टिक, मलेशिया जीईसीए, यूके/पीएसई, यूएसए	वित्तीय समापन से 37 माह

1	2	3	4	5	6
17.	समयनल्लूर डीजीपीपी (मै० बालीजी पावर), तमिलनाडु	106	384.221	बालाजी ग्रुप/वार्टसिला डीजल फिनलैंड/ ओजडेन एनर्जी, यूएसए	वित्तीय समापन से 14-17 माह
18.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै० समलपट्टी पावर कं०लि०), तमिलनाडु	106	390.822	शिव इंडस्ट्रीज/शपूरजी पलोनजी वार्टसिला डीजल, फिनलैंड/ओजडेन एनर्जी, यूएसए	वित्तीय समापन से 14-17 माह
19.	जायमकोंडम टीपीपी (मै० जायमकोंडम लिग्नाइट पावर कार्पोरेशन लि०), तमिलनाडु (आईसीबी रूट पर)	500	*	रिलायंस/नार्थ अमेरिकन कोल कार्पोरेशन, यूएसए/फोस्टर व्हीलर, यूएसए/ कंसोलिडेटड इलेक्ट्रिक पावर एशिया लि०, यूएसए	प्रवर्तकों द्वारा पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृत हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सौंपी जानी है।
20.	एनरॉन सीसीजीटी (मै० दक्षिण भारत एनर्जी कंसोर्टियम), तमिलनाडु (आईसीबी रूट पर)	1884.64	*	मै० सीमेन्स, जर्मनी/सीएमएस एनर्जी, सिंगापुर/ग्रासिम इंडिया/वुडसाइड डेवलेप-मेंट, आस्ट्रेलिया/यूनोकल भारत लि०, मॉरीशस	प्रवर्तकों द्वारा पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सौंपी जानी है।

*परियोजना प्रवर्तकों द्वारा पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अभी प्रस्तुत की जानी है।

विवरण-II

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	लागत (करोड़ रु०)	विदेशी/भारतीय भागीदार
1.	जेगुरूपाडु सीसीजीटी (मै० जीवीके इंडस्ट्रीज लि०), आंध्र प्रदेश	216	816	एपीएसईबी/इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन/ सीएमएस जेनेरेशन यूएस/जीवीके
2.	गोदावरी सीसीजीटी (मै० स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड), आंध्र प्रदेश	208	748.43	स्पैक्ट्रम टैक्नोलॉजी, यूएसए/जया फूड्स
3.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै० जीएमआर वासवी पावर कार्पोरेशन लि०), तमिलनाडु	200	756.778	जीएमआर वासवी/रोजी ब्लू ग्रुप, लैक्जम्बर्ग/ हुंडई, कोरिया/ओडजेन, यूएसए
4.	डाभोल सीसीजीटी चरण-1 (मै० डाभोल पावर कंपनी), महाराष्ट्र	740	9051.27	एनरॉन, जनरल इलेक्ट्रिक, बेकटेल, यूएसए/ एमएसईबी
5.	तोरांगल्लू टीपीपी (मै० जिन्दल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी), कर्नाटक	260	1093.86	जिन्दल ग्रुप/ट्रैक्टेबल, बेल्जियम
6.	पगुथन (गुजरात पावर जेन० एनर्जी कार्पोरेशन लिमिटेड)	654.7	2298	पावर जेन०, यू०के०/जीपीसीएल/सीमेन्स, जर्मनी
7.	हजीरा सीसीजीटी (मै० एस्सार पावर लिमिटेड)	515	1666	एस्सार ग्रुप/प्राइम हजीरा, मॉरीशस

[अनुवाद]

इरिडियम उद्यम

6500. **डा० नीतिश सेनगुप्ता :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरिडियम उद्यम को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वी०एस०एन०एल० ने इस उद्यम को चलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में दूरसंचार उद्योग के भावी विकास पर इससे कितना प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 17 मार्च, 2000 को 11.59 बजे, ईएसटी (अमेरिकन ईस्टकोस्ट स्टैण्डर्ड टाइम) इरिडियम सेवाएं निरस्त कर दी गयी थी। तथापि, आईटीएल ने सूचित किया कि मोटरोला जो इरिडियम की मुख्य प्रवर्तक एवं शेयरधारक कम्पनी है, ने इरिडियम के उपग्रह समूहों को सीमित समयावधि के लिए प्रचालन और अनुरक्षण जारी रखने और दूरस्थ स्थानों के उपभोक्ताओं को कोई वैकल्पिक संचार सुविधा प्राप्त करने को अनुमति देने का निर्णय लिया है। तदनुसार मोटरोला ने गेटवेज (आईआईटीएल, भारत के मामले में) के सम्बन्ध में सलाह दी है कि वे अपने गेटवे का, प्रचालन बन्द करने का निर्णय स्वतंत्र रूप से लें और उसका अनुरक्षण अपने विवेक के आधार पर करें। आईआईटीएल ने सूचित किया है कि, आईआईटीएल के निदेशक मण्डल ने 23 मार्च, 2000 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में भारत में इरिडियम सेवाएं 31 मार्च, 2000 को समाप्ति पर 2400 से चरणबद्ध ढंग से बंद करने का निर्णय लिया है।

ऐसा समझा जाता है कि इरिडियम एलएलसी अनुमानित/प्रत्याशित उपभोक्ता संख्या में वृद्धि न कर पाने, खराब विपणन, अत्यधिक टैरिफ तथा उनके हैण्ड सेटों में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण असफल हो गयी है।

(ग) इरिडियम में वीएसएनएल की कोई शेयरधारिता नहीं है, इसलिए उस उद्यम को प्रचालनीय बनाने में वीएसएनएल कोई भूमिका नहीं निभा सकता।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आईआईटीएल द्वारा भारत में वाणिज्यिक सेवाएं केवल फरवरी, 1999 के अन्त तक शुरू रहीं जब हैण्ड सेट उपलब्ध हुए। अत्यधिक टैरिफ होने के कारण समूचे विश्व में यह सेवा लोकप्रिय नहीं हो पायी, भारत भी इससे बचा नहीं। यह समझा जाता है कि इरिडियम सेवाएं भारत में आधारभूत उपभोक्ता आधार प्राप्त नहीं कर पायीं, इस प्रकार इरिडियम सेवाएं बन्द कर दिये जाने के कारण मोटे तौर पर भारत के उपभोक्ता घाटे में नहीं रहेंगे।

एलपीजी एजेंसियों द्वारा सिलैंडर देने हेतु तय की जाने वाली दूरी

6501. **श्री अशोक ना० मोझेल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं द्वारा मांग करने पर उनके निवास स्थान पर एलपीजी सिलेंडर देने के लिए किसी एलपीजी एजेंसी के डिलीवरी मैन द्वारा तय की जाने वाली दूरी के संबंध में कोई दिशा-निर्देश/मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक विशेष रूप से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एलपीजी डीलर्स उपभोक्ताओं को उनके निवास स्थान पर एलपीजी सिलेंडर की सुपर्दगी करने से इंकार कर रही है;

(घ) क्या देश में सभी एलपीजी एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या एलपीजी एजेंसियां इन दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (च) तेल विपणन कंपनियों से सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को यह निर्देश है कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को घर पर सुपुर्दगी करें जा प्रचालन के अपने निर्धारित क्षेत्र में नकद दो तथा ले जाओ छूट प्राप्त नहीं करना चाहते। विभिन्न स्तरों पर तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की नियमित जांच भी की जाती है। जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तब डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार/विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार दोषी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

सड़क-नैटवर्क का संयोजन

6502. **डा० जसवन्त सिंह यादव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले अन्य पड़ोसी नगरों को जोड़ने वाला वर्तमान सड़क-नैटवर्क अगले पांच वर्षों में यातायात का बोझ वहन करने में समर्थ नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) कितने राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों से जोड़ते हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान में एक्सप्रेस-मार्गों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अभिज्ञात मुख्य प्रस्ताव हैं – राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन (4 लेन बनाना), सात एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण और सड़क प्रणाली की भीतरी और बाहरी ग्रिड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना। ब्यौर संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने वाले 6 रा०रा० निम्न प्रकार हैं :–

(i) रा०रा०-1 : दिल्ली-अमृतसर

(ii) रा०रा०-2 : दिल्ली-कलकत्ता

(iii) रा०रा०-8 : दिल्ली-जयपुर

(iv) रा०रा०-10 : दिल्ली-रोहतक-हिसार

(v) रा०रा०-24 : दिल्ली-लखनऊ

(vi) रा०रा०-58 दिल्ली-हरिद्वार

(घ) और (ङ) जी, हां। प्रस्तावों के ब्यौर संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

(1) निम्नलिखित रा०रा० का स्तरोन्नयन (चार लेन बनाना)

(i) रा०रा० सं० 1 : दिल्ली से पानीपत

(ii) रा०रा० सं० 2 : दिल्ली से पलवल

(iii) रा०रा० सं० 8 : दिल्ली से गुड़गांव (6 लेन), गुड़गांव से बहरोर (4 लेन)

(iv) रा०रा० सं० 10 : दिल्ली से रोहतक

(v) रा०रा० सं० 24 : दिल्ली से हापुड़

(2) निम्नलिखित एक्सप्रैस मार्गों का निर्माण :–

(i) फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद एक्सप्रैस मार्ग (56 कि०मी०)

(ii) गाजियाबाद-कुंडली एक्सप्रैस मार्ग (42 कि०मी०)

(iii) कुंडली-पानीपत एक्सप्रैस मार्ग (रा०रा० 1 के समानांतर, 90 कि०मी०)

(iv) गाजियाबाद-मेरठ एक्सप्रैस मार्ग (38 कि०मी०)

(v) दिल्ली को कुंडली में रा०रा० 1 और फरीदाबाद में रा०रा० 2 से जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा के साथ पेरीमीटर एक्सप्रैस मार्ग (85 कि०मी०)

(vi) दिल्ली में विद्यमान रिंग रोड पर उन्नत एक्सप्रैस मार्ग (52 कि०मी०)

(vii) 2001 से आगे नए सरेखण पर दिल्ली-लोनी-नोएडा-सूरजपुर-बुलंदशहर-खुर्जा से अलीगढ़ (कुल 150 कि०मी०) का सुझाव।

(3) चौड़ा करना भीतरी और बाहरी ग्रिड सड़क प्रणाली को चार लेन का बनाना।

विवरण-II

इस समय रा०रा० क्षेत्र में एक्सप्रैस मार्गों के निर्माण के निम्नलिखित 3 प्रस्ताव हैं :-

(i)	फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद	56 कि०मी० लम्बा
(ii)	कुंडली-गाजियाबाद और गाजियाबाद-मेरठ	80 कि०मी० लम्बा
(iii)	रा०रा०-10 और रा०रा०-8 होते हुए कुंडली में रा०रा०-1 और फरीदाबाद में रा०रा०-2 को जोड़ते हुए पश्चिमी बाहम सीमा एक्सप्रैस मार्ग	85 कि०मी० लम्बा

इनके लिए साध्यता अध्ययन पहले ही कर लिए गए हैं। राजस्थान राज्य में एक्सप्रैस मार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डीजल तथा पेट्रोल पंपों की आवश्यकता

6503. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 2001 तक डीजल एवं पेट्रोल बिक्री केन्द्रों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बी पी सी एल, आई ओ सी, आई बी पी, एच पी आदि विभिन्न कंपनियों के बिक्री केन्द्रों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(घ) वर्ष 2010 तक ऐसे बिक्री केन्द्रों में निजी कंपनियों के बाजार शेयर का अनुमानित प्रतिशत कितना होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क)

और (ख) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की जरूरत का मूल्यांकन करने के लिए तेल कंपनियां समय-समय पर व्यवहार्यता सर्वेक्षण करती हैं। व्यवहार्य पाए गए स्थानों को विपणन योजना में शामिल कर लिया जाता है।

(ग) 1.10.1999 की स्थिति के अनुसार भारत में 17299 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलशिप प्रचालन में थीं। कंपनीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

कंपनी	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
आई०ओ०सी०	7032
बी०पी०सी०	4421
एच०पी०सी०	4397
आई०बी०पी०	1449

(घ) 2010 तक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों में निजी कंपनियों के अनुमानित बाजार हिस्से का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण

6504. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए प्रथानयाथित्ता जिले के कोक्काथोडु में कार्य शुरू करने हेतु केरल राज्य विद्युत बोर्ड को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रायोजित विद्युतीकरण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	ऋण परिव्यय (लाख रु०)
1997-98	100	11566
1998-99	97	43842
1999-2000	146	38894

(ग) केरल राज्य विद्युत बोर्ड की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों की ऋण सहायता का ब्यौरा निम्नवत है :–

वर्ष	संवितरित ऋण (लाख रुपये)
1997-98	5200
1998-99	13703
1999-2000	22722

(घ) और (ङ) जी, नहीं। गांवों को अभिज्ञात कर प्राथमिकता आधार पर उनके विद्युतीकरण का निर्णय राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के मद्देनजर तथा राज्य सरकारों की नीतियों और निवेशों के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

6505. श्री मानसिंह पटेल :
डा० बलिराम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मांडवी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची काफी लम्बी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने प्रतीक्षा सूची के निपटान और उक्त क्षेत्र और जिलों में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार गुजरात (सूरत एम एस ए में मांडवी चुनाव क्षेत्र) के मांडवी क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कुल 3004 व्यक्ति हैं तथा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों में क्रमश: 4500 एवं 5103 व्यक्ति हैं। एक्सचेंज-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि, नए एक्सचेंजों को खोलने तथा एक्सटर्नल प्लांट को तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ताकि मार्च 2001 तक, लंबित प्रतीक्षा सूची का निपटारा किया जा सके बशर्ते की उपस्कर की प्राप्ति समय से हो।

विवरण

31.03.2000 की स्थिति के अनुसार गुजरात के मांडवी क्षेत्र की एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	आरेथ	09

1	2	3
2.	बाजीपुरा	140
3.	बारदोली	683
4.	बोधान	0
5.	बुहारी	0
6.	धातवा	0
7.	दोलारा	0
8.	दोलवान	0
9.	फोर्ट सोनगढ़	0
10.	गंगाधारा	0
11.	घाटा	0
12.	गोदावाड़ी	0
13.	कादोड़	0
14.	काडोदरा	178
15.	कामरेज	548
16.	कारचेलिया	66
17.	कारजान	0
18.	काथोर	0
19.	माधी	0
20.	महुवा	355
21.	माँडवी	282
22.	निजार	327
23.	पालसाना	0
24.	सारभोन	0
25.	सेवनी	0
26.	शामपुरा	0
27.	उछाल	0
28.	उकाई	0
29.	वालोड़	0
30.	वालवाड़ा	0
31.	वराड	0
32.	व्यारा	369
33.	वानकनेर	47

31.03.2000 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिले की एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
आजमगढ़ जिला		
1.	अहिरौला	60
2.	अम्बारी	10
3.	अंजानशहीद	60
4.	अतरौलिया	50
5.	आजमगढ़	400
6.	बनकट	125
7.	बिलरियागंज	200
8.	बिंदवल	80
9.	[illegible]	80
10.	बिद्राबाजार	150
11.	बिलामऊ	50
12.	चांदपट्टी	80
13.	चित्तेपुर	145
14.	देवगांव	150
15.	दीदारगंज	114
16.	गोसाईं की बाजार	20
17.	जहानागंज	5
18.	जीयनपुर	115
19.	कंचनपुर	6
20.	कंधरापुर	5
21.	कप्तान गंज	100
22.	खानहानी	15
23.	कोईल्सा	30
24.	कौरियो	12
25.	लालगंज	70
26.	लालघाट	80
27.	लाहीडीह	80
28.	मारटीन गंज	90

1	2	3
29.	महाराजगंज	80
30.	माहुल	5
31.	मेहनगर	90
32.	मेहराजपुर	90
33.	मुबारकपुर	110
34.	निजामाबाद	250
35.	पालहाना	10
36.	पवाई	14
37.	फरिहा	80
38.	फूलपुर	359
39.	रानी की सराय	90
40.	सानजारपुर	260
41.	सरायमीर	208
42.	सरदहा	90
43.	सथियांव	110
44.	सिंघपुर	5
45.	सेनपुर	10
46.	सुम्भी बाजार	7
47.	तरवा	100
48.	ठेकमा	130
49.	तहबरपुर	20
मऊ जिला		
1.	अडारी	0
2.	आईलाख	0
3.	अमीला	81
4.	अतरसावां	92
5.	बोझी	132
6.	चाकरा	0
7.	चिरियाकोट	213
8.	डोहारीघाट	0
9.	डुबराई	121
10.	हल्धरपुर	69
11.	घोसी	219
12.	करहा-ए	192
13.	करहा-बी खुरहट	40
14.	कुरथीजफ्फारपुर	84
15.	कुशामौर	0
16.	कोपागंज	303
17.	मधुबन	500
18.	मर्यादपुर-ए मर्यादपुर-बी	85
19.	मऊ	1575
20.	मोहम्माबाद	549
21.	नदवासराया	251
22.	पिपराडीह	0
23.	रानीपुर	79
24.	रतनपुरा	171
25.	सेमरीजमालपुर	103
26.	सिपाह	41
27.	सुग्गीचौरी	37
28.	सूरजपुर-ए सूरजपुर-बी	137
29.	सुल्तानपुर	29

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में बहि:स्रावी शोधन संयंत्र की स्थापना

6506. श्री राघैया मल्याला :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की बहि:स्रावी शोधन संयंत्र की स्थापना में राज्य सरकारों की सहायता करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अंबरपेट में बहि:स्रावी शोधन संयंत्र की स्थापना हेतु सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव की जांच करा ली गयी है और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश को दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सी०ई०टी०पी०) पर एक स्कीम है जिसमें बहिस्राव के शोधन हेतु सी०ई०टी०पी० के निर्माण के लिए लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सी०ई०टी०पी० की वित्तपोषण पद्धति में केन्द्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार से समान अंशदान की शर्त पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत दिया जाता है। 20 प्रतिशत अंशदान उद्यमी का होता है तथा बाकी धनराशि वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में ली जा सकती है।

(ग) से (ङ) अम्बरपेट में मलजल शोधन संयंत्र (एस०टी०पी०) संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत धनराशि के आबंटन हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अम्बरपेट को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

उड़ीसा में विद्युत परियोजनाएं

6507. श्री भर्तृहरि महताब : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा द्वारा अनुमोदन हेतु कितनी विद्युत परियोजनाएं प्रस्तुत की गई;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उनमें से कुल कितनी परियोजनाएं अब तक अनुमोदित की गई हैं;

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं से कितनी विद्युत का उत्पादन होने की आशा है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) गत तीन वर्षों अर्थात् 1997-98 से 1999-2000 के दौरान तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में दो विद्युत परियोजनाएं नामश: आईबीवैली टीपीपी यूनिट 5 व 6 और हिरमा टीपीपी उड़ीसा राज्य से प्राप्त हुई है। वर्तमान स्थिति समेत इन प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्रम सं०	परियोजना/क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेवा०)	केविप्रा में प्राप्ति की तिथि	वर्तमान स्थिति
1.	इंब वैली टीपीपी यूनिट 5 व 6 (मै० एईएस वैली कारपोरेशन)	2x250 = 500	8/97	केविप्रा द्वारा 26.2.99 को स्वीकृति प्रदान की गई है।
2.	हिरमा टीपीपी (मै० सीईपीए प्रा० लि०)	6x720 = 4320	30.09.98	प्रस्ताव 30/11/98 को लौटा दिया गया था। प्राप्त किए जाने वाले निवेशों/स्वीकृतियों में डीपीआर/लागत के संबंध में राज्य सरकार की सिफारिशों, ईंधन लिंकेजों का पुन: वैधीकरण, सुनिश्चित संपूर्ण लागत, अनंतिम वित्तीय पैकेजों तथा पर्याप्त विद्युत निकासी प्रणाली शामिल है। इस परियोजना के बाद में नवम्बर, 1998 में घोषित की गई संशोधन मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत मेगा परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया था और अब केविप्रा की टीईसी अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

संविधान समीक्षा आयोग के सदस्यों का वेतन

6508. श्री तूफानी सरोज : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु नवगठित राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का कोई वेतन निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सदस्यों के वेतन में भारी अनियमितताएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त समिति के लिए किसी कार्यालय का चयन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) आयोग के अध्यक्ष प्रतिमास 33,000/- रुपए मानदेय के हकदार हैं। अन्य सदस्य ड्यूटी के दौरान प्रतिदिन 1000/- रुपए दैनिक भत्ते के हकदार हैं। तथापि, आयोग के ऐसे सदस्य, जो संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभाषित भत्ते के सिवाय किसी भी पारिश्रमिक या भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग को कार्यालय सुविधा विज्ञान भवन ऐनेक्सी में दी गई है।

[अनुवाद]

उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने संबंधी योजना

6509. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के विद्युत ग्रिड को पारेषण लाइन के साथ जोड़ने के संबंध में कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या दक्षिण बिहार में विद्युत के बहुतायत मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद पारेषण लाइन के अभाव में बिहार के उत्तरी भाग में सदा अंधकार रहता है;

(ग) क्या मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ को विद्युत पारेषण लाइन के साथ जोड़ने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) दक्षिण बिहार के हाथीदह एवं उत्तर बिहार के बरौनी के बीच 132 केवी की डबल सर्किट लाइन पहले ही क्रियाशील है। दक्षिण बिहार के बिहारशरीफ एवं उत्तर बिहार के बेगुसराय के मध्य 220 केवी की डबल सर्किट लाइन का निर्माण चल रहा है और इसके वर्ष 2000 में चालू हो जाने की आशा है। दक्षिण बिहार के फतवा एवं उत्तर बिहार के हाजीपुर के बीच 220 केवी की एक डी/सी लाइन बनाई गई थी, पर गंगा नदी क्रासिंग के पास इसका हिस्सा बह गया है और इसे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पुन: निर्मित किया जाना है।

(ख) उत्तर बिहार में ऊर्जा के अभाव का प्रमुख कारण है– इसके उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली सम्बंधी समस्याएं और बि०रा०वि० बोर्ड की अपनी पूर्ण जरूरत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र से बिजली लेने पर एनटीपीसी एवं पावरग्रिड को पूरा भुगतान करने में असमर्थता।

(ग) और (घ) पावरग्रिड ने ताला जल विद्युत परियोजना (भूटान) से बिजली की प्राप्ति हेतु मुजफ्फरपुर में एक 400 केवी का एक उप-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस 400 केवी के मुजफ्फरपुर के उप-केन्द्र को 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के जरिए पूर्णिया से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार यह मालदा, फरक्का, कहलगांव के जरिए 400 केवी पारेषण लाइनों द्वारा बिहारशरीफ से जुड़ जाएगा।

विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की उपयोगिता अवधि का आकलन

6510. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत, सीमेंट संयंत्रों आदि में कोयले की उपयोगिता अवधि के आकलन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन हेतु कुल कितने विद्युत संयंत्रों की पहचान की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। केवल विद्युत क्षेत्र में कोयले की उपयोगिता हेतु विद्युत विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से कोयले की उपयोगिता अवधि पर अध्ययन किया जाना है। इस अध्ययन के उद्देश्य, एजेंसियों की भूमिका और संभावित निधीकरण अभी विचाराधीन हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पता लगाया है कि 42 विद्युत संयंत्र निर्धारित बहिस्राव: मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्राइवेट इन्टरनेट सेक्टर में विदेशी निवेश

6511. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट इन्टरनेट सेक्टर में 49% तक विदेशी पूंजी निवेश करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)/अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/ओवरसीज कार्पोरेट बॉडी (ओसीबी) को इंटरनेट सेवाओं में 49 प्रतिशत तक पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

"इको सिटीज" का विकास

6512. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सात शहरों को "इको सिटीज" के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों के नाम क्या-क्या हैं और इसके चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद,

बंगलौर और अहमदाबाद शहरों को जनसंख्या मापदंडों के आधार पर "इको-सीटीज कॉनसेप्ट" के तहत रखा गया है।

(ग) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) राज्यों को वानिकी क्षेत्र के आबंटन में बढ़ोत्तरी के लिए कहा गया है।

(ii) राज्यों को कहा गया है कि वे 9वीं और 10वीं योजना के शेष वर्षों के दौरान आबंटन को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित चालू स्कीमों के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(iii) राज्यों को विदेशी एर्जेसियों से धनराशि प्राप्त करने के लिए परियोजना की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(iv) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और भारतीय वन सर्वेक्षण को अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, सर्वेक्षण और सीमांकन आदि के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु वृहत परियोजनाएं तैयार करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोन सेवा

6513. **श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए कितनी कम्पनियों को अधिकृत किया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में अधिकृत की गई और कार्य कर रही कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रों के चयन के संबंध में कम्पनियों और सरकार की क्या भूमिका है;

(घ) मोबाइल/सेलुलर टेलीफोन सेवा प्रदान किए जाने संबंधी वर्तमान नियम क्या हैं;

(ङ) देश के कितने जिलों में उक्त सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं; और

(च) वर्ष 2001-2002 के दौरान स्थानवार देश के कितने जिलों को उक्त सेवा के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) चार महानगरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए 8 लाइसेंस 8 भारतीय पंजीकृत कंपनियों को जारी किये गये थे तथा 18 दूरसंचार सर्किलों के लिए 34 लाइसेंस, 14 भारतीय पंजीकृत कंपनियों को जारी किये गये। लाइसेंस प्राप्त कंपनियों तथा उसके संबंधित सेवा क्षेत्रों को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) प्राअवेट सेल्यूलर ऑपरेटरों को स्वीकृत लाइसेंस करारों के अनुसार लाइसेंस को प्रभावी तिथि से प्रथम वर्ष में जिला मुख्यालयों के न्यूनतम 10 प्रतिशत भाग कवर करना होंगे और लाइसेंस की प्रभावी तारीख के तीन वर्षों के भीतर जिला मुख्यालयों का 50 प्रतिशत भाग कवर करना होगा। लाइसेंसधारकों को जिला मुख्यालयों के बदले जिले के किसी अन्य कस्बे को कवर करने की भी अनुमति दी गयी है। कवर किये जाने वाले जिला मुख्यालयों/कस्बों का चयन और 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों/कस्बों का और विस्तार करने का मामला लाइसेंस प्राप्त कंपनियों पर उनके द्वारा लिए गए व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करता है। लाइसेंस करार के अनुसार इस कवरेज मानदण्ड को पूरा करने में होने वाले विलम्ब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार्य है।

(घ) लाइसेंस करार की मुख्य शर्तें जिनके अन्तर्गत सेवा प्रचालित करनी है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा यथा प्रस्तुत प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा कवर किये गये जिला मुख्यालयों और शहरों/कस्बों की सूची – संलग्न विवरण-III में दी गयी है। उनसे संबंधित सेवा क्षेत्रों में आने वाले शेष जिले/शहर इस समय सुविधाएं हैं।

देश में शेष बचे भाग में सेल्यूलर/मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार सेवा विभाग (डी०टी०एस०) को तथा दिल्ली मुम्बई में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम०टी०एन०एल०) को भी लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। दूरसंचार सेवा विभाग (डी०टी०एस०) द्वारा प्रारम्भ में प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत कवर किये जाने हेतु प्रस्तावित जिला मुख्यालयों/शहरों के नाम संलग्न विवरण-IV में दिये गये हैं, दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए ठोस योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-I

प्राइवेट सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालकों और संबंधित सेवा क्षेत्रों की सूची

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	सेवा क्षेत्र (महानगरीय जिले/दूरसंचार सर्किल)
1	2	3
1.	भारती सेल्यूलर लि०	दिल्ली
2.	स्टरलिंग सेल्यूलर लि०	दिल्ली
3.	बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशन लि०	मुंबई
4.	कूचीसन मैकस टेलीकॉम लि०	मुंबई
5.	मोदी टेलेस्ट्रा प्रा० लि०	कलकत्ता
6.	उषा मार्टिन टेलीकॉम लि०	कलकत्ता
7.	आर०पी०जी० सेल्यूलर सर्विसेज लि०	चेन्नई

1	2	3
8.	स्काईसेल कम्यूनिकेशंस (प्रा०) लि०	चेन्नई
9.	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि०	हरियाणा
10.	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि०	राजस्थान
11.	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि०	उ०प्र० (पूर्व)
12.	फारसेल लि०	गुजरात
13.	हेक्साकॉम इंडिया लि०	उत्तर प्रदेश
14.	हेक्साकॉम इंडिया लि०	राजस्थान
15.	जे०टी० मोबाइल लि०	आंन्ध्र प्रदेश
16.	जे०टी० मोबाइल लि०	पंजाब
17.	जे०टी० मोबाइल लि०	कर्नाटक
18.	कोशिका टेलीकॉम प्रा० लि०	उड़ीसा
19.	कोशिका टेलीकॉम प्रा० लि०	बिहार
20.	कोशिका टेलीकॉम प्रा० लि०	उ०प्र० (पूर्व)
21.	कोशिका टेलीकॉम प्रा० लि०	उ०प्र० (पूर्व)
22.	टाटा कम्यूनिकेशस प्रा० लि०	आन्ध्र प्रदेश
23.	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशंस प्रा० लि०	हरियाणा
24.	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशंस प्रा० लि०	उ०प्र० (पूर्व)
25.	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशंस प्रा० लि०	केरल
26.	बी पी एल सेल्यूलर लि०	तमिलनाडु
27.	बी पी एल सेल्यूलर लि०	केरल
28.	बी पी एल सेल्यूलर लि०	महाराष्ट्र
29.	भारती टेलीनेट लि०	हिमाचल प्रदेश
30.	आर पी जी सेलकॉम लि०	मध्य प्रदेश
31.	बिरला ए टी एंड टी कम्यूनिकेशंस लि०	गुजरात
32.	बिरला ए टी एंड टी कम्यूनिकेशंस लि०	महाराष्ट्र
33.	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा०) लि०	मध्य प्रदेश
34.	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा०) लि०	पश्चिम बंगाल
35.	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा०) लि०	असम
36.	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा०) लि०	बिहार
37.	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा०) लि०	हिमाचल प्रदेश
38.	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा०) लि०	उत्तर पूर्व
39.	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा०) लि०	उड़ीसा
40.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस	कर्नाटक
41.	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि०	पंजाब
42.	एयरसेल लि०	तमिलनाडु

टिप्पणी :- फिलहाल ये लाइसेंस रद्द हो गए हैं।

विवरण-II

1. लाइसेंसधारक कम्पनियां भारतीय पंजीकृत कम्पनियां होंगी।

2. लाइसेंस की प्रारम्भिक अवधि 10 वर्ष की होगी, जिसे सरकार बढ़ा सकती है। अब यह लाइसेंस अवधि नई दूरसंचार नीति-1999 (एनटीपी-99) व्यवस्था में माइग्रेशन पैकेज के तहत बढ़कर 20 वर्ष कर दी गयी है।

3. लाइसेंसधारक, लाइसेंस की प्रभावी तिथि के 12 महीने के भीतर सेवा प्रदान करे।

4. यह सेवा ग्लोबल सिस्टम्स फार मोबाइल कम्यूनिकेशन्स (जीएसएम) मानक के अनुसार होगी। तथापि, मौजूदा लाइसेंसधारकों को एनटीपी-99 व्यवस्था में उनके माइग्रेशन पर, माइग्रेशन पैकेज की शर्तों में उन्हें किसी अन्य प्रौद्योगिकी अथवा जीएसएम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए अपने नेटवर्क का विस्तार करने की अनुमति होगी।

5. यह सेवा, लाइसेंस करार में निर्धारित टेरिफ जो अब भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा विनियमित हैं, की सीलिंग के दायरे में ही प्रदान करनी होगी।

6. लाइसेंसधारक यथा लागू एक्सेस और जंक्शन प्रभार के अतिरिक्त, लाइसेंस शुल्क का भुगतान दूरसंचार प्राधिकारी को करेगा।

7. लाइसेंसधारक वायरलेस लाइसेंस शुल्क, डब्ल्यू पीसी (वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोआर्डिनेशन विंग) रायल्टी, जीएसएस एमओयू (ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्यूनिकेशन्स–मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैण्डिंग) प्रभार आदि का भी भुगतान करेगा।

8. लाइसेंस गैर-विशिष्ट आधार पर जारी किये जाते हैं। अधिकतम दो आपरेटरों को प्रति शहर/सर्किल में प्रचालन की अनुमति थी। तथापि, मौजूदा प्रचारकों को टीआरएआई की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् एनटीपी-1999 के अनुसार तथा माइग्रेशन पैकेज की शर्तों के अनुसार कई (मल्टी पल) ऑपरेटरों के प्रवेश की अनुमति है।

9. दूरसंचार विभाग (डीओटी) को स्वयं अथवा किसी नामित सार्वजनिक अधिकारी के माध्यम से किसी/सभी क्षेत्रों में तृतीय आपरेटर के रूप में सेवा प्रचालन का अधिकार होगा। देश में सेवा प्रचालन के लिए अब डीटीएस/एमटीएसएल को लाइसेंस प्रदान कर दिये गए हैं।

10. लाइसेंसधारकों को भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा-5 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कालों की निगरानी करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।

11. लाइसेंसधारक कम्पनी में प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी कुल इक्विटी के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

12. स्वदेशी तथा बाह्य वाणिज्यिक ऋण वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित होगा।

विवरण-III

भारत के सेल्युलर सुविधा युक्त नगर/शहर

क्रम सं०	सर्किल	आपरेटर	सुविधायुक्त वास्तविक जिला मुख्यालयों के नाम	डीएचक्यू के स्थान पर शामिल किए गए शहर (डीएच क्यू का नाम)	शामिल किए गए शहर
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	जेटी मोबाइल लिमिटेड	हैदराबाद, गुंटूर, नेल्लूर, विशाखापट्नम	विजयवाड़ा (मछली पट्टनम) अमाला पुरम (पूर्वी गोदावरी) तिरूपति (चित्तूर)	रंगारेड्डी, कृष्णा, विजाग, उप्पल, कट्टेडन, हयातनगर, पट्टेनचेरू, गन्नावरम, कंकीपड्, उदवीनेक्कला, तेनाली, बुडमपड्, वजेंदला, पन्नूर, चेबरोलू, डगरथी, कावूर, कोड्डूर, मियांड्, मयूकूर, बचीरेड्डी, पेलम, चित्तूर, चन्द्रागिरि, बडयालापेटा, गजूला मडयाम, गजूवाका, अगनमपुडी।
	-वही-	टाटा कम्यूनिकेशन शन प्रा०लि०	हैदराबाद, गुंटूर, विशाखापट्टनम, एलूरू, संगारेड्डी, नेल्लूर, काकीनाड़ा	विजयवाड़ा (मछलीपट्टनम) राजामुंद्रै (काकीनाडा) सूर्यापेटा (नलगोंडा) तिरूपति (चित्तूर)	रंगारेड्डी, कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, काकीनाड़ा, लिंगायपल्ली, कुकटपल्ली, उप्पल, वनस्थलीपुरम, शौमाबाद, मेड़यल, जीदीमेकला, कपरा, हयातनगर, गणप्पावरम, हनुमान जंक्शन, टोलापरोल, इब्राहिमपटनम, मंगलागिरि, अनकापल्लि, गजूवाका, जेलामंचिली, पायाकारापेटा, मछलीपट्टनम, राजानगरम, खलापेलभ, तेनी, परायीपाड़, भीमाडोल, भवरोली, टाड़ेपल्लिगुडुम, टनुकु, कोवरी, वटलूररू, पाटनचेरू, बोलारियम, अरानावाड़ा।
2.	असम	रिलायंस टेलीकॉम प्रा०लि०	गुवाहाटी	शून्य	गुवाहाटी
3.	बिहार	कोशिका टेलीकॉम प्रा०लि० (***)	पटना, गया, बिहार-शरीफ, हजारीबाग, रांची, धनबाद, बोकारो	शून्य	वास, कटरास, झरिया
	-वही-	रिलायंस टेलीकॉम प्रा०लि०	पटना, हाजीपुर, रांची, धनबाद	जमशेदपुर, झरिया दानापुर, वास	
4.	कलकत्ता	मोदी टेलस्ट्रा, प्रा०लि०			(महानगर) सभी में)
	-वही-	उषा मार्टिन टेलीकॉम लि०			-वही-
5.	चेन्नई	आरपीजी सेल्यूलर सर्विसेज लि०			सभी में (महानगर) मारीलेई नगर, एक्सपोर्ट प्रोमोशन जोन, मिनजूर, महाबलीपुरम
	-वही-	स्काईसेल कम्यूनिकेशन प्रा०लि०			सभी में (महानगर)
6.	दिल्ली	भारती सेल्यूलर लि०			सभी में (महानगर) गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा तथा गुड़गांव।

1	2	3	4	5	6
	दिल्ली	स्टर्लिंग सेल्यूलर लि०			सभी में (महानगर) गाजियाबाद, फरीदाबाद नोएडा, तथा गुड़गांवा।
7.	गुजरात	बिड़ला एटीएंडटी कम्युनिकेशन्स लि०	अहमदाबाद, गांधीनगर, भरूच, सूरत, वलसाड़, राजकोट, मेहसाना जामनगर, वडोदरा, खेड़ा	एन/ए	बरेजा, पोर करजान, किम, उधना, पिपोदरा, गणदेवी, चिकली, पार्वी, उदवाड़ा, डुंगरा, नवसारी, अंकलेश्वर, नडियाड, आनन्द, सिलवस्सा, वापी, अदलाज, कुदासन, कोबा, शेर्धा, सोल, गोटा, चिलोड़ा, सरखेज, खडियार, असूतल्लौ, जेतलपुर, उत्तरसांदा, भयाली, जसपुर, फर्टिलाइजर नगर, काशीपुरा, पलेज, अमोड, दीवा, झगदिया, कवीरवाड़, पलोली, कुसाक्बा, मंगरोल, सयान, कमरेज, कटोर, अमरोली, उटारन, दमास, सेओनपलसाना, अतुल, दादश, अनेल लिंच, धिर्नोज, पंचोट, खेरदा, यगरोदा।
	-वही-	फास्सेल लि०	गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, नडियांड, भरूच, सूरत, वलसाड मेहसाना, राजकोट, भावनगर, बडोदरा, नवसारी, भुज, जामनगर, ऊनागढ़	शून्य	सचिव, विल्लीमोड़ा, पार्दी, वापी, वी वी नगर, चटराल कतोल, सानंद, पादरा, वघोदिशा, बोरसांड़, अंकलेश्वर किम, पलसाना, गाजंदेवी, चिखली, दमन, सिलवस्सा, गांधीधाम खेड़ा।
8.	हरियाणा	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि०	सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, रोहतक	शून्य	
	-वही-	एस्कोटेज मोबाइल कम्यूनिकेशन प्रा० लि०	अंबाला, हिसार, करनाल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, रिवाड़ी, सोनीपत, सिरसा, यमुनानगर	शून्य	भिवानी, कैथल, शाहबाद, कुंडली, जगाधरी, कालका, बहादुरगढ़।
9.	हिमाचल प्रदेश	भारती टेलीनेट लि०	शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी	सरहन (सिरमौर) बांदला (बिलासपुर)	परवानू, बटटी, बरांटीवाला, बरोग, धल्ली, सागो, थिजोग, बुंटर, नलधेरा, कुफरी, कमोली, चेल, कॉडाघाट, भुंटेर, मनाली, सोलंग, नाला।
	-वही-	रिलायंस टेलीकॉम प्रा०लि०	शिमला	शून्य	शिमला
10.	कर्नाटक	जे०टी० मोबाइल्स लि०	बंगलौर, मैसूर, मंगलूर	शून्य	अटटीबेली, चन्द्रापुरा, नेलामंगला, नंजनगुडु, श्रीरंगापटटना उल्लल, पनामबुरू, कंकानाड़ी, वैकामपाडी, कोलूर, कोत्तर, अरवा सूरथकाल, दक्षिण, नड़ा

1	2	3	4	5	6
	कर्नाटक	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	बंगलौर कूर्ग, रायचूर, बीजापुर, मंगलूर, मैसूर हस्सन, बामकूर, देवनगिरि, हुबली, बैंलगाम, शिमोगा चिकमंगलूर, मांडया गुलबर्गा।	शून्य	चित्रदुर्गा, माडिकेरि, धरवाड़, गडग, रनीवेन्नूर, सागर, हरिहार, उडुपी, मणिपाल, भटकल, टिपटूर भद्रावती, हसकोटी, बिदाड़ी, नेलमंगला सकलेशपुर, कुंडापुर, गोकोप्पल, नंजनगुड़, होसपेट।
11.	केरल	बीपीएल सेल्युलर लि०	कालीकट, एल्लेपी, कोचीन कन्नूर, कोल्लाम, कोटटयाम मालारपुरम, पालाकट, त्रिस्सूर, त्रिर्वेन्द्रम	शून्य	कोजीकोड़े, अरूर, चवानकाड, येरताला, चेंगन्नूर, चंगन्नास्सेरी, गुरूवाय्यूर, करूणागपल्ली, कोडंगल्लूर, कुन्नमकुलम, मंजूरी, मुवटटपुजहा, पालल, थलास्सेरी, तिरूवल्ला, वरकाला, अलूबा, फिरोखी, मवेलीकाड़ा, यलकुड़ी, इरजिलकुड/पेरूम्बावूर, अंगामल्ली, कलमास्री त्रिपुनिथुरा, कोंडोटटी, बालापटनम, थोडुपजहा कांजीकोड़े।
	-वही-	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशंस प्रा० लि०	अल्लायुजहा, कोचीन, मल्लापुरम, कोल्लाम, कोजोकोढ़े, कोटटयाम, त्रिवेन्द्रम, त्रिसूर, पालाकाड़	शून्य	अलवा, अंगागली, एर्नाकुलम, अटटीगल, चालाकुडी, चंगनास्सेरी, चेगन्नूर, चिंगावनम, चेरयाला, चावाक्काड, एट्टूनूर, फिरोक, कलायासेरि, मंजेरी, पाल्लीभुक्कु, शक्तिकुनंगारा, तिरूवल्ला, त्रिपुनिथुरा, पालारूसेरी, त्रिरूर, कटटकल, पेरिथैमन्ना, कुन्नमकुलम, कांजनहाड़, कांजीकोड़े, कोड्डंगलूर, कयामकुलम, मवटनपुजहा, पेरूमबावूर, कासरकोड़े, थोड्पुजहा।
12.	मध्य प्रदेश	रिलायंस टेलीकॉम प्रा०लि०	इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, सिहोर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, दुर्ग	माडीदीप, पीतमपुर, सॉंकच, भिलाई,	
	-वही-	आरपीजी सेल्कॉम लि०	इंदौर, भोपाल, देवास, सिहोर, उज्जैन	मंडीदीप (रैसेन) पीथमपुर (धार)	धार, बेतमा, सागोर, रैसेन
13.	महाराष्ट्र	बिरला एटीएंडटी कम्युनिकेशंस लि०	पुणे, नासिक, अहमदनगर पंजिम, मदगांव, सतारा, कोल्हापुर, सागंली, औरंगाबाद, अलीबाग, जालना, अमरावती, अकोला, वर्धा जलगांव	लागू नहीं	भिवन्डी, उल्हासनगर, करद, भरगांव, इचलकरंजी, तेनोवाला, पिम्परी, छिंछवाड़, मापूसा, पोण्डा, चाकन, तेलेगांव, पेन, खोपोली, खंडाला, सिरूर, सूर्य, नेवासा, नरसापुर, शिरवल, इस्लामपुर, जयसिंहपुर, राजगुरूनगर, मंवार, सिन्नेर, माहापुर, रंजनगांव, चिकलथाना तिविम, पोरवोरियम, बेतिम, रायबंदर, पुराना गोवा, वनासतारिन, कुनदेम, गोवा, वेल्हा, एगेसेम, कोरतालिम, वर्ना नूवेप, मजोरदा, नावेलिम, काका, कावेलोसिम मोबूर, बेतुल, छपोरा फोर्ट, वेगेटर बीच, अंजुना बीच, वाणा बीच

1	2	3	4	5	6
					केलनगुटे, कैंडोलिम अगुआडा, फोर्ट मीरामार बीच, कोको, जमवाला, भारगागाव वास्को डामोलिम बेगमालो बीच, कोलवा, बेनॉलिम
	महाराष्ट्र	बीपीएल सेल्यूलर, लिमिटेड	पूणे, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, औरंगाबाद, सांगली, जलगांव, धूले, जालना, अमरावती, अकोला, मडगांव, अलीबाग, पंजिम, अहमदनगर	लागू नहीं	गोवा, इचलकरन्जी, मिराज, मालेगांव, भुसावल, करद, लोनावाला।
14.	मुंबई	बीपीएल मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि०			पूरी तरह से कवर किए गए (मेट्रो) नवी मुंबई, कल्याण
	-वही-	हचीसन मैक्स टेलीकॉम लि०			पूरी तरह से कवर किए गए (मेट्रो)
15.	पूर्वोत्तर	हेक्साकॉम इंडिया लिमिटेड			कोई नहीं
	-वही-	रिलायन्स टेलीकॉम प्रा०लि०	शिलांग	शून्य	शिलांग
16.	उड़ीसा	कोशिका टेलीकॉम प्रा०लि० (***)	कटक, पुरी, जगतसिंहपुर	भुवनेश्वर (खुर्दा)	पिपली
	-वही-	रिलायन्स टेलीकॉम प्रा० लिमिटेड	कटक, पुरी	भुवनेश्वर	
17.	पंजाब	जेटी मोबाइल लि० (***)			चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जलन्धर, लुधियाना, अमृतसर।
	-वही-	स्पइस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	चंडीगढ़, जलन्धर, लुधियाना, अमृतसर, भटिंडा, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, होशियारपुर, फरीदकोट, कपूरथला, नवांशहर, मुक्तसर, मोगा, फतेहगढ़, साहिब, फिरोजपुर	बटाला और पठानकोट (गुरदासपुर)	खन्ना, जगरांव, मोहाली, पंचकुला, मंडी, गोविन्दगढ़, राजपुरा, गौरैया, फगवाड़ा, व्यास, कोटकापुरा, नया, बरनाला, रामपुरा, फूल, मलौत, अबोहर, धूरी, मालेरकोटला, बंगा, महलपुर, डेरावस्सी, जिरकपुर, धनौल, फिलौला, खरर, करतारपुर, बहादुरगढ़, शम्भू, बनूर रावा, चिलवान, कहनेवाल, सेलसर्प, अबुल खराना, गोमियाना मंडी, वर्का
18.	राजस्थान	एयरसैल डिजिलिंक इंडिया लि०	जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर	शून्य	किशनगढ़
	-वही-	हैक्साकॉम इंडिया लिमिटेड	जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा	मकराना (नागौर)	बेवाड़, किशनगढ़

1	2	3	4	5	6
19.	तमिलनाडु	बीपीएल सेल्यूलर लिमिटेड	कोएम्बेटूर, कुड्डालोर, इरोड, कांचीपुरम, कारूर, मदुरई, नामक्कल, पंडिचेरी, सलेम, थंजावुर, ऊटी, तिरूनवेली, वेल्लोर, त्रिची, विल्लीपुरम, विरूद्नगर	लागू नहीं	भवानी, गोबीचट्टीपलायम, मट्टूपलायम पोल्लाची, राजापल्लायम, सिवाकासी, तिरूपुर, तिरूचिरापल्ली, उदामालपेटई, अविनासी, कुन्नूर, त्रिभुवनई, उदूमालपेट, रानीपेट, अरासुर।
	-वही-	एयरसैल लि०	कोएम्बेटूर, ऊटी, सलेम, इरोड, मदुरई, त्रिची, नागरकोयल, पॉडी, कांचीपुरम	तिरूपुर	थुडियालूर, पेरियानाएकेनपलायम, कोरोमंडल, मेट्टपलायम, अन्नूर, अविनाशी, सुलूर, पाल्लाडाम, पोल्लाची, उदूमालपेट, कुन्नूर, कोटागिरी, पल्लीपलायम, भावानी, कोमारापलायम, संकागिरी, पेरूनदुरई, थिरूचेंगोडू, पलानी, श्रीरंगम, माचचानालूर, थिरूवेराम्बूर, कुलीथालई, नामाक्कल, थान्जावुर।
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि०	लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, भदोही, उन्नाव	शून्य	
	-वही-	कोशिका टेलीकॉम प्रा०लि०	लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोही, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फैजाबाद, जौनपुर, बाराबंकी, गोरखपुर	शून्य	जगदीशपुर, नवाबगंज, मुगलसराय, शुक्लागंज
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि०	मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बुलंदशहर, बिजनौर, देहरादून, मथुरा, फिरोजाबाद, हरिद्वार, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, रूद्रपुर	हापुड़ (गाजियाबाद) हल्द्वानी (नैनीताल)	बिलासपुर, बाजपुर, काशीपुर, रुड़की, खतौली, मसूरी, चंदौसी, हाथरस, खुर्जा, किटडा, मोदीनगर, ऋषिकेश, संभल, शामली, वृन्दावन।
		कोशिका टेलीकॉम प्रा०लि० (***)	आगरा, मेरठ, देहरादून, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, हरिद्वार, मथुरा, सहारन-पुर, फिरोजाबाद, रामपुर, बरेली	हापुड़ (गाजियाबाद) हल्द्वानी (नैनीताल)	मोदीनगर, रूड़की, खुर्जा, खतौली, वृन्दावन, पिलखुवा, सिकन्दराबाद, पुरकाजी, फराह, कोसीकलां, दादरी, अमरोहा, रूद्रपुर, ऋषिकेश
22.	पश्चिम बंगाल	रिलायंस टेलीकॉम प्रा०लि०	दार्जिलिंग, गंगटोक	सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज, करसिआंग, बाराकर	

नोट : (***) ये लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और यहां उल्लिखित स्थिति अन्तिम प्रचलित स्थिति के अनुसार है।

विवरण-II

पहले चरण में दूरसंचार विभाग द्वारा प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित जिला मुख्यालयों/शहरों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. हैदराबाद
2. विजयवाड़ा
3. तिरूपति
4. गुंटूर
5. विशाखापट्टनम
6. अमलापुरम
7. काकीनाड़ा

तमिलनाडु

8. चेन्नई
9. मदुरै
10. कोयम्बटूर

बिहार

11. पटना
12. बिहार शरीफ
13. हाजीपुर
14. बाढ़
15. आरा
16. राजगीर

पश्चिम बंगाल

17. कलकत्ता
18. हल्दिया

[अनुवाद]

डाक्टरों को बहु-उपयोगी कार्यालय बनाना

6514. **डा० वी० सरोजा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं की बेहतर ढंग से सेवा करने के लिए डाक्टरों को बहु-उपयोगी कार्यालय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) डाक के पारेषण एवं वितरण के प्रमुख कार्य के अलावा बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि प्रदान करने के लिए डाकघर पहले ही बचत बैंक/नकद प्रमाण-पत्र योजनाएं, डाक जीवन बीमा, राजस्व एवं गैर-न्यायायिक टिकटों की बिक्री, पासपोर्ट आवेदन फार्मों की बिक्री, विभिन्न भर्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के फार्मों की बिक्री, टेलीफोन बिलों का संग्रहण आदि जैसी विविध सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(ग) उपुर्यक्त (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई०आर०सी०सी० द्वारा लीबिया में विकास कार्य

6515. **श्री रामदास आठवले :**
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीबिया सरकार ने आई०आर०सी०सी० द्वारा किए गए विकास कार्यों के बिलों का भुगतान अभी तक नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बिलों की कुल संख्या और इसका कुल मूल्य कितना है और यह कितनी अवधि से लंबित है; और

(घ) लीबिया सरकार द्वारा बिलों के भुगतान के संबंध में भारत-लीबिया संयुक्त आयोग के प्रयासों का क्या परिणाम निकला?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लीबिया में वित्तीय संकट के कारण आज की तारीख में 1.19 मिलियन लीबियाई दिनार की राशि जोकि लगभग 11.20 करोड़ रु० के बराबर है, 1993 से लीबिया द्वारा देय है।

(घ) आई०आर०सी०सी० की बकाया देय राशि प्राप्त करने के लिए त्रिपोली (लीबिया) में 12-15 अप्रैल, 1995 को हुई भारत-लीबिया संयुक्त आयोग की बैठक के सातवें अधिवेशन में प्रयास किए गए थे। यह मुद्दा दिल्ली में 15.7.96 को हुई अंतर-मंत्रालयीय बैठक में सातवें भारत-लीबिया संयुक्त आयोग पर अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान पुन: उठाया गया था। उपर्युक्त दो बैठकों के बावजूद देय राशि प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में सड़क का विकास

6516. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या उक्त परियोजना के लिए विदेशी और भारतीय निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋणों को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि एक घरेलू और विदेशी संस्थानों से प्राप्त और खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) 5 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली निम्नलिखित मुख्य परियोजनाएं तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माणाधीन है :

क्रम सं०	कार्य का नाम	लागत (करोड़ रु०)
1.	रा०रा०-7 के हतीपल्ली-होसुर खंड को 4 लेन का बनाना	38.75
2.	रा०रा०-7 पर आरओबी सहित करूर बाइपास, और अमरावती पुल	51.33
3.	रा०रा०-7 के थोपुर घाट खंड को 4 लेन का बनाना	25.87
4.	4 लेन वाले सलेम बाइपास का निर्माण (रा०रा०-7)	22.12
5.	चेन्नई बाइपास (चरण-1)	80.00
6.	रा०रा०-45 ए के 24/5-40/650 कि०मी० में (आर ओ बी को छोड़कर) मौजूदा 2 लेन कैरिजवे को मजबूत बनाना	7.83
7.	रा०रा०-47 के 599/0-611/0 कि०मी० में (पुल को छोड़कर) मौजूदा 2 लेन कैरिजवे को मजबूत बनाना।	5.88
8.	रा०रा०-5 के 26/4 कि०मी० में कोसथालयर में अतिरिक्त 2 लेन पुल का निर्माण और वर्तमान पुल में सुधार करना (बीओटी)	24.60

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानूनी सहायता योजना का शुरू किया जाना

6517. **श्री होलखोमांग हौकिप** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर मणिपुर में निर्धनों के लिए कानूनी सहायता योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संबंध में राज्य-वार हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु निर्धन लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस संबंध में, राज्यवार ब्यौरे और उपलब्धियां विवरण के रूप में सलंग्न हैं। नागालैंड से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) लोगों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देने और निर्धनों, जिनमें जनजाति के लोग भी हैं, के बीच विधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान आरंभ किया गया है। शीघ्र और लोगों को दहलीज पर कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के लिए संपूर्ण देश में जिला स्तरों पर भी स्थायी और अनवरत लोक अदालतें स्थापित की जा रही हैं।

विवरण

वर्ष	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको नि:शुल्क विधिक सदस्यता दी गई	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या	लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामलों की संख्या	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामलों में दिया गया प्रतिकर
1	2	3	4	5	6
		I अरुणाचल प्रदेश			
1997-98	16	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
1998-99	50	—	—	—	—
1999-2000 (30.11.99 को)	—	3	49	23	42,90,000/-रुपए
		II असम			
1997	इस समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है।	5	751	177	66,88,550/-रुपए
1998-99	14 उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति के माध्यम से। इस समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विवरण उपलब्ध हुआ नहीं है।	4	516	210	90,31,850/-रुपए
1999-2000	5 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से। इस समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है।	36	7936	1517	7,05,06,650/-रुपए
		III मणिपुर			
1997-98	2	—	—	—	—
1998-99	4	1	190	117	87,00,000/-रुपए
1999-2000 (30.11.99 को)	—	2	—	64	40,24,000/-रुपए
		IV मणिपुर			
1997-98	—	—	—	—	—
1998-99	—	—	—	—	—
1999-2000	—	3	186	49	49,06,000/-रुपए

मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 15.7.1998 को गठित किया गया था और इसने अप्रैल, 1999 से कार्य करना आरंभ किया।

		V मिजोरम			
1997-98	147	42	101	89	—
1998-99	1336	1	14	—	—
1999-2000 (जून, 1999 को)	643	23	17	—	—
		VI सिक्किम			
1997-98	—	—	—	—	—
1998-99	8	7	25	3	5,85,000/-रुपए
1999-2000	39	58	335	187	44,13,000/-रुपए
		VII त्रिपुरा			
1997-98	18	4	150	78	19,43,816/-रुपए
1998-99	30	5	676	278	56,07,316/-रुपए

जैव-विविधता कार्ययोजना

6518. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक विस्तृत जैव-विविधता रणनीति और कार्ययोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य हेतु ''ग्लोबल इनवायरमेंट फैसिलिटी'' (जी ई एफ) द्वारा कितना कोष उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) इस कार्ययोजना को कब तक निष्पादित कर दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने जैव-विविधता पर एक राष्ट्रीय नीति एवं बृहत् स्तरीय कार्य योजना तैयार की है। राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर विस्तृत सूक्ष्म स्तरीय कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्य प्रणाली और कार्य परियोजना (एन बी एस ए पी) आरम्भ की है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताओं में विकेन्द्रित राज्य स्तरीय आयोजना पर जोर देना और जैव-विविधता संरक्षण से संबंधित सभी सेक्टरों को शामिल करने के लिए अन्त: विषयी कार्य दलों का उपयोग शामिल है।

(ग) विश्व पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) ने इस परियोजना के लिए 968,200 अमरीकी डालर प्रदान किए हैं।

(घ) इस परियोजना की अवधि दो वर्ष है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर उपमार्ग का निर्माण

6519. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के ग्वालियर और महू में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर उपमार्ग का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) ग्वालियर बाइपास के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण और उपयोगिताओं के स्थानांतरण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है और यह कार्य प्रगति पर है। महू बाइपास के लिए संरेखण निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण और जांच संबंधी अनुमान भी स्वीकृत कर दिया गया है।

ताजमहल का संरक्षण

6520. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजमहल के संरक्षण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) ताजमहल की सुरक्षा हेतु क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

1. आगरा में विद्युत आपूर्ति में सुधार।
2. आगरा और फतेहपुर सीकरी के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा उनके आस-पास विद्युत आपूर्ति में सुधार।
3. जल आपूर्ति (आगरा)।
4. जल आपूर्ति (मथूर-वृन्दावन)।
5. गोकुल बांध।
6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
7. झंझा जल निकासी प्रणाली (आगरा)।
8. आगरा बाई-पास के एक भाग का निर्माण।
9. आगरा बाई-पास को चौड़ा किया जाना।
10. आगरा की सड़कों के मास्टर-प्लान में सुधार।

(ख) ये स्कीमें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 तक पूरी की जाने की योजना हैं।

वन उत्पाद संबंधी अनुसंधान योजना

6521. **डा० सुशील कुमार इंदौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वन उत्पादों पर किए गए अनुसंधान के आधार पर इसके माध्यम से आय बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में अनुसंधान कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इस संबंध में अब तक किए गए अनुसंधान के क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुसंधान योजना का क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। वन उत्पादों पर अनुसंधान द्वारा आय में वृद्धि करना वानिकी अनुसंधान के लक्ष्यों में से एक है।

(ख) मंत्रालय का वानिकी अनुसंधान कार्य भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् (आई सी एफ आर ई) और भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आई पी आई आर टी आई), बंगलौर द्वारा पुरा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में इन संस्थानों को योजना स्कीम के अन्तर्गत आबंटित की गई निधियां (करोड़ रुपयों में) निम्नलिखित हैं।

वर्ष	आई०सी०एफ० आर०ई०	आई०पी०आई० आर०टी०आई०
1997-98	54.74	0.45
1998-99	70.81	0.66
1999-2000	70.75	0.70

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. अल्पकालीन पौधरोपण द्वारा उगाए जाने वाले यूकेलिप्टस और पॉपप्लर के पोधों को चीरने, विकसित करने और शोधन करने की विधियों का विकास।
2. ग्रीष्मकालीन पौधों का अभिकल्प और विकास।
3. पेपर फेज अमोनिया प्लास्टीसाइजेशन तकनीक द्वारा मोड़दार लकड़ी की सज्जा सामग्री बनाने की तकनीक का विकास।
4. सादी दिखने वाली इमारती लकड़ी की प्रजातियों के रंग और संरचना में सुधार लाने के लिए अमोनिया प्रधूमन प्रौद्योगिकी।
5. उच्च ताप इमारती लकड़ी के शोधन के लिए नई परिरक्षण फार्मूलों (ए०सी०ए०) का विकास।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में योजक इमारती लकड़ी के शोधन के लिए लागत प्रभावी, सरल शोधन पद्धति का विकास करना।
7. प्लाईवुड विनिर्माण के लिए संश्लेषित रेजिन के लिए विकल्प के रूप में प्राकृतिक फिनोलिक पदार्थों से आसंजक का विकास करना।
8. साल और सागवान जैसी पारम्परिक संरचनात्मक इमारती लकड़ियों के स्थान पर यूकेलिप्टस और पॉपप्लर जैसी वनरोपण प्रजातियों की कतरनें एवं ऊपरी परत, बांस से संरचनात्मक लकड़ी का विकास।
9. प्लाईवुड और मिश्रित उत्पादों के लिए वनरोपण इमारती लकड़ी की उपयुक्तता के मूल्यांकन पर अध्ययन।
10. पॉपप्लर जैसी कम घनत्व वाली वनरोपण लकड़ी से लैमिनेट की गई वनीर लम्बर का विकास जोकि दरवाजे और खिड़कियों के निर्माण के लिए अभी तक प्रयोग में नहीं लाई जा रही है।
11. स्थलज स्थितियों में इमारती लकड़ी का प्राकृतिक टिकाउपन।
12. विभिन्न स्थितियों में कई प्रकार की इमारती लकड़ी की प्रजातियों का प्राकृतिक टिकाउपन।
13. मध्य भारत में दुर्लभ, संकटापन्न और संकटग्रस्त प्रजातियों एवं औषधीय एवं व्यापार महत्व वाली प्रजातियों का सर्वेक्षण और उनकी पहचान करना जोकि ग्रामीण निर्धनों को गुजर-बसर का साधन प्रदान करते हैं।
14. औषधीय महत्व की प्रजातियों यथा बुच, सफेद मसली, चित्रक, मुश्कदाना, अश्वगन्धा, ईसबगोल, कलिहारी और बक्सा की कृषि तकनीकों का मानकीकरण।
15. उन विभिन्न गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादों की गुणवत्ता के बनाए रखने वाली शुष्कन प्रौद्योगिकी का विकास जिनसे ग्रामीण लोगों को स्थानीय रूप से बेहतर बाजार मूल्य पाने में मदद मिलती है।
16. टीक बांस आदि कई महत्वपूर्ण वन प्रजातियों का उनके प्रमुख डिफोलिएटर और जीवन सह क्लोनों की पहचान तथा विभिन्न क्लोनों की रासायनिक स्क्रीनिंग।
17. बांस वनरोपण इमारती लकड़ी एवं अन्य प्राकृतिक रेशे से काष्ठ विकल्पों का विकास।
18. लहरियदार बांस के बोर्ड का विकास।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों का प्रचार करना

6522. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों का प्रचार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस प्रयोजनार्थ कोई निधियां उपलब्ध कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों के प्रचार हेतु उनके मंत्रालय द्वारा जिन प्रमुख योजनाओं की जांच की गई है उसका ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी;

(च) इस प्रचार से सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों को किस सीमा तक मदद मिली है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार सामग्री राज्य सरकारों को भी देने का निर्णय लिया है;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार न्यूनतम दुर्घटना प्रतिशतता के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम को पुरस्कार देने पर भी विचार कर रही है;

(झ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन निगम (एस०आर०टी०सी०) को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ञ) अब तक सभी राज्यों में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। प्रचार किया जाता है :–

(i) विज्ञापनों से।

(ii) प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में सड़क सुरक्षा का आयोजन करके।

(iii) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और यूनाइटिड स्कूल आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करके।

(iv) दूरदर्शन के मैट्रो चैनल पर "रोड वाच" नामक टी वी सीरियल के साथ-साथ इस मंत्रालय की "मानव रहित रेलवे क्रासिंग" के वीडियो स्पाट का प्रसारण करके।

(v) आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ अपर इंडिया, नई दिल्ली द्वारा दूरदर्शन पर "हैलो मोटरिस्ट" नामक सड़क सुरक्षा सीरियल का प्रसारण करके।

(vi) सड़क प्रयोक्ताओं में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा के संबंध में गैर-सरकारी संगठन को प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से।

(ग) जी, हां।

(घ) चालू वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान 3.00 करोड़ रु० प्रदान किए गए हैं।

(ङ) मंत्रालय द्वारा मानीटर की गई मुख्य स्कीमों और 1999-2000 में उन पर खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे :–

	1999-2000
1. परिवहन मंत्री की ट्राफी	5,14,580/-
2. विभिन्न प्रचार अभियानों के लिए डी०ए०वी०पी० के माध्यम से प्रचार	45,00,000/-
3. सड़क सुरक्षा के संबंध में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन	48,875/-
4. "रोड वाच" सीरियल के साथ-साथ "मानव रहित रेलवे क्रासिंग के वीडीयो स्पाट का प्रसारण	9,30,000/-
5. प्रचार सामग्री का मुद्रण	39,99,580/-

(च) इस मंत्रालय द्वारा किए गए प्रचार से लोगों में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायता मिली है और इस तरह सड़क सुरक्षा बढ़ी है।

(छ) जी, हां।

(ज) जी, हां।

(झ) इसमें 5 लाख रु० की नकद राशि और एक ट्राफी शामिल है तथा प्रथम पुरस्कार फरवरी, 2000 में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को दिया गया था।

(ञ) अब तक केवल एक पुरस्कार कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रदान किया गया है और आंध्र प्रदेश को कोई पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मोटरगाड़ियों में एलपीजी का प्रयोग

6523. श्री सुकदेव पासवान :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय कारों में उपयोग किए जा रहे इंधन के बदले एल पी जी के प्रयोग हेतु मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के इस निर्णय से देश में एल पी जी की मांग बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इस मांग में अनुमानत: कितनी प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) क्या इस मांग को पूरा करने हेतु आयात पर निर्भरता बढ़ने की भी संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समय देश में एल पी जी की मांग को पूरा करने हेतु औसत आयात और घरेलू उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वाहन ईंधन के रूप में एल पी जी का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 इत्यादि के अंतर्गत संशोधनों के पश्चात् ही आरंभ होगा।

(ख) से (ङ) वाहन ईंधन के रूप में एलपीजी की शुरूआत से आने वाले वर्षों में एलपीजी की मांग में वृद्धि होगी। इससे एलपीजी के आयात में वृद्धि होने की संभावना है। तथापि, इसकी वास्तविक सीमा का अनुमान अभी नहीं किया गया है।

(च) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में एलपीजी का कुल उत्पादन 4484 टी एम टी था तथा सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के द्वारा आयात 1377 टी एम टी था।

[अनुवाद]

छोटे ट्रैक्टरों के लिए छूट

6524. श्री रामसिंह राठवा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे ट्रैक्टरों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत आवश्यक नमूना-प्रमाणपत्र लेने से छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वनरोपण हेतु भूमि

6525. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अरूण कुमार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भूमि के तिहाई भाग पर वनों का होना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो हाल के आकलन के अनुसार कितने भूमि क्षेत्र पर वनरोपण आवश्यक है;

(ग) क्या इस तरह की भूमि का पता लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। कुल भू-क्षेत्र में वनों का अनुपात निर्धारित करने की अवधारणा राष्ट्रीय वन नीति, 1952 में शुरू की गई थी। 1952 में इस नीति को तैयार करते समय यूरोपीय देशों तथा सारे विश्व में वन क्षेत्र के अनुपात का अध्ययन किया गया था। यूरोप में कुल क्षेत्र का 41.35 प्रतिशत और विश्व में कुल क्षेत्र का 27.6 प्रतिशत क्षेत्र वनों में अच्छादित था। यह विचार किया गया कि भारत जैसे क्षेत्र में जहां असह्य उष्णकटिबन्धी सूर्य की गर्मी, कष्टदायी व शुष्क गर्म हवाओं, आवधिक मानसूनों, ऊंची पहाड़ी ढलानों आदि जैसी परिस्थितियां हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए वनों का अनुपात यूरोप की तुलना में अधिक होना अपेक्षित जान पड़ता है। लेकिन, वास्तविक तथ्यों को सामने रखकर नीति का लक्ष्य देश के 33.3 प्रतिशत क्षेत्र को वनों और वातावरण के अन्तर्गत लाने का रखा गया। इसी लक्ष्य को राष्ट्रीय वन नीति, 1998 में अंगीकृत किया गया है।

(ख) से (च) सरकार ने वनों के सतत विकास तथा देश के एक तिहाई अर्थात् राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना क्षेत्र को वनों और वृक्षावरण के अन्तर्गत लाने के लिए 20 वर्षों की अवधि की एक व्यापक योजना तैयार की है। इस कार्यक्रम में देश के एक तिहाई क्षेत्र को वनों और वृक्षावरण के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से 1339027.8 मिलियन रु० की कुल लागत से 20 वर्षों की अवधि में 60 मि० हैक्टेयर क्षेत्र के पुनरूद्धार/उनमें वृक्षारोपण (31 मिलियन चक्रमित वनों का पुनरूद्धार और 29 मि० हैक्टेयर वनेत्तर भूमि में वृक्षारोपण) करने की बात की गई है।

वृक्षारोपण के लिए आपेक्षित वनेत्तर भूमि की पहचान उपलब्ध भू-प्रयोग आंकड़ों के आधार पर कर ली गई है। 60 मिलियन हैक्टेयर भूमि क्षेत्र में से राज्यों ने 48.23 मिं० हैक्टेयर अवक्रमित वनों तथा वनेत्तर भूमियों की पहचान कर ली है। शेष क्षेत्र कृषि वानिकी के अन्तर्गत निजी वृक्षारोपण द्वारा कवर किया जाएगा। पुनरूद्धार/वृक्षारोपण की जाने वाली राज्य-वार वन भूमियों तथा उसके लिए अपेक्षित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय वानिकी की कार्य योजना के राज्यवार निदेश अनुमानों का सारांश मिलियन रु० में

राज्य/संघ राज्य	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पांचवां वर्ष	पहले पांच वर्ष	दूसरा पांचवां वर्ष	तीसरा पांचवां वर्ष	चौथा पांचवां वर्ष	20 वर्षों का योग	फिर से लगाया जाने/ पौध रोप वाला क्षेत्र मिलियन है०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	2618.72	2619.5	2620.1	2620.7	2621.3	13100.43	12964.73	12687.98	12580.98	51334.12	4.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अरुणाचल प्रदेश	1174.9	737.7	743.4	744.3	737.2	4137.49	3578.36	3260.89	3136.85	14113.59	0.15
असम	706.2	873.3	1009.8	1129.9	1228.0	4947.25	5779.85	5068.15	4925.10	20720.35	1.10
बिहार	2899.8	2952.2	3047.6	3063.2	3145.2	15107.94	15605.72	15700.01	15653.99	62067.66	4.21
गोवा	108.9	108.9	108.9	108.9	108.9	544.52	277.12	283.16	279.17	1383.97	0.03
गुजरात	855.7	1032.1	1112.2	1161.3	1179.4	5340.74	6042.18	5962.52	5901.22	23246.66	2.62
हरियाणा	716.0	716.2	716.3	716.5	718.3	3583.3	3806.14	3824.18	4553.67	15767.29	0.87
हिमाचल प्रदेश	1839.2	2134.3	2524.5	2970.8	3362.9	12831.70	17190.00	29080.50	49412.50	108514.70	0.90
जम्मू और कश्मीर	2609.7	2608.9	2608.9	2608.9	2608.9	13045.25	14333.58	14329.41	15468.95	57177.19	6.27
कर्नाटक	5400.85	5410.35	5420.85	5436.35	5446.85	27117.25	27246.75	28995.75	30017.25	113377.00	3.21
केरल	1544.6	1582.8	1560.7	1564.4	1530.1	7788.64	6862.19	6235.12	5196.95	26082.89	0.26
मध्य प्रदेश	6698.1	9723.2	10673.7	11074.3	11474.6	49643.82	60195.07	60221.26	60229.29	230289.44	7.39
महाराष्ट्र	1788.4	1787.7	1787.7	1789.6	1789.6	8943	16746.77	24565.78	34658.66	84914.21	3.36
मणिपुर	968.3	1121.5	1185	1241.5	1296.4	5812.71	5942.87	4671.13	3009.45	19436.16	1.08
मेघालय	63.4	66.2	68.6	71.2	73.8	343.15	408.16	473.17	538.17	1762.65	
मिजोरम	598.6	723.5	767.5	792.4	817.2	3699.22	4473.12	5827.48	5221.08	19220.90	0.62
नागालैण्ड	396.8	328.6	339.9	325.6	330.8	1721.7	1270.4	894.7	736.7	4623.5	
उड़ीसा	332.78	1348.58	1348.58	1347.29	1344.75	5721.96	6391.45	7056.45	7982.45	27152.33	0.44
पंजाब	956.3	1154.7	1220.3	1342.9	1375.3	6049.49	7292.62	4904.93	4365.64	22612.68	0.66
राजस्थान	5598.3	6194.8	6772.9	7351	7947.8	33864.79	47416.27	52665.53	57197.89	191144.46	5.14
सिक्किम	417	432.1	447.6	448	448.3	2193.05	2103.26	2095.53	2101.23	8493.07	0.28
तमिलनाडु	1547.04	1547.04	1547.04	1547.04	1547.04	7735.20	7618.25	6006.10	5828.45	27188.00	0.71
त्रिपुरा	396.8	328.6	339.9	325.6	330.8	1721.70	1270.40	894.70	736.70	4623.50	0.08
उत्तर प्रदेश	681.6	1372.1	1539.2	1585.2	1658.7	6836.80	9018.94	8204.74	8147.70	32208.18	3.24
पश्चिम बंगाल	1957	1957	1957	1957	1957	9785.05	12464.03	15849.79	19179.98	57278.85	0.61
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	292.4	319.6	293.3	291.8	293.1	1490.22	1544.06	1973.86	2579.69	7587.83	0.07
कुल राज्य	43167.49	49181.47	51767.47	53615.68	55372.24	253106.39	297842.28	321732.82	359639.71	1232321.20	48.23
केन्द्रीय सेक्टर	3520.5	3696.5	3881.4	4075.4	4279.2	19453.00	24149.00	27921.10	35183.50	106706.60	
देश के लिए कुल योग	46688	52877.97	55648.87	57691.1	58651.44	272559.38	321191.26	349893.92	394823.21	1339027.8	48.23

[अनुवाद]

कलकत्ता और ढाका के बीच बस सेवा

6526. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और ढाका के बीच हाल ही में बस सेवा शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) बांग्लादेश के साथ 17.6.1999 को हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करार के अनुसरण में कलकत्ता और ढाका के बीच बस सेवा 9.7.1999 से नियमित रूप से चलने लगी है। भारत की ओर से यह बस सेवा पश्चिमी बंगाल भूतल परिवहन निगम (डब्लयू बी एस टी सी) द्वारा और बांग्लादेश की ओर से बांग्लादेश सड़क परिवहन प्राधिकरण (बी आर टी ए) द्वारा चलाई जाती है। डब्लयू बी एस टी सी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कलकत्ता से तथा मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को ढाका से दो बस सेवाएं चलाता है। बी बार टी ए इन दिनों ढाका और कलकत्ता क्रमश: दो बस सेवाएं चलाता है। इस बस सेवा के प्रचालन संबंधी अन्य जानकारी भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 128(ई) दिनांक 16.2.2000 में प्रकाशित की जा चुकी हैं।

केरल में डाकघर

6527. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय जिले-वार कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में जिले-वार कितने डाकघर खोले गए;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में नए डाकघर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय केरल में 5056 डाकघर कार्य कर रहे हैं। इनका जिलावार ब्यौरा संग्लन विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान नए डाकघर खोलने के लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं।

विवरण-I

केरल में कार्य कर रहे डाकघरों की जिलावार संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या
1.	तिरूवनंतपुरम्	421
2.	कोल्लम	363
3.	पटनमथिट्टा	325
4.	अलापुझा	292
5.	कोट्टयम	410
6.	इडुक्की	290
7.	एर्णाकुलम	384
8.	त्रिचुर	490
9.	पालाक्काड	453
10.	मालाप्पुरम	432
11.	कोझिकोड	419
12.	वायनाड	162
13.	कन्नूर	83
14.	कसारगोड	230
	कुल :	5056

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	इडुक्की	2	1	
2.	कौल्लम	2	3	
3.	पटनमथिट्टा	3	1	
4.	वायनाड	1		
5.	त्रिसूर		1	
6.	एर्णाकुलम		1	1
7.	कोट्टयम		1	
8.	अलेपुझा		1	1
9.	तिरूवनंतपुरम		2	1

1	2	3	4	5
10.	कोझिकोड		1	
11.	पालाक्काड		2	1
12.	कसारगोड		1	
13.	कन्नूर			1
14.	मालाप्पुरम			1
	कुल :	8	15	6

सिक्किम में "सुपर नेशनल हाईवे"

6528. श्री भीम दाहाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में "सुपर नेशनल हाईवे" के रूप में किसी राजमार्ग के लिए मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा; और

(घ) प्रस्तावित राजमार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के चरण-1 कार्यक्रम के तहत निर्माण के लिए असम राज्य में रा०रा० 37 के गुवाहाटी बाइपास खंड के 156.00 कि०मी० से 163.895 कि०मी० में चार लेन बनाने की परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत मौजूदा सड़क को सुदृढ़ करने और अतिरिक्त दो लेन सड़क का निर्माण करने का कार्य किया जाएगा जिसमें सेवा सड़कों तथा सड़क के साथ-साथ नालियों का निर्माण-कार्य भी शामिल है। परियोजना का कार्य हाल में ही सौंपा गया है। परियोजना को पचपन करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर जून, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

बिहार में पेट्रोल पंप और एल पी जी एजेंसियां

6529. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में बिहार के दरभंगा जिले में कार्यरत पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान कितनी नई एलपीजी एजेंसियां और पेट्रोल पंप स्थापित किए गए;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस जिले में एलपीजी एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(घ) उक्त एलपीजी एजेंसियां और पेट्रोल पंप कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान उक्त जिले में कितनी नई एलपीजी एजेंसियां और पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) फिलहाल बिहार के दरभंगा जिले में 23 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 4 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1998 व 1999 इस जिले में एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दरभंगा जिले में 7 खुदरा बिक्री केन्द्र और 4 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप विज्ञापित की गई हैं। उपर्युक्त में से 1 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 1 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पहले ही चालू की जा चुकी हैं। दो खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए आशय पत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं। बकाया खुदरा बिक्री केन्द्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन, नए डीलर चयन बोर्डों के गठन के बाद किया जाएगा। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने की प्रक्रिया में सामान्यत: साक्षात्कार की तारीख के बाद लगभग 6-12 महीने लग जाते हैं।

[अनुवाद]

निजी टेलीफोन-ऑपरेटरों के लाइसेंस पुन: बहाल करना

6530. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे कुछ निजी टेलीफोन-आपेरटरों के लाइसेंस पुन: बहाल करने का निर्णय लिया है, जिन पर अभी भी पिछले बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निजी टेलीफोन-आपरेटरों के लाइसेंस पुन: बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन-सेवा [मै० कोशिका टेलीकॉम को दिए गए बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के 3 लाइसेंस, हरियाणा तथा राजस्थान सर्किलों के लिए मै० एयरसेल डिजीलिंक

को दिए गए 2 लाइसेंस और पंजाब सर्किल के लिए जेटी मोबाइल्स को दिया गया एक लाइसेंस] के 6 लाइसेंस 'माईग्रेशन पैकेज' की पेशकश के पहले रद्द कर दिए गए थे। 'माईग्रेशन पैकेज' के संदर्भ में इन रद्द किए गए सेल्यूलर-लाइसेंसों के साथ अपनाए जाने वाले रवैये के बारे में भारत के एटार्नी जनरल (एजी) की राय ले ली गई थी। एटार्नी जरनल ने यह सिफारिश की थी की उनके द्वारा व्यक्त की गई राय में विहित कुछेक शर्तों पर रद्द किए गए लाइसेंस पुन: बहाल किए जा सकते हैं तथा 'माइग्रेशन पैकेज' की पेशकश की जा सकती है।

सरकार ने एटार्नी जरनल की सलाह स्वीकार कर ली है तथा मै० एयर सेल डिजीलिंक को लिखे गए दिनांक 6.4.2000 के पत्र द्वारा हरियाणा और राजस्थान सर्किलों के रद्द किए गए दो लाइसेंसों की पुन: बहाली के साथ ही नई दूरसंचार नीति-1999 (एनटीपी-99) की व्यवस्था अपनाने-संबंधी एक पैकेज की पेशकश की गई थी। इस कम्पनी ने उक्त पैकेज को बिना शर्त स्वीकार कर लिया है; अत:, 26.4.2000 को इन दोनों लाइसेंसों को अंतिम रूप से पुन: बहाल कर दिया गया था। इसी प्रकार के एक पैकेज का पेशकश मै० कोशिका टेलीकॉम को दिनांक 17.4.2000 के एक पत्र द्वारा बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किलों के लिए भी की गई थी। मै० कोशिका टेलीकॉम ने इसको बिना शर्त स्वीकृति 25.4.2000 को दे दी है। मै० जे टी मोबाइल्स को पंजाब-सर्किल के लिए लाइसेंस को पुन: बहाल करने के साथ ही नई दूरसंचार नीति-1999 की व्यवस्था अपनाने-संबधी पैकेज की पेशकश करने की प्रक्रिया चल रही है।

रद्द किए गए इन लाइसेंसों को पुन: बहाल तथा नई दूरसंचार नीति-1999 की व्यवस्था अपनाने-संबंधी पैकेज की पेशकश करने-संबंधी सरकार का यह निर्णय एटार्नी जनरल द्वारा दी गई कानूनी राय पर आधारित था।

उड़ीसा में पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियां

6531. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त उड़ीसा के लिए वर्तमान विपणन योजनाओं में 30 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 41 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित कर ली गई हैं। विपणन योजना में सम्मिलित स्थानों के संबंध में डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन हेतु तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिया जाता है। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू किए जाने में प्राय: 6-12 महीने लग जाते हैं।

एनईएलपी के अंतर्गत लाभ

6532. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पश्चिमी क्षेत्र के लिए नई खोज और लाइसेंसिंग नीति के तहत कुछ अतिरिक्त लाभ देने की पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अतिरिक्त लाभों से निजी निवेशक/विदेशी फर्मों ने देश में खोज संबंधी गतिविधियां शुरू करने में रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो एनईएलपी के अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत ब्लाकों के प्रस्ताव के लिए निबंधन और शर्तें पश्चिमी क्षेत्र सहित देश के सभी जमीनी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होंगे। एन ई एल पी के तहत ब्लाकों के प्रस्ताव के लिए मुख्य निबंधन और शर्तें नीचे दी गई हैं :–

(1) अनिवार्य सरकारी प्रतिभागिता नहीं।

(2) राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज) द्वारा निहित हित नहीं।

(3) वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ से सात वर्ष के लिए आय कर से छूट।

(4) पहले वाणिज्यिक उत्पादन से 10 वर्ष की अवधि में अन्वेषण तथा वेधन व्यय चुकाने का विकल्प।

(5) जमीनी क्षेत्रों के लिए रायल्टी कच्चे तेल पर 12.5 प्रतिशत तथा प्राकृतिक गैस पर 10 प्रतिशत की दर से देय है। अपतटीय क्षेत्रों के लिए यह तेल तथा प्राकृतिक गैस पर 10 प्रतिशत की दर से देय है। 400 मीटर आइसोबाथ से अधिक के गहरे जल क्षेत्रों में खोजों के लिए रायल्टी वाणिज्यिक उत्पादन के पहले सात वर्षों के लिए अपतटीय क्षेत्रों हेतु लागू दर से आधी दर पर देय होगी।

(6) संविदाकार को घरेलू बाजार में तेल तथा प्राकृतिक गैस के विपणन की स्वतंत्रता।

(ग) जी, हां। एन ई एल पी-99 के तहत प्रस्तावित 48 ब्लाकों में से 27 ब्लाकों के लिए बोलियां प्राप्त हुई थीं। उपयुक्त में से 25 ब्लाक प्रदान कर दिए गए हैं तथा 22 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(घ) एन ई एल पी के पहले दौर के तहत प्रस्तावित जमीनी ब्लाकों का राज्यवार क्षेत्र निम्नानुसार है :–

राज्य		क्षेत्र वर्ग किलोमीटर
राजस्थान	:	43075
उत्तर प्रदेश	:	55175
पश्चिम बंगाल	:	19900
अरूणाचल प्रदेश	:	300

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

6533. श्री नवल किशोर राय :
श्री अरूण कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन पेट्रोलियम उत्पादों का कितनी मात्रा में तथा किसी दर पर वर्षवार आयात किया गया;

(ख) क्या कुछ एजेंसियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु एक निर्धारित अवधि के लिए समझौता किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस एजेंसियों के नाम क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान इन एजेंसियों को भुगतान की गई उत्पाद-वार मालभाड़े की दर क्या है; और

(घ) इन एजेंसियों के चयन का मानदंड क्या है और इन एजेंसियों का चयन कितनी अवधि के लिए किया गया था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल अर्थतंत्र बजट के तहत आने वाले आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्रा व दरें निम्नानुसार हैं :

पेट्रोलियम उत्पाद	1997-98	
	मात्रा (एमएमटी)	भारित औसत मूल्य (डालर/एमएमटी)
ए०टी०एफ०	0.055	166.46
एस०के०ओ०	3.812	177.02
हाई स्पीड डीजल	14.075	163.06
एल०पी०जी०	1.087	219.71
पेट्रोल	0.331	203.62
भट्टी तेल	0.141	106.83
अन्य	0.029	368.80

पेट्रोलियम उत्पाद	1998-99	
	मात्रा (एमएमटी)	भारित औसत मूल्य (डालर/एमएमटी)
एस०के०ओ०	5.823	130.54
हाई स्पीड डीजल	10.485	110.86
एल०पी०जी०	1.525	174.24
पेट्रोल	0.251	180.11
भट्टी तेल	0.514	83.46
अन्य	0.182	284.51

पेट्रोलियम उत्पाद	1999-2000 (अनंतिम)#	
	मात्रा (एमएमटी)	भारित औसत मूल्य (डालर/एमएमटी)
एस०के०ओ०	4.986	195.39
हाई स्पीड डीजल	4.958	161.85
एल०पी०जी०	1.311	256.65

#फरवरी, 2000 तक

भारतीय औसत मूल्य संयुक्त राशि पर आधारित है जिसमें पोतपर्यन्त निशुल्क कार्गों के मामले में पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य तथा सी एंड एफ कार्गों के मामले में सी एंड एफ मूल्य सम्मिलित है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान एस०के०ओ०, एच० एस०डी० तथा एल०पी०जी० के आयात के लिए निम्न राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन०ओ०सी०) के साथ वार्षिक संविदाएं की गई :

एस०के०ओ०	एच०एस०डी०	एल०पी०जी०
अबु धाबी नेशनल आयाल कं०	अबु धाबी नेशनल आयाल कं०	अबु धाबी नेशनल आयल कं० (1998-99)
बहरीन नेशनल आयल कं०	बहरीन नेशनल आयल कं०	सऊदी अरामको (1997-98 और 1998-99)
कुवैत पेट्रोलियम कार्पो०	कुवैत पेट्रोलियम कार्पो०	कुवैत पेट्रोलियम कार्पो० (1997-98 और 1998-99)

1999-2000 के दौरान एच०एस०डी० के लिए कोई सावधि संविदा नहीं की गई । तथापि एस०के०ओ० तथा एल०पी०जी० के आयात के लिए 1999-2000 हेतु निम्नलिखित कंपनियों के साथ सावधि संविदाएं की गई :—

एल०के०ओ०	एल०पी०जी०
अबु धाबी नेशनल आयल कं०	सऊदी अरामको
कुवैत पेट्रोलियम कार्पो०	कुवैत पेट्रोलियम कार्पो०
अमीरात नेशनल आयल कं०, दुबई	
नेशनल ईरानियन आयल कं०	

सावधि संविदाओं पर कार्गों के लिए मूल्य निर्धारण आधार थोड़े प्रीमियम के साथ बी/एल तारीख के आसपास अरब गल्फ बाजार में प्रकाशित मूल्य कोटेशनों (प्लाट्स) से संबद्ध होता है। सी एंड एफ कार्गो के मामले में भाड़े का एक तत्व होता है जो बी/एल तारीख के आसपास प्रकाशित भाड़ा दरों से संबद्ध होता है।

(घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई०ओ०सी०) द्वारा उन उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ सावधि संविदाएं की गई हैं जिनके पास तेल के निर्यातयोग्य अधिशेष है। सावधि संविदाओं को वार्षिक आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है तथा संविदागत मात्राएं वर्ष के दौरान भी प्राप्त की जाती है। आई०ओ०सी० द्वारा ये सावधि संविदाएं संबंधित देशों की उन राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ की जाती हैं जो सरकारी बिक्री मूल्य पर कच्चा तेल बेचती हैं।

सावधि संविदाओं पर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को शक्तिप्रदत्त समिति के अनुमोदन के साथ निर्यातयोग्य आधिशेष रखने वाली राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ अंतिम रूप दिया जाता है जिसमें आई०ओ०सी० से अध्यक्ष व निदेशक (वित्त) के अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग तथा वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों हेतु निर्धारित सरकारी मूल्य प्रणाली की समाप्ति

6534. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिट्टी के तेल, डीजल और रसोई गैस के लिए निर्धारित सरकारी मूल्य प्रणाली को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे 1999-2000 और आने वाले वर्षों में बजट घाटे को कम करने और पूरा करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने नवंबर, 1997 में प्रशासित मूल्य पद्धति को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) यह कि सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल पर राजसहायता वर्ष 2001-2002 तक कम करके आयात समता मूल्य के 33.33% तक लाई जाएगी।

(2) यह कि एलपीजी (डिब्बाबंद घरेलू) पर राजसहायता वर्ष 2000-01 के दौरान कम करके 15% तक लाई जाएगी।

(3) यह कि डीजल मूल्य का निर्धारण 1.9.1997 के मंत्रिमंडल निर्णय के अनुसार आयात समता के सिद्धांत के आधार पर करना जारी रखा जाएगा।

(ग) सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल, एलपीजी (डिब्बाबंद घरेलू) आदि के भंडारण स्थल पर मूल्यों में हाल में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप यह अनुमान है कि तेल पूल में एक वर्ष में लगभग 5400 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचेगा।

बराकार से पालसिट तक राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को पूरा किया जाना

6535. श्री सुनील खां : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान बराकार से पालसिट और पालसिट से हावड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को पूरा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या पालसिट से हावड़ा तक जी०टी० रोड़ का विभाजन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सड़क के प्रति जवाबदेह प्राधिकरण कौन सा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पालसित से दनकुनी तक का खंड राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का कोई हिस्सा नहीं है और उसका रख-रखाव पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जाता है। दनकुनी से हावड़ा तक के खंड का रख-रखाव भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

6536. डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विशेषकर बेतिया क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न दूरभाष केन्द्रों में इस समय जिले-वार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में और उक्त क्षेत्र में जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए ;

(ग) सरकार द्वारा राज्य में प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बिहार के दरभंगा जिले में टेलीफोन केन्द्र ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त केन्द्रों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) बिहार में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की कुल संख्या, तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किये गए टेलीफोन केनक्शनों की संख्या के जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

बेतिया, मोतिहारी दूरसंचार जिले के अंतर्गत आता है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण नामक दो राजस्व जिले हैं। पूर्वी चंपारण की प्रतीक्षा सूची 6544 है तथा पश्चिम चंपारण की 2940 है (31.3.2000 की स्थिति के अनुसार)।

बेतिया क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :-

	1997-98	1998 99	1999 2000
पूर्वी चंपारण	1374	2701	3051
पश्चिमी चंपारण	1000	2300	2230

(ग) राज्य में प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाए जाने की योजना तैयार की गई है :-

1. नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना।
2. मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में विस्तार करना।
3. टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए भूमिका केबल बिछाना।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपरोक्त भाग (घ) एवं (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार जिलेवार प्रतीक्षा सूची तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या के जिलोंवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं

क्रम सं०	एस०एस०ए० का नाम	जिला का नाम	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	के दौरान प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शन		
				1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7
1.	आरा	भोजपुर बक्सर	745	2499	3004	3255
2.	भागलपुर	भागलपुर बांका	2793	3093	3372	3572
3.	छपरा	सारण गोपालगंज सिवान	80877	3009	4003	6052
4.	दरभंगा	दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी	18843	7719	6388	11322
5.	डालटेनगंज	पलामू गढ़वा	1386	1946	1460	2295
6.	धनबाद	धनबाद बोकारो	10093	6241	10433	8819

1	2	3	4	5	6	7
7.	दुमका	दुमका देवघर साहेबगंज पाकूर गोड्डा	2602	2416	3006	3009
8.	गया	गया औरंगाबाद जहानाबाद नवादा	1550	3219	6046	6085
9.	हाजीपुर	वैशाली	3884	0 नोट-I	0 नोट-I	2050
10.	हजारीबाग	हजारीबाग कोडरमा गिरीडीह चतरा	758	1234	4821	4830
11.	जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम अररिया	5562	8033	12249	11900
12.	कटिहार	कटिहार किशनगंज पुर्णिया	4777	3789	7011	6016
13.	मोतीहारी	पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण	9484	2374	5001	5281
14.	खगड़िया	खगड़िया बेगूसराय	0	0	0	0
15.	मुंगेर	मुंगेर शेखपुरा लखीसराय जमुई	895	1573	3709	5470
16.	पटना	पटना नलंदा	14962	7657	15037	23042
17.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर सितामढ़ी श्योहर	7498	4618	5572	5468
18.	रांची	रांची गुमला लोहरडग्गा	6633	3975	7805	10102
19.	सहरसा	सहरसा सुपौल मधेपुरा	1588	1585	2777	4115

1	2	3	4	5	6	7
20.	सासाराम	रोहतास भभुआ	4066	1311	1434	2546
	कुल		106196	66294	103128	125179

टिप्पणी : वर्ष 97-98 और 98-99 के वैशाली जिला के आंकड़े मुजफ्फरपुर एसएसए में शामिल किए गए हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों को हानि

6537. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च 2000 तक राज्य विद्युत बोर्डों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है और राज्यवार इसकी देयताएं कितनी हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों को हुई लाभ और हानि को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। 1997-98 के खाते के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों में ऋण/देयताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्य बिजली बोर्डों को मार्च, 2000 तक हुई हानियों का ब्यौरा अभी रा०वि०बो० द्वारा निर्धारित किया जाना है। कुछ राज्य बिजली बोर्डों के अनंतिम/गैर-लेखा परीक्षित लेखे (वर्ष 1998-99 हेतु) उपलब्ध है।

विवरण-I

राज्य विद्युत बोर्डों के लाभ/हानियां

(बिना आर्थिक सहायता के)

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य विद्युत बोर्ड के नाम		1997-98
1	2		3
1.	एपीएसईबी	(ए)	-1134.46
2.	एएसईबी	(यू)	-439.58
3.	बीएसईबी	(यू)	-225.42
4.	जीईबी	(ए)	-1363.92
5.	एचएसईबी	(ए)	-712.79
6.	एचपीएसईबी	(ए)	-29.45
7.	केईबी	(ए)	-321.77
8.	केएसईबी	(ए)	-296.70
9.	एमपीईबी	(ए)	-753.01
10.	एमएसईबी	(ए)	-36.61
11.	एमईएसईबी	(ए)	-52.00
12.	पीएसईबी	(ए)	-555.27
13.	आरएसईबी	(ए)	-639.53
14.	टीएनईबी	(ए)	-296.42
15.	यूपीएसईबी	(ए)	-1547.97
16	डब्ल्यूबीएसईबी	(ए)	-164.18
	सभी रा०वि० बोर्ड०		-8436.66

ए – लेखा परीक्षित यू – गैर लेखा परीक्षित

विवरण-II

रा०वि० बोर्ड की देयताएं

1997-98 के दौरान 31.3.98 की स्थितिनुसार

(लाख रु० में)

क्रम सं०	रा०वि०बोर्ड		पूंजी देयताएं	राज्य सरकार से देयताएं	कार्यकारी पूंजी से उधार	पूंजी देयताओं पर बकाया भुगतान	जोड़
1	2		3	4	5	6	7
1.	एपीएसईबी	(ए)	399947.94	69650.26	20682.33	32878.18	523156.71
2.	एएसईबी	(यू)	61376.41	123098.11	0.00	161399.37	345873.89

1	2		3	4	5	6	7
3.	बीएसईबी	(यू)	,90311.72	144291.18	0.00	174713.34	409316.24
4.	जीईबी	(ए)	268902.00	337035.00	27695.00	34077.00	667709.00
5.	एचएसईबी	(ए)	152092.18	56536.39	4140.71	19519.39	232288.67
6.	एचपीएसईबी	(ए)	90321.00	44863.27	0.00	2193.57	137377.84
7.	केईबी	(ए)	133956.00	48608.00	2680.00	2829.00	188053.80
8.	केएसईबी	(ए)	1932920.95	102435.57	2032.02	68456.49	2105845.03
9.	एमपीईबी	(ए)	368985.47	161508.49	2000.00	66858.96	599352.92
10.	एमएसईबी	(ए)	489225.00	414396.00	5817.00	11662.00 @	1026100.00
11.	एमईएसईबी	(ए)	18440.44	14716.75	0.00	21917.57	55128.76
12.	पीएसईबी	(ए)	199476.09	465754.28	0.00	280172.84	945403.21
13.	आरएसईबी	(ए)	332050.00	115292.00	5017.00	54.00	452413.00
14.	टीएनईबी	(ए)	352804.00	78811.00	0.00	0.00	431615.00
15.	यूपीएसईबी	(ए)	230292.00	1129439.00	0.00	692677.00	2052408.00
16	डब्ल्यूबीएसईबी	(ए)	125108.00	114514.00	1849.00	37252.00	278723.00
						जोड़	10450766.27

ए — लेखा परीक्षित यू — गैर लेखा परीक्षित

@इसमें अर्जित ब्याज की ओर 96976 लाख रुपये की राशि शामिल है परन्तु यह सरकार ऋण पर बकाया नहीं है।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल निकालने के लिए निजी कंपनियों को अनुमति

6538. **श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल निकालने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे तेल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा उनके नाम, वे जिले, तथा राज्य कौन से हैं जहां प्रत्येक तेल क्षेत्र स्थित है एवं इनमें से प्रत्येक तेल क्षेत्र को तेल और प्राकृतिक गैय निगम अथवा सरकारी एजेंसी द्वारा इन कंपनियों को सौंपे जाने की तिथियां क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त निजी कंपनियों द्वारा निकाले गए तेल की क्षेत्रवार मात्रा कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1992 से निजी कंपनियां राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज) अर्थात् आयल नेचुरल गैस कार्पोरेशन तथा आयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोजे गए 14 तेल क्षेत्रों के विकास में या तो संयुक्त उद्यम के अंतर्गत अथवा उनके द्वारा स्वयं इन क्षेत्रों से संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं करने के माध्यम से शामिल की गई हैं। इन तेल क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों से तेल निष्कर्षण की मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्षेत्र का नाम	राज्य	जिला	उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अंतर्गत सौंपने की तारीख
1	2	3	4
असजोल	गुजरात	मेहसाना	14.3.1995
भांडूत	गुजरात	सूरत	12.11.1994
बकरोल	गुजरात	अहमदाबाद	16.10.1995
कैम्बे	गुजरात	खेदा	01.2.1996

1	2	3	4
ढोलका	गुजरात	अहमदाबाद और खेदा	19.10.1995
इंदोरा	गुजरात	अहमदाबाद	16.10.1995
लोहार	गुजरात	मेहसाना	16.10.1995
मातूर	गुजरात	भरूच और बड़ौदा	12.11.1994
साबरमती	गुजरात	अहमदाबाद	12.11.1994
वावेल	गुजरात	गांधी नगर	19.10.1995
खरसांग	अरूणाचल प्रदेश	चांगलंग	01.02.1996
राव्वा	पूर्वी तट अपतट	–	28.1.1995
पन्ना और मुक्ता	पश्चिमी तट अपतट	–	22.12.1994

विवरण-II

क्षेत्र का नाम	तेल उत्पादन ('000' टन)			
	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल
असजोल	2.79	3.88	3.8	10.47
भांडूत	2.29	0.43	1.4	4.12
बकरोल	7.04	8.96	8.1	24.1
कैम्बे	0.13	0.08	0.1	0.31
ढोलका	14.94	18.15	22.84	55.93
इंदरोरा	0.32	0.20	0.97	1.47
लोहार	0.19	0.04	0.41	0.64
खरसांग	14.42	44.54	56.2	115.16
राव्वा	1719.62	1464.56	2418.7	5602.88
पन्ना-मुक्ता	470.3	1043.56	1134.4	2648.26

विगत तीन वर्षों के दौरान मतार, साबरमती तथा वावेल क्षेत्रों से कोई तेल उत्पादन नहीं हुआ था।

मंगलौर पावर कम्पनी के लिए "एस्क्रो कवर"

6539. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पश्चिमी तट पर 1000 मे०वा० ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए मंगलौर पावर कम्पनी के लिए "एस्क्रो कवर" की अनुमति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) ने बिना "एस्क्रो कवर" के इस परियोजना को निधियां देने से मना कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में राज्य सरकार से परामर्श करके कार्रवाई की जा रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) कर्नाटक सरकार ने अभी तक ताप विद्युत परियोजना (1000 मे०वा०) के लिए मंगलौर पावर कम्पनी को एस्क्रो कवर प्रदान नहीं किया है।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा दिसम्बर, 1999 में गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया जिसे कि बाद में कर्नाटक सरकार ने स्वीकार कर लिया था। समिति ने सिफारिश की थी कि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि० (केपीटीसीएल) के पास एस्क्रो की व्यवस्था नहीं है, अतएव स्वतंत्र विद्युत उत्पादों को एस्क्रो कवर देना संभव नहीं होगा।

(ग) आईसीआईसीआई परियोजना के लिए संतोषजनक वैकल्पिक संवीक्षा ढांचा उपलब्ध होने पर परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था पर विचार करने के लिए तैयार है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थापित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में जर्नलिस्ट लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री राशिद अलवी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

श्री इन्नान मोल्लाह : महोदय, पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड रिपोर्ट का कार्यान्वयन होना बाकी है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पत्रकार आज हड़ताल पर हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुमारी मायावती को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उसके बाद, मुझे अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें विशेष मामले के रूप में अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सीटों पर जाएं, मैंने मायावती जी को बुलाया है।

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय श्री राशिद अलवी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अपराह्न 2.03 बजे

उत्तर प्रदेश में दलितों पर हुए कथित अत्याचारों के बारे में

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रश्न काल में मुझे, उत्तर प्रदेश में जो दलित उत्पीड़न हो रहा है और आए दिन दलितों की हत्याएं हो रही हैं, उसके बारे उत्तर प्रदेश की सरकार को दलितों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न की रोकने के लिए उदासीनता वाला रवैया अपनाने के कारण, मजबूर होकर मुझे और मेरी पार्टी के सदस्यों को वैल में आना पड़ा। *(व्यवधान)* आप सुनिए तो सही। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और खास तौर से सरकार को यह अवगत कराना चाहती हूं कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ कमिश्नरी में हरदोई जिले के मुख्यालय में कल एक बड़ी दर्दनाक घटना दलितों के साथ घटी है। हरदोई शहर में दलितों के एक मोहल्ले में फैजाबाद जिले में तैनात एक पुलिस सब इंस्पैक्टर अपने साथ कुछ दबंग किस्म के लोगों को लेकर हथियारों सहित हमारे दलित समाज के घर में घुसा और एक परिवार के चार सदस्यों को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया। यह कल की घटना है। इतना ही नहीं उसके बाद पूरे इलाके में दलितों की बस्ती में दशहत का वातावरण पैदा करने के लिए वह सब इंस्पैक्टर अपने साथ दबंग किस्म के लोगों को साथ लेकर जिस घर में घुस कर उसने चार दलितों की हत्या की थी, उस मकान के ऊपर जा कर खड़ा हो गया और हवा में गोली चलाई। आसपास दहशत का वातावरण पैदा किया कि इसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा।

नतीजा क्या हुआ कि पूरे हरदोई और उसके आसपास के इलाके में, दलितों में, एक दहशत का माहौल पैदा हो गया है और हरदोई के करीब कल की वारदात से वहां लगभग एक दर्जन देहातों के करीब एस०सी० के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गये हैं अर्थात् घरों को छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। यह कल की घटना है और इतना ही नहीं इस घटना से पहले एक मई को जिस दिन लेबर डे था, हमारे माननीय लेबर मिनिस्टर साहब इधर बैठे हैं, मैं माननीय गृह मंत्री जी के साथ-साथ उनको भी बताना चाहती हूं कि एक मई की रात को, टूंडला के नजदीक बसई गांव जो बिल्कुल मेन रोड पर लगा हुआ है, शैड्यूल कास्ट के चार व्यक्ति एक ट्रक पर आलू लदवाकर जब घरों को लौट रहे थे तो बताया जाता है कि पुलिस वहां गश्त कर रही थी और पुलिस कर्मियों ने उनको गाड़ी में बिठाया और बिठाकर थाने में ले गये। वहां के लोगों का कहना है क्योंकि 6 मई को मैं खुद टूंडला के करीब बसई गांव में गयी हुई थी और मैंने मृतक के परिवार के सदस्यों से खुद बात की है। मैं आपको उनकी बताई हुई बात बताना चाह रही हूं क्योंकि एक मई को पुलिस गश्त दे रही थी और वहां पर काम करके लौट रहे एस०सी० के चार लोगों को लेकर चली गई, उनको प्रताड़ित किया गया और फिर उन्हें मार दिया तथा यह मालूम न हो कि उन्हें पुलिस महकमे के लोगों ने बसई गांव के बाहर उनकी डैड बॉडी को फेंक दिया। उसके नजदीक ही एक कोल्ड स्टोरेज था और वहां एक चौकीदार चौकीदारी कर रहा था। वह जाट बिरादरी से था, उसने कहा कि आप क्या फेंक रहे हैं ? पुलिस ने सोचा कि यह तो आइविटनैस बन जाएगा तो पुलिस कर्मियों ने उसे ही गोली मार दी। इससे वह बेहोश होकर गिर गया, पुलिस वहां से भाग गई। सुबह बसई गांव के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि गांव के बाहर चार डैड बॉडीज पड़ी हुई हैं और पुलिस कर्मी की टोपी भी वहां पड़ी रह गई थी क्योंकि भागम भाग में टोपी उधर रह गई। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ये हत्याएं पुलिस कर्मियों ने की थीं। उनकी डैड बॉडीज को पुलिस-कर्मी डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर के आदेश से पोस्ट मार्टम के लिए लेकर गये, उसके बाद डैड बॉडीज को उनके परिवार के लोगों को सौंपनी चाहिए थी। इससे बसई गांव के लोगों में पुलिस और पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ इतना आक्रोश था कि टुंडला में जनता सड़कों पर उतर आई। इतना ही नहीं, वहां केवल एस०सी० समाज के ही लोग नहीं थे, बल्कि हर समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और जब उन्होंने कहा कि पुलिस के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करें और आप डैड बॉडीज को मृतक के परिवार वालों को सौंप दो लेकिन परिवार के लोगों को डैड बॉडीज नहीं सौंपी गई। डिस्ट्रिक कलैक्टर ने भीड़ के ऊपर गोली चलवा दी और नतीजा क्या हुआ कि वहां एक जाट बिरादरी का आदमी मौके पर ही मारा गया। एक मई की रात को चार एस०सी० के आदमी और जाट बिरादरी का एक आदमी दो तारीख को पुलिस की गोली से मारा गया और जब इन पांच परिवार के लोगों ने कहा कि हमारे लोगों की डैड बॉडीज हमें दे दो तो आपका दिल दहल जायेगा जब उनकी महिलाएं वहां पहुंची क्योंकि ये पांचों मृतक विवाहित थे, उनकी उम्र तीस साल से ऊपर नहीं थी। तीस साल से नीचे की उम्र के वे होंगे। जब उन पांचों की विधवाओं ने कहा कि हमें अंतिम दर्शन करने दो लेकिन पुलिस महकमे के लोगों ने अंतिम दर्शन नहीं करने दिये और महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। उन पांचों महिलाओं को बुरी तरह से मारा। जब बसई गांव की उन पांचों महिलाओं ने रो-रो कर बताया कि हमारे इधर निशान हैं, हमारे इधर निशान हैं और मैं आपको बताना चाहती हूं कि उनमें से एक महिला ऐसी थी जिसको पुलिस ने इतना मारा था कि उसके मुंह और हाथों पर नील पड़े हुए थे, हाथ की हड्डी बाहर निकली हुई थी।

वह रोते हुए मेरे पैरों में आधे घन्टे तक पड़ी रही। कहने लगी कि हमारी कोई नहीं सुनेगा, आप हमारी सुनेंगी, लेकिन मैंने जब उनका हाथ देखा तो मेरा दिल दहल गया। इतना ही नहीं, इसके बाद फिरोजाबाद के डिस्ट्रिक्ट क्लैक्टर का ब्यान आया, जिसमें कहा गया कि डैड-बाडी को नहीं देंगे और यदि मुझे दोबारा गोली चलाने के आदेश देने पड़े, तो मैं दूंगा। यदि शैड्यूल्ड कास्ट्स से 10-20 लोग और मर जाते हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट क्लैक्टर की मिली-भगत से और टुंडला के नजदीक बसई गांव में पुलिस महकमें के लोगों ने चार शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को मौत के घाट उतारा और दिन में एक जाट को मारा। इतना ही नहीं, बसई गांव के नजदीक कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर नकला मस्जिद है। मैं उस गांव में 6 तारीख को गई थी। उस गांव के अन्दर दो घंटे तक डकैत लोग डकैती करते रहे, लोगों को मारते रहे, नजीता यह हुआ कि तीन मुस्लिम समाज के लोग पहली तारीख को मारे, और कल हरदोई के अन्दर दिन-दहाड़े चार शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को घर में घुस कर मारा गया। आसपास के गांव खाली हो चुके हैं। इसी प्रकार दिल्ली के नजदीक मुरादाबाद मंडल में कुछ ही दिन पहले चार शैड्यूल्ड कास्ट्स लड़कों की शादी हुई थी, उनको दहेज में कुछ सामान मिला था। वहां डकैती हुई, इस बारे में पुलिस को सब कुछ मालूम है। पुलिस ने पहले से ही डकैतों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिससे वे रिमान्ड पर न ले जा सकें। माल लूटकर ले गए और एक आदमी मौके पर ही मर गया तथा एक आदमी मौत से जूझ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जगह-जगह उत्पीड़न हो रहा है। मैं दुःख के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश के अन्दर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कौन सा षडयन्त्र चल रहा है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स ही मारे जा रहे हैं और चार से नीचे नहीं मारे जा रहे हैं। उन्होंने प्लान बना रखा है, मारने हैं, तो चार मारने हैं, चार से नीचे नहीं मारने हैं। शैड्यूल्ट कास्ट्स में भी जो मारे जा रहे हैं, चार-चार ही मारे जा रहे हैं और चार भी छांट-छांट कर चमार बिरादरी और जाटव बिरादरी के लोग मारे जा रहे हैं। चार से कम नहीं मारे जा रहे हैं और कहते हैं कि हमने इधर चार जाटव मारे हैं और उधर रदोई में चार चमार मारे हैं। यह कैसा षडयंत्र है, यह कैसी विडम्बना है कि जिधर भी शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग मारे गए हैं, चार से कम नहीं मारे जा रहे हैं। चार चमार इधर मार दिए और चार जाटव उधर मार दिए और छांट-छांट कर चमार और जाटवों को मारा जा रहा है। इसके पीछे हमें कोई सोची-समझी राजनीतिक साजिश नजर आती है। इसकी वजह यह है कि उत्तर पदेश के अन्दर खास तौर से अनुसूचित जाति में, चमार और जाटव में, जो राजनीतिक अर्वेकलिंग पैदा हुई है, उसके खिलाफ एक दहशत का वातावरण पैदा करके, उनका उत्पीड़न करके, राजनीतिक तौर पर दबाने की कोशिश हो रही है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि यह मामला काफी गम्भीर है, हालांकि सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि यह मामला प्रदेश का है और इसको प्रदेश की एसेम्बली में उठाना चाहिएं। इस मामले को इधर नहीं उठाना चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय को बताना चाहती हूं कि यह मामला उत्तर प्रदेश कि विधान सभा और विधान परिषद् में टुंडला का मामला, बसई गांव का मामला, दलितों के उत्पीड़न का मामला कई दिन उठा, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। एमएलसी का इलैक्शन हो रहा था, मैं लखनऊ में थी। सरकार ने कहा कि हमने चार हफ्ते का समय जांच के लिए दिया है। जिन अधिकारियों ने टुंडला में गोली चलवाई थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनका तबादला कर दिया। तबादला कोई सजा नहीं है, जब तक आप दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, उत्पीड़न कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मैं भी मुख्य मंत्री रही हूं। मेरी हुकूमत के दौरान मजाल थी कि कोई कानून अपने हाथ में ले। दलितों की बात तो छोड़िए, किसी को भी उत्पीड़न करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे इस बात का एहसास है कि वहां की ब्युरोक्रेसी मजबूर है और लाचार है। माननीय गृह मंत्री जी, मुझे मालूम है, उत्तर प्रदेश में आपके दल की सरकार है। वहां की सरकार इधर-उधर से विधायकों को तोड़ करके जरूर बनी है, लेकिन एब्सोल्यूट मैजोरिटी नहीं है। सरकार आप जरूर चला रहे हैं, लेकिन जितने दिन भी आपकी सरकार चलेगी, उतने दिन आपका ग्राफ नीचे गिरेगा।

क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपकी सरकार है, उसमें 21-22 के करीब ऐसे विधायक मिनिस्टर बने हैं जिनका आपराधिक इतिहास है और वे अपराधियों से मिले हुए हैं और वे अपराधी लोग दूसरे तबके के लोगों का भी उत्पीड़न कर रहे हैं। जब पुलिस महकमें के अधिकारी उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो जिनका आपराधिक इतिहास है उन अपराधियों को बचाते हैं। इस तरह से तो अपराध कभी नहीं रुकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि ऐसी सरकार से तो आपका ग्राफ नीचे जाएगा। आपक पास पूर्ण बहुमत नहीं है और आपने इधर-उधर से खरीद-फरोख्त करके जो सरकार बनाई है वह माफियाओं को, अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। आज उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति नजर नहीं आ रही है, वहां पर जंगल राज नजर आ रहा है। अगर आप अपने ग्राफ को नीचे गिरने से बचाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति का शासन लगाएं और वहां पर इलेक्शन कराएं और जनता जिसको चाहती है वहां उसकी सरकार बने। नहीं तो उत्पीड़न बड़े पैमाने पर बढ़ता चला जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें कतिपय महत्वपूर्ण कार्य भी करने हैं। मैंने आपको यह मामला उठाने की विशेष अनुमति दी है।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, जो मृतकों के परिवार के लोग हैं उनको टुंडला में केवल दो-दो लाख रुपये दिये गये हैं, उनकी जवान विधवाएं हैं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन्हें दो लाख की जगह पांच लाख की सहायता दी जानी चाहिए तथा उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की हत्याओं के साथ-साथ उनका अपहरण भी हो रहा है, उनके साथ हर प्रकार की ज्यादतियां भी हो रही हैं। आप भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, इसलिए मैंने जो-जो बिंदू उठाएं हैं उन पर कार्रवाई करें और यदि कोई भी राज्य सरकार कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में असफल हो जाती है तो केन्द्र की सरकार को दखल देकर वहां की स्थिति को काबू करना चाहिए, अन्यथा वहां पर बहुत बुरा हाल हो जायेगा। इसके साथ साथ मैं अपने

[कुमारी मायावती]

लेबर मिनिस्टर से भी प्रार्थना करना चाहती हूं कि पहली मई को टूंडला के नजदीक बसई गांव में जो अनुसचित जाति के चार लोग मारे गये हैं वे मजदूर थे, लेबर-डे के दिन मजदूर मारे जा रहे हैं। आपको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जो बिंदू मैंने रखे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनको गंभीरता से लेकर कार्रवाई करें। *(व्यवधान)* मेरी बात का गृह मंत्री जी जवाब दें, फिर आप दूसरों को बोलने का मौका दें। धन्यवाद। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें विशेष मामले के रूप में बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष जी, यह दलितों की हत्या का मामला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' नहीं है। मैंने उन्हें विशेष मामले के रूप में बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार गलत रास्ते पर जा रही है। जिस सरकार में 22-22 मंत्री आपराधिक इतिहास के हों, उस सरकार से न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस पर बोलने के लिए नोटिस दिया है? *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : नोटिस दिया है, मान्यवर। *(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : अध्यक्ष जी, नोटिस का सवाल ही नहीं आता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना कैसे बोल सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, इससे ज्यादा वीभत्स घटना और क्या हो सकती है। हर पार्टी के एक-एक सदस्य को एक-एक मिनट बोलने दें, जिससे वे अपनी बात रख सकें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, हमें भी अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ फिरोजाबाद के टूंडला में ऐसा हो रहा है, बल्कि आये दिन पूरे हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रांतों में अकलियतों के लोगों और दलितों के मारे जाने की घटनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। बसई और नगला मस्जिद के अलावा हरदोई का भी जिक्र किया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि यह सरकार के चरित्र की वजह से हो रहा है। यह सरकार अकलियतों के खिलाफ है, कमजोर वर्गों के खिलाफ है। सरकार का जो आचरण होता है, वही मैसेज समाज में जाता है और उसी प्रकार से लोग आचरण करते हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : आप किस सरकार के आचरण की बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)* मायावती जी पर जब स्वयं आपकी पार्टी के लोगों द्वारा हमला किया गया था, वह किस सरकार का आचरण था। आपकी पार्टी द्वारा माननीय मायावती जी पर हमला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी जान बचाई थी, किस सरकार के आचरण के बारे में बात हो रही है *(व्यवधान)* हमें जरा सरकार के आचरण के बारे में बतायें, यह किस सरकार के आचरण के बारे में बात हो रही है। यह जानी-मानी चीज है कि माननीय मायावती जी के ऊपर आपकी सरकार के जमाने में जानलेवा हमला हुआ था और हमारी पार्टी के लोगों ने उनकी जान बचाई थी और आप लोग हिमायती बन रहे हैं। *(व्यवधान)* मैं जानना चाहूंगा कि किस सरकार के आचरण के बारे में बात हो रही है *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : यह उस समय की सरकार का षडयंत्र था, उस समय की सरकार चाहती थी कि मायावंती जी को जान से मार दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर दलित लीडरशीप खत्म हो जाएं *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महादेय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बसई की घटना के पीछे सबसे दुखद पहलू यह है कि लावारिस लाशों को सरकार उस परिस्थिति में जलाती है जब उसका कोई वारिस न हो। घर के सब लोग प्रार्थना करते रहे, गुहार करते रहे कि लाशें हमारे सुपुर्द की जाएं, लेकिन लाशें परिवारजनों को नहीं दी गई। मैं परसों फिरोजाबाद जेल में उन लोगों से मिला था, जो जेल में बंद हैं। यह अत्यधिक दुख की बात है कि जिस परिवार का राम प्रसाद नाम का आदमी मरा है, उसी के सगे चाचा के तीन भाइयों को जेल में बंद कर दिया गया। छोलपुरा गांव का एक राहगीर अपनी बहन के पास जा रहा था, उसे बंद कर दिया गया। इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप जब लोग शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे थे तो फिरोजाबाद, सेलई, बौधनगर और छोटा नगला मिर्जा में पी०ए०सी० और पुलिस के जवानों ने लोगों को घरों में घुसकर पीटा। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि नगला मस्जिद में जब डकैती पड़ रही थी तो उसी समय थाने को इसके बारे में इत्तिला कर दी गई थी, लेकिन इत्तिला करने के घंटों बाद भी पुलिस वहां नहीं पहुंची और उन पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है, जो शून्य के बराबर दंड है। अगर ऐसी घटना में कठोर दंड

नहीं दिया जायेगा तो लोगों के हौसले और बुलंद होंगे। इसलिए मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कुछ पूरे देश में हो रहा है, उस पर व्यापक चर्चा कराये जाने की आवश्यकता है। इस मामले पर नियम 193 के अधीन चर्चा कराई जाए, जिससे सरकार का चरित्र स्पष्ट हो जाए। मैं चाहूंगा कि बसई प्रकरण में माननीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को कठोर कार्रवाई करने का आदेश देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं केवल दो मिनट में अपना वक्तव्य खत्म कर दूंगा। महोदय, यह स्टेट सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि एक दिन में चार-चार दलितों की जब हत्याएं होती हैं, ये किसलिए होती हैं, स्टेट सब्जेक्ट पर सरकार इंक्वायरी नहीं करती। जब स्टेट ही संरक्षक है, जब स्टेट के पुलिस अफसर ही गोली से मारते हैं तो गरीब जनता किसके पास जायेगी। आज यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उस मामले पर इंक्वायरी क्यों न करें। हम मानते हैं कि यह स्टेट का सब्जेक्ट है। भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री कहेगी कि हम इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन कुम्हेर का हत्याकांड जब हुआ तो 12 जाटवों को जलाया था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। आप सिर्फ मामले को ही उठा रहे हैं परन्तु आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं उन्हें बोलने से नहीं रोक रहा हूं। मैं केवल अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे अपनी बात रखनी चाहिए ताकि मंत्री उचित परिप्रेक्ष्य में उत्तर दे सकें।

[हिन्दी]

कुम्हेर का हत्याकांड हुआ तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी भी वहां एक-एक करके, चार-चार करके जाटवों की हत्या हो जाती है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां है। तो इस देश में जनता क्या समझे कि केन्द्र में भाजपा की सरकार हो तो दलितों को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है और राज्य में हो तब भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे इस बारे में स्टेटमेंट दें और जो भी आत्याचार वहां हो रहे हैं, वे बंद हो जाएं और अभी तक दलितों पर जो अत्याचार हुआ है, डैड बॉडी भी उनके संबंधियों को नहीं दी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कार्य के लिए जिम्मेदार लोग माफी मांगें और आप सरकार को एक स्टेटमेंट देने का निर्देश दें। *(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष जी, देश के किसी भी भाग में दलितों का उत्पीड़न हो, दलितों पर अत्याचार या अन्याय हो या उन पर गोलीबारी की घटना हो तो स्वाभाविक है कि संसद में उसके बारे में चिन्ता प्रकट हो। मायावती जी, सुमन जी या शिन्दे जी ने उत्तर प्रदेश की इन घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया है तो यह स्वाभाविक है लेकिन आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस बारे में मेरा कर्तव्य यह बनता है कि पहले मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछूं कि क्या घटना है, क्या हुआ है और मैं कल आकर सदन में उसका बयान करूंगा। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद वे सभा में वक्तव्य देंगे। कृपया इस बात को समझिए।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, हम कार्यरत पत्रकारों से संबंधित मामला उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं, कल। आज आपने पूरा समय ले लिया है।

अपराह्न 2.27 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश शहरी विकास और आवास निगम तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2000 जो 6 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 197(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1832/2000]

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000 जो 26 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/44/99 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2000 जो 26 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/45/99 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं देखिए संख्या एल०टी०-1833/2000]

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, की धारा 26 के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 जो 14 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 123(अ) में प्रकाशित हुये थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1834/2000]

(2) (एक) सेन्ट्रल जू अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संरक्षण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल जू अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(3) उपयुक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1835/2000]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : मैं नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1836/2000]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा०का०नि० 280(अ) जो 28 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा विशाखापतनम पत्तन कर्मचारी (वाहन की खरीद के लिए अग्रिम अनुदान) संशोधन विनियम, 1997 को स्वीकृति दी गई थी।

(दो) सा०का०नि० 429(अ) जो 29 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1997 को स्वीकृति दी गई थी।

(तीन) सा०का०नि० 651(अ) जो 17 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास (छुट्टी) संशोधन विनियम, 1997 को स्वीकृति दी गई थी।

(चार) सा०का०नि० 8(अ) जो 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 को स्वीकृति दी गई थी।

(पांच) सा०का०नि० 831(अ) जो 29 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 को स्वीकृति दी गई थी।

(छह) सा०का०नि० 7(अ) जो 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 1999 को स्वीकृति दी गई थी।

(सात) सा०का०नि० 9(अ) जो 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 को स्वीकृति दी गई थी।

(आठ) सा०का०नि० 70(अ) जो 27 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् अभिदायी बहिरंग तथा अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(नौ) सा०का०नि० 72(अ) जो 27 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पाराद्वीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृति के पश्चात् अभिदायी बहिरंग और अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा) विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(दस) सा०का०नि० 104(अ) जो 10 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा विशाखपतनम पत्तन न्यास कर्मचारी (शैक्षणिक सहायता) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(ग्यारह) सा०का०नि० 105(अ) जो 10 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 को स्वीकृति दी गई थी।

(बारह) सा०का०नि० 106(अ) जो 10 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (विभाग प्रमुख की भर्ती) विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(तेरह) सा०का०नि० 111(अ) जो 14 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास पेंशन संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(चौदह) सा०का०नि० 130(अ) जो 16 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(पंद्रह) सा०का०नि० 131(अ) जो 16 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(सोलह) सा०का०नि० 132(अ) जो 16 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्नम पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण और अपिल) विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(सत्रह) सा०का०नि० 133(अ) जो 16 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(अठ्ठारह) सा०का०नि० 229(अ) जो 7 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(उन्नीस) सा०का०नि० 228(अ) जो 7 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाव पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) (संशोधन) विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(बीस) सा०का०नि० 230(अ) जो 7 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सकीय परिचर्या) विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(इक्कीस) सा०का०नि० 232(अ) जो 7 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(बाईस) सा०का०नि० 233(अ) जो 8 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा मार्मुगाव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(तेईस) सा०का०नि० 241(अ) जो 10 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा तूतीकोरीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(चौबीस) सा०का०नि० 242(अ) जो 10 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा तूतीकोरीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(पच्चीस) सा०का०नि० 252(अ) जो 22 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(छब्बीस) सा०का०नि० 253(अ) जो 22 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) पहला संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 254(अ) जो 22 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(अट्ठाईस) सा०का०नि० 269(अ) जो 29 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

[डा० देबेन्द्र प्रधान]

(उन्तीस) सा०का०नि० 326(अ) जो 10 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा तूतीकोरीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(तीस) सा०का०नि० 270 जो 30 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी वेतन और भत्तों, छुट्टी और पेंशन डाइजेस्ट (संशोधन) नियम, 2000 को स्वीकृति दी गई थी।

(इक्तीस) (1) मार्मुगाव पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1964 जो 1 जुलाई, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 965 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (एक), (दो), (तीन) और (इकतीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1837/2000]

(3) वर्ष 2000-2001 के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और जल भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1838/2000]

(4) वर्ष 2000-2001 के लिए शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और जल भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1839/2000]

(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 24 के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 1997-98 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपयुक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1840/2000]

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) इंडियन रोड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रोड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1841/2000]

(9) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपयुक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1842/2000]

(11) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 335(अ) जो 13 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1998 में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1843/2000]

(12) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 194 की धारा 8क के अधीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (संशोधन) नियम, 1999 जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा०का०नि० 93(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1844/2000]

(14) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) वर्ष 1998-99 के लिए तूतीकोरीन पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वर्ष 1998-99 के लिए तूतीकोरीन पत्तन न्यास लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1845/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1846/2000]

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1847/2000]

(3) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1848/2000]

(4) बॉगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष

2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1849/2000]

(5) वर्ष 2000-2001 के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1850/2000]

(6) वर्ष 2000-2001 के लिए आयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1851/2000]

(7) वर्ष 2000-2001 के लिए कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1852/2000]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : मैं श्री ओ० राजगोपाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 215(अ) जो 2 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIII में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1853/2000]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) दि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एण्ड अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी (प्रतिभूतियों को पुन: खरीदना) संशोधन विनियम, 2000 जो 2 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 216(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी विधि बोर्ड (आवेदनों और याचिकाओं पर शुल्क) संशोधन नियम, 2000 जो 6 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1854/2000]

अपराह्न 2.28 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :–

"कि राज्य सभा पौधा संवर्धकों और कृषकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और पौधों के नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली देने के लिए प्राधिकरण की स्थापना का तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर करार के भाग 2 के अनुच्छेद 27 के पैरा 3 के उपपैरा (ख) को प्रभावी करने या उपबंध करने के लिए विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के लिए 2 अप्रैल, 2000 को सर्वश्री जनार्दन पुजारी, वी० किशोर चन्द्र एस० देव, डा० रणबीर सिंह, ओंकार सिंह लखावत, डा० विप्लव दासगुप्त, गुरूदास दासगुप्त की सेवा निवृत्ति के कारण हुए रिक्तियों के स्थान पर राज्य सभा से छह सदस्यों की नियुक्ति करने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत है और यह संकल्प किया कि रिक्तियों को भरने के लिए डा० ए०आर० किदवई, डा० एम०एन० दास, सर्वश्री ललितभाई मेहता, कैलाश जोशी, डा० विप्लव दास गुप्त और एन० आर० दसारी को उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किया गया है।"

अपराह्न 2.29 बजे

संविधान (नब्बेवां संशोधन) विधेयक, 2000*

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4ख को शामिल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है ताकि राज्य आरक्षण के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा में बकाया रिक्तियों को उससे अलग रख सके। स्मरण रहे कि सरकार ने एक कार्यालय ज्ञापन 29 अगस्त, 1997 को जारी किया था, जिसके अंतर्गत आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा में वर्तमान और बकाया रिक्तियों को शामिल किया जाएगा।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 8.5.2000 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आपने केवल विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगी है, आपको भाषण नहीं देना है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में, श्री वरकला राधाकृष्णन और श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर, संसद सदस्यों ने इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध करने हेतु सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, पटल पर रखे गए पत्रों में, सभा के समक्ष इन पत्रों को रखने में असाधारण देरी हुई है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। ये पत्र 34 वर्षों बाद पटल पर रखे गए हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर की सूचना समय समाप्त होने के बाद मिली है, क्योंकि यह पूर्वाह्न 10.00 बजे के बाद प्राप्त हुई है। इसलिए, मैं श्री वरकला राधाकृष्णन को इस विधेयक के पुर: स्थापन का विरोध करने की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : हम अगली मद को ले चुके हैं और मैंने श्री वरकला राधाकृष्णन को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री चेन्नितला, आप अब इसे कैसे उठा सकते हैं ? हम पहले ही मद सख्या 10 पर हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैंने इस मामले पर सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सरकार को निदेश दिया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई बात न हो *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझें कि मैंने श्री राधाकृष्णन को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। आपको इस मामले पर सरकार को निदेश देना चाहिए *(व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं विधेयक के सिद्धान्तों का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन के भाषण समाप्त करने के पश्चात्, मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि सरकार इसके प्रति ईमानदार नहीं है। यदि सरकार वास्तव में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े समुदायों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है, तो वह और भी बहुत कुछ करती। तमिलनाडु के मामले में, उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिज्ञापित 50 प्रतिशत की सीमा का अनुपालन नहीं किया। आरक्षण की सीमा के संबंध में अन्तिम निर्णय लिए बिना, सरकार ने जो वृद्धि की है, उसका कानूनी आधार नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 50 प्रतिशत के बारे में बहुत ही स्पष्ट निर्णय दिया है। आप इसके बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं लेते ? तमिलनाडु विधान मंडल 50 प्रतिशत की सीमा से आगे बढ़ गई है। वे 65 प्रतिशत तक आरक्षण दे रहे हैं। जब यह स्थिति है, तो मैं समझता हूं कि सरकार और ज्यादा देने में समर्थ होगी *(व्यवधान)* मैं विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, यदि कोई सदस्य विधेयक का समर्थन कर रहा है, तो वह विधेयक के पुर:स्थापन पर कैसे आपत्ति कर सकता है ? मैं वास्तव में समझ नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : राधाकृष्णन, आप पुर:स्थापन का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह एक त्रुटिरहित विधेयक चाहते हैं। उनका कहना है कि विधेयक में कुछ खामियां हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : वह चर्चा के समय इसे उठा सकते हैं। वह उस समय सुझाव दे सकते हैं *(व्यवधान)* महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम सदस्य को विधेयक के पुर:स्थापन पर आपत्ति करने की अनुमति देते हैं, किन्तु इस अवसर का उपयोग विधेयक के गुण-दोष पर भाषण देने के लिए नहीं करना चाहिए। यदि वह समझते हैं कि हम इस विधेयक को प्रस्तुत करने में विधायी तौर पर सक्षम नहीं हैं, तो वह इसका विरोध कर सकते हैं।

अब, यदि वह इसका समर्थन कर रहे हैं, जो इसका अर्थ यह है कि उन्हें विधेयक के पुर:स्थापन पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वे इस अवसर का उपयोग चर्चा के लिए करें और जो कुछ उन्होंने कहा है, इसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब वह आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : हम सभी को नियमों का पालन करना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मुझे सरकार की विधायी सक्षमता के बारे में शंकाएं हैं। जब आप यहां 50 प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु विधान मंडल 65 प्रतिशत तक चला गया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। आपने इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करने हेतु सूचना दी है। किन्तु आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : नहीं। मैंने विशिष्ट रूप से बताया है कि तमिलनाडु विधान मंडल ने 65 प्रतिशत तक आरक्षण दिया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किन्तु आपकी सूचना इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करने के लिए है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : विधायी सक्षमता शंका के घेरे में है और केन्द्र सरकार आधे-अधूरे मन से इस विधेयक को ला रही है।

मंत्री महोदय, आप को वास्तव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और उनकी सहायता करनी चाहिए। यदि आप ईमानदार और निष्कपट हैं, तो आपको तमिलनाडु विधेयक और अन्य कानूनों के बारे में एक निर्णय लेना होगा। किन्तु आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैंने इस विधेयक के पुर:स्थापन हेतु विधायी सक्षमता का प्रश्न उठाया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करने के लिए श्री प्रकाश अम्बेडकर की सूचना समय समाप्त होने के बाद मिली थी, अर्थात् यह पूर्वाह्न 10 बजे के बाद प्राप्त हुई थी, तो भी मैं उन्हें विशेष मामले के रूप में इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करने की अनुमति देता हूं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : धन्यवाद, महोदय। ये दोनों मुद्दे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के सामने लाए गए थे। वहां दो मुद्दे उठाए गए थे। एक 'नियुक्ति' शब्द की परिभाषा के संबंध में 1962 दिए गए निर्णय के बारे में था, जिसमें यह कहा गया था कि 'नियुक्ति' में पदोन्नति भी सम्मिलित है *(व्यवधान)* मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं कि मैं क्यों इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर, अभी-अभी आपने संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर सुना है। आप फिर भी इसके विस्तार में जा रहे हैं। आप इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध क्यों कर रहे है ? आपको यह बताना चाहिए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं एक विशेष मुद्दे पर हूं। मैं अभी उस पर आ रहा हूं। मैं केवल पृष्टभूमि बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बता सकते हैं कि आप इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध क्यों कर रहे हैं। अभी केवल पुर:स्थापन हो रहा है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं उस पर आ रहा हूं। इस निर्णय से बचने के लिए संसद ने स्वयं ही संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन किया था और उसमें अनुच्छेद 16(4)(क) जोड़ा गया था। अनुच्छेद 16(4)(क) को भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह था कि न तो यह अनुसूचित जातियों के पक्ष में कोई अधिकार देता है और न ही यह उन्हें आरक्षण अथवा पदोन्नति देने के लिए सरकार को कर्त्तव्यबद्ध करता है *(व्यवधान)*

विधि, कानून और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : यदि मेरे माननीय मित्र कुछ समय दें तो मैं कहना चाहूंगा कि हमने अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से जो वायदा किया था, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे है। हमने सभा में एक वायदा किया था। हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु वे इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करने हेतु सूचना क्यों दी ?

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं जानता हूं कि आपने एक वायदा किया है। मैं केवल विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी प्रयास सरकार कर रही है वह ढोंग है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर, कृपया यह समझें कि यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं केवल यह कह रहा हूं कि माननीय प्रधान मंत्री ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि वे अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करेंगे। माननीय प्रधान मंत्री ने विशेष रूप से आश्वासन दिया था कि अनुच्छेद 335 में संशोधन किया जावेगा। अब, जो सभा के समक्ष आ रहा है उस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय ले लिया गया है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को बताना है जो कि सर्व-विदित है कि अध्यक्षपीठ इस बात का निर्णय नहीं लेता कि कोई विधेयक संवैधानिक रूप से सभा के विधायी कार्यक्षेत्र में आता है अथवा नहीं। किसी विधेयक की शक्ति के विशिष्ट प्रश्न पर भी सभा निर्णय नहीं लेती। इस स्थिति में, मैं अब प्रश्न को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करती हूं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री रमेश चेन्नितला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सभा के सामने उठा रहा हूं। सभा पटल पर रखे गए पत्रों के संबंध में कुछ निश्चित प्रक्रिया है। इसके लिए एक समिति गठित की गई है। परन्तु रिकार्ड अथवा पत्रों को इस सभा के समक्ष रखने में अनावश्यक विलम्ब एक बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पत्रों को समय पर सभा के समक्ष रखने के संबंध में सरकार को निर्देश दें।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, क्या ये आज की कार्यसूची के बारे में बोल रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : हां, मैंने पहले ही माननीय अध्यक्ष को सूचना दे दी है।

श्री प्रमोद महाजन : ठीक है, आपने सूचना दी है। मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

श्री रमेश चेन्नितला : कृपया मद सं० 4, 6, 7, 9, 12 और 14 तथा इसके व्याख्यात्मक ज्ञापन को देखें। यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। मेरा अनुरोध है कि अध्यक्षपीठ को पत्रों को सभा पटल पर रखने में अनावश्यक विलम्ब नहीं करने के लिए सरकार को निर्देश देना चाहिए। यही मेरा प्रश्न है। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : 34 वर्ष के विलम्ब के लिए भी आप केवल मुझे दोष दे रहे हैं *(व्यवधान)* आप मुझ पर केवल दो वर्ष की देरी का आरोप लगा सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। पत्रों को सभा पटल पर रखने में 34 वर्षों की देरी हुई है *(व्यवधान)* यह सही नहीं है। यह स्वस्थ संसदीय परम्परा नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, ये किस सरकार की बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे पूर्व सरकारों की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, सरकार एक लगातार चलने वाली सत्ता है। इसलिए लगभग 34 वर्षों की सम्पूर्ण देरी के लिए वर्तमान सरकार को दोष लेना होगा।

श्री प्रमोद महाजन : हम जिम्मेदार हैं। मैं सोचता हूं कि यदि 32 वर्षों की देरी हुई है तो हमें निश्चित रूप से उसकी जांच करनी चाहिए *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई 'यदि' नहीं *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : परन्तु मैं यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि उन्होंने कौन सी मदों का विशेष रूप से उल्लेख किया है *(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : मैंने पहले ही मदों का उल्लेख कर दिया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला कतिपय पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का मामला उठाना चाहते हैं। निःसंदेह, कतिपय पत्रों को रखने में सरकार की ओर से अनावश्यक विलम्ब हुआ है। फिर भी नियम 305(ग) के प्रावधान को देखते हुए मामले को सभा में उठाने की बजाय सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति को भेजना होगा।

अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे। श्री अनादि साहू।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कोई विलम्ब हुआ है तो सदस्य को इसे समिति को भेजना होगा।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : माननीय मंत्री को कार्यरत पत्रकारों के आंदोलन के संबंध में कल एक वक्तव्य देना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : कल उन्हें कहने दो। तब मैं निर्णय करूंगा *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : कल जब मामला उठाया जाए तो सूचना और प्रसारण मंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जब मामला उठाया जाए तो मंत्री को तैयार होकर आना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.42 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गंजम जिले के चक्रवात से प्रभावित लोगों को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में गोपालपुर (उड़ीसा) में यूरिया के दो जहाजों को किनारे पर लगाने के आदेश दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : गोपालपुर (उड़ीसा) के गंजम जिले में अच्छे मौसम वाली छोटी बंदरगाह है। हर वर्ष नवम्बर से मार्च के दौरान अनेक जहाज इस बंदरगाह पर आते हैं। 1995 तक यूरिया के जहाज इस बंदरगाह पर आते थे। लेकिन इसके बाद गोपालपुर बंदरगाह में यूरिया के जहाजों का लंगर डालना बंद हो गया। सुपर साइक्लोन के बाद गंजम के लोगों को समुचित काम नहीं मिल रहा है। यदि नवम्बर, दिसम्बर में इस बंदरगाह में यूरिया के जहाज लाये जायें तो लोगों को काम मिलेगा। इसके अलावा किसानों को सस्ती दर पर यूरिया मिलेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नवम्बर-दिसम्बर 2000 माह के दौरान गोपालपुर में यूरिया के दो जहाजों को लंगर डालने का आदेश दिया जाये।

अपराह्न 2.43 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(दो) बिहार के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत और दूरभाष सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० दुखा भगत (लोहरदगा) : महोदय, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र लोहरदगा के गारू ब्लाक तथा महुआ डांट ब्लाक की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन ब्लाकों के किसी भी गांव में आजादी के 52 साल के बाद बिजली नहीं है और न ही टेलीफोन व्यवस्था है। मणिका ब्लाक के 20 प्रतिशत गांवों में बिजली है जिससे आधे से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हैं। ये अत्यन्त पिछड़े आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां पर छात्रों के पठन-पाठन के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश के कोने-कोने में विकास कार्य हो रहा है परन्तु इन ब्लाकों में नहीं हो रहा है। इससे यहां के लोगों का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है और इन सुविधाओं के अभाव में आदिवासी लोग अपने आपको आगे बढ़ाने में वंचित हैं।

सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन ब्लाकों के गांवों को तत्काल विद्युत तथा टेलीफोन से जोड़ा जाए।

(तीन) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से बरून से औरंगाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान देशभर में और विशेषकर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय और जर्जर हालत की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2, बिहार में से गुजरता है और बिहार में ही इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बारून से औरंगाबाद तक 35 किलोमीटर लम्बा है और यह जी०टी० रोड के नाम से प्रसिद्ध है। इस सड़क की हालत बहुत खराब है और किसी भी वाणिज्यिक अथवा यात्री गाड़ी का इसपर चलना अत्यधिक मुश्किल है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे

[श्रीमती श्यामा सिंह]

हैं। इसकी हालत सुधारने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० दो की बहुत खराब हालत होने के कारण घंटों तक यातायात जाम रहता है। महिलाएं और बच्चे यातायात जाम के कारण घंटों तक गाड़ियों में फंसे रहे जाते हैं और प्राय: बदमाशों द्वारा लूट अथवा हत्या के शिकार हो जाते हैं। फलों और सब्जियों जैसी खराब होने वाली वस्तुओं को ढोने वाले ट्रकों और अन्य माल वाहक गाड़ियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी वस्तुएं देर से पहुंचने आदि के कारण सामान्यत: नष्ट हो जाती हैं। इसका प्रभाव पेट्रोल और डीजल की खपत तथा व्यय पर भी पड़ा है।

उपर्युक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दे कि बिहार से गुजरने वाले और विशेषकर बारून से औरंगाबाद तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत और समुचित रख-रखाव का कार्य तत्काल किया जाए।

(चार) नागपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, नई दिल्ली हमारी राजधानी है और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केन्द्रों में से एक है। प्रगति मैदान जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र, जहां प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों का नियमित रूप से आयोजन हो रहा है, के विकास की बदौलत इन मेलों में भाग लेने के लिए विदेशी भी प्रोत्साहित हुए हैं। ऐसे मेलों में नए उत्पादों को बाजार में उतारने, नई प्रौद्योगिकियों, नए उपादानों और कुल मिलाकर नए प्रकार की व्यापार संभावनाओं के लिये एक आदर्श अवसर प्राप्त होता है। अब ऐसे और अधिक केन्द्रों को विकसित करने का समय आ गया है।

हाल ही में, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने नागपुर में प्रगति मैदान की तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित करने के अपने इरादे की घोषणा की थी।

अपराह्न 2.47 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

नागपुर मध्य भाग में अवस्थित एक सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है जो देश की भौगोलिक राजधानी, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी और दूसरा सबसे अधिक हरा-भरा शहर है। नागपुर 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहां काफी अच्छी शहरी बुनियादी सुविधाएं, आवास, चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 (वाराणसी-कन्याकुमारी) नागपुर हवाई अड्डे से आधे किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 (मुंबई-कलकत्ता) को जोड़ता है। लगभग 300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान प्रत्येक दिन नागपुर वायु क्षेत्र से गुजरते हैं। नागपुर देश का लॉजिस्टिक हब (संभार तंत्र संबंधी केन्द्र) बन गया है और यह दक्षिण पूर्व एशिया, आस्ट्रेलिया, जापान, एम्स्टरडम, फ्रैंकफर्ट और शारजाह के बीच एक आदर्श हब साइट (केन्द्र स्थल) भी है। नागपुर माल लाने एवं ले जाने का भी एक प्रमुख केन्द्र है। बूटीबोरी इंडस्ट्रियल इस्टेट, जो नागपुर से 20 किलोमीटर दूर है, एशिया में अपने प्रकार का एक बड़ा इस्टेट है, जहां सभी तरह की फाइव स्टार सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसने एक औद्योगिक वातावरण तैयार कर दिया है।

नागपुर अपनी आदर्श भौगोलिक स्थिति, अच्छी जलवायु, पर्याप्त और सस्ते स्थान, शांत और सुरक्षित वातावरण, अच्छी सहायक अवसंरचना, अच्छी सड़क और अच्छे रेल सम्पर्क के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र के लिए एक बेहतरीन स्थल है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में अंतिम निर्णय ले और नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करने हेतु आदेश जारी करे।

(पांच) सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश में प्राथमिकता देने की पूर्ववर्ती नीति को अपनाए जाने की आवश्यकता

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, मैं आपका ध्यान केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला संबंधी उन मापदंडों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्हें इस वर्ष से संशोधित किया गया है। संशोधित मापदंडों के अनुसार, 50 प्रतिशत सीटें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, 30 प्रतिशत सीटें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तथा 20 प्रतिशत सीटें अन्य के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इन श्रेणियों में दाखिल प्रत्येक श्रेणी के पात्र बच्चों की अलग-अलग लाटरी निकालकर किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है जैसे कि पूर्व के वर्षों में किया जाता था। सेवारत सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को पहले अपनी सेवा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादलों के अनुसार अपने बच्चों का दाखिला कराने में प्राथमिकता मिलती थी। संशोधित मानदंडों के अनुसार, पर्चियां निकालकर दाखिला देने हेतु उनके बच्चों के नाम उनकी श्रेणी में अन्य पात्र बच्चों के नामों के साथ चयन हेतु मिला दिए जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला हेतु नए मापदंड शुरू कर उन्हें वरीयता देना बन्द कर दिया गया है। उन्होंने फिर से वरीयता देने का अनुरोध किया है। उनकी कठिन कार्य प्रकृति और मातृभूमि के लिए समर्पित कार्य को देखते हुए उनका अनुरोध वास्तविक और तर्कसंगत है। अत:, केन्द्रीय विद्यालय में उनके बच्चों के दाखिले संबंधी प्राथमिकता पहले की तरह दी जाए। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार के संगठनों जैसे कर्मचारी भविष्य निधि, पासपोर्ट कार्यालय तथा अन्य संगठनों को तीसरी श्रेणी में रखा गया और उनके बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाता है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नये दिशानिर्देशों में आवश्यक परिवर्तन करे तथा सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय विद्यालय में उनके बच्चों के दाखिले के संबंध में दी जाने वाली वरीयता को पुन: लागू किया जाए।

(छह) केरल में कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना का शीघ्र विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, अनेक कारणों से कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना के विस्तार में देरी हो रही है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) का उचित समय पर उपलब्ध न होना एक कारण है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस ताप विद्युत परियोजना के विस्तार हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं।

(सात) अफीम उत्पादकों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अफीम उत्पादकों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी) : हमारे देश के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में वित्त विभाग की अनुमति से एक लम्बे जमाने से लाइसेंस देकर अफीम की खेती किसानों से कराई जाती है जिसमें किसानों को सरकार से निर्धारित मानक पर अफीम जमा करना होता है। यह खेती इतनी नाजुक होती है कि थोड़े से तापमान के चढ़ाव-उतार, हवा, तूफान, ओला और अतिवृष्टि से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है और किसानों की लागत का व उपज का विनाश हो जाता है।

अत: सरकार को चाहिए कि फसल की उपज और पैदावार का समय-समय पर आंकलन करके किसानों को छूट राहत व मुआवजा प्रदान करे। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र जनपद बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) के क्रय केन्द्र सफदरगंज में अफीम कृषकों की अफीम की सही परख न हो पाने तथा ग्राम अमसेरूवा, टिकारियां समेत दर्जनों गांव के किसानों के साथ परख में मनमानी और उन्हें अपमानित करने की शिकायतें हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि इन गांवों की जमा अफीम को फिर से परख कराके किसानों को आवश्यक राहत व उनके लाइसेंस सुरक्षित करें।

(आठ) श्रमिकों के हितों की रक्षा की दृष्टि से बंद पड़ी चीनी मिलों को अर्थक्षम बनाने हेतु बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : बिहार में राज्य सरकार के अधीन संचालित 15 चीनी मिलें पिछले तीन पेराई सत्र से 1997-98 से बंद पड़ी हैं और इन मिलों में कार्यरत 13,000 से अधिक कर्मचारी बेकारी की दशा में हैं। गत तीन वर्षों से इन गरीब मजदूरों व कर्मचारियों को वेतन न मिल पाने के कारण वे भुखमरी के कगार पर हैं। कर्मचारियों के वेतन की करोड़ों रुपए की राशि सरकार की ओर बकाया है। बिहार के गन्ना उत्पादकों तथा चीनी मिलों के कर्मचारियों के हित में केन्द्रीय सरकार स्पेशल पैकेज देकर इन चीनी मिलों को शीघ्र चालू कराने के लिए कदम उठाए।

[अनुवाद]

(नौ) राष्ट्रीय स्लम नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मार्च, 2000 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में सरकार को हिदायत दी थी कि वह राज्यों/केंद्र सरकार की विभिन्न जमीनों तथा निजी जमीनों पर अतिक्रमण को हटाए। यह देशभर में मलिन बस्तियों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे अनेक वर्षों से झुग्गियों में रह रहे छह करोड़ से अधिक दलित लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और इसके फलस्वरूप इन दलितों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। वे बेघर हो जाएंगे। राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति को तुरंत अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा इस संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इन दलितों को आश्रय, सुरक्षा और मूल सुविधाएं प्रदान करने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में अपना नीतिगत निर्णय दे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब हम आइटम नं० 12 लेंगे। माननीय मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस किया।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं नियम 331 ड०(ख) के तहत व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहा हूं। इस सभा में दो संविधान संशोधन विधेयक और कुछ अन्य विधेयक प्रस्तुत किये गए हैं। मेरा अनुरोध है कि नियम 331 ड०(ख) के अनुसार, चूंकि इस सभा द्वारा स्थायी समितियों का गठन किया जा रहा है, इन विधेयकों की विस्तृत जांच करने के लिए इन महत्वपूर्ण विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा जायेगा।

महोदय, यह एक प्रथा बन गई है कि सभी विधेयक सभा में पुर:स्थापित किये जाते हैं, फिर उनपर चर्चा की जाती है और फिर वे पारित किये जाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि यदि यह इस तरह का विधेयक नहीं होता है तो इस पर सिर्फ चर्चा की जा सकती है और उसे पारित किया जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक का समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसे पहले स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए जहां इस पर चर्चा की जानी चाहिए और जब प्रतिवेदन सभा में आता है तो इस पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप पहले सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : जैसे ही ये विधेयक पुर:स्थापित होते हैं, ये सभा की संपत्ति बन जाते हैं। मेरा अध्यक्षपीठ से निवेदन है कि ऐसे विधेयक स्थायी समिति को भेजे जाने चाहिए और तत्पश्चात् उन्हें पारित किया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्य सचेतक से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन विधेयकों को भेजने और इन्हें मानसून सत्र में ले जाने का निर्णय कांग्रेस का है अथवा यह केवल सदस्य की ही राय है *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। इन दोनों संविधान संशोधन विधेयकों को स्थायी समितियों के पास भेजा जाना चाहिए *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.58 बजे

कतिपय विधेयकों को विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को सौंपे जाने के लिए सूचना के बारे में टिप्पणी

[अनुवाद]

सभापित महोदय : श्री रमेश चेन्नितला ने उन कुछेक विधेयकों को विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को भेजने के संबंध में सूचना दी थी जिन्हें आज की कार्यसूची में शामिल किया गया है।

भारतीय कंपनी (विदेशी हित) और कंपनी (लाभांश पर अस्थायी प्रतिबंध) निरसन विधेयक, 2000 तथा प्रत्यक्ष कर कानून (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक, 2000 का उद्देश्य ऐसे कतिपय कानूनों का निरसन करना है जो पहले ही अव्यवहार्य हो चुके हैं। ये विधेयक कम महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने उन्हें संबंधित स्थायी समितियों के पास नहीं भेजा है।

कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000 का उद्देश्य डा० अशोक बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्यान में लाई गई कमियों को दूर करने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन करना है। कृषि मंत्री जी ने भी मुझसे यह अनुरोध किया था कि कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000 स्थायी समिति को नहीं भेजा जाये क्योंकि इसमें कोई नीतिगत मामला शामिल नहीं है। इसलिए मैंने उपरोक्त विधेयक स्थायी समिति के पास नहीं भेजा है।

भारतीय खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 और गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) निरसन विधेयक, 2000 राज्य सभा में क्रमशः 28 फरवरी, 2000 और 14 मार्च, 2000 को पुरःस्थापित किये गये थे। राज्य सभा के पुरःस्थापित विधेयकों को भेजने के संबंध में राज्य सभा की ओर से पहल राज्य सभा के सभापति द्वारा की जानी है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में रूलिंग दी है जिसकी हमने आपको जानकारी दे दी है।

अपराह्न 3.00 बजे

कीटनाशी (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद सं० 12 – कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार करेंगे। इस विधेयक पर विचार करने के लिए दो घंटे का समय नियत किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : सभापति महोदय, कीटनाशक अधिनियम, 1968 का उद्देश्य मानवों और पशुओं को खतरे से बचाने के लिए कीटनाशकों के उत्पादन या विक्रय या परिवहन या वितरण या उपयोग को नियंत्रित करने से संबंधित था। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत हानिकारक कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था, परन्तु 2 मई, 1977 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 3(इ) की उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने का वर्तमान अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। यह बात सही है कि प्रावधान नहीं है। इस कमी को दूर करने तथा अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ धाराओं में संशोधन और उपधारा जोड़ने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के फलस्वरूप नकली और अधोमानक कीटनाशकों को नियंत्रित किया जा सकेगा तथा दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जा सकेगा। इस उद्देश्य को लेकर यह बिल प्रस्तुत किया गया है।

मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को सर्वानुमति से पारित करने की अनुमति दे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत कीटनाशक अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2000 का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा अभी बतलाया गया, मूलरूप से कीटनाशक अधिनियम और कुछ ऐसे पौधों को संरक्षण के लिए अथवा पौधों के लिए, खेती के लिए जो हानिकारक हैं, अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, उनका नाश करने के लिए अधिनियम, 1968 में मूलरूप से कानून बनाया गया था। इसका उद्देश्य था, जितने भी कीटनाशक हैं, उनके आयात, बाहर से मंगाना या उत्पादन या विक्रय या परिवहन या वितरण या उपयोग करने के बारे में था और साथ ही जीव-जन्तुओं के ऊपर या मानव के ऊपर घाती न हो या जीव-जन्तुओं को नुकसान पहुंचाने वाला न हो, इसलिए कीटनाशक अधिनियम 1968 में बनाया

गया था। इसका उपयोग करने के बाद देखा गया और सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में केस संख्या 2298, डाक्टर अशोक बनाम भारत संघ, निर्णय के अन्दर यह निर्धारित किया कि जैसे ही किसी कीटनाशक पदार्थ को धारा 3 के अन्दर अनुज्ञात रूप से निश्चित शैड्युल के अन्दर स्पैसिफाई कर दिया जाता है, तब उस पदार्थ के संबंध में सरकार को कोई पावर नहीं रहती है कि उसको रोका जा सके। रजिस्ट्रेशन को कैन्सिल करने के लिए उनके पास कोई शक्ति नहीं रहती है, जबकि वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध न हो जाए कि इस पदार्थ के विरुद्ध जो हानिकारक है, जिसके विरुद्ध रजिस्ट्रेशन कैन्सिल होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य के हानिकारक होते हुए भी शक्ति नहीं रहती है। इसलिए कम्पनी के खिलाफ मुकद्दमा चलाया नहीं जा सकता था। कानून के अन्दर मूल रूप से गलती थी और उस गलती को दूर करने के लिए इस अधिनियम को मूलरूप से जो बनाया गया था। उसकी धारा 27 के अंतर्गत संशोधन किया गया है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बाद समस्या दूर हो जाएगी। इस कमी की वजह से ही माननीय उच्च न्यायालय को फैसला लेना पड़ा और जो कमियां अनुभव की गईं, उनको दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत उपयुक्त है, सामयिक है और कानून को और भी अधिक सुसंगत बनाने वाला है। मैं इन सारे संशोधनों का समर्थन करता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नकली कीटनाशक दवायें तैयार की जाती हैं, जिसको खेती के अन्दर हमारा किसान इन दवाओं को खरीदकर डालता है, उनसे टिड्डी या दूसरे कीट मरते नहीं हैं। वे नकली दवाइयां बेअसर सिद्ध होती हैं। किस पौधे के लिए, कौनसी दवा किस जलवायु में अनुकूल है यह किसान को पता होना चाहिए। अगर उसमें कुछ मिलावट कर दी जाती है तो वे बेअसर सिद्ध होती हैं। बाजार में नकली और बेअसर कीटनाशक न आने पायें, इसके लिए यह संशोधन किया जा रहा है और यह बहुत ही उपयोगी है।

सभापति जी, जो लोग बेईमानी करते हैं उनके खिलाफ केसेज में बहुत टाइम लग जाता है जिससे नकली दवाइयां और नकली चीजें बाजार में बिकती रहती हैं। इसके एक प्रावधान में विशेष न्यायालयों की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है, जिससे मुकदमों का निपटारा जल्दी हो सकेगा और नकली कीटनाशक तैयार करने वालों के खिलाफ या बाहर से भी अगर नकली कीटनाशक आयात करके आ गये हों तो उन सब के विरुद्ध धारा 31 की उपधारा (2) में संशोधन करके विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया जा सकता है। यह प्रावधान भी बहुत अच्छा है। इससे सुनवाई जल्दी होगी और नकली कीटनाशक तैयार करने वालों, बेचने वालों या इधर-उधर ले जाने वालों या किसानों को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकेगी।

इसमें एक और प्रावधान किया गया है और वह भी बहुत अच्छा है। पहले न्यूनतम जुर्माना पांच हजार रुपये का था जिसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का प्रावधान है। पहले सजा एक साल की थी, अब उसको बढ़ाने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इससे भी नकली चीजों को रोकने में और सब-स्टैंडर्ड कीटनाशियों को रोकने में मदद मिलेगी।

भूमंडलीकरण के नाम पर या पौध-संरक्षण के नाम पर जो बाहर से पौध कीटनाशी मंगवा रहे हैं कि यह उपयोगी कृमियों की रक्षा करेगा और अनुपयोगी कृमियों को मारेगा, लेकिन अगर वह उल्टा असर डाले तो क्या होगा ? उन चीजों को विनियमित करने के लिए इसमें जो प्रावधान किया गया है, सजा, जुर्माना और विशेष न्यायालयों की स्थापना का जो अलग-अलग धाराओं में प्रावधान किया गया है, वह बहुत उपयोगी होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

सभापति जी, यदि कोई कीटनाशी नकली या सब-स्टैंडर्ड का हुआ तो उसे परीक्षण के लिए लैबोरेट्री में भेजा जाता है, लेकिन तब तक उसका वितरण या प्रयोग कैसे रोका जाये, उसके बारे में भी इसके अन्दर कानून में प्रावधान किया गया है। अन्यथा होता यह है कि लैबोरेट्री में एक महीना या पन्द्रह दिन या ज्यादा समय परीक्षण में लग जाता है और एनालाइज होकर रिपोर्ट आती है, तब तक वह कीटनाशी बिकता ही रहता है। इसमें नमूने का परीक्षण करने के लिए तीस दिन की समय-सीमा निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है कि रिपोर्ट 30 दिन के अंदर आनी चाहिए। जब तक रिपोर्ट आये, उनके ऊपर पाबंदी लगाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कीटनाशकों को प्रयोग जहां तक आवश्यक हो वहीं तक होना चाहिए, क्योंकि अधिकता हर चीज की बुरी होती है। किसानों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कौन से कीटनाशकों का प्रयोग, कितनी मात्रा में तथा किस जलवायु और वातावरण में किया जाना चाहिए। नहीं तो होगा यह कि अगर उनका प्रयोग पौधे कि विकास पर पड़ा तो उसके सेवन करने वालों पर भी उसका दुष्परिणाम हो सकता है और सेवन करने वालों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है।

जहां पर कीटनाशी रखा हो उस स्थान का चयन भी किसान को सावधानी से करना चाहिए और उसको रखने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार किसान के घर में कीटनाशकों को ऐसे स्थान पर रख दिया जाता है जो बच्चों की पहुंच में होती हैं। चाहे चूहे, खटमल मारने की दवा हो। या फडका बगैरह, जो खेती में नुकसान पहुंचाता है, उसके मारने की दवाई कहीं रख दी और रखने के बाद वह किसी बच्चे के हाथ में पड़ गयी या घर में झगड़ा हो गया या उसका सेवन कोई कर ले तो उसके परिणामस्वरूप लोग मौत का शिकार हो जाते हैं या कई दफा आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। यदि ऐसी परिस्थितियों से बचने की यदि कोई व्यवस्था हो सकती हो तो मैं समझता हूं कि उसे ध्यान में रखा जाए।

सभापति महोदय, जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 में बना था वह वास्तव में हमारे देश के पौध संरक्षण के लिए, खेती की सुरक्षा के लिए मूल रूप से बहुत आवश्यक था, लेकिन उसमें जो प्रावधान किये गये हैं, ताकि उसके तहत मनुष्यों, जीव-जन्तुओं और हमारे पशुओं पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न हो, उनके लिए जोखिम बगैरह न रहे, वे इसी उद्देश्य से बनाये गये थे, लेकिन उसमें जो लेकुना और कमियां थीं, उन्हें दूर कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब हम हरित क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, श्वेत क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे

[प्रो० रासा सिंह रावत]

हैं तो ऐसे समय यह संशोधन इस कानून को और प्रभावी बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सरकार द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो कीटनाशी संशोधन विधेयक, 2000 सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसे प्रस्तुत करते समय मुझे ऐसा लगा कि माननीय मंत्री, श्री पटवा साहब किसान नहीं हैं, जबकि जहां तक हमारी जानकारी है, पटवा साहब एक किसान ही नहीं, अच्छे किसान हैं। भले ही वह स्वयं खेती करते हों या न करते हों, लेकिन उनके यहां खेती होती है। यह 1968 का बना हुआ कानून है और जब यह कानून इनके विभाग तथा लॉ विभाग द्वारा बनाया जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि पटवा साहब का एक किसान होने के नाते, मुख्य मंत्री होने के नाते तथा सार्वजनिक जीवन का जो इतना लम्बा अनुभव है, वह भारतवर्ष के काम आयेगा, संसद के काम आयेगा। लेकिन मूल कानून की पांच धाराओं में संशोधन करने के लिए इसे यहां प्रस्तुत किया गया है, इसकी स्वीकृति राज्य सभा ने दे दी है और अब इसे लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक धारा 21, 22, 24, 27 तथा 31 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट की डायरेक्शन के तहत, 1974 के बने हुए कानून की धारा दो में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि जो कीटनाशक दवा है, उसके तीन पार्ट होते हैं – एक बनाने वाला है, दूसरा बेचने वाला है और तीसरा अपने खेत में उपयोग करने वाला – आप बताएं कि किसके लिए यह कानून बना रहे हैं – क्या आप बेचने वाले के लिए कानून बना रहे हैं या उत्पादन करने वाले के लिए बना रहे हैं, या उन किसानों के लिए बना रहे हैं जो इनका उपयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि आप इसे किसान के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कीटनाशक दवा का लाइसेंस कौन देता है ? राज्य मुख्यालय में बैठा हुआ एग्रीकल्चर डायरेक्टर उत्पादन करने के लिए लाइसेन्स देता है। कभी आपने सोचा कि राज्य के अंदर इतने जिले हैं, इसकी जांच किस तरह से हो सकेगी ? आपने विधेयक में 20 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है। कभी आपने सोचा लखनऊ में या आपके राज्य का मुख्यालय जहां है, वहां से सुदूर देहात में रहने वाले किसान जो कीटनाशक दवा लेते हैं, वह जांच किस तरह से करा पाएंगे ? आप आनन-फानन में बिल ले आते हैं और जल्दी में उसे पास कराकर निश्चिन्त हो जाते हैं। 1964 में भी बिल पास हुआ था फिर त्रुटि कैसे रह गई ? आपने इसमें एक प्रोविजन बढ़ाने का काम इतना ही किया कि सजा की अवधि बढ़ा दी, जुर्माना बढ़ा दिया लेकिन किसान को फायदा हो, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। किसान परेशान हो जाता है। कीटनाशक दवा, खाद और पानी किसान के लिए परम आवश्यक चीजें हैं।

अपराह्न 3.16 बजे

[श्री के० येरननायडू पीठासीन हुए]

जब तक उसको अच्छा बीच नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा और दवा के छिड़काव की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उनकी खेती अच्छी नहीं हो सकती। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि पशु भी मारे जाते हैं। उन्होंने ठीक कहा। जो घास तैयार की जाती है, वह जानवरों को खिलाने से दूध का उत्पादन बढ़ता है। उस पर भी दवा छिड़की जाती है। उसको खा लेने से जानवर मर जाते हैं। जिस किसान के पास एक भैंस है या एक गाय है, वह कुछ खेती घास के लिए करता है जिससे उसकी भैंस और गाय अधिक दूध दे सके लेकिन वे उनको खाकर मर जाती है। उन्होंने इशारा किया कि वे दवाएं हमारी खेती की हिफ़ाजत नहीं करतीं। खेती की पैदावार में भिन्न-भिन्न प्रकार के कीड़े-मकौड़े लगते हैं और दवा उनसे खेती की हिफ़ाजत नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवा घर में ले आते हैं तो बच्चे भी कभी उसे खाकर मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप गलतफहमी में हैं। लगता है आप किसान के परिवार से नहीं आए हैं। उस दवा को घोलकर लाइए और मुझे पिला दीजिए। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कीटनाशक दवा बन कहां रही है ? दो नंबर की दवा बन रही है और उसको प्रोटेक्शन कौन देता है ? मंत्री महोदय ने धारा 21 में संशोधन किया है। उसमें क्या लिखा है कि कौन इसकी जांच करेगा ? एक निरीक्षक रहेगा जो गैजेटेड भी नहीं है। हमारी संसद में काफी बड़े-बड़े लोग आए हैं। कोई डी०जी०पी० रहे हैं, कोई कलेक्टर रहे हैं, कोई कमिश्नर रहे हैं। उनको भी मौका आया होगा, उनके पास दख्वास्त आई होगी किसानों की कि हम फलां दुकान से दवा खरीदकर ले गए और खेतों में डाली तो खेत सूख गए। पैदावार बढ़नी तो अलग बात है, वह तो बढ़ी नहीं, बल्कि दवा छिड़कने से खेत सूख गया और किसान की फसल बरबाद हो गई, सीज़न समाप्त हो गया। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का कानून आंख मूंदकर बनाने का प्रयास मत करिये। यह सबसे बड़ी सभा है। मैं सुन रहा था एक दिन आपने कहा कि मैं गांव का प्रधान नहीं, वार्ड कमिश्नर होकर आया था। गांव में जो वार्ड इंचार्ज बनता है पंचायत में, उससे होकर आए, तब तो आपको ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए था और अधिकारियों पर निर्भर नहीं करना चाहिए था। यह सबसे ऊंची सभा है। यहां जो कानून बनेगा, वह हिन्दुस्तान के हर कोने में, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक लागू होगा और किसान इससे मारा जाएगा। किसान मुश्किल में पड़ेंगे। आपने जांच करने का अधिकार दिया है एक इंस्पेक्टर को। अगर आपने 25,000 जुर्माना बढ़ा दिया, किस पर जुर्माना बढ़ा दिया – छोटे-छोटे दुकानदारों पर।

सभापति महोदय, छोटे-छोटे दुकानदार खाद नहीं बनाते, कीटनाशक दवाएं नहीं बनाते, उन्हें फैक्ट्री वाले बनाते हैं। आप बताइए कि आपने फैक्ट्री के मालिकों पर कार्रवाई करने के लिए क्या प्रावीजन किया है ? मुझे तो लगता है कि आपने उन्हें छूट दे दी है। यदि हम आप पर आरोप लगाएं कि आप बड़े कारखाने वालों से मिले हुए हैं और उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मदद करने के लिए यह कानून संसद में लाए हैं, तो कोई बेजा नहीं होगा।

सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय, मेरी इस बात से नाराज भी नहीं होंगे कि वे तो सदन में वायदा करके वायदा-खिलाफी करते हैं। मैं इस बात को इस मौके पर तो नहीं, लेकिन किसी अन्य मौके पर बताऊंगा। आपने तो इस सदन में वायदा भी किया था कि हम सांसदों को डी०आर०डी०ए० का चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन आपने

वह वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया। इसलिए हम आपसे इस विधेयक पर कोई वादा लेकर भी क्या करेंगे क्योंकि आपने वायदा पूरा तो करना नहीं है ? चूंकि आपने सांसदों को चेयरमैन बनाने की बात सदन में मानी थी और वायदा किया था इसलिए 17 मई तक हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, फिर उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय को विशेषाधिकार हनन की सूचना देंगे।

सभापति महोदय, इस विधेयक के अनुच्छेद 21, 22, 24 और 27 में जो संशोधन मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उसमें आपने इंस्पैक्टर रैंक के व्यक्ति को जांच करने का अधिकार दिया है और यदि दुकानदार नहीं रहेगा, तो उसे एक रसीद दे दी जाएगी। वह कैसी रसीद होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी और क्या गवर्नमेंट या डायरैक्टर, एग्रीकल्चर उसे सर्टीफाई करेगा ? यदि इसकी जांच आप डिस्ट्रिक्ट लैवल पर कराना चाहते हैं, तो आपने इसकी जांच के लिए किसी और ऊंचे अधिकारी का प्रावधान क्यों नहीं किया, आपने जिला कृषि अधिकारी या सब डिवीजनल एग्रीकल्चर ऑफीसर को इसमें क्यों नहीं रखा ?

सभापति महोदय, हर राज्य में कितने केन्द्र खोलेंगे, इसका भी कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा केन्द्र खोलिए। मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि किसान को शुद्ध कीटनाशक दवाई मिलनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उन्हें लाइसेंस देते समय विशेष सावधानी बरती जाए। आप इधर-उधर करके उन्हें लाइसेंस मत दीजिए। अगर आप सेंटर जिला स्तर पर नहीं खोल सकते हैं, तो कम से कम उपमंडल स्तर पर जरूर खोल दें। जब इन केन्द्रों पर जांच होने के बाद कीटनाशक किसानों के पास जाएगा, तो वे उसका अपने खेतों में सदुपयोग कर सकेंगे।

सभापति महोदय, यहां हमारे बेगूसराय के माननीय सांसद बैठे हैं। वह बहुत अच्छी कृषि करते हैं और बिहार में कृषि मंत्री भी रहे हैं। वह आलू बहुत अच्छा पैदा करते हैं। जब वह विभाग से कीटनाशक लेते हैं और उसका प्रयोग खेत में करते हैं, तो अच्छी फसल होती है। क्योंकि वह मंत्री रहे हैं, इसलिए विभाग वाले शायद उन्हें असली खाद और कीटनाशक देते हैं, लेकिन जब हम कीटनाशक और खाद लेते हैं, तो हमें नकली मिलता है और हम जब अपने खेत में वह दवा रात को छिड़क देते हैं और सुबह खेत को जाकर देखते हैं तो देखने से पहले ही मन में ऐसी कल्पना करते हैं कि खेत खूब हरा भरा होगा, लेकिन जब खेत देखते हैं, तो वह नकली दवा और खाद के कारण सारा का सारा जला हुआ पाते हैं। इसका नुकसान कौन भरेगा ?

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पुनः निवेदन है कि वे इसमें आवश्यक संशोधन लाएं, संशोधन लाने से हमें एक ऐतराज हो सकता है, लेकिन संशोधन ऐसा लाएं जिसमें दुकानदार या छोटे व्यापारी को नहीं बल्कि बड़े व्यापारी यानी फैक्ट्री में नकली दवा बनाने वालों को ज्यादा से ज्यादा कसा जा सके। किसान बड़ी हड़बड़ी में आता है। जब पानी बरस चुका होता है जब किसान दवा लेने या खाद देने दौड़ता है, क्योंकि यदि खेत सूख गया और फिर हवाई छिड़की, तो खाद और दवाई बेकार हो जाएगी क्योंकि उसका असर नहीं होगा। इसलिए किसान को बहुत जल्दी होती है। वह अच्छी और बुरी कीटनाशी दवाई या खाद की पहचान नहीं कर पाता।

सभापति महोदय, मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं। आप तो रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में हमारे चेयरमैन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो बिल लाए हैं उसकी जिन धाराओं पर मैंने आपत्ति उठाई है और जिन बिन्दुओं की ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है उन सभी बातों पर वे अवश्य विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि ''बीति ताहि बिसारि दे, आगे की सुध ले'' – पटवा जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए और नया इतिहास बनाने की कोशिश कीजिए। कृषि मंत्रालय आपके पास संयोगवश आ गया है। हमारे नीतीश जी नहीं हटते तो कुछ करते। मैं समझता हूं कि इसमें मतलब नहीं है। मेरा कहना है कि आप प्रिविलेज के चक्कर में न फंसिये।

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति जी, अगर कोई मंत्री को डराये तो ?

श्री राजो सिंह : सभापति जी, आदमी को अकेले में डराया जाता है। इतनी बड़ी सभा में किसी को कोई डराता नहीं है बल्कि अपनी बात कहता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

***श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल** (यत्नाल), (बीजापुर) : सभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सभा में माननीय मंत्री, श्री सुन्दर लाल पटवा जी द्वारा प्रस्तुत कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में पांच संशोधन हैं। महोदय, जैसाकि आपको भलीभांति मालूम है कि देश के कई भागों में विशेषरूप से पूर्वी कर्नाटक के गुलबर्गा और बिदर जिलों में किसानों ने आत्महत्या की हैं क्योंकि मिलावटी कीटनाशी दवाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई थीं। किसान, जो हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं, खुली दुकानों से कीटनाशक खरीदते हैं और अंततः उन्हें मालूम हुआ कि उन कीटनाशक दवाओं में बहुत अधिक मिलावट थी। विशेषरूप से कर्नाटक में किसान, जिन्होंने कीटनाशक दवाओं पर कई लाख रुपये खर्च किये थे, बहुत मुसीबत में पड़ गये हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है। इसलिए माननीय मंत्री जी यह कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000 लाये हैं।

कीटनाशी निरीक्षकों को बहुत शक्तियां दी गई हैं और दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जायेगी। मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं और इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारे देश में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं। हमारे यहां जो भारतीय कंपनियां कार्य कर रही हैं खतरे का सामना कर रही हैं। इसलिये हमारी सरकार को यह बात गंभीरता से नोट करनी चाहिए। ये नई कंपनियां, जो मिलावटी कीटनाशक दवाओं की सप्लाई के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं, हमारे किसानों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं। वस्तुतः किसानों द्वारा आत्महत्या

---

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल]

करने संबंधी मामले सहित ऐसे गंभीर मामले विधान सभा में भी उठाये गये हैं। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान् किया है। मैं उन्हें यह कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इन न्यायालयों की स्थापना तुरंत की जाये। मैं आशा करता हूं कि ये न्यायालय शीघ्र निर्णय देकर इस देश के किसानों के साथ न्याय करेंगे।

कीटनाशक दवाओं की बिक्री करने वाले कई दुकानदार ऐसी दवाएं बेच रहे हैं जिनके उपयोग की अंतिम तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी है। सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं। निरीक्षक इस संबंध में अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को गंभीरता से इस समस्या की जांच करनी चाहिए और किसानों को विनाश से बचाया जाना चाहिए। दोषी व्यक्ति पर 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है और उनके लिए कैद की अवधि काफी उचित है। मैं भारत सरकार द्वारा उठाये गये इन सभी कदमों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस संशोधन विधेयक के लाभ हमारे किसानों तक पहुंचेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। यह संशोधन लाने के तीन उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप धारा 27 में जो कमी रह गई थी, उसे दूर किया गया है। दूसरा यह कि इसे और अधिक कठोर बनाया जाये क्योंकि मूल-अधिनियम में जिस दंड का प्रावधान किया गया है, वह बाद में किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए काफी नहीं है। तीसरा, मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए और अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाये। यह आशा थी कि सरकार इस संशोधन के साथ सभा के समक्ष आयेगी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि एक बार किसी उत्पाद का पंजीकरण कर दिया जाता है तो इसे केवल इस आधार पर ही रद्द नहीं किया जा सकता है कि यह मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही कारण है कि सरकार को इस सभा के समक्ष यह संशोधन लाना पड़ा।

आजकल बाजार में आम प्रवृत्ति यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में मिलावट है। यहां तक कि पोटेशियम साइनाइड, जो एक अति घातक जहर है, में भी आजकल मिलावट हो रही है। यदि कोई आत्महत्या करने के लिए मिलावटरहित साइनाइड प्राप्त करना चाहता है तो वह पायेगा कि वो भी मिलावटी है। आज यह स्थिति हो गई है। लगभग सभी चीजों में मिलावट है। इस मिलावट को रोकने के लिए हमने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम बनाया है जिसमें उच्च न्यायालयों द्वारा भी और अधिक कठोर दंड देने का प्रावधान है। न्यायालयों ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और मिलावट से संबंधित मामलों में न्यायालयों द्वारा काफी कड़ी सजा भी दी गई हैं। फिर भी, मिलावट करने में कोई कमी नहीं आई है। यदि आप बाजार कुछ खाद्य सामग्री लेने जायें तो आप इस भय के बिना कोई चीज नहीं खरीद सकते कि वह खाद्य सामग्री मिलावटी नहीं होगी। इस तथ्य के बावजूद कि हमने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया है, क्या आपको बाजार में ऐसी कोई खाद्य सामग्री मिल सकती है जिसमें मिलावट न हो ? यहां तक कि उस अधिनियम को लागू करने में न्यायालयों ने कई बार यह पाया है कि इसमें कमी अंतर्निहित है। अधिनियम के अनुसार, मुख्य और पहला अपराधी निर्माता है। थोक विक्रेता निर्दोष होता है और उसकी कोई गलती नहीं होती। निर्माता ही वह व्यक्ति है, जिसे सजा दी जा सकती है। लेकिन उसे सजा नहीं दी जाती, उसे दोषी नहीं ठहराया जाता। वह बिना किसी कठिनाई के आसानी से सजा से बच निकलता है। किन्तु वह व्यक्ति जो निर्माता से खरीदता है, फुटकर विक्रेता, वह हमेशा कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। वह न्यायालय जाएगा और उसे सजा दी जाएगी।

इसलिए फुटकर विक्रेताओं ने आवाज उठाई है कि उन्हें इस सजा की प्रक्रिया से बचाया जाए। वे निर्दोष हैं। वे वस्तु तैयार करते समय जहर नहीं मिलाते। वे उसकी निर्माण प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाते। वे केवल वितरक हैं। किन्तु इस बात के बावजूद कि इस संबंध में अधिनियम है, हम अपने फायदे के लिए मिलावट को रोक नहीं सके। यही स्थिति है। इस तथ्य के बावजूद कि सजा को बहुत ही कठोर कर दिया गया है, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम के संबंध में साक्ष्य के मामले में साक्ष्य अधिनियम का भी पालन नहीं किया जाता है। वहां साक्षी को छोड़ दिया जाता है।

खाद्य अपमिश्रण के मामले में सजा देते समय स्वतंत्र साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं समझी जाती। यही वर्तमान कानून है। इन कठोर उपायों के बावजूद हमारा अनुभव यह है कि मिलावट आम बात हो गई है। इसलिए हमें कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे, जिनसे इसका बचाव किया जा सके। यदि यह मानव उपभोग हेतु खाद्य के संबंध में मिलावट का मामला है, तो कीटनाशक के मामले में मिलावट का क्या होगा ? कीटनाशकों के मामले में हम मिलावट रोकना चाहते हैं। आज हम भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के युग में हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस बाजार में आएंगी और बिना किसी बाधा के घटिया गुणवत्ता की कीटनाशक दवाइयां बाजार में बेची जाएंगी। क्या हम उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे ? वे भारतीय एजेंटों द्वारा खरीदी जाती हैं, जो बाद में उनका वितरण करेंगे। केवल इन व्यक्तियों, भारतीय एजेंटों के विरुद्ध अभियोग लगाना संभव है, जो उन्हें खरीदते हैं और बाद में उन्हें बेचते हैं। वे उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ले रहे हैं जो इसके वास्तविक निर्माता हैं। किन्तु वे सामने नहीं आएंगे, वे पर्दे के पीछे रहेंगे। उन्हें मिलावट के मामले में अभियुक्त नहीं बनाया जाएगा। वे कीटनाशकों के मामले में सम्माननीय स्थिति आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु भारतीय एजेंट सर्वप्रथम दोषी हैं। यदि अभियोग चलाया जाता है, तो भारतीय एजेंट अकेले सजा पाएंगे। वह व्यक्ति जो वास्तव में दोषी है, जो वास्तव में इस मिलावट का मूल कारक है, वे बच निकलते हैं, खासतौर पर इस युग में, जिसे हम भूमंडलीकरण, उदारीकरण और इसी तरह का युग कहते हैं।

इसलिए मैं समझता हूं, हमारा कानून ऐसे मामलों में अप्रभावी रहेगा। अतः हमें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे वास्तविक अपराधियों अथवा दोषियों पर मुकदमें दर्ज किए जाएं। किन्तु हम उन्हें

कैसे सजा देंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जहां तक इस कानून का संबंध है। हमारा संशोधन भी इस पहलू पर चुप है। मूल अधिनियम भी इस पहलू पर चुप है। इस प्रकार मिलावट जारी रहेगी।

हमारी खाद्य फसलें कीटनाशकों के साथ स्प्रे की जाएंगी, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। हम इन सभी बातों का प्रभावपूर्ण ढंग से बचाव नहीं कर सकते। यहां तक कि कठोर सजा देना एकमात्र उपाय नहीं है। यदि ऐसा मामला होता, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका जा सकता था। हम केवल इसे इस कारण नहीं बचा सकते, क्योंकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कठोर सजा दे रहा है। इसलिए कठोर सजा देना ही एकमात्र उपचार नहीं है। हमें अन्य उपायों का भी पता लगाना पड़ेगा, जिसके द्वारा इसे बचाया जा सके।

इसलिए मेरा विचार है कि यह एक प्रयास मात्र है। और मैं समझता हूं कि यह एक ईमानदारी से किया गया प्रयास है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। किन्तु यह तब तक प्रभावी उपचार नहीं होगा, जब तक कि सरकार सख्त उपाय नहीं करती।

इसी तरह का मामला रसायन विश्लेषण रिपोर्ट के बारे में है। यह बहुत ज्यादा समय लेता है। हमें यह रिपोर्ट उचित समय पर नहीं मिलती, और अपराधी बच निकलता है। इसलिए जब हम उचित न्यायालयों की स्थापना के बारे में सोचते हैं, तब हमें पूरे देश में प्रयोगशालाएं स्थापित करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसी प्रयोगशालाएं बहुत कम संख्या में हैं। जब तक प्रयोगशाला में समय पर रसायन विश्लेषण रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती, यह प्रभावी उपाय सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हमें न केवल अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के बारे में सोचना पड़ेगा, बल्कि अतिरिक्त रसायन विश्लेषण रिपोर्ट की स्थापना के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यह एक अनिवार्यता भी है। हमें उसके लिए भी प्रावधान करने चाहिए। इसलिए केवल अतिरिक्त न्यायालय, अतिरिक्त प्रयोगशालाएं और अतिरिक्त फसलें इस समस्या को हल कर सकते हैं।

मैं सरकार से उन लाइनों पर सोचने और न केवल अतिरिक्त न्यायालय, बल्कि जांच के लिए पर्याप्त स्थानों का प्रावधान करने का अनुरोध करूंगा। निरीक्षक जो नमूने लेते हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में अपराध हमेशा बढ़ते रहेंगे। इस संकट से बचने के लिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस अधिनियम विशेष के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त कर्मचारी देने के लिए तत्काल कदम उठाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : मैं कीटनाशक (संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। सभी सदस्यों ने पहले ही विभिन्न खंडों का ब्यौरा दे दिया है, जिनमें संशोधन किये गये हैं। इसलिए मैं उनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। यह विधेयक मानव जीवन से संबंधित है।

धारा 21 के अंतर्गत, पहले निरीक्षक 20 दिन के लिए कीटनाशकों के वितरण, विक्रय और उपयोग को रोक सकते थे; किन्तु इसे अब 20 दिन तक बढ़ाया गया है। पहले, जैसा कि वरकला राधाकृष्णन ने कहा है, निरीक्षकों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती थी। इसलिए इस विधेयक में यह लाया गया है कि निरीक्षक को 30 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यह धारा 22 के अंतर्गत आता है।

धारा 24 के अंतर्गत, समय नियत किया गया है। इस धारा के अंतर्गत, पहले निरीक्षक को, जो कुछ नमूने वह लेता था, उसके लिए भुगतान करना पड़ता था। अब वह कीमत नहीं देगा। अब वह केवल तभी भुगतान करेगा, जब प्रयोगशाला परीक्षणों के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि इस नमूनों में मिलावट नहीं की गई है।

इस विधेयक के माध्यम से, सरकार ने राज्य सरकारों को अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने को कहा है और विभिन्न स्तरों पर जुर्माने में वृद्धि की गई है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम संशोधनों को प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाया है। मैं यहां बहुत ही गंभीर मामला उठा रहा हूं। हम मानव स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम यह संशोधन करने जा रहे हैं। परन्तु क्या आप जानते हैं कि मिलावटी और शुद्ध कीटनाशकों से मानव जीवन को कितना अधिक नुकसान पहुंचता है ? मैं कुछ उदाहरण दूंगा। खेतों में रसायन उर्वरक आदि जैसे नाइट्रोजन फासफेट पानी की धारा में मिलाए जाते हैं और वह खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर जाते हैं और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे अधिक नुकसान आध्र प्रदेश में होता है, जहां गांव से शुरू होकर यह पंच-तारा होटलों तक पहुंच जाता है। पानी अधिक कीटनाशकों द्वारा संदूषित होता है।

इससे अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब वे राज्य हैं, जो कीटनाशकों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, वे भी धीरे-धीरे आंध्र प्रदेश के कदमों पर चल रहे हैं।

विश्व में प्रत्येक वर्ष लगभग पांच लाख लोगों की मौत कीटनाशकों के बुरे प्रभाव के कारण होती है। भारत में प्रयुक्त होने वाले कुल कीटनाशकों में से सत्तर प्रतिशत पश्चिमी देशों में प्रतिबंधित हैं। वे इनका प्रयोग नहीं करते, किन्तु वे उन सभी कीटनाशकों को भारत में प्रयोग किए जाने हेतु भेज देते हैं, जैसा कि वह शिशु आहार और अन्य वस्तुओं के मामले में करते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 70,000 टन डी०डी०टी० का उत्पादन किया जाता है और इसका खाद्य पदार्थों पर खराब प्रभाव पड़ता है। इसका पानी, वनस्पति, जीव-जन्तुओं तथा मानव शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है। अधिकतर देशों ने डी०डी०टी० के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि हमने प्रतिबंध नहीं लगाया है। डी०डी०टी० शरीर में प्रवेश करती है और जीभ, होंठ, गुर्दों और दिल को नुकसान पहुंचाती है, और कैंसर अधिकतर डी०डी०टी० के एक उप-उत्पाद के उपयोग के कारण होता है। बी०एच०सी०, जो डी०डी०टी० का उप-उत्पाद है, डी०डी०टी० से ढ़ाई गुना ज्यादा जहरीला है। भारत में इसका भी प्रयोग होता है। यह मानव शरीर में त्वचा, मुंह और नाक के माध्यम से प्रवेश करता है। बी०एच०सी० का उपयोग करके निर्मित कीटनाशक से कैंसर होता है। संयुक्त राज्य अमरीका जैसे पश्चिमी देशों ने इसे प्रतिबंधित कर

[श्री खारबेल स्वाइं]

दिया है। कीटनाशकों का जहर न केवल गुर्दे को प्रभावित करता है, बल्कि यह मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। कीटनाशकों के प्रयोग से लकवे और खांसी की बिमारियां होती हैं।

करोड़ों टन कीटनाशकों और उर्वरकों का भारत में उत्पादन किया जाता है और यहां से निर्यात किया जाता है। उर्वरकों का लगभग तीस प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है और लघु उद्योगों में इनका उत्पादन किया जा रहा है। यहां तक कि मां का दूध भी बहुत प्रदूषित हो गया है *(व्यवधान)*

मैं चार-पांच मिनट में समाप्त करता हूं *(व्यवधान)*

कृषि मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1988-89 से 1996-97 तक कीटनाशकों का प्रयोग 25 प्रतिशत तक कम हो गया था। यह आश्चर्यजनक है कि जहां 1971 में 24,775 मीट्रिक टन कीटनाशकों का उत्पादन किया गया, 1996 में 90,788 मीट्रिक टन कीटनाशकों का उत्पादन किया गया।

अत: हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें कमी आई है ? यह कम नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि कैसे सरकार अधिकतर यही कहती आई है कि कीटनाशकों के उपयोग में कमी हुई है। इसमें कमी नहीं आई बल्कि इसके उपयोग में 300 पतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वास्तव में, पिछले एक या दो दशकों के दौरान भारत में 50,000 से 60,000 प्रकार के कीटनाशकों का उत्पादन किया गया था और प्रत्येक वर्ष 3,000 नए प्रकार के कीटनाशकों का उत्पादन किया जाता है।

आंध्र प्रदेश के बाद मैं आपको तमिलनाडु का उदाहरण दूंगा। पिछले कुछ वर्षों में कीटनाशकों के उपयोग से 40,375 लोग प्रभावित हुये थे। उनमें से 38,000 लोग मर गये और हम इसे रोक नहीं सके।

उत्पादित आठ सब्जियों में से सात सब्जियां संदूषित थीं। यहां तक कि आंध्र प्रदेश में भी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उर्वरकों के उपयोग के कारण मक्खियां, जो जनन करती हैं, काफी संख्या में मर गईं। ऐसा अधिकतर आंध्र प्रदेश में हुआ है और अब यह अन्य राज्यों में भी शुरू हो गया है। संभवत: कुछ वर्षों के बाद हम यह पायेंगे कि विभिन्न प्रकार की मक्खियां मर गई हैं।

अंतत:, मैं इसके समाधान का सुझाव देते हुये अपनी बात समाप्त करूंगा। हमें जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। हमें ऐसे उर्वरकों अथवा कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए जिनका देश में ही उत्पादन किया जा सके। भारत में इसका करेले, नीम और लहसुन में से भी उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता नहीं है। किसान उनका उत्पादन कर सकते हैं। हमारे यहां रसायनिक, उर्वरक और रसायनिक कीटनाशकों के उपयोग से उत्पादित देखने में सुंदर लगने वाली सब्जियों पर जितना खर्च आता है, विदेशों में जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशकों से उत्पादित सब्जियां उससे तीन गुणा दामों पर बिकती हैं। संभवत: जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों के उपयोग से उत्पादित सब्जियां और फल थोड़े हटकर हों और वे देखने में बहुत सुंदर न लगें लेकिन उनका उत्पादन किसी भी तरह कम नहीं होता है। कई लोग अब इसका उपयोग कर रहे हैं।

अत: मैं सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें न केवल ऐसे संशोधन करने चाहिए अपितु उन्हें देश में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न करनी चाहिए जहां किसान पढ़े-लिखे हों। किसान ऐसा महसूस कर सकते हैं कि रसायनिक उर्वरक और रसायनिक कीटनाशक उनकी सहायता कर रहे हैं लेकिन वे भविष्य में हमारे बच्चों की सहायता नहीं करेंगे। आप वर्षाकाल के दौरान किसी भी गांव में जाइये तो आप पायेंगे कि धान के खेतों में रसायनिक उर्वरक और रसायनिक कीटनाशकों के उपयोग के कारण, तिलचट्टे और अन्य छोटी मछलियां मरी होती है। उड़ीसा में आप ऐसा देख सकते हैं। जब मैं बच्चा था तो मानसून के दौरान धान के खेतों में मछली पकड़ने जाता था। लेकिन आजकल वहां मछली नहीं है,, वे रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के कारण मर गई हैं।

सभी कीटनाशक और रोगाणु मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हैं। कई ऐसे भी रोगाणु और कीड़े हैं जो पौद्यों की सहायता करते हैं। लेकिन कीटनाशकों और कृमिनाशकों का अंधाधुंध उपयोग उन्हें खत्म कर रहा है।

अत:, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस देश में ऐसी स्थिति पैदा करे जहां किसान पढ़े-लिखे हों। उन्हें इस प्रकार के विष का उपयोग नहीं करना चाहिए जो न केवल हमारे खाद्य उत्पादों को जहरीला बना रहा है अपितु जो हमारे धान को भी विषाक्त बना रहा है। उन्हें ऐसे जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए जो भविष्य में हमारे बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया बनाये रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि यह सभा इस विधेयक को पारित कर देगी।

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : मैं सरकार को कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000 लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

वर्ष 1997 में हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी जब सैकड़ों किसानों ने उपलब्ध कराये गये नकली कीटनाशकों के कारण आत्महत्या कर ली थी। अधिकांश किसान कपास की खेती करते थे। जैसाकि हम सभी जानते हैं संकर कपास, जो हरित क्रांति के दौरान लाई गई थी, के लिए कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना पड़ता है। गरीब किसान, जो दूसरे किसानों की सफलता से काफी उत्साहित थे, ने पैदावार की पद्धति बदल डाली। उनमें से अधिकांश किसान कपास की खेती करने लगे। इस संकर कपास की खेती के लिए कीटनाशकों का भारी मात्रा में उपयोग आवश्यक होता है। वे भारतीय किस्मों की भांति रोग-प्रतिरोधी नहीं हैं। गरीब किसानों ने अपनी पत्नियों के जेवर गिरवी रखकर कीटनाशक खरीदे थे। इस अत्यधिक मांग से स्थानीय किसान इन खतरनाक रसायनों का प्रयोग करने के लिए उत्साहित थे जिसके परिणामस्वरूप अंतत: फसल नष्ट हो गई। पचास प्रतिशत से ज्यादा फसलें नष्ट हो गईं। अत्यधिक कर्ज के बोझ ने लगभग 500 किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। कीटनाशी अधिनियम, 1968 में कुछ दोष थे। इसलिए, सरकार कुछ संशोधन लेकर आई है। धारा 27 में प्रस्तावों के कारण धारा 21, 22, 24

और 25 में प्रस्तावित संशोधन करने पड़े। यह एक स्वागत योग्य कदम है कि सरकार ऐसे सभी खतरनाक रसायन विनिर्माताओं को दंडित करे जो कृषक समुदाय के दु:खों का कारण बने। यह कहते हुये कि विधेयक और प्रस्तावित संशोधन अच्छे हैं, मैं मांग करता हूं कि क्रियान्वयन का ध्यान रखा जाये ताकि कृषक समुदाय को लाभ मिल सके। कृषक समुदाय पर कीटनाशकों की अत्यधिक लागत और प्रत्येक फसल को खेती करने का बहुत अधिक बोझ है। यदि कोई कीटनाशक, जो किसी विशेष कीटाणु अथवा कीड़े पर नियंत्रण पाने के लिए है, कीटों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ रहता है तो सरकार को अपने स्रोतों से अथवा उस कीटनाशक के विनिर्माता के माध्यम से किसान को मुआवजा देना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि गरीब किसानों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिए। इस संबंध में, मैं आपका ध्यान आई०पी०एम० की ओर दिलाना चाहूंगा जिसकी हमने किसी दूसरे देश से काफी पहले वकालत की थी।

अपराह्न 4.00 बजे

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुये*]

वर्ष 1985 में इसकी शुरूआत के बाद इस संबंध में कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जैसाकि पूर्व वक्ता ने इस बात की ओर बिल्कुल सही ध्यान आकृर्षित किया है कि हमें कीट-सहिष्णु किस्मों के चयन से लेकर कृषि संबंधी संशोधित प्रक्रियाओं यथा गहरा जोतने, फसलें बदल-बदल कर उगाने, मिश्रित फसल उगाने, बीजों के उपयोग और कीटों को दूर करने के लिए ऐसे अनेक अन्य यांत्रिक तरीके अपनाने के लिए आई०पी०एम० प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। ऐसे अनेक बेहतर उपाय, जिनकी सक्रिय रूप से वकालत की गई है, कृषक समुदाय को बताने पड़ेंगे और उनमें जागरूकता लानी पड़ेगी। हमें आई०पी०एम० को प्रयोग में लाने वाले किसानों को काफी वित्तीय सहायता भी देनी पड़ेगी। कभी-कभी ऐसे कृमिनाशक अथवा कीटनाशक, जिनका हम खेती में उपयोग करते हैं, से अनेक दूसरे कीट मर जाते हैं जो अन्यथा फसल के लिए लाभकारी हो सकते हैं। इससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। जैसाकि मेरे विद्वान मित्र ने बताया है कि इसके परिणामस्वरूप, कीटों के प्राकृतिक शत्रु समाप्त हो जाते हैं। रसायनिक कीटनाशकों के छिड़काव की प्रक्रिया में पतंगे, भृंग और कई अन्य उपयोगी कीट मारे जाते हैं। इस संबंध में कृषक समुदाय को विश्वास में लेना पड़ेगा। संपूर्ण कृषक समुदाय को कीट प्रबंधन का अनुपालन करना चाहिए क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में सृजित जैव नियंत्रणकर्ता वहां नहीं रुकेंगे। वे वहां से आस-पास के खेतों में चले जायेंगे। इसलिए किसानों को इन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का अनुसरण करना होगा।

सरकार ने कीटनाशकों के उपयोग हेतु नई निधियां मंजूर की हैं। यह नीम पर आधारित कीटनाशकों और अन्य-पारिस्थितिकी अनुकूल कीटनाशकों को प्रोत्साहन दे रही है। इन रसायनों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि कृषक समुदाय को उनके कारण नुकसान न उठना पड़े।

इन्हीं कुछेक शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य अच्छा है, तथापि इसके क्रियान्वयन का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा कीटनाशी संशोधन विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में दोनों पक्षों से काफी बातें कही गई हैं। कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से क्या नुकसान है, इसके लिए क्या उपबंध किया गया है, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। जो बिल में संशोधन आया है उसके संबंध में माननीय राजो सिंह जी, जो यहां नहीं हैं, कह रहे थे कि इस संशोधन द्वारा अपने विक्रेता, वितरक या उपयोग करने वाले पर तो सजा का उपबंध किया है लेकिन जो इसका उत्पादन करेगा, निर्माण करेगा, उस पर आपने सजा का कोई प्रावधान नहीं किया है। महोदय, 1968 में जब कानून बना उस समय यह प्रावधान था कि जब कीटनाशी दवाएं आयात होंगी या उसका उत्पादन होगा, वितरण होगा, परिवहन होगा, उन तमाम चीजों में गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रावधान किया गया था। कालान्तर में किसी तरह की त्रुटियां उसमें पाई गई हैं तो जो त्रुटि करने वाले लोग हैं, चाहे उत्पादक हों, वितरक हों, आयात करने वाले हों या परिवहन करने वाले हों, जिन कानूनों के तहत, जिस अनुच्छेद के तहत वह बचाव का रास्ता खोज लेते हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए सरकार यह बिल लाई है और इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, मुझे लंबे समय तक कृषि विभाग में काम करने का मौका मिला, इस विभाग का मैं मंत्री रहा। मेरा अपना अनुभव रहा है और एक किसान होने के नाते मैं कहता हूं कि ठीक है, आपने इस उपबंधों को लागू कर देखा कि कहां त्रुटियां हैं जिनको दूर कर सकें और दोषी लोगों पर कार्रवाई कर सकें। महोदय, जो इसके निरीक्षक हैं, वह नमूने लेते हैं, अपने पास नमूने ज्यादा दिनों तक न रख कर प्रयोगशाला में भेजें और प्रयोगशाला निश्चित अवधि में उसकी जांच कर पाती है तो उसके लिए भी प्रबंध किया गया है और एक अवधि निर्धारित की गई है और उसमें जुर्माने को 5000 रुपये से बढ़ा कर 50,000 रुपये, 15,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। अधिकतम चीजों का उपबंध बिल में किया गया है जिसके लिए मैं इसकी ताईद करता हूं। लेकिन मेरा अनुभव यह बताता है कि आज उन कीटनाशी दवाओं के कारण हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक समय था जब हमारे देश में हरित क्रांति आई, नये-नये बीज आए, नयी तरह की टैक्नोलॉजी आई, उस समय से हमने फर्टिलाइज़र और कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल शुरू किया तो इससे हमें लाभ अवश्य मिला जिसके चलते हमारा उत्पादन बढ़ा। लेकिन अब इसके प्रयोग से काफी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमारे उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रकृति ने जब सृष्टि की है तो उसमें मित्र कीड़े और शत्रु कीड़े दोनों पैदा किये हैं। इन कीटनाशी दवाओं के कारण मित्र कीड़े ज्यादा मर रहे हैं और शत्रु कीड़े कम मर रहे हैं जिसके चलते हमारी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

दूसरी बात यह है कि कीटनाशी दवाओं का इतना व्यापक रूप से प्रयोग चला कि घर-घर में इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, चाहे छोटे किसान हों या बड़े किसान। हमारे यहां इतनी ज्यादा साक्षरता भी नहीं है, किसान भी शिक्षित नहीं हैं और जो दवाओं का छिड़काव

[श्री रामजीवन सिंह]

करता है वह भी शिक्षित नहीं है। इसका विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यह देखा गया है कि जब कभी घर में कोई विवाद हुआ तो घर में कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल कर आत्महत्याएं कर ली जाती हैं। कीटनाशी दवाएं ही नहीं, बल्कि शुरू-शुरू में आपको याद होगा कि जब डी०डी०टी० का छिड़काव किया गया था तो हमारे देश में भी उसका व्यापक प्रयोग हुआ। अमेरिका में जब ह्यूमन बॉडी का टैस्ट किया गया तो ह्यूमन बॉडी में 11 परसेंट डी०डी०टी० का अंश पाया गया। हमारे शरीर पर इसका ज्यादा व्यापक असर पड़ रहा है जिसके चलते हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि फिलीपीन्स ने अपने देश में कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल बिलकुल बन्द कर दिया है। विकसित देश कनाडा और अमरीका ने भी इनका प्रयोग बिलकुल बल्द तो नहीं, लेकिन बहुत न्यून कर दिया है, लेकिन हमारे देश में अभी ऐसा नहीं हुआ है। हमारे देश में इसके, निर्माण वितरण एवं छिड़काव पर जो सबसिडी दी जाती थी, वह बन्द कर दी गई है। इस प्रकार से हमारा देश भी इसकी ओर बढ़ रहा है कि कीटनाशी दवाओं का प्रयोग कम से कम किया जाए।

सभापति महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि सही कीटनाशी दवाओं की पहचान की जाए। वास्तविकता यह है कि आज सही कीटनाशी दवाओं की पहचान नहीं हो पाती है। मार्केट में इतनी तरह के कीटनाशी दवाएं आ गई हैं कि किसान तो क्या टैक्नीकल आदमी के लिए भी यह संभव नहीं है कि वह उनको पहचान कर सके। मैं आठ वर्ष तक बिहार में मंत्री रहा। मैंने बहुत प्रयोग किया कि सही दवा की पहचान हो सके क्योंकि कीटनाशी दवाओं का प्रयोग हमारे देश में व्यापक रूप से हो रहा है और नकली दवाएं भी प्रयोग में लाई जा रही हैं, लेकिन मैं नकली दवाओं के प्रयोग को रोकने में सफल नहीं हो सका।

सभापति महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पर पूर्णत: रोक नहीं लगाई जाए। लेकिन जब तक रोक नहीं लगती है तब तक यह तो किया ही जा सकता है कि कमिश्नरी के लैवल पर पूर्ण और सभी आवश्यक चीजों से इक्विप्ड प्रयोगशाला बने जिन में कीटनाशी दवाओं की जांच हो सके और जांच के उपरान्त सही पाए जाने पर उनका प्रयोग किया जाए। आज समेकित समन्वित कीटनाशी प्रबंधन कार्यक्रम, आई०पी०एम० (इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट) व्यवस्था है लेकिन उसका भी व्यापक रूप से उपबंध नहीं किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि आप इसके अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को ही प्रशिक्षित कर दें कि कौन से कीड़े हमारे मित्र हैं और कौन से कीड़े हमारे शत्रु हैं। हालांकि यह टैक्नीकल चीज है। एग्रीकल्चर के लोग जिन्होंने इसकी शिक्षा पाई है वे ही इसको समझ सकते हैं, लेकिन किसानों को इस बात का तो प्रशिक्षण दिया ही जा सकता है कि कैसे इन कीड़ों से प्राकृतिक रूप से बचाव किया जा सकता है।

सभापति महोदय, जब से हमारे यहां प्लानिंग ईरा शुरू हुआ है या हरित-क्रान्ति आई है, उसके बाद से कीटनाशी दवाओं का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है, जिसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि उससे पहले भी हमारे देश में खेती होती थी, वह बिना कीटनाशी दवाओं के होती थी और अच्छा उत्पादन होता था। उस समय किसान यह जानते थे कि कब खेत को जुताई की जानी है और कब बीज बोना है तथा कब कीड़ों को मारने का इलाज किया जाना है। वे कीड़ों को मारने के लिए नीम की खली और दूसरी चीजों का प्रयोग करते थे जिससे हम अपनी खेती को कीटनाशियों से बचा लेते थे। आज आपने जो बिल पेश किया है और उसके माध्यम से आप जो संशोधन करने जा रहे हैं, उसका तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपने जो आई०पी०एम० की व्यवस्था की है, उसको इस देश में व्यापक रूप से चलाया जाए और किसानों को लाभान्वित किया जाए। प्लानिंग ईरा से पहले भी इस देश में अच्छी तरह से खेती होती थी। हम अपने किसानों को कीटनाशियों से अपनी फसल की रक्षा करने में प्रशिक्षित कर सकें, ऐसी व्यवस्था आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, आज की कार्यसूची में पांच विधेयक विचारार्थ और पारित किये जाने हेतु सूचीबद्ध हैं। वाद-विवाद में अधिक से अधिक सदस्यों द्वारा भाग लेने के लिए और विधेयकों को पारित करने के लिए सभा आज देर रात तक बैठ सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप सायं 6 बजे के बाद सभी पांच विधेयक कैसे पारित कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : ये सभी विधेयक छोटे-छोटे हैं। ये सभी एक-एक या दो-दो लाइनों के हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ये एक-एक या दो-दो लाइनों के विधेयक नहीं हैं। प्रत्यक्ष कर कानून विधेयक और कंपनी विधेयक है। ये महत्वपूर्ण विधेयक हैं। गन्ना नियंत्रण विधेयक तक तो ठीक है। उसके बाद कृपया अन्य विधेयकों पर आज विचार मत करिये। यह उचित नहीं होगा। उन महत्वपूर्ण विधेयकों पर आधे घंटे अथवा चालीस मिनट में चर्चा नहीं की जा सकती। हमने इस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार किया था और कहा था कि हमें उन पर विचार करने के लिए दो घंटे चाहिए। इसे स्वीकृत किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम रात 10.30 बजे तक या 11.00 बजे तक बैठें और इन्हें पारित करें। इसलिए, अपनी पार्टी की ओर से मैं कहूंगा कि कृपया आज गन्ना नियंत्रण विधेयक तक ही विधेयकों पर विचार किया जाये। यहां तक कि यदि इसके लिये हमें सायं छ: बजे के बाद बैठना पड़ता है तो भी हम उन्हें समायोजित कर सकते हैं। लेकिन कृपया उसके बाद, अन्य विधेयकों पर विचार मत कीजिए।

सभापति महोदय : अब हम कीटनाशी विधेयक पर विचार कर रहे हैं। तत्पश्चात् खाद्य निगम विधेयक पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस विधेयक के बाद, खाद्य निगम विधेयक पर विचार किया जायेगा और फिर गन्ना नियंत्रण निरसन

विधेयक पर विचार किया जायेगा। गन्ना संबंधी विधेयक के बाद आज कोई कार्य नहीं होना चाहिए। शेष विधेयकों पर कल विचार किया जा सकता है। महोदय, ऐसा कैसे कर सकते हैं? भारतीय कंपनी निरसन विधेयक और प्रत्यक्ष-कर कानून निरसन विधेयक जैसे विधेयकों को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जा सकता। यह विधेयक पारित करने का तरीका नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम सब इस बात से सहमत थे कि उनपर दो घंटे विचार किया जायेगा। अतः, गन्ना नियंत्रण निरसन विधेयक तक के विधेयकों को ही आज पारित करना सही होगा।

सभापति महोदय : सभा गन्ना नियंत्रण निरसन विधेयक को पारित किए जाने तक बैठेगी। श्री रवि प्रकाश वर्मा अब बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : माननीय सभापति जी, कुछ दिन पहले हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि नकली या मिलावटी कीटनाशी दवाओं के प्रयोग के कारण जो नुकसान हुआ, उस नुकसान से परेशान होकर बहुत से किसानों ने आत्मघात किया। उसी से प्रभावित होकर सरकार ने यह कीटनाशी संशोधन विधेयक, 2000 सदन में रखा है। जैसा कि इसकी भावना से साफ है, आज बाजार में मिलावटी कीटनाशी पदार्थ जो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं जिनका एक मोटा तखमीना लगभग 200 करोड़ रुपये का कारोबार कर रहा है, उसे रोकना चाहते हैं।

बड़ी अजीब-सी बात है कि आज की तारीख में जब हिन्दुस्तान की 100 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किये गये हैं, हमारी पूरी कृषि पर आधारित प्रणाली उस दिशा में अग्रसर है, तो बाजार में जो फर्जी पैस्टीसाइड बिक रहे हैं जिनकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है, उन्होंने इस उद्देश्य को बहुत धक्का पहुंचाया है। किसानों ने जिस तरह अपनी जानें दी हैं, उनकी जो विवशता है, वह भी हमारे सामने बहुत खुलकर आ गयी है कि हिन्दुस्तान का ज्यादातर किसान छोटी पूंजी का किसान है और वह यह नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कि 30 प्रतिशत से लेकर किन्ही-किन्ही मामलों में 70 प्रतिशत तक साफ लक्षित हुआ है। सीधी सी बात है कि अगर कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करना है तो जो भी संसाधन हैं, उपादान हैं, उनका बहुत ही सही उपयोग किया जाना चाहिए। इस दिशा में सरकार ने जो कीटनाशी संशोधन विधेयक यहां रखा है, मुझे लगता है कि जो कमियां पहले रह गई हैं या दिखती पड़ रही हैं, उनको सुधारने की दिशा में यह एक प्रयास है।

माननीय सभापति जी, अभी हमारे कई पूर्ववक्ता ने बताया कि कीटनाशी रसायनों का उत्पादन करने का एक अलग मैकेनिज्म है। जहां पर उद्योगपति बड़े-बड़े ब्रांड्स, अपने प्रोडेक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए उत्पादन करते हैं, गवर्नमैंट उसकी लाइसेंसिंग करती है, उसकी सेल का, मार्केटिंग का एक और मैकेनिज्म है, तरीका है जिसके माध्यम से नियंत्रित तरीके से उनका वितरण किया जाता है। उसके लिए पूरी मशीनरी है, सरकार का तंत्र है जो उस व्यवस्था को संचालित करता है। क्या आपको यह ताज्जुब नहीं लगता कि इतने सैम्पल फेल होने के बाद भी 200 करोड़ रुपये का विशालकाय व्यापार, जो स्पूरियस पैस्टीसाइड्स इंडस्ट्री द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, सबसे अजीब बात यह है कि बाजार में उनकी निरंतर उपलब्धता बनी हुई है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सरकार द्वारा गौर किया जाना आवश्यक है। मैं बताना चाहता हूं कि पैस्टीसाइड्स के प्राइस का जो मैकेनिज्म है, जो बिक्री का तौर-तरीका है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। सरकार जिस तरह खेती के इस महत्वपूर्ण उपादान पर 18 प्रतिशत ऐक्साइज लगाए हुए है, उससे किसान को लगभग 26 प्रतिशत का ऐक्सट्रा बर्डन पड़ता है और शायद वही गुंजाइश है जहां चोर दरवाजे से स्पूरिअस पैस्टीसाइड्स बनाने वाले बाजार में प्रवेश करते हैं। आज किसान को मजबूरी में सस्ता माल खरीदना पड़ता है और फर्जी या अनब्रांडेड पैस्टीसाइड्स की बिक्री के लिए डीलर किसानों को प्रेरित करता है। उसके जो कुपरिणाम सामने आते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। कीटनाशी बहुत ही महत्वपूर्ण उपादान है। एक तरफ सरकार सबसिडी दे रही है और दूसरी तरफ उसके ऊपर ऐक्साइज बढ़ाए हुए है। इस पर आप गहराई से गौर करें कि किसानों को उचित दर पर अच्छे पैस्टीसाइड्स मिल सकें और वे सस्ते के चक्कर में स्पूरिअस पैस्टीसाइड्स न लें।

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अभी कही गयी कि बार-बार सैम्पलिंग हो रही है, सैम्पल्स फेल हो रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी बाजार में निरंतर स्पूरिअस पैस्टीसाइड्स उपलब्ध है। हमारे पास अखबार की कटिंग है, जो यह स्पष्ट करती है कि करोड़ों रुपये की पैस्टीसाइड्स बिक्री हुई लेकिन उसके बाद भी हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो सरकारी मशीनरी है, उसके काम करने के तरीके के कारण उत्पादकों को कुछ नुकसान नहीं हो सका। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को एक तरफ जहां उत्पादक ने भुगता है वहीं किसानों ने भी भुगता है। जो उसके लिए ऐकाउंटेबल है, मुझे लगता है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्तमान विधेयक में जो वितरण प्रणाली है, नियंत्रण प्रणाली है, उसकी ऐकाउंटेबिलिटी को ऐश्योर करने के लिए मंत्री जी ने कोई प्रावधान नहीं किया। आज हम विक्रेता को भी जिम्मेदार ठहराते हैं और उत्पादक को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। बाजार में फर्जी उत्पादन की जो निरंतरता बनी हुई है, उसके लिए नियंत्राधिकारी को ऐकाउंटेबल बनाना चाहिए कि इतना सब होने के बाद भी बाजार में उपलब्धतता कैसे बनी हुई है।

हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने इस बात पर गौर किया कि पैस्टीसाइड ऐसा उत्पाद है जो टाइमली है। पैस्टीसाइड्स का इस्तेमाल थोड़े से समय में करना होता है जिससे किसान रिजल्ट ला सके और यही वह समय होता है जब बाजार में गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध नहीं होते, उनकी शार्टेज होती है और फर्जी कीटनाशी रसायन उपलब्ध होते हैं। आज हालत यह है कि एक सैम्पल एक लैबोरेटरी में पास होता है लेकिन दूसरी लैबोरेटरी में फेल हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज लैबोरेटरीज में काम का बोझ बहुत है। इसके अलावा ये शिकायतें भी मिली हैं कि वहां भ्रष्टाचार है। स्पूरिअस प्रोडक्ट्स के मालिक वहां जाकर मिलते हैं। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अपने सैम्पल को सही करा लेते हैं और उसमें मैनीपुलेशन होता है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि प्रत्येक मंडल स्तर पर बहुत ही क्वालीफाइड लैबोरेट्री एस्टेब्लिश करें, जिससे सैम्पल के टैस्टिंग में दिक्कत न हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। इसके साथ मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जो टैस्ट लेबोरेट्री की रिपोर्ट आती है, उसकी सैंक्टिटी, उसकी निष्पक्षता को स्थापित करने के लिए जो ग्राफ रिपोर्ट होती है, वह साथ में सबमिट की जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार का ध्यान इन तरफ खींचते हुए मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि खेती के जो हमारे लक्ष्य हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं किन्तु कुछ शर्तें हैं। इस बिल के जो उद्देश्य हैं, उस पर ज्यादा निगाह दें और जो क्लैरीकल प्राब्लम्स हैं, जो व्यवस्था की समस्याएं हैं, जिनके अन्दर कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है, जिन पर गौर नहीं किया गया है, जो सरकार की नीतियों की असफलता होती है, जो उद्देश्यों की असफलता होती है, मोटे तौर पर वह भी जिम्मेदार है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं भी इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। *(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात को सुन तो लीजिए। आपके लिए कीटाणुओं की आवश्यकता है। इस बिल में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह बिल मानव जाति का नुकसान न हो, जीव-जन्तु का नुकसान न हो और खेती में काम करने वाले किसानों का नुकसान न हो, हम चाहे इनका आयात करें, चाहे विक्रय करें, चाहे विपणन करें, चाहे उपभोग करें, उनसे सम्बन्धित सारे विषयों पर माननीय मंत्री जी यह बिल लाये हैं।

इसकी अनुसूची में यह कहा गया है कि 20 दिन के भीतर उसके नमूने के बारे में जो विचार करना था, अब वह 30 दिन के भीतर होगा। इसमें 20 से 30 दिन का बिल में जो प्रावधान किया गया है, वह उचित है। दण्ड देने के बारे में भी माननीय मंत्री जी प्रथम अपराध के लिए 10 हजार रुपये के न्यूनतम दंड को 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। द्वितीय अपराध और उसके पश्चात् 15 हजार से 75 हजार रुपये तक कर दिया गया है और 500 रुपये न्यूनतम जुर्माने का जो प्रावधान था, उसको 5000 रुपये तक और उसके साथ-साथ छः महीने की सजा यानी दोनों उसको दिये जा सकते हैं। प्रथम अपराध के लिए 5000 रुपये न्यूनतम जुर्माने को भी 25 हजार रुपये तक कर दिया गया और कारावास की सजा भी दी गई है। मेरा मतलब यह है कि हर प्रकार से माननीय मंत्री जी, आपने इस बिल को, जो कीटनाशक या जहरीली दवाई देश में पैदा करते हैं, उनको सजा देने का आपने प्रावधान किया है।

इसके साथ-साथ आपने यह भी कहा है कि कोर्ट में विलम्ब होता है, देरी होती है, उस सब को दूर करने के लिए भी आपने विशेष न्यायालय हाई कोर्ट की सलाह से वहां पर स्थापित किये जाने का प्रावधान रखा है, यह बात भी आपने इसमें कही है। पर मेरा इसमें निवेदन करना है कि इंस्पैक्टर को जो आपने एक अधिकार दिया है, आप और किसको अधिकार दे सकते थे, यह तो आप सोचें, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि यह बिल वास्तव में भावना के आधार पर निश्चित रूप से अच्छा है। मैं समझता हूं कि हर बिल जो आता है, उसका पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, मैं भी जब उस ओर बैठा करता था तो मेरी भी हमेशा नीयत यही रहती थी कि बिल में कहीं न कहीं कोई खोट निकालूं, लेकिन अब मैं सत्तारूढ़ पक्ष में हूं, इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं। *(व्यवधान)* यही तो दिक्कत है, यही कीड़ा तो आपको खराब करता है, इसी को तो मारे जाने की आवश्यकता है, इसीलिए माननीय मंत्री महोदय यह बिल लाये हैं। यह बिल वास्तव में अच्छा है, इसलिए भावनात्मक दृष्टि से आप सोचिएगा। इस बिल का हमें स्वागत करना चाहिए। मंत्री जी जो बिल लाए हैं, मैं उसका हृदय से अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, कीटनाशक संशोधन विधेयक पर बहस चल रही है। सन् 1968 में यह कानून बना था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ त्रुटियां पाईं, उन्हीं त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए मंत्री जी यह बिल लाए हैं। कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किसान बड़े पैमाने पर करते हैं। पुराने जमाने में राख छिड़क कर या मिट्टी का तेल छिड़क कर कीटाणुओं से पौधों की रक्षा किया करते थे। लेकिन जब-जब अनुसंधान और टैक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, तब से कीटनाशक दवाओं का लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन के अंदर भी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और बाहर भी स्प्रे किया जाता है। पौधों में दो तरह के कीटाणु लगते हैं। एक तो वे जो दिखाई देते हैं और दूसरे अदृश्य होते हैं। ये कीटाणु फसल को बर्बाद कर देते हैं। कभी-कभी कपास की खूब उपज होती है, लेकिन उसमें ऐसा कीटाणु लग जाता है कि दो-चार दिन में ही सारी फसल गायब हो जाती है और किसान बर्बाद हो जाता है। इसी कारण वह आत्महत्या भी करने लगा है। कभी-कभी हवा चलने से भी कीटाणु उड़कर फसल पर आ जाते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। आलू की फसल खूब होती है, उसमें लैब्लाइट नाम का कीटाणु लग जाता है तो दो-तीन दिन में ही सारी फसल खराब हो जाती है। इसलिए उस पर दो-तीन स्प्रे कीटनाशक दवा के होने से वह फसल बच जाती है। इसी तरह दीमक से रोकथाम के लिए एल्ड्रीन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। जड़ में भी गैस से छिड़काव कर जमीन के अंदर फसल को मारने वाले कीटाणुओं का नाश किया जाता है।

माननीय सदस्य स्वाइं जी ने कहा कि इन दवाओं का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। अनाज की फसल में, सब्जी और फलों में भी आर्गेनिक फासफोरस जो कि जहर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह जहर इन फलों, सब्जियों और अनाज में भी रह जाता है इसलिए हम जो खाते हैं तो इस जहर का कुछ न कुछ अंश हमारे शरीर में भी जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने भी जांच करके बताया है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसका स्वास्थ्य

और स्वाद में भी असर होता है। हमें स्वाद से भी पता चल जाता है कि अमुक चीज पर कीटनाशक दवा छिड़की हुई है।

बिहार में करोड़ों पेड़ पीपल के और शीशम के सूख गए। किसान कंगाल हो रहा है। जांच हुई तो पाया गया कि उन पेड़ों की जड़ में कीटाणु लग गया था। इसी तरह केरल में कोकोनट में कीटाणु लग गया और काफी फसल बर्बाद होने लगी। बैंगन, आम इत्यादि सब्जियों और फलों में भी मधुवा नामक कीटाणु लग जाता है। अगर वह लग जाए तो इन पौधों पर एक भी फल नहीं होता। इसलिए इन पर दवा का छिड़काव करना पड़ता है।

मेरा सुझाव है कि जो कीटनाशक दवाओं का अनुसंधान होता है, उसकी बराबर छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि इसका मनुष्य के शरीर पर कुप्रभाव न पड़े। कीटाणु मर जाए, लेकिन व्यक्ति खाए तो उस पर कुप्रभाव न पड़े, ऐसा देखना चाहिए। यह सब प्रापर और सही अनुसंधान और परीक्षण से हो सकता है। किसान इंसेक्टीसाइड्स का इस्तेमाल फल, सब्जी, अनाज, फसल तथा सभी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में कीटाणु का कम आक्रमण था। बैंगन में राख छिड़क दी जाती थी और कीटाणु नहीं लगते थे लेकिन आज ऐसे-ऐसे दृश्य और अदृश्य कीटाणु पैदा हो गये हैं कि वे बड़े पेड़ को भी जड़ से ही काट देते हैं। मेरा सुझाव है कि उसके उत्पादन और विश्लेषण की छानबीन और जांच होनी चाहिए जिससे कीटाणु मर सकें लेकिन शरीर पर उसका कु-प्रभाव नहीं हो। किसान बड़े उत्साह से दवाई लाकर छिड़कता है लेकिन बाद में पता लगा कि यह दवा जाली है, स्पूरियस है। उसके लिए प्रावधान किया गया कि नियमों में कड़ाई करेंगे और जुर्माना लगाएंगे। व्यापारी लोग बड़ा कारोबार करते हैं और जाली दवाएं बेचते हैं। उसमें एक लाख रुपया बचा लिया, लाभ उठा लिया और जुर्माना पांच हजार रुपये हुआ। उनका नुकसान क्या हुआ ? उनका तो फायदा हुआ, इसलिए रुपये वाली सजा तो रहनी चाहिए लेकिन जेल की सजा भी हरेक क्लॉज में रहनी चाहिए लेकिन कुछ में है। लाख रुपये की स्पूरियस दवाएं बेच ली और पांच हजार रुपये जुर्माना हुआ तो 95 हजार रुपये का फायदा हो गया। रुपये के जुर्माने से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ज्यादा असर जेल के जुर्माने से होगा। जिससे कंपनी का नाम फल गया, किसान आंख मूंदकर कि इस कंपनी के नाम की दवा अच्छी होगी, यह समझकर वह दवा लाकर छिड़क देता है और वह दवा स्पूरियस निकलती है, जैसे पहले डाइटेनम 45 के बारे में लोग कहते थे कि इसके छिड़कने से आलू में कीटाणु नहीं लगते हैं लेकिन ठंड के दिनों में तो इसी कीटाणु से ही सारे में कीटाणु फैलते हैं। पुराने जमाने में लोग हरिया कड़िया लगाते थे कि नजर न लगे लेकिन आज के युग में अनुसंधान तथा वैज्ञानिक टैक्नॉलोजी वगैरह सब है, इसीलिए फसल के संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता हो गई है।

ड्रग्स महंगी भी बहुत हो गई हैं, इसलिए सरकार को देखना चाहिए कि किसान को ठीक दवाएं सस्ते दाम पर मिले, स्पूरियस दवाइयां न मिले। उसके लिए प्रावधान किया है हम इसलिए समर्थन करते हैं कि इस दिशा में अच्छा काम किया जाएगा लेकिन किसान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते तो हमें गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। किसान की कितनी तबाही होती है, किसान अपनी मेहनत, पूंजी, और बीज इत्यादि सब लगाता है और कीटाणुनाशक दवाई का भी छिड़काव करता है लेकिन यह दवा जाली निकलती है और इससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, इससे किसान को कितनी तकलीफ होती है ? विभिन्न राज्यों में हम देखते हैं कि किसान निराश होकर आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। किसानों की यह दुखद स्थिति है। फसल के उत्पादन के समय भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये दवाएं मनुष्य के लिए हानिकारक न हो लेकिन कीटाणुनाशक हो। जाली दवाई नहीं बने, दवाएं सस्ती होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी तथा अन्य की तरफ से भी किसान को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि किसान उसका सही इस्तेमाल कर सके और अपनी फसल और पौधों का सही संरक्षण और सुरक्षा कर सके। बिना पैस्टीसाइड्स और कैमिकल, खाद के फसल हो जाये तो और भी अच्छा है। लेकिन हमारा प्रथम सवाल है कि अनाज हमें गुणवत्ता वाला चाहिए। फूड सिक्योरिटी के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम यह भी चाहते हैं सौ करोड़ की आबादी वाले देश में भोजन के लिए भी हम आत्मनिर्भर होने चाहिए। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मेरा ख्याल है, श्री येरननायडू जी ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए बहुत जोर लगाया था और इस संबंध में सवाल भी उठाए थे। सरकार द्वारा कदम उठाने के लिए इन्होंने बहुत जोर लगाया, इसलिए येरननायडू जी को मैं धन्यवाद देता हूं और इस दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का तहेदिल से स्वागत करता हूं क्योंकि इन सभी संशोधनों का सुझाव आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है।

वर्ष 1997 में, विद्यमान अधिनियम के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ था तथा नकली कीटनाशकों के कारण अनेक किसानों ने आत्महत्या कर ली। इस कानून को वर्ष 1968 में पारित किया गया था तथा अब 32 वर्षों के पश्चात् हम इन संशोधनों का प्रस्ताव कर रहे हैं। हम यह समझ सकते हैं कि इन 32 वर्षों में इन नाशक कीटों का हमारी फसलों पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था। इसीलिए, किसी ने भी इन संशोधनों में अधिक रुचि नहीं दिखायी।

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब के भागों, महाराष्ट्र तथा सभी-जगह नाशक कीटों के आक्रमण के बाद किसानों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अपनी फसल खराब होने के बाद उन्हें निजी ऋणदाताओं से उधार लेना पड़ता है तथा वे उस धनराशि को वापस अदा नहीं कर पाते हैं। उस राशि पर उन्हें भारी ब्याज देना पड़ता है। इस प्रकार, यह मामला सामने आया तथा इसीलिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को विद्यमान कानून पर गौर करने तथा कृषक समुदाय के हित में अपेक्षित महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव देने में एक महीने का समय लगा।

इस समय, यह अधिनियम कृषक समुदाय के लिए उपयोगी नहीं है, यह केवल निर्माता समुदाय के लिए ही उपयोगी है। इस अधिनियम

[श्री के० येरननायडू]

के प्रशासन और कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए हम कतिपय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसलिए, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष, 1997 में इन सभी संशोधनों का प्रस्ताव किया है। यद्यपि यह संशोधन विधेयक आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित किए जाने के तीन वर्षों के पश्चात् हमारे माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसका प्रस्ताव किया गया है, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं। इसी माननीय सभा में, मैं इस मामले को लगभग दस बार उठा चुका हूं। इस विधेयक को सभी दलों का समर्थन प्राप्त है। अत: सभी दलों की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा यह कानून प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक की धारा 31 में संशोधन करके, हम नकली कीटनाशकों पर नियंत्रण कर सकते हैं तथा मामलों की शीघ्र जांच के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। हम दोषियों को दण्डित कर सकते हैं तथा जिससे नकली कीटनाशकों के निर्माण पर रोक लगायी जा सकती है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार किए गए अनुरोधों के पश्चात् माननीय मंत्री महोदय ने इन संशोधनों को प्रस्तुत करके पर्याप्त दयालुता दिखायी है। इसलिए, एक बार फिर मैं, इस सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसका पूरा श्रेय हमारे वर्तमान कृषि मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा को जाता है। जब यह विधेयक अधिनियम बन जायेगा तो समग्र राष्ट्र अत्यन्त प्रसन्नता महसूस करेगा क्योंकि विद्यमान अधिनियम नकली कीटनाशकों की बिक्री पर नियंत्रण नहीं लगा सकता है। तथा दोषी व्यक्ति, 20 दिनों के बाद, फिर से इन नकली कीटनाशकों की बिक्री कर सकते हैं। इस कानून की मदद से, हम किसी हद तक नकली कीटनाशकों की बिक्री को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं इस तथ्य की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मिलावट पर नियंत्रण करने के लिए विद्यमान अधिनियम भी मिलावट को नियंत्रित नहीं कर सका है क्योंकि यह देश में अभी भी जारी है। हमें इस संबंध में भी उपाय करने होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर माननीय कृषि मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महराजगंज – उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में धान की फसल कीटों के प्रभाव के कारण समाप्त हो गई थी। वहां के माननीय कृषि मंत्री, श्री दीवाकर विक्रम सिंह, अपने फार्म में धान की फसल को नहीं बचा पाए। मैं भी किसान हूं और हम लोग भी धान की फसल को नहीं बचा पाए। कृषि वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च कर डाला, लेकिन धान की फसल नहीं बचा पाए। मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वे धान की फसल के बचाव के लिए उपाय ढूंढे।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, यह जो कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000 सुन्दर लाल पटवा जी की तरफ से पेश किया गया, इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह मामला छोटा दिखता है लेकिन बहुत महत्व का है। कीटनाशी जो दवाएं बनती हैं, इस देश में छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, उसे अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रीटनाशक दवाओं की जरूरत पड़ती है। हमारा सदन बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि सुन्दर लाल पटवा जी कृषि मंत्रालय का अधिभार संभाल रहे हैं। छोटी विलेज पंचायत, ताल्लुफा पंचायत, जिला परिषद्, विधान परिषद् में जो मुख्य मंत्री रह चुके हैं, वही आज इस देश की सेवा में जुटे हैं।

सभापति महोदय, मैं पटवा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वह खुद सुन्दर हैं, उनके विचार भी सुन्दर हैं, वह लाल भी हैं और अच्छे काम के लिए उन्हें पटाने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्रालय के जो काम होंगे, कानून बनेंगे, वे अच्छे ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस विधेयक के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान का जनप्रतिनिधि हूं। जब देहात का छोटा किसान कीटनाशक दवाएं लेने के लिए बाजार में जाता है तो किसान को पता नहीं होता कि कौन से फल, फूल, सब्जी और पौधे को कौन सी बीमारी है और उन पर कौन सा कीटनाशक छिड़कना है। जब वह कीटनाशक दवा लेने के लिए बाजार में जाता है तो दुकानदार उसे अपनी मर्जी से दवा दे देता है। इसलिए मेरा कहना है कि किसान को टैक्नीकल गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। इस संशोधन विधेयक के जरिए धारा 22, उपधारा (तीन), धारा 24 उपधारा (एक), धारा 29 उपधारा (तीन), धारा 31 उपधारा (दो) में संशोधन किया जा रहा है। किसान को कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा खरीदनी है, इसके लिए किसान को जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। मार्किट में उसको ऐसी कोई सुविधा नहीं है। चार लोगों का इससे संबंध है। कीटनाशक निर्माता है, दूसरा जो एजेंसी कीटनाशक सप्लाई करता है, तीसरा जो दुकानदार किसान को कीटनाशक देता है। मेरा कहना यह है कि किसानों को कीटनाशकों के बारे में प्रशिक्षण और गाइडेंस देने की जरूरत है। आजकल मार्किट में डुप्लीकेट और आउट-डेटेड कीटनाशक बाजार में मिल रहे हैं। किसानों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस कीटनाशक की जरूरत है।

पिछले साल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कपास पर एक बीमारी का हमला हुआ। किसानों ने बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस बार कीटनाशक छिड़का लेकिन उसका कोई असर उस बीमारी पर नहीं हुआ। किसान बर्बाद हो गये और उन्होंने वही कीटनाशक पीकर आत्महत्याएं कर लीं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ है।

इस साल महाराष्ट्र में कपास के ऊपर, पपई के ऊपर, केले के ऊपर वायरस नाम की बीमारी लग गयी और किसान बर्बाद हो गये। कीटनाशकों का कोई असर उस बीमारी पर नहीं हुआ। कीटनाशक आउट-डेटेड नहीं होना चाहिए और उसके छिड़काव तथा तकनीकी ज्ञान की जानकारी की उसको बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसान को कीटनाशकों के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सके।

किसान को कितने कीटनाशक की जरूरत है और कितना उसका उत्पादन हो रहा है, इस बात को सरकार को देखना चाहिए।

बायो-फर्टिलाइजर की जो नयी तकनीक है किसान को उसकी तरफ जाने की आज जरूरत है साथ ही किसान कैसे कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करके अच्छी फसल ले सके, इसको भी सरकार को देखने की जरूरत है। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि कीटनाशकों का बुरा असर आदमी और पशुओं पर नहीं होना चाहिए। किसान जब सब्जी के ऊपर कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है तो उसका बुरा असर आदमी के ऊपर नहीं होना चाहिए, सब्जी खाने वाले के ऊपर नहीं होना चाहिए। यह भी सोचने की बात है।

मैं माननीय पटवा जी को धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहता हूं कि कीटनाशक अच्छी क्वालिटी का हो जिससे केवल अनुपयोगी कीटों को ही मारा जाये, लेकिन जो हमारे मित्र कीट हैं उनकी रक्षा हो सके। मैं कृषि मंत्री से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कीटनाशक अनुपयोगी कीटों को ही मारे न कि किसानों को। मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, एक छोटे से संशोधन विधेयक पर माननीय सदस्यों ने इतनी बड़ी संख्या में बहस में भाग लेकर जो अपनी रुचि दिखाई है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनके सुझावों का स्वागत करता हूं। सामान्यत: इस संशोधन विधेयक का माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है और कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। मैं विशेषरूप से खारबेल स्वाइं, श्री राम जीवन सिंह जी, श्री रेड्डी

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : इधर के माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद कर दीजिए।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं विशेष रूप से रघुवंश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक मूल समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। श्री येरननायडू जी और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस ओर ध्यान दिलाया और उन्होंने इन सब के लिए प्रयास किया। आज जिन सदस्यों ने समर्थन करते हुए और कुछ सुझाव देते हुए जो कुछ कहा, उन सब को शिरोधार्य करता हूं। श्री सुरेश जाधव जी ने ज्यादा तारीफ कर दी इसलिए उनको ज्यादा धन्यवाद देता हूं। मैंने एक सामान्य कार्यकर्त्ता होने के नाते काम करते-करते थोड़ा बहुत समझने और सीखने का प्रयास किया। *(व्यवधान)* खूबसूरत तो खुदा की देन है। मैं क्या कहूं ? खुदा जब हुस्न देता है तो वह आ ही जाता है।

हमारे सामने आबादी बढ़ने की समस्या थी। इस कारण अन्न का उत्पादन तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता थी। जब आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री थे तो पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय अमरीका ने पीएल 480 गेहूं प्रदान करना बंद कर दिया। उस समय देश के सामने एक चुनौती थी। दुनिया में जहां-जहां अधिकतम अन्न की प्रक्रियाएं या विज्ञान या टैक्नॉलोजी अपनाई गई, विशेष रूप से उस समय मैक्सिकन गेहूं का अवलम्बन किया, हाइब्रीड सीड्स का अवलम्बन किया, इनसैक्टिसाइड्स, पैस्टिसाइड्स का अवलम्बन किया, हमने उन तरीकों को अपना कर उत्पादन बढ़ाया। मैं इस देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चुनौती का सामना किया और उस कमी को पूरा करके बता दिया। उन्होंने कहा कि यह देश अपने पैरों पर खड़ा होने का सामर्थ्य रखता है। उनमें हाईब्रीड सीड, कीटनाशक इनसैक्टिसाइड्स, पैस्टिसाइड्स, गहरी जुताई, गहरी सिंचाई ये सब प्रक्रियाएं हैं। वह समय की आवश्यकता थी। जो इन प्रक्रियाओं को लाए, उनका इरादा नेक था, लेकिन ये सब पद्धतियां आयु की तरह हैं। जितनी रघुवंश प्रसाद सिंह जी का आयु है, वे उनसे भी कम हैं। ये सब सिस्टम कोई 25 साल में, कोई 50 साल में और कोई 100 साल में इजाद हुए। हम शायद इस बात को विस्मरण कर गए कि इस देश में पांच हजार साल से खेती हो रही है। उस समय इनसैक्टिसाइड्स, पैस्टिसाइड्स और हाईब्रीड सीड्स नहीं थे, हमारे अपने बीज थे, हमारी अपनी पद्धतियां थी। आपने इनका जिक्र भी किया।

कुछ मित्रों ने जिक्र किया कि आप भी उनमें से कोई ऐसा शोध करो कि शत्रु कीट तो मर जाएं पर मित्र कीट न मरें। कीट मर जाए लेकिन उनका मानव शरीर पर दुष्प्रभाव न हो। यह कैसे सम्भव है ? जो कैमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं, मानव निर्मित इनसैक्टिसाइड्स और पैस्टिसाइड्स होते हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है और वह भी प्रयोगावस्था में।

अपराह्न 5.00 बजे

बॉयो-कैमिकल्स, बॉयो-फर्टिलाइजर्स और बॉयो-पैस्टीसाइड्स का जिक्र आया। यह प्रयोगों ने सिद्ध किया है और मैं उस दिन को देखने के लिये इस धरती पर रहना चाहता हूं कि जब इस देश से कैमिकल फर्टिलाइजर, इन्सैक्टीसाइड और पैस्टीसाइड विदा होकर, हमारे अपने बॉयो मित्रजीवी उपाय आजमायें जायेंगे। उत्पादन में किसी प्रकार की कमी न होते हुये हम जिस पद्धति को खेती के उत्पादन में पिछले पांच हजार साल से बनाये रखे हैं, उन उपायों की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। हमारे एक मित्र श्री खारबेला स्वैन ने कहा कि लोग तीन गुना पैसा देकर भी वह उत्पादन तकनीक खरीदने को तैयार हैं जिसमें कैमिकल फर्टिलाइजर, इनसैक्टीसाइड्स और पैस्टीसाइड्स का उपयोग न होता हो। उससे उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही उसका स्वाद और फ्लैवर भी अच्छा बनता है और इस सिस्टम में प्रचुरता में आ जाती है लेकिन यह कुछ समय के लिये ठीक लगता है, उसे ठीक कर रहे हैं लेकिन वह स्थायी उपाय नहीं है। इसलिये जब तक सारी प्राचीन पद्धति स्थापित न हो, आजमायश न हो जाये, जब तक आज के जो तथाकथित वैज्ञानिक और विद्वान कहे जाते हैं, उनकी मान्यता स्थापित न हो जाये तब तक इस पद्धति पर अवलम्बित होना पड़ेगा। इसके लिये जो इंटिग्रेटेड पैस्ट मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य यही था।

सभापति महोदय, श्री राजो सिंह जी ने बड़ा जोरदार भाषण किया पर मैं यह कहने के लिये विवश हूं कि उन्होंने बिल पढ़ा ही नहीं। वे अपना भाषण देकर चले गये। वे कहते हैं कि फलां प्रावधान इस बिल में नहीं है जबकि मैं कहता हूं कि इस बिल में वे सारे प्रावधान हैं। इस बिल में उत्पादकों, कारखाना मालिकों को पकड़ने और उन्हें सजा देने के प्रावधान मौजूद हैं। ये प्रावधान 1968 तक नहीं थे। हां, उस समय मैं नहीं था लेकिन जो भी थे, जैसा उन्होंने इसे बनाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कमी निकाली कि इस बिल में जिन दो धाराओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, उन्हें

[श्री सुन्दर लाल पटवा]

जोड़ने का प्रयास किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि उन्होंने इसे रोकने के लिये कोई उपाय या सुझाव दिया होता तो मैं उसका स्वागत करता।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सभापति महोदय, जब रेफ्रेंस आया तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जो संबंधित नियंत्रक अधिकारी हैं, वे सैम्पल ले रहे हैं, जांच हो रही है, सैम्पल फेल हो रहे हैं लेकिन जो इनफ्यूरियस पैस्टीसाइड्स हैं, उनकी बाजार में निरंतर उपलब्धता बनी हुई है – क्या इससे यह मैसेज जाता है कि प्रशासन में कहीं न कहीं ढील दिखाई देती है। मेहरबानी करके उसका एक्ट में प्रावधान करें।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और अगर मैं आपसे यह प्रश्न कर रहा हूं तो गलत नहीं कर रहा हूं। क्या हमारे जांचकर्ता अधिकारी प्रामाणिक नहीं हैं, क्या हमारी टैस्टिंग लैबोरेट्रीज प्रामाणिक नहीं हैं, क्या निर्णय देने वाले हमारे न्यायाधीश प्रामाणिक नहीं हैं ? यह सब होते हुये भी कहीं तो मूल में दोष है और उस दोष का निवारण करने के लिये यदि कोई उपाय हों या सुझाव हों तो उनका मैं स्वागत करूंगा, उनका समर्थन करूंगा और उन्हें अपनाने का प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय, परन्तु कानून और दंड प्रावधान यह अपवाद के लिये है। अगर समाज में सब तरफ बुराई व्याप्त हो जाए तो कानून व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई उपाय नहीं रहता। फिर समाज में से ही कोई न कोई सुधार होता है। शासन, सत्ता अपवाद के लिए है, दंड प्रावधान अपवाद के लिए है। अगर सब कानून तोड़ने लगें तो फिर सत्ता और दंड प्रावधान व्यर्थ हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि अभी ऐसा नहीं है। अभी अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, गड़बड़ करने वाले लोगों की संख्या कम है, इसीलिए यह देश टिका हुआ है और पचास साल से यहां लोकतंत्र फल-फूल रहा है, पनप रहा है। हम विभिन्न प्रकार के चेलेन्जिज में से निकले हैं और निकलकर फूलेंगे-फलेंगे और आगे बढ़ेंगे और दुनिया के एक महान देश के रूप में प्रतिष्ठापित होंगे, इसमें किसी को शक-ओ-शुबह नहीं होना चाहिए। मैंने एक छोटे से उद्देश्य के लिए बिल में संशोधन करने का प्रयास किया है। माननीय सदस्यों नें आम तौर पर इसका समर्थन भी किया है। मैं उन सभी के अलग-अलग नाम गिनाने के बजाय सबको एक साथ धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं और विशेष रूप से जिन माननीय सदस्यों ने मूल पर उंगली रखी है, नब्ज पर उंगली रखी है, जिनका हाथ नब्ज पर है कि जो सिस्टम है उसमें कहीं न कहीं दोष है, वह परिपूर्ण नहीं है, प्रयोगावस्था में है, परिपूर्ण सिस्टम वही है जिसके आधार पर हमारी खेती पांच हजार वर्षों से चली आ रही है और हम टिके हुए हैं, उस सिस्टम को हमें अपनाना पड़ेगा। उसे आज अपनायें, कल अपनाएं या चार दिन बाद अपनायें, उसे बढ़ावा देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं फिर से सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और बिल का समर्थन चाहता हूं।

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : सभापति महोदय, एक बहुत अच्छा बिल माननीय मंत्री जी हमारे सामने लाये हैं। इस बिल के तीन उद्देश्य नजर आते हैं – पहला यह है कि अगर पेस्टीसाइड्स का मनुष्य के शरीर पर बुरा परिणाम होता है तो उसे कैसे दूर किया जाय; दूसरा यह है कि दोषी लोगों को ज्यादा सजा कैसे दी जाए और तीसरा जल्दी से जल्दी कैसिज कैसे निपटाये जाएं ताकि लोगों पर असर हो सके। यह बहुत अच्छी बात है और इसका उपयोग होगा। मगर इसके साथ-साथ उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही और बहुत योग्य रीति से कही, उन्होंने बॉयलोजिकल कंट्रोल ऑफ पैस्ट्स की बात भी कही है। जो अच्छी बात है, मगर इस संबंध में हम जानना चाहते हैं कि सरकार की ओर से जितनी राशि इस काम के लिए देनी चाहिए, क्या सरकार उतनी राशि दे रही है ? यह मेरा एक प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पैस्ट्स पर भी पहुंचे हैं और हमारी खुशकिस्मी से हमारी जोरहाट नेशनल लेबोरेटरी में इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। हिमालय में जो कुछ वृक्ष हैं, उनके ऊपर कोई पैस्ट नहीं आता है। उसके जीन निकालकर ये अलग-अलग बीजों में डाल रहे हैं और उस जीन की वजह से ही पैस्ट कंट्रोल हो रहा है। जो ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, उनसे एक क्रांति आ सकती है। इसके लिए आज ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या केन्द्र सरकार की ओर से इसमें ज्यादा पैसा दिया जायेगा और क्या इस काम को पूरा करने के लिए मदद दी जायेगी, हम यही जानना चाहते हैं।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं माननीय पाटील साहब के सुझाव का स्वागत करता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर वही है जो मैं अभी दे चुका हूं कि आधुनिकतम और हमारे अनुकूल जो भी प्रयोग हैं, सिद्ध प्रयोग हैं, उनका स्वागत है। मैं आपसे सहमत हूं कि जितना बजट आबंटन इस मामले में मिलना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन उसका कारण है कि इसके दुष्परिणामों के बारे में अभी उतनी अवेयरनैस नहीं है, जितनी होनी चाहिए। दूसरा मैं संकोच के साथ यह कह सकता हूं कि विभिन्न लॉबियां इतनी ताकतवर हैं कि उनके सामने असंगठित क्षेत्र को खड़ा होने में अभी शायद देर लगेगी, पर दो दिन बाद सही स्थान पर आना पड़ेगा। मैं आपसे सहमत हूं कि कई स्थानों पर कई प्रकार के प्रयोग हुए हैं। स्वदेशी विज्ञान मेला अभी हमारे मंत्रालय ने आयोजित करने का काम किया था। उसमें बताया गया कि देसी गाय के सींग में गोबर और गोमूत्र मिलाकर एक निश्चित नक्षत्र की निश्चित तिथि के समय जमीन में गाड़ दिया जाए और कुछ समय बाद उसको निकालकर पानी में थोड़ी मात्रा में घोलकर छिड़किये तो सब प्रकार के शत्रु कीट नष्ट हो जाएंगे और मित्र कीट नष्ट नहीं होंगे। यह प्रयोग काफी प्राचीन है, परन्तु यह अभी प्रायोगिक अवस्था में है। इतने बड़े प्रचार-प्रसार का स्वरूप उसने ग्रहण नहीं किया है। शायद समय जल्दी आएगा जब स्वदेशी विज्ञान को लोग स्वीकार करेंगे, उसकी महत्ता और गुणवत्ता को लोग स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कीटनाशक अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 7 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब, माननीय मंत्री प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.12 बजे

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद सं० 13 लेंगे।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। भारतीय खाद्य निगम अधिनियम वर्ष 1964 में पारित हुआ था। उन दिनों इस अधिनियम को अधिनियमित करने का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न और खाद्य वस्तुओं का व्यापार करना था। इस संबंध में, अधिनियम, की धारा 13 बिलकुल संगत है; इसमें यह कहा गया है :

"यह खाद्यान्न और खाद्य वस्तुओं के उत्पादन तथा उनका व्यापार करने और विभिन्न लोगों को खाद्यान्न और खाद्य वस्तुएं भेजने को ऐसे तरीकों से जैसाकि यह उचित समझे बढ़ावा देगा।"

आज, संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए हमें विस्तारपूर्वक उन बातों को देखना होगा जिनके लिए इस संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी थी। खाद्यान्न लोगों के लिए होता है। बफर स्टॉक को बनाये रखना होगा ताकि लोगों को परेशानी न हो। इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बफर स्टाक को विभिन्न तरीकों से बनाये रखा जायेगा। यह बताया गया था कि अप्रैल में गेहूं का भंडार 40 लाख टन होना चाहिए तथा चावल का भंडार 118 लाख टन होना चाहिए; जुलाई में गेहूं का भंडार 143 लाख टन होना चाहिए तथा चावल का भंडार 100 लाख टन होना चाहिए तथा अक्तूबर में गेहूं का भंडार 116 लाख टन होना चाहिए तथा चावल का स्टॉक 65 लाख टन होना चाहिए।

जनवरी में, यह बताया गया है कि गेहूं 84 लाख टन तथा चावल 84 लाख टन होने चाहिए। इसकी आवश्यकता क्या थी ? यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि रबी और खरीफ फसलों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय किया गया कि बफर स्टॉक की खरीददारी करने का निश्चय किया जाएगा। अत:, जुलाई में ही, जो अधिकतम बफर स्टॉक बताया गया है, वह 243 लाख टन है। अनेक वर्षों से, यह देखा गया है कि भारतीय खाद्य निगम ने चिन्तित होकर अथवा धन के अपव्यय के उद्देश्य से अथवा कृतक जीवों को फसल नष्ट करने देने अथवा लोगों द्वारा धन का दुर्विनियोग किए जाने जैसे विभिन्न कारणों से आवश्यकता से ज्यादा बफर स्टॉक रखा था। आप कृपया देख सकते हैं कि 1.2.2000 की स्थिति के अनुसार, बफर स्टॉक 325 लाख टन था। यह आवश्यक नहीं था।

अपराह्न 5.16 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए]

भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भांडागार निगम, जो खाद्य निगम का अंग है तथा राज्यों के 16 खाद्य निगम अलग तरीके से काम कर रहे हैं और भिन्न-भिन्न तरीके से कार्य करने की वजह से अनेक कठिनाइयां सामने आती रही हैं।

जैसा कि आपको मालूम है, खाद्य पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है; इसके साथ-साथ आनुषंगिक व्यय भी निर्धारित हैं। अन्य व्यय में परिवहन, क्षति आदि शामिल हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य व्यय, जो आवश्यक हैं, को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय निर्गम मूल्य का निर्धय किया जाता है। इसलिए, सरकार ने निर्णय किया है कि केन्द्रीय निर्गम मूल्य की आधी रकम सा०वि०प्र० के

[श्री अनादि साहू]

लिए ली जाएगी। अब, अनेक वर्षों से, ऐसा होता आ रहा है कि भारतीय खाद्य निगम दिए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की अपेक्षा आनुषंगिक व्यय के रूप में लगभग 33 प्रतिशत, 35 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत खर्च कर रहा है। सरकार कल्याण संबंधी अपने उपायों के तहत, समय-समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती रही है ताकि किसानों को किसी संकट या कठिनाई का सामना न करना पड़े।

खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ रहा है तथा गन्ना के भी समर्थन मूल्य में वृद्धि हो रही है। चूंकि मूल्य बढ़ रहा है, अत: भारतीय खाद्य निगम के आनुषंगिक व्यय भी बढ़ रहे हैं। इस संबंध में कोई नियंत्रणकारी सिद्धांत नहीं है कि भा०खा०नि० से किस प्रकार लाभ उठाना है। इसी कारण से यह जरूरी समझा गया कि इस संबंध में किसी तटस्थ निकाय का उचित नियंत्रण होना चाहिए। मूल अधिनियम में, धारा 34(2) तथा (3) में देखा जा सकता है कि भा०खा०नि० लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करेगी। आप कृपया उस धारा को देखें। लेखा-परीक्षकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लेखों की लेखा-परीक्षा की जानी होती है और लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही की जाती है। अब, अनेक वर्षों से कुप्रबंध के कारण, भारतीय खाद्य निमग द्वारा अपने विवेक से ऐसे लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति की जाती रही है जो उनकी बात मानते हैं और इस कारण से भा०खा०नि० में जो कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी नहीं मिल रही है।

महोदय, आप कृपया यह याद करें कि 1995 में भा०खा०नि० की वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी गई थी। उसके बाद, कोई भी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। मैंने आज वार्षिक रिपोर्ट को ढूंढ़ने की कोशिश की, किन्तु मैं उसे ढूंढ़ नहीं सका।

बाद के वर्षों में, 1964 के बाद, भा०खा०नि० अधिनियम में आंशिक संशोधन कर भारतीय खाद्य निगम को ऋण आदि से रकम प्राप्त करने हेतु अधिक अधिकार दिए गए। आप भा०खा०नि० अधिनियम की धारा 27 देखें जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत उसके कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से इसमें संशोधन किया गया है। उसमें लिखा है, "भा०खा०नि० खाद्यान्न अथवा अन्य खाद्य पदार्थों के स्टॉक पर अग्रिम धन ले सकता है।" जैसा मैंने कहा, बफर स्टॉक के अतिरिक्त वे और अधिक स्टॉक लेते रहे हैं ताकि अन्य बैंकों से अधिक अग्रिम धन लेने अथवा अन्य लोगों से धन उधार लेने का लाभ मिल सके। जब कोई संस्था अथवा संगठन अथवा कार्पोरेट निकाय अपने पास उपलब्ध स्टॉक के सहारे अग्रिम धन लेता है या धन उधार लेता है, तो यह आवश्यक है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक का इस मामले पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए।

मैं संक्षेप में कहूंगा कि उसी उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया है। यह संशोधन लाया गया है ताकि भा०खा०नि० पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखा जा सके।

महोदय, धारा 13 भारतीय खाद्य नियम के कार्यों के बारे में बताती है जिसके अंतर्गत खरीद, भंडारण, आवाजाही, परिवहन, वितरण तथा खाद्य पदार्थों एवं खाद्यान्न के मामले और ऐसे मामले जो अनुपूरक और आनुषंगिक हैं, उन पर विचार किया जाता है। अब, जबकि 'उसके अनुपूरक और आनुषंगिक' मामला उठता है, तो भारतीय खाद्य निगम जो चाहे वह कह सकता है तथा जहां खाद्यान्न प्राप्त करने और उसके भंडारण की व्यवस्था संबंधी अनुपूरक एवं आनुषंगिक मामलों का संबंध है, तब प्रबंधकों द्वारा जिस तरह का निर्णय लिया गया है, उस पर लेखा-परीक्षक द्वारा विचार किया जाना जरूरी होता है। यदि आपके पास कोई ऐसा लेखा-परीक्षक है जिसका चयन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है, तो वह निश्चय ही इस संबंध में जानकारी दे सकता है। लेखा-परीक्षक के चयन के बारे में, पुरानी धारा 34 में कहा गया है; 'लेखा-परीक्षक कागजात प्राप्त कर सकते हैं किन्तु वे उन्हें देख नहीं सकेंगे।' इस कारण से समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। निदेशक मंडल अथवा कुछ प्रबंधक उस मामले में उस उद्देश्य से कुछ जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी अपने पास रख सकता है।

महोदय, मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। मैं पुलिस महानिरीक्षक था। मैंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपनी नौकरी से त्यागपत्र देने के एक वर्ष के अन्दर मुझे एक ऐसे अन्दोलन में गिरफ्तार किया जाना था, जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था। जिस पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे गिरफ्तार किया जाना था, उसे मैंने प्रशिक्षण दिया था। वह असमंजस की स्थिति में था। उसने कहा, "कृपया आप सर्किट हाउस में जाएं।" मैंने कहां, "नहीं। मैं अन्य आंदोलनकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगा।" हम लोग पुलिस स्टेशन गए जहां हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की गई। मैं भोजन नहीं कर सका। पुलिस अधीक्षक शिष्टाचारवश मेरे साथ ही बैठकर भोजन करने लगा। हमें परोसे गए चावल में चावल के दानों की बजाए कंकड़ अधिक थे। भोजन करना अत्यंत कठिन था। मैंने पुलिस अधीक्षक से मजाक में पूछा, "क्या आप मुझसे बदला ले रहे हैं।" उसने कहा, 'नहीं, महोदय। हमने यह चावल भारतीय खाद्य निगम से खरीदा था।' मैंने कहा, 'आइए हम लोग इस चावल को साफ करकें देखते हैं कि इसमें कितने कंकड़ हैं।' हमने एक किलोग्राम चावल लिया और उसे साफ किया। हमने पाया कि लगभग 50 ग्राम छोटे और बड़े कंकड़ उस एक किलोग्राम चावल के अन्दर थे। भारतीय खाद्य निगम की यही प्रतिष्ठा है।

भारतीय खाद्य निगम में ट्रेड यूनियनवाद बहुत अधिक है। इसमें भी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। भा०खा०नि० को वस्तुएं लाने-ले-जाने के लिए लोगों के एक विशेष समूह की नियुक्ति करनी चाहिए। सौभाग्य की बात है कि भा०खा०नि० के मामले में कृतक जीवों की भी भूमिका है। चूहे और अन्य ऐसे जीव खाद्यान्नों का लगभग पांच से छ: प्रतिशत हिस्सा खा जाते हैं। तत्पश्चात्, कर्मचारियों द्वारा भी विनियोग और दुर्विनियोग किया जाता है। इन सभी बातों का सत्यापन किसी स्वतंत्र एजेंसी, किसी संवैधानिक प्राधिकारी जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा कराए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा, काम करना कठिन होगा।

अब, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे धारा 34(एक) देखें जिसमें लिखा है, '. . .तुलन पत्र ऐसे फार्म पर हो जिसका निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के परामर्श ये किया जाएगा. . .' भारत सरकार

तुलन पत्र तैयार करने के तरीके का निर्धारण करेगी। भारतीय खाद्य निगम की इस मामले में अपनी मनमानी नहीं है तथा इसका निर्धारण भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के परामर्श से किया जाना है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। पहले, भारतीय खाद्य निगम उस तरीके के बारे में निर्णय कर रहा था जिसके तहत वे अपना तुलन पत्र तैयार करेंगे। अब, केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के परामर्श ये प्रपत्र निर्धारित किया जाएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान संशोधन अधिनियम के खंड 3 कर ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है :

"खाद्य निगम के लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को सरकारी लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे. . ."

अब, जहां तक किसी लेखा-परीक्षक की नियुक्ति का संबंध है, हम भा०खा०नि० के अधिकारों को वापस ले रहे हैं। पता नहीं खण्ड 3 में एक अनावश्यक वाक्य क्यों शामिल किया गया है। अनावश्यकता इस वाक्य 'उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति' से संबंधित है। इसका अर्थ है कि जिस 'लेखा-परीक्षक' की नियुक्ति भा०खा०नि० द्वारा की गई है, उसे नियंत्रक एवं महानलेखा-परीक्षक द्वारा भी नियुक्त किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इन तीन या चार शब्दों पर ध्यान दें जिसमें कहा गया है, "इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति।" मैं समझता हूं कि यदि हम इन शब्दों को रखें, तो भा०खा०नि० अपने विवेक से नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है और यह संकेत दे सकता है कि अमुक व्यक्ति को लेखा-परिक्षक होना चाहिए। इस पहलू पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। अन्यथा, हमें बाद में पुन: कोई संशोधन करना पड़ सकता है।

महोदय, अब जब हम इस संशोधन पर विचार कर रहे हैं, तो हम लोग कतिपय राजसहायता पर भी विचार करें जो भा०खा०नि० को दी जा रही हैं। उदाहरण के लिए, दो करोड़ रुपये की लेबी चीनी राजसहायता दी गई है। इस वर्ष के बजट में इस धनराशि की व्यवस्था की गई है। मैंने नहीं समझता कि यह आवश्यक है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री अनादि साहू : महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय तक बोलने की अनुमति दें। आपकी सहायता से ही मैं यहां अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकूंगा।

अब, लेबी चीनी पर दो करोड़ रुपये की राजसहायता देने की क्या आवश्यकता है ? वे पहले ही चीनी की 110 रुपये की रियायत प्राप्त कर रहे हैं। लेबी सुगर पर दो करोड़ रुपये की राजसहायता आवश्यक नहीं है। इस वर्ष के बजट में भा०खा०नि० को उसके कार्यों हेतु 25 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। परन्तु अधिनियम में यह भी कहा गया है कि वह अपने लाभ का एक हिस्सा विभिन्न उद्देश्यों के लिए जमानत राशी हेतु रखे जाने के लिए देगा। यह बताया गया है कि इसका एक भाग रखा जाना है। धारा 33 में लिखा है, "अतिरिक्त का आरक्षित निधि के रूप में आबंटन जिसके लिए उसका सृजन उसके वार्षिक लाभ के भाग के रूप में किया जाएगा।" जब आप भा०खा०नि० के वार्षिक लाभ पर विचार कर रहे हैं, तो हम उन्हें धन प्रदान कर रहे हैं, किन्तु भा०खा०नि० उस आरक्षित निधि के सृजन हेतु क्या कार्रवाई कर रहा है? मेरे विचार से अन्य सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तरह, भा०खा०नि० की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। अब यह जरूरी है कि नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक जैसी एक अलग एजेंसी को भा०खा०नि० की कार्यप्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। यही कारण है कि संशोधन संबंधी ये प्रावधान किए गए हैं। मैं इस संशोधन विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं प्रस्तावित संशोधन विधयेक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि जब किसी विशेष उपबंध में संशोधन अर्थात् धारा 34 में संशोधन अत्यंत आवश्यक हो गया है।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम के किसी व्यक्ति की निन्दा किए बिना तथा जिस प्रकार से यह व्यवस्था कार्य कर रही है, मेरा दृढ़ विचार है कि यदि कोई ऐसा स्थान है जहां सी०बी०आई० को जांच करनी चाहिए तो वह उचित स्थान भारतीय खाद्य निगम है क्योंकि मेरा केन्द्रीय भण्डागार निगम में एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में गहरा संबंध रहा है तथा भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के साथ मेरी अंतरग बातचीत हुई है। अत: यहां यह पता लगाया जाए कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खाद्य निगम में क्या हुआ।

महोदय, किसान, देश के कृषि मजदूर, कृषि क्षेत्र में कार्यरत अन्य मजदूर खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं। इसके लिए देश में हमारी अपनी व्यवस्था है। परन्तु यह मामला विभिन्न दिशा में जा रहा है।

महोदय, मैं आपका ध्यान कुछ क्षेत्रों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस संशोधन का जो प्रावधान किया गया है वह धारा 34 से संबंधित है। ऐसा क्यों है कि आज सरकार और हम भी सोचते हैं कि भारतीय खाद्य निगम के सम्पूर्ण कार्यों की भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सीधे लेखा-परीक्षा करनी चाहिए। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम पूर्व परम्परा का अनुपालन नहीं कर रहे हैं जिसमें भा०खा०नि० अपनी स्वयं लेखापरीक्षा करती थी जिसमें भारत के नियत्रंण और महालेखापरीक्षक की सहायता ली जाती थी? कारण यह है कि सरकार के पास निश्चित सूचना होनी चाहिए और सरकार को इस संबंध में भी आश्वस्त होना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम की सम्पूर्ण लेखा पद्धति में कुछ गलत हो रहा है। उनकी कोई जवाबदेही अथवा जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय खाद्य निगम दो समस्याओं का सामना कर रहा है। सबसे पहले तो यह पूरी तरह एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी नहीं है क्योंकि इसे कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत संचालित नहीं किया जाता है। यदि इस संगठन को जवाबदेह बनाने के विचार से मंत्री जी द्वारा इस संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया जाता — मैं माननीय मंत्री जी का इसे लाने के लिए धन्यवाद करता हूं —

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

तो भारतीय खाद्य निगम पहले की तरह घोखाधड़ी करने के लिए खुला छूट जाता और हम उन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाते। मै इस शब्द का बहुत सावधानी से प्रयोग कर रहा हूं।

मेरा भा०ज०पा० के प्रतिष्ठित मित्र जिन्होंने यह चर्चा प्रारम्भ की थी, कहा है कि उन्होंने 1975 के पश्चात् कोई वार्षिक रिपोर्ट नहीं देखी है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय खाद्य निगम के नेटवर्क तथा निष्पादन का एक पैराग्राफ में बहुत लापरवाही से उल्लेख किया गया है जो कि मेरे विचार से उचित नहीं है।

भा०खा०नि० की लेखा प्रक्रिया निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित है : (क) स्टॉक; (ख) अंतिम रूप से बताया गया स्टॉक; (ग) कीमत; (घ) वितरण ढांचा; (ङ) अपव्यय; (च) परिवहन और परिवहन में हुए अपव्यय के कारण हुई हानि; तथा (छ) गोदामों का किराया।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अलावा अन्य गोदामों को भी किराये पर लेने की व्यवस्था है। क्या भा०खा०नि० की पट्टों पर हस्ताक्षर करने के लिए तथा निजी गोदामों को किराये पर लेने के लिए एक जैसे प्रतिमान अथवा मानदण्ड हैं। अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग मानदण्ड हैं। यह इतना गुप्त रूप से होता है कि मैं इस चर्चा में इसे स्पष्ट नहीं कर सकता। मंत्रालय यह भी जांच कर सकता है कि पूर्व में क्या हुआ था ?

यहां परिवहन एक दूसरी समस्या है। मैं एक ऐसा मामला जानता हूं जो कि मेरे क्षेत्र में घटित हुआ जिसमें एक ट्रक में खाद्यान्न की एक विशेष मात्रा का लदान किया गया तथा ट्रक से उतारने के समय मात्रा नाटकीय तरीके से परिवर्तित हो गई। यह सब रास्ते में किया गया। वितरण बिन्दु पर अनदेखी प्रारम्भ होती है और परिवहन बिन्दु तक चलती है। यह लम्बे समय से चल रहा है। देश में खाद्यान्नों की प्रचुरता को; जो कि मजदूरों तथा कृषकों द्वारा संभव बनायी गई, इस तरह से छलयोजित किया जा रहा है। यह सब किसके हित में ऐसा किया जा रहा है ?

हम मामले में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा एक कागजी लेखापरीक्षा पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से हर तिमाही में वास्तविक लेखापरीक्षा कराने की मांग करता हूं। यदि अति-सावधानीपूर्वक तथा अनिवार्यत: तिमाही वास्तविक लेखापरीक्षा की जाती है तो खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा में हानि तथा दुरूपयोग किए जाने से बचाया जा सकता है और उनका समुचित उपभोग किया जा सकता है। बहुत से गोदामों में आज जो नया स्टॉक आता है उसे पंद्रह दिनों के भीतर अंशत: सड़े हुए स्टॉक से बदला जाता है। एक बार अपव्यय के मानदण्ड निर्धारित हो जाते हैं तो यह हमेशा के लिए निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि क्या अपव्यय है अथवा नहीं; क्या गोदामों में चूहे हैं अथवा नहीं। यह नियमित बात हो गयी है।

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : जितना खाद्यान्न पूरे आस्ट्रेलिया में पैदा होता है उतना इस देश में बर्बाद हो जाता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं डा० नीतिश सेनगुप्ता का यह बात ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरी संदर्भ टिप्पणों में भी यही बात है।

माननीय मंत्री जी की राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश को खाद्यान्न प्रदान करने के लिए बड़ी कृपा रही। यदि भा०खा०नि० के प्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में अपव्यय के मानदण्डों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती तो हम उन क्षेत्रों में आवश्यक खाद्यान्नों की मात्रा का तीन गुणा तक देखभाल कर पाते। अत: कागजी लेखापरीक्षा के अतिरिक्त एक वास्तविक लेखापरीक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह है गोदामों के भीतर खाद्यान्नों की गुणवत्ता की सुरक्षा के बारे में है।

अखिरकार, खाद्य स्टॉक का हम सबके द्वारा – बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक उपभोग किया जाता है। परन्तु इसकी गुणवत्ता में लापरवाही से अथवा चालबाजी से इस प्रकार गिरावट आ रही है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी मालदा में एक ब्लॉक है जिसे चंचल ब्लाक-दो कहा जाता है। माननीय मंत्री जी को आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने वहां स्कूली बच्चों को दोपहर के भोजन की गारंटी का आश्वासन दिया है। मैं पूरे अधिकार के साथ यह कहता हूं कि मिड-डे मील स्कीम के अंतर्गत 16 माह से वहां स्कूली बच्चों को अनाज सहित अन्य वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की गई। अखिरकार, मैं वहां से निर्वाचित हुआ था। जब यह बात मेरे ध्यान में लाई गई तो मैंने अपने दल के लोगों से सही स्थिति का पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने क्या पाया ? सिर्फ 15 दिन पूर्व खण्ड विकास अधिकारी के सामने प्रदर्शन करने के पश्चात् उन्हें उसके बारे में पता चला। बच्चों के लिए अनाज उपलब्ध नहीं कराने के लिए थोथे आधारों का सहारा लिया गया।

माननीय मंत्री श्री तपन सिकदर को इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वे उसी जिले के हैं। हमारे लोगों को पता चला कि कुछ पंचायत अधिकारियों तथा रखे गए स्टॉक के डीलरों के साथ मिलीभगत करके समय पर भा०खा०नि० की मांग का उत्तर न देने के लिए तथा इस स्टॉक को किसी खुले बाजार में भेजने के लिए जानबूझकर एक योजना बनायी गई। परन्तु जब लोग भड़क गये तो किसी प्रकार से वे सड़े हुए चावल का स्टॉक दिखा पाये जो कि उस समय पर स्कूली बच्चों द्वारा उपभोग नहीं किया जा सकता था। इसलिए ऐसी बाते हो रही हैं। यहां तक कि वे दोपहर के भोजन की योजना में भी धोखा कर रहे हैं।

फिर मैंने यह मामला जिलाधीश को भेजा। जिन लोगों ने स्कूली बच्चों को धोखा दिया मैंने उस लोगों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के लिए सरकार को सभी तथ्य भेजे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रकार की बातें हो रही हैं।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस मिलीभगत का नेटवर्क इतना बड़ा है कि यदि आप इसका विरोध करने की कोशिश करेंगे तो आप उतना ही अलोकप्रिय होंगे। न केवल आप अलोकप्रिय होंगे

अपितु आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में चलते हुए अथवा उस क्षेत्र में यात्रा करते हुए शारीरिक नुकसान की धमकी भी मिलेगी।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि केवल इस संशोधन विधेयक को पारित करने की बात ही न सोचें बल्कि इस पर एक व्यापक परिप्रेक्ष में विचार करें। उन्हें देखना चाहिए कि उनकी तरफ से भा०खा०नि० पर कैसे स्वतंत्र रूप से सतर्कता और निगरानी रखी जा सकती है। ऐसा इसलिए है कि संस्था का नाम भा०खा०नि० स्वयं इस बात की ओर इशारा करता है कि यह खाद्यान्नों का संरक्षक है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक है और जो संकट काल में अत्यावश्यक है। हम और अधिक पैदा कर सकते हैं। हम इसे क्यूबा को दे सकते हैं और हम इसे ईरान को दे सकते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सुधार लायें। परन्तु यदि अपव्यय के नाम पर होने वाली स्टॉक की जालसाजी को नहीं रोका जाता तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक केवल आपको वित्तीय लेखापरीक्षकों के संबंध में अपने निष्कर्ष बता सकते हैं। वे लागत विश्लेषण के संबंध में अपने निष्कर्ष दे सकते हैं। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण है स्टॉक की तिमाही वास्तविक लेखापरीक्षा। मेरा विचार है कि जब तक यह एक स्वतंत्र तंत्र द्वारा नहीं की जाती तब तक कृषि मंत्रालय द्वारा कुछ भी वादा क्यों न किया जाए, चाहे प्रधान मंत्री जी द्वारा खाद्यान्नों की बहुतायत के लिए इस माननीय सभा से कुछ भी वादा क्यों न किया जाए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्टॉक तथा उत्पादन के बीच और देश की आवश्यकता तथा आपूर्ति के बीच कोई समानता नहीं होगी।

अत: इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस संबंध में अपना दिमाग प्रयोग करें और जो भी संभव हो वह करें। उन्हें दलगत भावना से ऊपर उठकर, संबद्धता और यूनियन को ध्यान में न रखते हुए भा०खा०नि० के कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। वे उनके उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं हैं। वे यहां उनकी मदद के लिए हैं। वे माननीय मंत्री जी को कुछ जानकारी भी दे सकते हैं जो कि भा०खा०नि० के भविष्य के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।

इसलिए, मैं पुन: माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस अधिनियम में संशोधन के अतिरिक्त उन्हें इसके साथ-साथ भा०खा०नि० की वास्तविक स्टॉक जांच की स्वतंत्र निगरानी और सतर्कता के बारे में विचार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० बी०बी० रमैया (एलूरू) : सभापति महोदय, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में इस विचार के साथ की गई थी कि किसानों को बेहतर मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर सामान प्राप्त हो।

काफी समय के बाद, हम पाते हैं कि वह उद्देश्य, जिसके लिए हमने अनाज भारत सरकार द्वारा तय मूल्य पर देना शुरू किया था, पूरा नहीं किया जा सका है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई बिचौलिया न हो, को खाद्यान्न की कोई जमाखोरी न कर सके और यह देखना था कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हो, जिसे आवश्यकतानुसार जारी किया जाए और जो वितरण प्रणाली को बेहतर मजबूती प्रदान करे।

आज हम देखते हैं कि भारतीय खाद्य निगम में लगभग 62,000 से 63,000 कर्मचारी हैं और इसकी शाखाएं तथा उप-जोन दूर-दूर तक फैले हुए हैं और कारोबार भी लगभग 33,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। किन्तु दुर्भाग्य से जिस मूल उद्देश्य के साथ यह शुरू किया गया है, वह वास्तव में पूरा नहीं हो सका। भारतीय खाद्य निगम समय पर खरीद केन्द्र कभी नहीं खोलता जब भारत सरकार द्वारा खरीद के समय मूल्य नियत किए जाते हैं और जब मौसम होता है तथा किसानों के पास खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं। बिचौलिए सही समय पर मिलों के लिए खरीद नहीं करते हैं, किन्तु बाद में वे सामने आते हैं और बड़ी मात्रा में खाद्यान्न सीधे किसानों से न खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदे जाते हैं। इसी कारण से किसानों को सही मूल्य नहीं मिल रहा है और बिचौलिए लाभ कमा रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि भंडारण, वितरण और ढुलाई के प्रत्येक चरण पर बहुत ही अकुशलता और भ्रष्टाचार है। यही कारण है कि उन्होंने सतर्कता विभाग को सम्मिलित किया था। मैं सतर्कता विभाग की रिपोर्टें भी देखना चाहूंगा, क्योंकि खाद्यान्न की खरीद और वितरण हेतु कर्मचारियों के अलावा सतर्कता विभाग में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं। हमें देखना है कि क्या वहां अच्छे स्तर की भंडारण सुविधाएं हैं और क्या सूखेपन, लापरवाही और विभिन्न कीटनाशकों अथवा चूहों द्वारा की गई बरबादी जैसे विभिन्न कारणों से खाद्यान्न बेकार हो रहे हैं और हमें इस बरबादी को कम से कम करने के प्रयास करने चाहिए। इसीलिए, मैं पुरजोर आग्रह करता हूं कि अधिनियम की धारा 34 में संशोधन किया जाए और भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के पास लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। जैसाकि लेखापरीक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि उन्होंने उल्लेख किया है कि वे लेखापरीक्षा की मासिक समीक्षा करते हैं। मुझे पता नहीं है कि यह कितने उचित ढंग से की जाती रही है। बाह्य अधिकारियों द्वारा वास्तविक लेखापरीक्षा से इस खाद्य निगम के कार्यनिष्पादन के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें विभिन्न वितरण केन्द्रों को खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्न की किस्म की जांच करनी चाहिए। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों को आपूर्ति के बारे में बताया है। यह देखा जाना चाहिए कि भंडारण केन्द्र ऐसे स्थानों पर हों, जहां से लम्बी दूरी से खाद्यान्न लाने की बजाय बहुत आसानी से खाद्यान्न वितरण किया जा सके। चीनी के मामले में यही होता है। वे उत्पादन केन्द्र से कुछ अन्य लंबी दूरी के स्थानों में वितरण करते हैं। वे ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा दी गई राजसहायता के बावजूद भार उसमें जोड़ा जाए तथा और अधिक राजसहायता प्राप्त हो। ऐसा योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में अकुशलता के कारण होता है।

[डा० बी०बी० रमैया]

बीजों के मामले में, हमें देखना होगा कि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और खाद्य निगम किस प्रकार मिलकर कार्य कर रहे हैं और गेहूं तथा चावल जैसी विभिन्न फसलों के अलग-अलग प्रकार के भंडारण के लिए वास्तव में कितनी सहायता दे रहे हैं और कृषि से संबंधित कुछ उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उचित भंडारण के लिए क्या कर रहे हैं। हमें सभी कार्यों का सही आंकलन करने में समर्थ होना चाहिए और उसके बाद ही, जिस उद्देश्य से यह संशोधन लाया गया है, उसको पूरा कर पाएंगे।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे पिछले वर्ष नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से लेखापरीक्षकों का पैनल प्राप्त नहीं कर पाए थे।

मैं नहीं जानता कि वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा पैनल भेजा जाता है और इस पैनल में से उन्हें सबसे अच्छा लेखापरीक्षक चुनना होता है। वैसे भी, मेरे विचार से नियत्रंक और महालेखापरीक्षक इसको लेखापरीक्षा सीधे चयनित व्यक्तियों से करवायेंगे और रिपोर्ट सभा तथा सरकार के समक्ष आएगी। केवल तभी इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में, सरकार की ओर से इसकी बहुत अधिक निगरानी की आवश्यकता है कि क्या खाद्य निगम से किसान को उचित मूल्य मिल रहा है और क्या बिचौलिए सारा स्टॉक खरीद रहे हैं। जब तक हम इन बातों को नहीं जानेंगे, तब तक जिस उद्देश्य के लिए खाद्य निगम का गठन हुआ था, उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। अतएव, नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 34 के लिए सुझाए गए संशोधनों का समर्थन करता हूं। मेरा सुझाव है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को अपने लेखापरीक्षकों द्वारा स्वंतत्र लेखापरीक्षा कराने के लिए पूरी शक्तियां दी जाएं और रिपोर्ट को सभा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह संशोधन विधेयक सीमित उद्देश्य के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम को अधिक जवाबदेह बनाना है।

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अनुसार लेखापरीक्षा की विद्यमान प्रणाली धारा 34 में दी गई है जो निम्नवत है :

> "खाद्य निगम समुचित लेखे और अन्य संबंधित रिकार्ड रखेगा और लाभ तथा हानि लेखा और तुलनपत्र सहित वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।"

इसमें आगे दिया गया है :

> "खाद्य निगम के लेखे की ऐसे लेखापरीक्षकों, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अंतर्गत कंपनियों की लेखापरीक्षा करने के लिए विधिवत अर्हता प्राप्त है, द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।"

अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यही प्रचलन है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा यही प्रणाली अपनाई जा रही है। अब भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की लेखापरीक्षा के संबंध में विद्यमान धारा को बदलने के लिए उस धारा में संशोधन लाने का प्रस्ताव किया है।

संशोधन करने वाले विधेयक की धारा 34(2) के अनुसार :

> "खाद्य निगम के लेखे की भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जाएगी ।"

अब भारतीय खाद्य निगम द्वारा चयनित लेखापरीक्षकों के बजाए, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक सीधे भारतीय खाद्य निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा। मैं भी संशोधन करने वाले विधेयक की धारा 34(3) के संबंध में श्री अनादि साहू द्वारा उठाए गए मुद्दे से सहमत हूं। इसमें बताया गया है :

> "खाद्य निगम के लेखे की लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पास है ।"

यहां यह उल्लेख क्यों किया गया है, जैसे खाद्य निगम के लेखे की लेखापरीक्षा के संबंध में और उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ? इसे केवल नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तक सीमित क्यों नहीं किया गया है ? खाद्य निगम अधिनियम के विद्यमान उपबंध में संशोधन करते समय यहां इस धारा को क्यों जोड़ा गया है ?

मैं इस कानून का समर्थन करता हूं, क्योंकि विद्यमान उपबंध के अनुसार, लेखापरीक्षा की विविधता है और सरकार इसे कम करके एक लेखापरीक्षा प्रणाली बनाना चाहती है। भारतीय खाद्य निगम 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के द्वारा स्थापित किया गया था।

यह संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के उद्देश्य क्या थे ? भारतीय खाद्य निगम प्रभावी मूल्य समर्थन प्रणाली और किसानों के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। भारतीय खाद्य निगम का यह प्रमुख उद्देश्य था। इसका दूसरा उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भारत सरकार की अन्य योजनाओं हेतु पूरे देश में खाद्यान्न वितरित करना है। तीसरा उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न का संतोषजनक स्तर तक बफर स्टॉक बनाए रखना है।

ये तीन उद्देश्य हैं, जिनके लिए भारतीय खाद्य निगम की 1965 में स्थापना की गई थी। हमने यह जांच करना है कि क्या भारतीय खाद्य निगम ने ये उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं।

आज, हमारे देश में 1600 से भी ज्यादा गोदाम हैं। यहां दो तरह के गोदाम हैं। एक बंद गोदाम है और दूसरा सी०ए०पी० गोदाम है। भारतीय खाद्य निगम ने गोदाम किराये पर भी लिए हैं। किराये पर लिए गए गोदामों की संख्या भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों की संख्या से अधिक है। भारतीय खाद्य निगम के पास 531 बंद गोदाम हैं। इसने 810 गोदामों को किराये पर लिया हुआ है। इसके पास अपने 213, सी०ए०पी० गोदाम हैं और इसने 124 सी०ए०पी०

गोदामों को किराये पर लिया हुआ है। इस प्रकार, कुल सी०ए०पी० गोदामों की संख्या 337 है और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की संख्या 1678 है।

अतएव, हमने खाद्यान्नों के भंडारण के लिए पर्याप्त क्षमता पैदा की है। किन्तु, समस्या यह है कि बड़ी मात्रा में खाद्यान्न दो से पांच वर्षों से गोदामों में पड़े हुए हैं। दो से पांच वर्षों तक गोदामों में पड़ा हुआ गेहूं 29,08,587 टन है तथा गोदामों में पड़ा चावल 67,06,612 टन है। इसलिए दो से पांच वर्ष तक विभिन्न गोदामों में पड़े हुए खाद्यान्नों की कुल मात्रा 96 लाख टन से अधिक होगी। यदि ऐसे खाद्यान्न दो से पांच वर्षों तक गोदामों में पड़ा रहता है तो खाद्यान्नों की गुणवत्ता क्या होगी ? क्या यह मानवों के खाने के योग्य रहेगा ? खाद्यान्नों के 31 मिलियन टन के बफर स्टाक, जो आज हमारे विभिन्न गोदामों में हैं, में से पर्याप्त खाद्यान्न पांच वर्षों से अधिक समय से गोदामों में पड़ा है। तीन या पांच वर्षों से अधिक समय से गोदामों में खाद्यान्न क्यों पड़ा हुआ है ?

भारतीय खाद्य निगम हमारी आवश्यकता से अधिक बफर स्टाक क्यों रखता है ? हम इस बात से सहमत हैं कि हमें अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टाक रखना चाहिए किन्तु कुछ न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए। चूंकि खाद्यान्न तीन या चार या पांच वर्षों से अधिक समय से पड़ा हुआ है भंडारण की संचालन लागत और अन्य लागत बढ़ जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लाभ हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राजसहायता वस्तुत: खाद्यान्नों के भंडारण और कुप्रबन्धन पर खर्च हो जाती है। भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसके बारे में विभिन्न समितियों द्वारा बताया गया है। इस संगठन में न केवल भ्रष्टाचार है बल्कि कुप्रबन्धन भी है। उठाने-धरने वाले ठेकेदार उच्च दरों पर लगाये जाते हैं। प्रबंधकीय स्तर के लोग जैसे जिला प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक, जोनल प्रबंधक आदि ठेकेदारों के साथ मिले हुए हैं। वे विभिन्न भ्रष्ट प्रक्रियायें अपनाते हैं। भारतीय खाद्य निगम में ठेका व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव था। 631 गोदामों में से, 50 प्रतिशत गोदामों में सीधे भुगतान व्यवस्था पहले से ही शुरू की गयी है। जब संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, माननीय सभापति, जब आप खाद्य मंत्री थे, किसी हद तक व्यय तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सभी गोदामों में सीधे भुगतान व्यवस्था प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया था। खाद्यान्न की देखभाल करने के लिए ठेका व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए तथा सीधे भुगतान व्यवस्था को प्रारम्भ किया जाना चाहिए। यदि भारतीय खाद्य निगम में सीधे भुगतान व्यवस्था प्रारम्भ की जाती है तो संचालन लागत और परिवहन लागत में किस हद तक कमी लायी जा सकेगी तथा उस भार को, जो अब सरकार इस देश के गरीब लोगों पर डालना चाहती है, कम किया जा सकेगा।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम अभी भी आई०एल०ओ० समझौते का उल्लंघन कर रहा है। देखभाल करने वाले कामगारों को 50 किलो वजन से अधिक वजन की बोरी उठानी पड़ती है। कभी-कभी उन्हें लगभग एक क्वंटल भार की बोरियां भी उठानी पड़ती हैं। आई०एल०ओ० समझौते के अनुसार कामगारों को 50 किलो भार से अधिक भार उठाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

अपराह्न 6.00 बजे

भारतीय खाद्य निगम में कामगारों को अभी भी 50 किलो से अधिक खाद्यान्न उठाना पड़ता है। इस प्रकार, आई०एल०ओ० समझौते जिसे भारत सरकार ने अनुमोदित भी किया है, का उल्लंघन किया जा रहा है। भारत सरकार ने क्या नीति अपनायी है ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं केवल दस मिनट बोला हूं। मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं अपना भाषण कल भी जारी रखूंगा।

[हिन्दी]

मुझे कुछ और मुद्दे उठाने हैं। मैं इस पर कल बोलूंगा।

सभापति महोदय : सभा की सहमति थी कि शूगर केन वाला बिल पास होने तक बैठेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : इस बिल को आज कैसे पास करेंगे ? अब तो छ: बज गए हैं। इसे कल पास करिए।

सभापति महोदय : सभा की सहमति हो गई थी।

मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, यह आज समाप्त होना चाहिए। आप इसमें थोड़ा कम करा दें और थोड़ा हम अपनी तरफ से कम कर देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : यह आज कैसे खत्म होगा ? आप इसे कल करा दें।

सभापति महोदय : पहले सहमति हो चुकी है कि इसे आज खत्म करना है।

श्री बसुदेव आचार्य : सहमति कब हुई है मैं तो सुबह से यहां बैठा हूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : इस बात पर सहमति हुई थी कि तीनों बिल ले लिए जाएंगे लेकिन यह किसी भी हालत में सम्भव नहीं है। इस बिल के समाप्त होने के बाद शूगरकेन वाला छोटा बिल है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसे ले लिया जाए और बाकी दो बिल कल ले लिए जाएं।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, सदन की सहमति हो चुकी है कि जब तक खाद्य निगम विधेयक और गन्ना नियंत्रण निरसन विधेयक पारित नहीं हो जाते तब तक हाउस बैठेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : कब सहमति हुई है ? मैं तो सुबह से यहां बैठा हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह राजसहायता पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। पिछले वर्ष यह 9000 करोड़ रुपए से अधिक थी। इस वर्ष इसे 8350 करोड़ रुपए तक कम कर

[श्री बसुदेव आचार्य]

दिया गया है। क्या केवल हमारा देश ही ऐसा देश है जो राजसहायता पर खर्च कर रहा है ? अनेक विकासशील देश हैं यहां तक कि विकसित देश भी हैं, जो भारत सरकार से अधिक राजसहायता पर खर्च कर रहे हैं। 8000 करोड़ रुपए की राजसहायता की तुलना में भारत सरकार का गैर-योजनागत व्यय 2,50,000 करोड़ रुपए है। भारत सरकार अपने 35 करोड़ लोगों के लिए राजसहायता पर खर्च कर रही है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, खाद्य के लिए राजसहायता का प्रतिशत क्या है ? यह केवल 0.64 प्रतिशत है। यह अनेक विकसित देशों द्वारा खर्च की गयी राशि से बहुत कम है।

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, यह बिल से संबंधित बात नहीं कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह प्रासंगिक मामला ही है। हम भारतीय खाद्य निगम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण के लिए स्थापित किया गया था तथा भारत सरकार इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बर्बाद करने पर तुली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारम्भ करने का क्या उद्देश्य था ? इसका उद्देश्य हमारे देश के लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। इसीलिए, भारत सरकार को खाद्यान्न के लिए राजसहायता देनी होगी। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बर्बाद कर दिया जाता है तो भारतीय खाद्य निगम की क्या आवश्यकता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। बिन्दु भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के बजाय इसे बर्बाद करना चाहती है।

मूल्य वृद्धि पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने नीति का उल्लेख किया था जिसे संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा अपनाया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में उस समय क्या बताया गया था ? महोदय, खाद्य और पोषण संरक्षा को नौवीं योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य माना गया था।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : सभापति महोदय, आनरेबल मैम्बर बहुत देर से बोल रहे हैं, आपने तीन दफा कन्कलूड करने के लिये कहा, लेकिन नो एक्शन। ये सुन नहीं रहे हैं। ऐसा क्या है कि एक जूनियर के साथ ट्रीटमैंट अलग हो और सीनियर के साथ ट्रीटमैंट अलग हो।

सभापति महोदय : ठीक है, आचार्य जी, जब आपका भाषण समाप्त हुआ। श्री बी०सी० खंडूरी।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। महोदय, हमारे लोगों की खाद्य संरक्षा का क्या होगा ? यह हमारे देश के लोगों की चिन्ता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे उस नीति पर पुन: विचार करें जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के साथ-साथ गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न का मूल्य बढ़ाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सरकार द्वारा अपनायी गयी है। सरकार को इस निर्णय पर पुन: विचार करना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार और कुप्रबन्धन, जो भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त है, पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा भारतीय खाद्य निगम के समग्र स्टाक की वास्तविक लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए। वित्तीय लेखा-परीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित है। भारतीय खाद्य निगम की कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। किन्तु खाद्य स्टाक भी आकलन करने के लिए भी वास्तविक लेखा-परीक्षा आवश्यक है, जो भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में मौजूद है।

महोदय, सरकार को भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत को कम करने का भी प्रयास करना चाहिए। इसे विलम्ब प्रभारों और नुकसान को भी कम करना चाहिए जो कि देश के लोगों पर भार डाल रहा है। सरकार को भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत को कम करके इसके कार्यकरण में सुधार करने का प्रयास भी करना चाहिए।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह खुशी की बात है कि इस सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिये, उसे चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये और उसमें जो फिजूलखर्ची हो रही है, उसे कम करने के लिये पहल शुरू की है। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस प्रक्रिया को वे आगे चलायेंगे। भारतीय खाद्य निगम 1964 में गठित हुआ था, उसके कुछ समय के पश्चात् उसमें कमियां आनी शुरू हुई थीं, जिन्हें माननीय मंत्री जी दूर करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उन से आशा करता हूं। यह अच्छी बात है कि दो एजेन्सीज़ के बदले सी०ए०जी० को ही एफ०सी०आई० का लेखा जोखा देखने का कार्य सौंपा गया है। सी०ए०जी० का अकाउंटिंग सिस्टम और मॉनीटरिंग भी अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम एक बहुत बड़ी संस्था है और आज जिस प्रकार से हमारे खाद्यान्न का स्टॉक बढ़ा है, उसकी वजह से उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ी हैं।

अपराह्न 6.10 बजे

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन हुए*]

उसी वजह से उसके अंदर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के अलावा इनएफिशियेन्सी भी आई है। इस तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। सी०ए०जी० कब ऑडिट शुरू करेंगे, लेकिन इतने लंबे समय से जो कमियां आ गई हैं, उनको एक ही बार सी०ए०जी० दूर कर सकेगी

– इसमें मुझे शंका है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब सी०ए०जी० के पास पूरा काम चला जाए तो एक स्पेशल ऑडिट टीम शुरू में भेजें और भारतीय खाद्य निगम का इस प्रकार से ऑडिट किया जाए कि उसका आज तक का लेखा जोखा देखा जा सके और क्लीन स्लेट पर काम शुरू करें ताकि सी०ए०जी० अपनी जिम्मेदारियां लेने से पहले पुरानी कमियां दूर कर सके।

सभापति महोदय, बसुदेव आचार्य जी ने बहुत सारी बातें कही हैं और आंकड़े भी दिये हैं, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं। भारतीय खाद्य निगम की जो छवि है, वह अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार का व्यापक आरोप उन पर लगता है। मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं जहां खाद्य निगम द्वारा शत प्रतिशत अनाज भेजा जाता है क्योंकि वहां खाद्यान्न बहुत कम होता है। 1991 में जब मैं पहली बार संसद सदस्य निर्वाचित होकर यहां आया था तब से मैं बार-बार इस बात को उठाता रहा हूं कि भारतीय खाद्य निगम और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं द्वारा जो खाद्यान्न दिया जाता है, वह बहुत खराब किस्म का होता है। मैंने इसी सदन के अंदर एक नमूना पेश किया था जो भारतीय खाद्य निगम ने मेरे क्षेत्र में सप्लाई किया था। उसमें पत्थर, कंकड़, मिट्टी के ढेले और सब प्रकार का कचरा था। इस गलत व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है।

वर्तमान परिस्थितियों में जब ए०पी०एल० और बी०पी०एल० का कन्सेप्ट शुरू किया गया तो उसमें भी खाद्यान्न की व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही हैं और अव्यवस्था तथा व्यापक भ्रष्टाचार के कारण खाद्यान्न लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है – यह चिन्ता की बात है। खाद्यान्न का वजन भी कम होता है। साधारण अनुभव है कि सौ किलो की बोरी होगी तो पांच-सात किलो कम अनाज उसमें होता है। इस बात को बार-बार उठाया गया है। एफ०सी०आई० वाले कहते हैं कि हमारी तरफ से ठीक सामान जाता है लेकिन प्रदेशों में कम होता है। एक दूसरे पर बात उछालना ठीक नहीं है। अंततोगत्वा राशन की दुकान पर जब माल जाता है तो कोई दुकानदार अपनी तरफ से उपभोक्ताओं को सामान ज्यादा नहीं देगा और इसलिए वह उपभोक्ताओं को कम अनाज तोलकर देता है। इससे भी व्यापक अव्यवस्था फैल रही है। इसे भी मंत्री जी को विस्तार से देखना चाहिए कि खाद्यान्न का वजन ठीक हो और उसमें कूड़ा-करकट न हो। जब एफ०सी०आई० प्रदेश सरकारों को माल दे रही है तो उस समय सरप्राइज चैक किये जाएं, छापे डाले जाएं और दोषी लोग पकड़े जाएं जिससे जनता में अच्छा संदेश जाए।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मूल बात पर आ रहा हूं। जब आज हमने खाद्यान्न के विषय में ए०पी०एल० और बी०पी०एल० की व्यवस्था की है और हमारे पास ईश्वर की कृपा से, मानसून की कृपा से और किसानों की मेहनत से खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना रिजर्व स्टाक इमरजेन्सी का हमने रखना है। बसुदेव जी ने जो कहा है वह सच है कि पांच साल से पुराना खाद्यान्न गोदामों में सड़ रहा है जो अब जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। इसलिए आज जो व्यवस्था बन गई है, उसे मंत्री जी विस्तार से देखें और एफ०सी०आई० की डाउनसाइजिंग के लिए व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी, अपव्यय की दृष्टि से भी और उपभोक्ताओं को अच्छा माल मिले, उसमें गड़बड़ी न हो, इसके लिए एक अलग से जांच कमेटी बनाई जाए और उसे दृष्टिकोण से देखा जाए कि एफ०सी०आई० को कैसे इमरजेन्सी स्टॉक होल्डिंग ऐजेन्सी के रूप में बनाया जाए।

सभापति महोदय, यह इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा खाद्यान्न है और उसे हमें कहीं इकट्ठा करना है और किसानों से लेकर उसे सड़ा दें, ऐसा न करें। उससे अच्छा है हम किसान को ज्यादा दें और उन्हें और किसी किस्म की छूट दे दें। यह अच्छा नहीं कि किसानों से अन्न लेकर उसे हम टारपोलिन के नीचे रखें और इस प्रकार से लाखों टन अन्न को खराब होने के लिए छोड़ दें, यह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, हमारे खाद्यान्न मंत्री जी बहुत योग्य और अनुभवी मंत्री हैं। वे इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया में भ्रष्टाचार रुके और केवल भ्रष्टाचार ही नहीं रुके, बल्कि उसकी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सुधार अवश्य होगा।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि मुझे बोलने हेतु समय देने के लिए मैं आपका करता हूं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने भारतीय खाद्य निगम एक्ट में जो संशोधन लाने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया है यह अच्छा कदम है। सन् 1997 में स्टाक की छानबीन हुई थी। एफ०सी०आई० में अनाज की जो मात्रा बताई गई और जांच करने के बाद सरकार ने जो रिपोर्ट दी, उसमें लाखों लाख टन का फर्क था। इस दृष्टि से उसी समय सरकार ने फैसला लिया कि सी०ए०जी० इसके स्टॉक की जांच करे क्योंकि स्टॉक और वास्तविक स्थिति में बहुत फर्क था। उसके बाद हम नहीं मानते हैं कि सी०ए०जी० ने क्या रिपोर्ट दी, या रिपोर्ट नहीं दी, यह तो मंत्री जी अपने उत्तर में बताएंगे, लेकिन मंत्री जी ने यह बहुत अच्छी किया कि एफ०सी०आई० के स्टॉक की जांच सी०ए०जी० अथवा सी०ए०जी० द्वारा नामित किसी व्यक्ति से कराने का संशोधन विधेयक पेश किया है, क्योंकि सी०ए०जी० को बहुत काम रहता है इसलिए उनकी ओर से कोई और जांच करे और वह साल के साल, महीने के महीने जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। यह बहुत अच्छा कदम है।

सभापति महोदय, एफ०सी०आई० का काम था – फूड प्रक्योरमेंट, फूड स्टोरेज और उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार से उसे ये तीन कार्य करने थे। किसानों को मिनीमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए, उनका अनाज उचित कीमत पर बिक जाए, अनाज का देश के विभिन्न भागों में सही प्रकार से भंडारण और रख-रखाव हो जाए, पी०डी०एस० में मूल्य नियंत्रण हेतु अन्न उपलब्ध हो जाए, डैफीसिट स्टेट में अनावश्यक रूप से प्राइस राइज न हो और देश के प्रत्येक हिस्से में पी०डी०एस० के माध्यम से अनाज का ठीक प्रकार से वितरण हो सके, यह प्रबन्ध करना भी उसका कार्य था।

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने जो राय व्यक्त की है उससे यह बात साफ उभर कर सामने आई कि एफ०सी०आई० में बड़ा भारी मिसमैनेजमेंट है, करप्शन और गड़बड़ी है। जिस समय जांच हुई उस समय मालूम पड़ा कि तीन वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का चावल भंडारों में रखा हुआ है। उसमें कुछ पांच साल, कुछ सात साल, कुछ 10 साल और कुछ 12 साल पुराना था। एफ०सी०आई० का एक सिद्धान्त है "फी-फो" यानी फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। अर्थात जो अन्न पहले आएगा वह अन्न गोदाम से पहले बाहर जाएगा। जब नौ लाख टन अनाज 5 से 12 साल पुराना स्टोर में पाया जाए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि फी-फो सिद्धान्त लागू नहीं हो रहा है और वहां सब गड़बड़ है।

सभापति महोदय, मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि 10-10 और 15-15 वर्ष तक लाखों टन खाद एफ०सी०आई० के गोदामों में रखा-रखा बर्बाद हो गया, लाखों टन चीनी एफ०सी०आई० के गोदामों में वर्षों तक रखी-रखी बर्बाद हो गई। चीनी के कट्टे देखने से ऐसे लगते थे जैसे उन्हें किसी ने अलकतरा से पोत दिया हो क्योंकि वर्षों तक चीनी पड़ी रही, सब बर्बाद हो गई। चीनी भी एफ०सी०आई० के गोदामों में पड़ी हुई है। देखने से, वहां चीनी के बोरे ऐसे लगते हैं जैसे वे काली कतरी में पोती हुई हों। हजारों टन चीनी कन्ज्यूमेबल नहीं है। इस तरह से वहां बर्बादी हो रही है। मेरा कहना है कि एफ०सी०आई० के गोदामों की बहुत भयानक स्थिति है, चाहे वह अनाज हो, गेहूं हो, चीनी हो या चावल हो। कहीं-कहीं हमने देखा कि चीनी लिक्विड हो गयी तो उसे ड्रम में रखा हुआ है। इस तरह किसानों का अनाज बर्बाद होता है। किसानों से अनाज खरीद लिया जाता है लेकिन एफ०सी०आई० के गोदामें में उनकी बर्बादी होती है। एफ०सी०आई० के गोदामों में पहले खाद भी रखी जाती थी लेकिन अब वह प्रावधान नहीं है। खाद वहां वैसी ही पड़ी रहती थी और मिट्टी हो जाती थी। वहां जिस तरह का मैनेजमैंट है, उसमें सुधार की आवश्यकता है।

आपने दो परसेंट लॉस के लिए प्रावधान रखा है। जितना अनाज है, यदि उसका दो परसेंट लॉस लगायें तो वह कितना होता है – इसका आप हिसाब लगायें। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लॉस वगैरह भी है। यह सब लॉसेस कैसे होते हैं, इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5 रुपये 80 पैसे रखा है। आपने दावा किया है कि बड़े किसान का दाम हमने बढ़ा दिया इसलिए यह 5 रुपये 80 पैसे किया है, जो पहले यह 5 रुपये 55 पैसे था। आपने 5 रुपये 55 पैसे की इकोनोमिक कॉस्ट 9 रुपये बताई है। मैं कभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इसको मानने का सवाल ही नहीं है कि 5 रुपये 55 पैसे वाले गेहूं की इकोनोमिक कॉस्ट 9 रुपये है, या 5 रुपये 80 पैसे वाले गेहूं की इकोनोमिक कॉस्ट भी 9 रुपये है – वह डेढ़ गुणा से ज्यादा है। एक किलो में आपने 3 रुपये 20 पैसे उसके रख-रखाव का दाम ले लिया – इसमें क्या इकोनोमिक कॉस्ट है, क्या मैनेजमैंट है ? इस तरह से हर कॉस्ट डेढ़ गुणा हो जाती है।

इसी तरह आपने ये भी दावा किया कि हम गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। आप किसलिए लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं। 5 रुपये 80 पैसे तो सरकारी दाम है लेकिन जहां परचेजिंग सैंटर नहीं है वहां पर किसान गेहूं साढ़े पांच रुपये किलो बेचने को मजबूर है। मुफसिल बाजार में 6 रुपये से ज्यादा गेहूं का दाम नहीं है। दिल्ली और बड़ी-बड़ी जगहों पर गेहूं का दाम 7 रुपये किलो आपके कागजों में होगा।

इन्होंने यह भी कहा कि हम संयुक्त मोर्चे की सरकार का अनुकरण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार की तरह कलेजा चौड़ा करके, दिमाग बड़ा करके गरीबों का उद्धार करने की आपकी औकात नहीं है। आपने मिसलीड किया है, आप गुमराह करते हैं। जो अनाज ढाई रुपये प्रति किलो दिया जाता था, उसके आपने 100 गुणा दाम बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आया है कि 100 गुणा दाम बढ़ाए गए हों। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 2, 5, 10 या 15 परसेंट बढ़ा सकते थे लेकिन आपने 100 गुणा दाम बढ़ा दिया। आपने कांग्रेस सरकार की आलोचना की कि उन्होंने दाम बढ़ा दिये लेकिन कहां इतना ज्यादा दाम बढ़ाया गया। अपने ढाई रुपये का 5 रुपये कर दिया। आपको तो यह कहना चाहिए था कि हम ए०पी०एल० वालों को अनाज नहीं देंगे। आप कहते हैं कि ए०पी०एल० वालों की इकोनोमिक कॉस्ट 9 रुपये है लेकिन उसको 90 फीसदी दिया जाये। आपने 9 रुपये इकोनोमिक कॉस्ट बढ़ा दी जो उचित नहीं है। यह गलत है। आप ए०पी०एल० वालों को 10 परसेंट घटाकर 90 परसेंट दे देते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बाजार में 6 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है, ए०पी०एल० वालों के लिए आपने 9 रुपये किलो भाव रखा। इसके मायने आपने ए०पी०एल० वालों को इंकार किया।

जब सरकार के घर में 9.00 रुपये का भाव है तो व्यापारी क्यों कहेगा कि हम 9.00 रुपये से कम में बचेंगे। मार्किट फोर्स के चलते वह आज 6.00 रुपये में बिक रहा है। जहां परचेजिंग सैंटर नहीं है वहां दाम कम है। इतना भारी अंधेर हो रहा है कि आपने दाम दुगना कर दिया और कहते हैं कि गरीब आदमी को अनाज दे रहे हैं। जब आपने 100 प्रतिशत दाम बढ़ा दिए तो 100 प्रतिशत मात्रा भी बढ़ा दीजिए। गरीब के घर में अनाज जा रहा है और उसके 8.00 रुपये, 9.00 रुपये, 10.00 रुपये दाम हो जाएंगे। सरकारी गल्ले की दुकान में गरीब आदमी क्यों जाएगा। आप लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं कि हमने इतने रुपये का लाभ पहुंचा दिया। आपने गलत काम किया है। आपने इस साल 5.80 रुपये प्रति किलो की दर पर गेहूं खरीदा लेकिन वह तो 5.55 रुपये का खरीदा हुआ है। उससे भी पहले अनाज 5.25 रुपये प्रति किलो खरीदा होगा जिसे आप 5.00 रुपये में दे रहे हैं। इस खरीद मूल्य में कहीं 25 पैसे तो कहीं 30 पैसे की सबसिडी लग रही है। सबसिडी का सारा खर्च एफ०सी०आई० की मिसमैनेजमैंट, चोरी, गड़बड़ी पर जा रहा है और आप दावा करते हैं कि हम गरीब आदमी को सबसिडी दे रहे हैं। यह गलत बयानी बंद होनी चाहिए। आप गरीब आदमी के नाम पर, अपनी मिसमैनेजमैंट और मिसहैंडलिंग को छिपाते हैं। सही बात को सही कहना चाहिए क्योंकि उसे 5.85 रुपये का सामान 5.00 रुपये में मिल रहा है। यदि इस साल का ही रेट मान लें तो 85 पैसे की

सबसिडी हुई। आप हिसाब जोड़ लीजिए कि 85 पैसे सबसिडी से 6 करोड़ परिवारों पर कितना पैसा लगा। आपने ए०पी०एल० के रेट 9.00 रुपये कर दिए, आप कहिए कि हम ए०पी०एल० को नहीं देंगे, हमारी हैसियत नहीं है। चीनी की कीमत बढ़ा दी, चावल की कीमत भी दुगनी की – आप कहिए के हम ए०पी०एल० को देने में सक्षम नहीं हैं। आप एफ०सी०आई० की सबसिडी गरीब आदमी पर क्यों जोड़ना चाहते हैं। एफ०सी०आई० सफेद हाथी है और उसका कारोबार चौपट है, उसमें अनाज की बर्बादी ज्यादा है, रख-रखाव ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन में लूट है, चोरी है। वह सारा गरीब आदमी के माथे पर मढ़ रहे हैं और कहते हैं कि सबसिडी लग रही है, हम इतनी सबसिडी नहीं दे सकते, इससे देश कंगाल हो जाएगा। गरीब आदमी के हितों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत कीजिए।

अपराह्न 6.28 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

कभी 100 प्रतिशत दाम बढ़ा हो, ऐसा नहीं सुना गया कि पहले ही कीमत से सौ गुना ज्यादा दाम चावल या गेहूं का कर दिया गया हो। गरीब आदमी के साथ यह सरकार बहुत अन्याय कर रही है। अपनी सारी गड़बड़ी, अक्षमता और कुव्यवस्था का कसूर गरीब आदमी के सिर पर मढ़ा जा रहा है। आप कहते हैं कि गरीब आदमी को 8000 करोड़ रुपये की सबसिडी दी, मैं 9.00 रुपये की इकोनौमिक कॉस्ट को चुनौती देता हूं। आप कैसे साबित करेंगे कि 5.85 रुपये की खरीद की गई चीज की 9.00 रुपये इकोनौमिक कॉस्ट हो जाएगी। क्या ऐसा कहीं हुआ है या हो सकता है ? व्यापारी 9.00 रुपये में बाजार में क्यों नहीं बेचता। आप देश और गरीब आदमी के लिए व्यापारी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। व्यापारियों पर मुनाफाखोरी का आरोप लगता है। मुनाफाखोरी के लिए कानून बना है और जब ये 5.85 रुपये की चीज को 9.00 रुपये में बेचेंगे तो ये मुनाफाखोर कैसे नहीं है – ये साबित करके बताएं। खरीद से डेढ़ गुना दाम पर क्या दुनिया के किसी भी बाजार में कहीं सामान बिकता है – यह मुनाफाखोरी है। माननीय मंत्री जी ने लेख लिखा है – जन वितरण प्रणाली केवल गरीब के लिए है और टी०पी०डी०एस० उसका हैडिंग है। यह नवभारत टाइम्स में छपा है। यह भी आपने गलत कहा कि 1991 की जनगणना के हिसाब से हिन्दुस्तान में अनुमान लगाया गया था कि 16 करोड़ परिवार थे, अभी 20 करोड़ परिवार होंगे। छः करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे माने गये थे, वे आठ करोड़ परिवार होंगे। दो करोड़ परिवारों के लिए सरकार है, गांव में जाने से पता चलता है कि हमारा लाल कार्ड नहीं मिला, हमारा गरीबी की रेखा से नीचे वालों में नाम नहीं है, नाम छूटा हुआ है। सभी पक्षों के माननीय सदस्य गांव-गांव में जाते होंगे, उनको जानकारी होगी, इसलिए दो करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सरकार नहीं है, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। उनके लिए प्रावधान क्यों नहीं करते। सन् 1991 में जनगणना के हिसाब से सन् 2000 तक, नौ वर्षों में दो परसेंट आबादी बढ़ी है, जबकि गरीब की आबादी और ज्यादा बढ़ती है। उन दो करोड़ परिवारों को लाल कार्ड नहीं मिला, उनका बी०पी०एल० में नाम नहीं है। दूसरे अगर 6000 रुपये की आमदनी पर ईयर हो तो उसको बी०पी०एल० माना गया। अगर 6200 रुपये की आमदनी हो, 6500 रुपये की आमदनी हो, 7000 रुपये की आमदनी हो तो वह धनी है। वह टाटा-बिड़ला है, उसको आपने ए०पी०एल० में रखा है। जो बी०पी०एल० को नियरेस्ट से क्रास करता है, मार्जिनल है, 6200 रुपये, 6500 रुपये, 7000 रुपये, 8000 रुपये, 9000 रुपये, दस हजार रुपये साल में आमदनी करने वाला आदमी है, वह भी गरीब है। ठीक है कि फार्मूले के हिसाब से वह बी०पी०एल० में नहीं आया, लेकिन जो बी०पी०एल० के एकदम पास है, उसके लिए आप नहीं हैं। उसको आपने कहा कि तुमको हम नौ रुपये किलो अनाज देंगे, छः रुपये किलो बाजार में और नौ रुपये किलो सरकार में। ऐसा अंधेर न सुना गया, न देखा गया। वह कौन सा अर्थशास्त्र है, कौन सा अर्थमैटिक है, कौन हिसाब जोड़ा जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इतना अनाज हम गरीब के घर में दे रहे हैं, आप यह कह रहे हैं, यह पाखंड बन्द होना चाहिए और अपनी कुव्यवस्था और गड़बड़ी को गरीब के माथे पर नहीं थोपा जाना चाहिए। गरीबी की रेखा से नीचे के गरीब को आप अनाज नहीं दे सकते, आप कहते हैं कि यह सब्सिडी की फिलोसोफी है, आरक्षण की फिलोसोफी है। इस देश में हजारों वर्ष से छुआछूत, भेदभाव, ऊंच-नीच का भेद रहा, इसीलिए कांस्टीट्यूशन में आरक्षण दिया गया। उसी तरह से इस कुव्यवस्था में, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिन्हें भरपेट अनाज नहीं मिलता, जिन्हें देह पर पहनने लायक कपड़ा नहीं है, जिनके पास रहने लायक मकान नहीं है, उनके घर में अगर पढ़ाई लायक कोई बच्चा है तो उसका प्रबन्ध नहीं है, जिनके लिए दवाई का प्रबन्ध नहीं है, अगर घर में कोई बीमार पड़े तो उनको काम ही नहीं मिले। इस तरह के लोग गरीबी की रेखा के नीचे कहे जाते हैं। उनकी जमीन भी रहन रखने की बात हुई, लेकिन उसका पर्चा भी नहीं है। उस तरह का जो गरीब है, जो मेहनतकश है, जिसका हिन्दुस्तान को बनाने में योगदान है। उसके मेहनत करने से देश चलता है, उसके मेहनत करने से अनाज पैदा होता है, उसकी मेहनत से कारखाना चलता है, उस मेहनतकश के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहे हैं कि भारी बोझ पड़ गया और हम गरीब को मार कर फिजीकल डेफीसिट सधा रहे हैं, यह नहीं चलने वाला है और इसीलिए मैं फिर से यह अपेक्षा करता हूं कि गरीब के लिए सरकार कुछ करे और गरीब के साथ धोखा-धड़ी बन्द करे, गरीब के साथ जुल्म बन्द करे, अत्याचार बन्द करे। उसको 10-20 किलो अनाज सस्ते दाम पर दिया जा रहा था, उसके 100 परसेंट दाम बढ़ाये। ऐसा अंधेर सहन करने लायक नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, ये जो संशोधन लाये हैं, उसमें और सुधार की जरूरत है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : यह एफ०सी०आई० का ऑडिट करने के लिए बिल लाये हैं।

श्री खारवेल स्वाईं : आप हाउस में ध्वनि प्रदूषण के लिए कुछ कीजिए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किये गये खाद्य निगम संशोधन विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

[प्रो० रासा सिंह रावत]

यह बिल बहुत छोटी सी बात के लिए है कि एकाउण्ट्स के अन्दर थोड़ी सरलता आ जाये और अब तक जो डबल-डबल काम होता था कि पहले निगम के ऑडिटर्स के द्वारा जांच की जाती थी और फिर कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो ऑडिटर होते थे, उनके द्वारा सप्लीमेंटरी ऑडिट होता था। इसमें समय भी बहुत लगता था। अब इसमें समय की बचत भी हो जायेगी और ऑडिटर का एपाइंटमेंट करने के खर्चे, चार्टर्ड एकाउण्टेंट को एपाइंट करने के जो खर्च लगते थे और उनके पास डबल-डबल जंचवाने के लिए कर्मचारियों को लगाया जाता था, वह सारी बचत हो जाएगी। परिणामस्वरूप इसमें सरलता आएगी। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि निगम में 1997-98 के दौरान गड़बड़ हुई थी। 1998-99 में प्रावधान लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के सी०ए०जी० से लेखा परीक्षकों का पैनल प्राप्त नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। अभी तक यह पैनल की प्रतीक्षा करते रहे, जिससे आडिटर नियुक्त नहीं हो सके। इस कारण हिसाब अंतिम रूप में नहीं दिया जा सका। लेखाओं के अंदर और रिपोर्ट तैयार करने के अंदर इस बिल के पास होने के बाद सरलता बनी रहेगी, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है।

एफ०सी०आई० को सालाना 300 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि मंत्री जी प्रयत्नशील हैं कि निगम से भ्रष्टाचार मिटे और बी०पी०एल० के लोगों को पूरा लाभ मिले। अभी हमारे साथी सब्सिडी की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि पहले जितना अनाज बी०पी०एल० के लोगों को पी०डी०एस० से मिलता था, अब उसकी मात्रा दुगुनी कर दी गई है। पहले उनको अपनी आवश्यकता का अनाज बाहर से भी खरीदना पड़ता था, लेकिन अब उसको डबल कर दिया गया है। उसके बावजूद भी वे सब्सिडी की बात जिस ढंग से कह रहे हैं, उससे तो यही लगता है — जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं समझता हूं मंत्री जी इस मामले में काफी संवेदनशील हैं। वे भी गरीबों का हित चिंतन उतना ही करना चाहते हैं, जितना हमारे अन्य माननीय सदस्य। एफ०सी०आई० को 300 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान इसलिए उठाना पड़ रहा है कि रेलवे में गेहूं और चावल की बोरियों का जब लदान होता है तो रेलवे की क्लियर रिसीप्ट नहीं मिलने के कारण और सैंट टू कंटेंट्स लिख देने के कारण बोरियां गायब हो जाती हैं। प्राइवेट व्यापारी जब अपने सामान का लदान करता है तो उसको क्लियर रिसीप्ट प्राप्त होती है, लेकिन एफ०सी०आई० की बोरियां इतनी होती हैं कि रेलवे वाले कहते हैं कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, तौलने के साधन नहीं हैं। इसलिए वे सैंट टू कंटेंट्स लिख देते हैं। परिणामस्वरूप रास्ते में ही बोरियां गायब हो जाती हैं। इसलिए एफ०सी०आई० रेलवे से मिल कर ऐसा रास्ता निकाले ताकि इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े। इस तरह सालाना जो 300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, यह कहां तक सत्य है, मंत्री जी अपने उत्तर में इसके बारे में बताने की कृपा करें।

कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन इस मामले को न तो किसी ने रोकने की कोशिश की और न किसी ने इसका हल निकालने की कोशिश की। एफ०सी०आई० के पास अनाज तौलने के यंत्र नहीं हैं। इस कारण एक वैगन में कितनी बोरियां लादी जा रही हैं, इसका सही आंकलन नहीं हो पाता, केवल अंदाज से कह दिया जाता है कि 250-300 बोरियां एक वैगन में लादी गई हैं।

अनाज रखने के लिए गोदामों की कमी है। खुले में ही अनाज की बोरियां रख दी जाती हैं, काली तिरपाल से, वर्षा का पानी न जा सके, ढंक दिया जाता है। लेकिन उसको चूहे इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि अनाज की बर्बादी हो जाती है। परिणामस्वरूप उन गोदामों के अंदर अनाज पड़ा-पड़ा सड़ जाता है, सुरक्षित नहीं रहता। मेरे पास ऐसे कई आंकड़े हैं, एक समाचार पत्र में भी छपा था कि करोड़ों रुपए का अनाज सड़ जाता है, क्योंकि पांच-सात साल तक वह गोदामों में पड़ा रहता है। इसी तरह की एक घटना प्रकाश में आई थी। 1994 में एक मामले की सुनवाई हुई। पंजाब में साढ़े तीन लाख टन धान इकट्ठा हुआ और एफ०सी०आई० के पास भंडारण के लिए गोदाम नहीं थे, लिहाजा ब्लैक लिस्टेड कम्पनी के खुली प्रांगण में उसको रखने की व्यवस्था कर दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि सारा धान खराब हो गया और अरबों रुपये का नुकसान हो गया। इस प्रकार की घटनाओं से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए।

एफ०सी०आई० द्वारा बोरियों की खरीद में भी घोटाला होता है। बोरियां निर्धारित मानक से कम मानक पर हल्की खरीद ली जाती हैं। इसमें निगम के अधिकारी और कर्मचारी लिप्त होते हैं। वे इस मामले से एफ०सी०आई० को हानि पहुंचाने का काम करते हैं।

यह बिल लेखाओं के अंदर शुद्धता लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए और सरलता लाने के लिए एक अच्छा कदम है। इसके माध्यम से हिसाब में पारदर्शिता रहेगी। वहीं जो कमियां हैं, वे जी-जान से इस काम में जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से इन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 के बारे में कुछ कहने का समय दिया। यह एक अच्छा विधान है। मुझे इन संशोधनों का स्वागत करने के अलावा और कुछ नहीं कहना है। इन संशोधनों को राज्य सभा ने भी पारित कर दिया है और यह भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की निगरानी हेतु भी नितांत जरूरी है। इसके लेखे की संवीक्षा करानी भी आवश्यक है।

महोदय, सरकार ने चार खंडों को प्रतिस्थापित किया है जिनमें उसने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया है; जिनमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय खाद्य निगम से संबंधित लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का पूरा-पूरा अधिकार है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किसी भी समय उसके बही-खातों का निरीक्षण कर सकता है तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा

विधिवत रूप से प्रमाणित किए जाने के बाद उन्हें संसद के समक्ष रखा जाना होगा। यह एक अच्छा कदम है और मैं इन संशोधनों का स्वागत करता हूं।

इस संबंध में, मैं सरकार के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारत सरकार की ओर से खाद्यान्न खरीदने, उसका भंडारण करने और उसकी ढुलाई के अच्छे आशय के साथ की गई थी। पूरे देश में इसकी अनेक शाखाएं हैं और इस निगम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाती है। 1964 में अस्तित्व में आने के बाद से ही, भा०खा०निगम का कार्यकरण और प्रबंधन ठीक नहीं रहा। छिटपुट चोरी, धोखाधड़ी और असामान्य हिसाब के अनेक मामले सामने आए। कुप्रशा के कारण इसकी स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। जहां तक भारतीय खाद्य निगम का संबंध है, यह एक चिंताजनक स्थिति है। रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1991 से 764 मामले लंबित हैं तथा इसके फलस्वरूप, 300 करोड़ रुपये की हानि हुई है। अब तक, उन्होंने किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है और इसको गंभीरता से नहीं लिया है। यहां तक कि पहले की सरकारों ने भी इस मामले को हल्के ढंग से लिया है। यह गंभीर मामला है और सरकार को उन सभी लोगों, जो दोषी हैं, के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए आगे आना चाहिए।

महोदय, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी काफी असहयोग की भावना है। कर्नाटक में, कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के बारे में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री और माननीय श्रम मंत्री को अनेक ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने इन सभी मामलों जिनमें निगम को 500 करोड़ रुपये की हानि हुई है, सी०बी०आई० से जांच कराने की मांग की है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कर्मचारियों की ये सारी मांगें सही हैं। इसलिए, मैं पुरजोर मांग करता हूं कि सी०बी०आई० से जांच कराई जाए तथा निगम को सक्षम बनाने हेतु दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाए।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कुछ राज्यों के पास पर्याप्त भंडारण सुविधाएं हैं जबकि कुछ राज्यों के पास इसका अभाव है। कर्नाटक में भी, पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की कमी है और इस कारण से खाद्यान्न सड़ रहे हैं।

द्वारा फरवरी, 2000 में दिए गए उत्तर के अनुसार, का स्टॉक सड़ गया था और वह मानवों के उपयोग क लिए उपयुक्त नहीं रह गया था। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार स्टॉक का उपयोग किए बिना 10 वर्षों से चुप्पी क्यों साधे है। 24.2.2000 को जो उत्तर दिया गया, वह इस प्रकार है :–

> "भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टॉक किए गए चावल की इतनी बड़ी मात्रा के भंडार और उसका निपटान न किए जाने के मामले की जांच सार्वजनिक वितरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई है। भा०खा० निगम में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु तथा स्टॉक के शीघ्र निपटान हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।"

यह उत्तर एक अच्छी सरकार के लिए कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। अत:, यह धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला है। वे ठीक तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। अधिकारी इतनी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, किन्तु आप कह रहे हैं कि जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों को दंड दिया जाएगा। इस प्रकार का उत्तर देना ही पर्याप्त नहीं है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ सदस्य ने कहा है, यह आम व्यक्ति के साथ धोखा है। यह देश में एक महत्वपूर्ण मामला है। आपको कोई सख्त कार्रवाई करनी होगी और दोषी अधिकारियों को जेल भेजना होगा। आपने यही उत्तर दिया था। कोई भी इस उत्तर से तथा आपके प्रशासन एवं प्रबंधन से संतुष्ट नहीं होगा।

अत:, मैं इस बात पर पुरजोर बल दे रहा हूं कि खाद्य मंत्री को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इन अनियमितताओं पर नजर रखनी चाहिए। इसीलिए, सभी अधिकारी 'राजा' बन गए हैं तथा वे जो देखते हैं, वही हजम करना चाहते हैं। पैसा पानी की तरह बह रहा है। इस निगम में कोई भी जवाबदेह नहीं है क्योंकि वे सभी अपने-अपने राज्यों में रह रहे हैं। राज्य सरकारों को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अत:, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार पर दबाव डाल रहा हूं कि वह दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में, मैं चाहता हूं कि आप इस मामले के प्रति कुछ निश्चित हो जाएं। आइए हम लोग इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर कोई सार्थक चर्चा करें।

इस विधेयक का उद्देश्य एकदम सीमित है, किन्तु यह उद्देश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जिसका संबंध खाद्य निगमों के लेखे की लेखा-परीक्षा से है। वर्तमान में, यह प्रथा है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखे की लेखा-परीक्षा कराई जाती है और प्रमाणित कराया जाता है। तत्पश्चात्, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एक अनुपूरक लेखा-परीक्षक कराई जाती है।

अब, इस विधेयक के अनुसार, इस दोहरी जांच के स्थान पर एक ही जांच और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक केवल एक बार लेखा-परीक्षा करेंगे।

आगे बोलने के पहले, मैं चाहता हूं कि सरकार कतिपय मामलों को स्पष्ट करे। महोदय, मैं समझता हूं कि वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए लेखों को अंतिम रूप दे दिया गया है, किन्तु वे प्रधान लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा किए जाने हेतु लंबित हैं। अब, यहां की क्या स्थिति है ? कोई भी निश्चित रूप से यह जानना चाहेगा कि इतनी अधिक देरी क्यों हो रही है। शायद यह विलंब नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षकों के पैनल को नियुक्त करने में होने वाले विलम्ब की वजह से है, जिसमें से भारतीय खाद्य निगम को अपने लेखा-परीक्षकों का चयन करना पड़ता है।

महोदय, वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए प्रधान लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षकों का पैनल नियुक्त न किए जाने के कारण नहीं की जा सकी।

ऐसा क्यों हुआ ? नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक को लेखा-परीक्षकों का पैनल तैयार करने में क्या कठिनाई थी ? इस देरी के परिणामस्वरूप,

[श्री जी०एम० बनातवाला]

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के खाते लंबित हैं तथा उनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इन विशेष पहलुओं की जानकारी प्राप्त करना चाहेगा।

अब यह परिवर्तन क्यों किया गया है कि दोहरी जांच की बजाए, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एक ही बार लेखा-परीक्षा करवाई जाएगी। उद्देश्यों और कारणों का कथन से हमें दो कारणों का पता चलता है। पहला कारण लेखा-परीक्षा की फीस पर होने वाला अनावश्यक खर्च से बचना है और दूसरा कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही सरकारी नीतियों की अच्छी जानकारी होती है, द्वारा एक अधिक सार्थक लेखा-परीक्षा कराया जाना है। मैं आश्चर्यचकित हूं और यह भी कहना चाहूंगा कि मुझे सबसे अधिक निराशा हुई है। हम लेखा-परीक्षा की फीस पर लगने वाले अनावश्यक खर्च से बचने की बात करते हैं। जहां तक लेखा-परीक्षा की फीस का संबंध है, हमें अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कोई भी लापरवाही असरहीन सिद्ध हो सकती है अथवा उसका उल्टा असर हो सकता है तथा इससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। महोदय, हमें लेखा-परीक्षा संबंधी व्यय के प्रति कोई अनिच्छा नहीं रखनी चाहिए, विशेषकर, जब हम ज्यादा जवाबदेही पर बल देते हैं। मैं भी इसे जानना चाहता हूं। लेखा-परीक्षा को कम करके अथवा दोहरी जांच को एक जांच तक सीमित रख कर आप कितनी बचत कर लेंगे ? इसके बारे में भी हमें बताएं। अनावश्यक खर्च की बात करते समय, हमें भारतीय खाद्य निगम के कार्यों के परिमाण को भी ध्यान में रखना चाहिए। इनका कार्य हजारों करोड़ों रुपयों का है। अत:, मेरा कहना है कि लेखा-परीक्षा पर आने वाले व्यय के प्रति कोई असंतोष प्रकट किए बिना दो लेखा-परीक्षा करवाई जाए। जैसा कि मैंने कहा, इस प्रथा से अत्यधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं और उनका उल्टा असर हो सकता है। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि लेखा-परीक्षा संबंधी जांच को कम करना उचित नहीं होगा। निस्संदेह, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। परंतु, यहां केवल लेखा-परीक्षा के संबंध में ही ऐसा क्यों किया जाए ? आप प्रशासन में अकुशलता को दूर कर अनावश्यक व्यय से बच सकते हैं और इस बारे में सभा में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा।

हमें वहां व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है और इस संबंध में उचित एवं कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। हमें खाद्य-स्टॉक की भी जानकारी है। रिकॉर्ड उचित ढंग से नहीं रखे जाते हैं। मैं समझता हूं कि पिछले अनेक वर्षों से स्टॉक की कोई गिनती नहीं की गई है। जब हम अनावश्यक खर्च की बात करते हैं, तब इस विशेष विधेयक के परिणामस्वरूप लेखा-परीक्षा संबंधी फीस से होने वाली बचत की मात्रा के बारे में सभा को विश्वास में लिए बिना ही लेखा-परीक्षा संबंधी फीस के बारे में असंतोष प्रकट करने की अपेक्षा हमें इन सभी और अन्य विभिन्न बातों पर ध्यान देना होगा। वस्तुत:, हम सबने व्याप्त भ्रष्टाचार, कालसाजी और कुप्रबंध का उल्लेख किया है। प्रत्येक बात सत्य है। परंतु हमें निष्पक्ष होना पड़ेगा और भारतीय खाद्य निगम के प्रति भी निष्पक्ष रहना पड़ेगा। इस अंधेरे में कुछ आशा की किरण है और हमें उस आशा की किरण को निष्पक्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। मैं उनका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विधेयक एक अर्थपूर्ण लेखापरीक्षा से संबंधित है। जब हम अर्थपूर्ण प्रयोगों की बात करते हैं तो हमे इन संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।

उदाहरण के लिए नब्बे के दशक के दौरान एक अध्ययन के अनुसार गेहूं के लिए खरीद मूल्यों की आर्थिक लागत की दर में कमी आई और चावल के लिए स्थिर रही। इससे भारतीय खाद्य निगम की बढ़ी हुई संचालन दक्षता का पता चलता है। इसलिए नि:संदेह हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हम जालसाजी की बात कर रहे हैं, हम उचित प्रशासन चाहते हैं, हम कठोर कार्यवाही चाहते हैं परन्तु फिर भी कुछ क्षेत्रों में दक्षता हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

कुल वितरण लागत में हानि का भाग 1990-91 को 8.2 प्रतिशत था जो 1998-99 में 2.4 प्रतिशत तक गिर गया। चावल के लिए उस अवधि के दौरान यह 8.26 प्रतिशत से 2.4 प्रतिशत तक कम हो गया और फिर घाटा कम हो गया। यह स्थिति है। परन्तु स्थिति अब भी वही है। जब हम नियंत्रण कम कर रहे हैं तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जहां तक ज्यादा जवाबदेही का प्रश्न है तो कोई भी माननीय मंत्री जी के हाथ मजबूत करना चाहेगा। परंतु जिस सूत्र पर विचार किया गया है उस पर पुन: विचार किए जाने की आवश्यकता है।

एक दूसरा कारण जो दिया गया है वह है हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्ष से अधिक अर्थपूर्ण लेखा-परीक्षा करायेंगे। यह चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा की गई लेखा-परीक्षा पर लांछन है। वे चार्टर्ड लेखाकार कौन है जो नियुक्त किये जाते हैं ? कोई भी भा०खा०नि० की मनमरजी से नियुक्त नहीं किया जाता। उनको भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पास वाले पैनल से चुनना पड़ता हैं।

लेखापरीक्षा के विभिन्न पहलू हैं। वित्तीय लेखापरीक्षा होती है; वस्तुपरक और वास्तविक लेखापरीक्षा होती है। जहां तक वस्तुपरक और वास्तविक लेखापरीक्षा का प्रश्न है तो इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। परंतु मैं वास्तव में सोचता हूं कि एक दोहरी जांच होनी चाहिए और वह जारी रहनी चाहिए। इससे अधिक जवाबदेही आयेगी।

कई बाते हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। मुझे थोड़े से विषयान्तरण की अनुमति दें क्योंकि यह आज बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम स्टॉक तथा वस्तुपरक लेखापरीक्षा की बात करते हैं तो हम अपने गोदामों में हो रहे स्टॉक के संचय के बारे में भी जानते हैं। अभी हाल ही में अव्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कीमतों में वृद्धि के कारण स्टॉक का संचयन हो गया। गरीबी की रेखा से नीचे के लिए भी कुल बिक्री कम हुई है और हाल ही में स्टॉक का संचय 42 मिलियन टन तक चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 41 हजार करोड़ रुपए का सार्वजनिक धन इसमें फंस गया। ये वे बातें हैं जिनपर विचार किया जाना है। और जब हम वास्तविक लेखापरीक्षा कराने की बात करते हैं तो इस संबंध में भी कार्य बढ़ गया है। हम राजसहायता की बात करते हैं परन्तु सच्चाई यह है कि पिछले 20 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में खाद्य

राजसहायता में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। यह मुश्किल से 0.31 प्रतिशत से 0.64 प्रतिशत तक रही। हमारे कुल केन्द्रीय सरकारी व्यय में खाद्य राजसहायता का प्रतिशत क्या है ? यह मुश्किल से 2.35 प्रतिशत है।

सायं 7.00 बजे

यहां हम गरीबों को दी जाने वाली राज-सहायता पर दुखी हो रहे हैं। हमें इन सभी पहलुओं पर अपना रवैया सुधारने की जरूरत है।

जहां तक राज-सहायता और सकल घरेलू उत्पाद में इसके प्रतिशत का प्रश्न है तो कृपया विश्व की स्थिति को देखें। श्रीलंका में भारत से दोगुनी राज-सहायता दी जा रही है। ट्यूनिशिया में खाद्य राज-सहायता 4 प्रतिशत है। बाद में उन्होंने घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया। हमारे यहां यह 0.31 प्रतिशत है। मिश्र के मामले में खाद्य राज-सहायता 15 प्रतिशत है। ये विभिन्न तथ्य हैं जिनपर विचार किया जाना है।

अब, मैं एक प्रश्न पर बहुत छोटा और सूक्ष्म विषयान्तरण करता हूं जो कि हमें सबसे अधिक व्याकुल कर रहा है वह पर्याप्त भंडारण क्षमता के प्रश्न के बारे में है। तत्पश्चात्, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पर्याप्त भंडारण क्षमता के प्रश्न पर ध्यान देना होगा विशेषरूप से तब जबकि हम अधिक खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए भंडारण के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं।

महोदय, कृपया मुझे एक बात का उल्लेख करने दें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र केरल के पोन्नानि, में तिरूनाविया नाम का एक स्थान है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा के प्रश्न तथा वहां भा०खा०नि० के गोदाम बनाने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय ले लिया है। प्रस्ताव स्वीकार किया गया, कार्य प्रारम्भ किया गया और रुक गया। क्यों ? उन्होंने कहा कि निधियां नहीं है। मैंने मामले को उठाया। कार्य शुरू हुआ और पुनः रुक गया। क्यों ? कोई उत्तर नहीं है।

अब काफी पीछे पड़ने के बाद हमें बताया जा रहा है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा यह कार्य किया जाएगा। यह सही है। परन्तु उसके बाद हुए विलम्ब पर ध्यान दें। केन्द्रीय भाण्डागार निगम को ऐसा मामला उठाना है जिसके लिए समझौते की औपचारिकताओं इत्यादि की आवश्यकता है। समझौते के बारे में ये औपचारिकताएं अधर में लटक रही हैं। इनके लिए एक त्वरित रवैये की जरूरत है अर्थात् स्थिति की वास्तविकताओं को समझने वाला रवैया।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार से यह देखने का आग्रह करूंगा कि जहां तक लेखापरीक्षा की फीस का प्रश्न है तो हम अर्थव्यवस्था की ओर न देखें बल्कि वास्तव में यह सुनिश्चित करें कि हम प्रभावी जांच करायें, यहां तक कि एक जांच के स्थान पर दोहरी जांच करायें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे इतना निवेदन करना है कि मंत्री जी ने जो ऑडिट वाला सिस्टम शुरू किया है, वह वास्तव में स्वागत योग्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे समय की बचत होगी और खर्चा भी बचेगा। एफ०सी०आई० को 300 करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह राजस्थान और गुजरात को जो अनाज देने जा रहे हैं, वह उसे निःशुल्क देंगे या कीमत लेंगे या उसे रियायती दर पर देंगे। इन तीनों बातों में से एक बात आज साफ होनी जरूरी है। भारत सरकार यह तय करती है कि किस भाव पर गेहूं खरीदना है और किस आधार पर गेहूं और चीनी बेचनी है ? इसे तय करने का अधिकार भारत सरकार का है। ऑडिट की व्यवस्था करने के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा। रेल विभाग की गलती के कारण गेहूं देर से भेजा जाता है। वर्षा में भी गेहूं पड़ा रहता है। वर्षा प्रारम्भ होने पर गेहूं को ढ़कने का प्रबन्ध न होने से वह खराब हो जाता है। बोरियों की खरीदारी में काफी गड़बड़ी होती है। चूहों के कारण गेहूं नष्ट होने के भी मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। चूहे प्रति वर्ष अनाज खा जाते हैं। इससे अनाज खराब हो जाता है। हमें यह भी कमी देखने को मिली है। अनाज काफी समय पड़े रहने के कारण खराब हो जाता है। दो से पांच वर्ष तक अनाज पड़ा रहे तो अनाज की मात्रा कम हो जाती है और उसके गुण भी नष्ट हो जाते हैं। अनाज गीला होने से खराब हो जाता है। चीनी कंट्रोल रेट पर दी जाती है। मैं ऐसा समझता हूं कि खुले बाजार में अनाज सस्ता मिलता है। और कई बार कंट्रोल में गेहूं और चीनी महंगी होती है, लोग खरीदना पसंद नहीं करते। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें। आपके एकपक्षीय ऑडिट का जो तरीका निकाला है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने खाद्य निगम का ऑडिट करने के लिये सी०ए०जी० का प्रस्ताव रखा है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा संशोधन है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। सवाल यह उठता है कि इससे पहले भी उसका ऑडिट होता रहा होगा, फिज़ीक्रल वैरिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी भी होती होगी लेकिन विगत वर्षों की हमारे पास यह जानकारी है कि आपका 9 लाख टन खाद्यान्न बरबाद हुआ है। माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों अखबार में विज्ञाप्ति दी थी। वैसे भी बहुत सा खाद्यान्न ऐसा है जो पिछले 2-5 वर्षों से गोदामों में पड़ा हुआ है। सरकार का रुपया लग चुका है परन्तु गरीब लोगों को जो सबसिडी का लाभ मिलना चाहिये था, उस तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिये था, वह नहीं पहुंच सका। नतीजा यह हुआ कि जैसा आप जानते हैं कि बैरिशेबल स्टॉक को रोका नहीं जा सकता है। आपका यह नियम और कानून है कि जो पहले आये, वह पहले जाये। आपके स्टोर से सर्वप्रथम वह माल निकाला जाये तो पहले आया है। इसमें ताज्जुब की बात है कि फिजिकल वैरीफिकेशन और ऑडिट हुआ उनकी भी कोई अकाउंटिबिलिटी होगी, लेकिन होती है, उस पर गौर नहीं किया गया कि जो पहले आये, उसे पहले निकाला जाये। यह ठीक है कि ऑडिट की व्यवस्था की गई है लेकिन मैं मानता हूं कि वह ऑडिट हिन्दुस्तानी होगा, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी होगा कि वह आपका

[श्री चन्द्र भूषण सिंह]

ऑडिट करने आयेगा। सी०ए०जी० की क्या जिम्मेदारी है ? अभी तक जो पैनल ऑडिट करता था, उसकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई या सी०ए०जी० यह जिम्मेदारी पूरी निभायेगा कि वह जो ऑडिट कर रहा है, उसकी सही जानकारी प्रशासन को दे रहा है और सरकार उस पर क्या रिएक्ट कर रही है ? सी०ए०जी० द्वारा ऑडिट हो, यह एक अच्छी बात है। मेरा निवेदन है कि जो इसके हाथ में है, उसको प्रतिबद्ध किया जाये, उसके ऊपर भी कानून लगाया जाये। जिसमें कमी या कमजोरी पाई जाये, उसे कड़ा दण्ड दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, खाद्य निगम के पास दो तरह के गोदाम होते हैं – एक ढका हुआ और दूसरा खुला हुआ। यह खाद्य निगम 1963 में बनाया गया था। आज भारतवर्ष की आबादी बढ़ रही है जिससे अनाज की खरीदारी भी बढ़ रही है लेकिन गोदामों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जितने गोदाम आपके पास हैं, उन से ज्यादा गोदाम आप किराये पर लेते हैं। उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको इस बात पर गौर करना चाहिये कि जो गोदाम किराये पर लिये जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उनके लिये ज्यादा किराया दे रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कम किराये पर गोदाम उपलब्ध हों और उनका किराया ज्यादा दिया जा रहा हो ?

अध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम में गल्ला इकट्ठा करने के लिये आपको बाहर रखना पड़ता है और उसके लिये बोरे खरीदते हैं। भारतीय खाद्य निगम में बड़ा घोटाला है क्योंकि जो अधिक वजन के होंगे, उनका मूल्य अधिक होगा। एफ०सी०आई० के पुराने बोरों का इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज या आलू के व्यापारी करते हैं, वहां मालूम होता है कि एक बोरी कुछ वजन की है और दूसरी बोरी कुछ और वजन की है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि खाली बोरी खरीदी जाएं तो उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक बात पर ताज्जुब होता है कि जब भी गेहूं खरीदा जाता है उस गरीब काश्तकार से तो ग्रेडिंग करके खरीदा जाता है, छंटनी लगाकर खरीदा जाता है लेकिन जब एफ०सी०आई० में अनाज जाता है और जब गरीब के पास बंटने के लिए जाता है तो उसमें पता नहीं कहां से मिट्टी और कूड़ा-करकट और दुनिया भर का पत्थर मिल जाता है। इस पर बड़ा ताज्जुब लगता है। इस पर भी निगरानी की आवश्यकता है और निश्चित ही आप इस पर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। साथ ही साथ यदि ज्यादा दिनों तक माल गोदामों में रहेगा तो उसकी क्वालिटी गिरेगी और जब क्वालिटी गिरेगी तो गरीब को क्यों बाध्य करना चाहते हैं सड़ा-गंदा अनाज खाने के लिए ? मैं निवेदन करता हूं कि अभी हमारे रासा सिंह जी बोले और भार्गव साहब बोले लेकिन इन्होंने एक खबर नहीं पढ़ी क्योंकि ये ट्रेजरी बेंच के आदमी हैं। अभी जो सूखाग्रस्त इलाकों में गेहूं और खाद्यान्न बंटने के लिए जा रहा है, कल-परसों के अखबार में मैंने पढ़ा कि वह खाद्यान्न स्टेशन पर पड़ा हुआ है और बरबाद हो रहा है और वर्षा भी हो गई है। वह खाद्यान्न मटियामेट होने वाला है। एफ०सी०आई० में दो परसेंट तक नुकसान अलाउड है लेकिन क्या वजह है कि उत्तरोत्तर इसमें बढ़ोतरी हो रही है और आज चार प्रतिशत के आस-पास एफ०सी०आई० का नुकसान आप बर्दाश्त कर रहे हैं ? मेरा आग्रह है कि इस पर भी आप गौर करें।

जैसा कि सब्सिडी के संबंध में बात हो रही थी, आखिरकार कौन सी ऐसी वजह है कि फूड कार्पोरेशन को इस साल 8500 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली जबकि विगत वर्ष यह 9000 करोड़ थी। इस साल सरकार पर कौन सी विपत्ति आ गई कि उसने 500 करोड़ रुपये कम कर दिया। आबादी बढ़ रही है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है तो आखिरकार सरकार ने फूड कार्पोरेशन को मिलने वाली सब्सिडी क्यों कम की, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

सायं 7.12 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और निश्चित ही इस विधेयक का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सी०ए०जी० भी इसमें अच्छा काम करेगी जिससे गरीबों का हित हो।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलिकारा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। भारतीय खाद्य निगम अधिनियम की धारा 34 स्पष्ट रूप से लेखापरीक्षा से संबंधित है। उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार खर्चे कम करने तथा सार्थक प्रयोग करने के लिए इसके द्वारा लेखापरीक्षा की बहुलता को टाला जाता है। अब हम केवल एक ही प्रकार की लेखापरीक्षा कराने जा रहे हैं और वह महालेखाकार के द्वारा होगा और यह निगम के लेखों का एकमात्र लेखापरीक्षक होगा।

यहां मुख्य प्रश्न यह है कि क्या हम भारतीय खाद्य निगम में उचित लेखा पद्धति रख सकते हैं ? यह नगण्य बात है कि क्या यह लेखापरीक्षकों द्वारा है अथवा महालेखाकार द्वारा होता है। भारत के लोग कहते हैं कि भारतीय खाद्य निगम में समुचित हिसाब-किताब और लेखापरीक्षा होनी चाहिए।

हमारे देश की खाद्य नीति का व्यापक उद्देश्य उचित मूल्य पर लोगों को अन्न उपलब्ध कराना है और यह है कि किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराये जाने चाहिए और खाद्य की आपूर्ति रियायती दरों पर होनी चाहिए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। यह ऐसा संगठन है जो खाद्य तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी सरकारी नीतियां लागू करता है। यह सरकार के घोषित मूल्य पर अन्न उगाने वालों से अन्न की खरीद का कार्य करता है क्योंकि भा०खा०नि० मूल्य निर्धारित नहीं कर रहा है।

मूल्य निर्धारण भारतीय खाद्य निगम की परिधि से बाहर है। हम सब जानते हैं कि खाद्य पदार्थों के लाभकारी मूल्य सामान्यत: सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं। हां, सरकार को विभिन्न पहलुओं पर

अधिकांशत: सरकारी लिहाज से ध्यान देना होगा। हम सब जानते हैं कि मूल्य सरकार द्वारा तय किये जाते हैं।

महोदय, प्रश्न यह है कि क्या हम अन्न की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकेंगे ? कतिपय राज्यों जैसे कि केरल में कुल खरीद कम है। बार-बार हमने खाद्यान्नों को घटिया गुणवत्ता के कारण कुल खरीद की कम प्रतिशतता का मामला उठाया है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया था :–

"गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकार की ओर से खरीदे गए खाद्यान्नों के स्टॉक भा०खा०नि० द्वारा रखे जाते हैं और समुचित भण्डारण तथा संरक्षण उनके द्वारा किया जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल है :–

(एक) रिसाव, बाढ़ इत्यादि के द्वारा हानि को टालने के लिए गोदामों का आवधिक रखरखाव;

(दो) प्रत्येक ढेर को ढकने हेतु सी०ए०जी० भण्डारण में प्रयोग किये गए एल०डी०पी०ई० आवरणों की सुरक्षा हेतु मोनोफिलामेंट नेट, कवर टॉप, नाईलोन की रस्सियों इत्यादि का प्रयोग; और

(तीन) स्टॉक का आवधिक कारोबार, प्रभावित स्टॉक का समय पर प्रथक्करण, बचाव करना/दुरुस्त करना और अच्छे स्टॉक को बचा लेना और इस प्रकार खाद्यान्नों की और हानि/गिरावट को टालना।"

यही वे कदम हैं जो भा०खा०नि० ने खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु उठाये गये हैं। परन्तु व्यावहारिक रूप से हम पाते हैं कि जो खाद्यान्न भा०खा०नि० के गोदामों में सुरक्षित रखे जाते हैं उनकी गुणवत्ता बहुत घटिया है। खाद्यान्नों की घटिया किस्म के कारण अधिकतर राज्यों में खाद्यान्नों की कुल खरीद कम है।

महोदय, मैं ऐसे राज्य का हूं जहां वर्ष 1964 से सांविधिक राशन प्रणाली रही है। जब भी उत्तम किस्म का खाद्यान्न रहा है, यहां तक कि चावल और गेहूं तो कुल खरीद बहुत अधिक रही है। इसके साथ ही यदि खाद्यान्न घटिया किस्म का होगा तो स्वाभाविक रूप से लोग उन खाद्यान्नों को लेना पसंद नहीं करेंगे और कुल खरीद कम होगी।

कल ही मैं केरल के खाद्य मंत्री श्री चन्द्रसेखरन नायर की बात सुन रहा था। वह कह रहे थे कि केरल में सम्पूर्ण राशनिंग प्रणाली सरकार की हाल की नीतियों से प्रभावित हुई है। मैं इस सब में नहीं जाऊंगा। क्योंकि हमने पहले ही सभा में हल विषय पर विस्तार से चर्चा की है। अब गोदामों में स्टॉक के अम्बार लग रहे हैं। यह सरकार के सामने बहुत गम्भीर प्रश्न है। खुले बाजार तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बीच केवल पचास पैसे का अतंर है। इसलिए कोई भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से नहीं खरीद रहा है और स्टॉक का ढेर लग रहा है। यह केरल की राज्य सरकार के लिए गंभीर समस्या बनने जा रही है।

महोदय, भंडारण सुविधाओं के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय भंडागार निगम और राज्य भंडागार निगमों सहित भंडारण सुविधाओं की प्रतिशतता सरकार के रिकार्डों के अनुसार पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारे देश में भंडारण की सुविधाओं के संबंध में और विस्तार करने की भारी मांग है।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरे सहयोगियों ने भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। उनके मुद्दों पर अलग से विचार करना पड़ेगा। उनकी ओर से कतिपय महत्वपूर्ण मांगें हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा।

महोदय, बी०आई०सी०पी० समिति ने भारतीय खाद्य निगम को अधिक स्वायत्तता के लिए सिफारिश की है और बड़े संगठनात्मक बदलावों का सुझाव दिया है। इसकी गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए। भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। विद्यमान प्रणाली में सर्वत्र फैले भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में कार्यवाही भी की गई है। मेरे पास "द हिन्दू" में प्रकाशित रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है – "फरीदकोट में भारतीय खाद्य निगम का अधिकारी निलंबित"। इस पर चक्की मिल वालों से घटिया चावल लेने और कार्यालय रिकार्ड में फेरबदल करने का आरोप है।

यह भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। जांच करने के बाद यह पाया गया कि जो चावल और गेहूं चक्की मिल वालों से लिया गया था, वह बहुत खराब किस्म का था। किन्तु यह भी सही है कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

महोदय, मैं बहुत खुश हूं कि माननीय मंत्री ने भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की है। उन्होंने कालीकट का दौरा किया है और कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसकी लोगों ने बहुत प्रशंसा की है।

मैं समझता हूं कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की उचित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। वहां अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। कमियों को दूर करना होगा और भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर पूर्ण चर्चा होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं। कृपया मुझे केवल दो मिनट दें।

सभापति महोदय : नहीं, आपका नाम अध्यक्ष महोदय की सूची में नहीं है। मैं कैसे आपको बोलने की अनुमति दे सकता हूं ?

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, मैं दो से तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा।

कई माननीय सदस्य : महोदय, कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : ठीक है। किन्तु दो मिनट से अधिक न लें।

श्री विक्रम केशरी देव : सभापति महोदय, इतने आग्रह करने के बाद मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपको धन्यवाद।

सबसे पहले, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों के कारण इस कानून को लाना आवश्यक हो गया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इन लेखापरीक्षकों को, जिन्हें वे नियुक्त करते हैं, वे अपनी रिपोर्ट समय पर नहीं दे पाते हैं, और पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है। अत: सरकार के लिए ऐसा कानून लाना अनिवार्य हो गया है और उसे वह लेकर आई है।

किन्तु विधेयक के दायरे के भीतर, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम खरीद, भंडारण और वितरण करता है। खरीद के संबंध में, मैं इस माननीय सभा के समक्ष अपना अनुभव रखना चाहता हूं। मैं बहुत ही पिछड़े जिले कालाहांडी जो उड़ीसा में है, का निवासी हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां जो किसान धान उगाते हैं, उन्हें जरा भी खरीद मूल्य नहीं मिलता है। यह देखा गया है कि 'स्वर्ण किस्म' के रूप में मानी जाने वाली उत्तम किस्म की धान, जो इस जिले के अधिकतर किसान उगाते हैं, उसे घटिया किस्म के तौर पर खरीदा जा रहा है।

'बी०पी०एल०' चावल के संबंध में भी जिसे किसानों को वितरण हेतु ट्रकों के माध्यम से भेजा जा रहा है, यह पाया गया है कि प्रत्येक बैग में हमेशा चार से पांच किलोग्राम चावल कम रहता है। न जाने कितनी बार, मैं माननीय मंत्री जी को लिख चुका हूं। लगभग तीन वर्ष पहले, हमने भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध आन्दोलन किया था। किन्तु फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर का उपभोग करते हुए माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह भारत के तंगहाल पाकेटों में खाद्यान्नों के वितरण और खरीद के संबंध में सख्त कदम उठाए, चाहे वह कालाहांडी हो, चाहे बुन्देलखंड अथवा बिहार का पलामू हो अथवा राजस्थान और गुजरात के पिछड़े क्षेत्र से हो, जो अब सूखे का सामना कर रहे हैं, उन्हें वितरण और खरीद के संबंध में सख्त कदम उठाने चाहिए। यह खरीद पूरी तरह किसानों की जीवन रेखा से संबंध रखती है। यदि किसी किसान को ठीक बाजार खरीद मूल्य नहीं मिलता है, तो उसका उस वर्ष का पूरा बजट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि वह अपने उत्पाद पर निर्भर करता है। यदि उसे अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो वह कंगाली में जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। यह दशा केवल धान उत्पादकों की ही नहीं है, बल्कि तिलहन उत्पादकों और गेहूं उत्पादकों की भी यही स्थिति है। आप देखेंगे कि इस तरह की खरीद पूरे देश में हो रही है।

जब यह खरीद की जाती है, तो आप देखेंगे कि अधिकतर अधिकारियों की चक्की मिल मालिकों और एजेंटों के साथ मिली-भगत है, जो किसानों के साथ पूरी तरह धोखा करते हैं। इसलिए सरकार को उनके हितों की रक्षा करनी है।

प्रत्येक माननीय सदस्य ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि उचित भंडारण सुविधाएं होनी चाहिए, अन्यथा खाद्यान्न की चोरी और बर्बादी होगी। पुरूलिया के माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि उचित भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण बीज नष्ट हो रहे हैं। अत: सरकार को खाद्यान्नों के संरक्षण के आधुनिक और वैज्ञानिक उपाय करने चाहिए, क्योंकि खाद्यान्न भारत जैसे जनवादी देश में मूल्यवान वस्तु है।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : मान्यवर सभापति जी, मैं माननीय सदन का आभारी हूं कि इस संशोधन को समर्थन मिला है। जो बातें फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में कही गई, जो चिन्ता व्यक्त की गई, जो कंस्ट्रक्टिव आलोचना की गई, मैं उसके लिए आभारी हूं और उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख कर यह संशोधन करने का भी निर्णय किया गया। उद्देश्य यह है कि फूड कार्पोरेशन एक बहुत बड़ी संस्था है। लगभग 25000 करोड़ रुपये का सालाना काम होता है, लगभग 280 लाख टन प्रोक्योर होता है, स्टोर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। पिछले तीन वर्षों से ऑडिट नहीं हो पाया, उसके लिए हम बहुत चिन्तित थे। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता लेकिन यह आवश्यक था कि इस कार्पोरेशन का टोटल ऑडिट का काम सी०ए०जी० को दिया जाये और उसी के लिए संशोधन आया है। इस संशोधन के लिए सदन का समर्थन मिला है, मैं इसका आभारी हूं।

कुछ और महत्वपूर्ण बातें एफ०सी०आई० के संबंध में रखी गई हैं। जो सुझाव आये हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद कर इतना ही कहूंगा कि हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ प्रमुख बातें आई हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। कुछ अलग-अलग आंकड़े आये कि इतने लाख टन खराब हो जाता है, कहीं 16 लाख टन कहा, कहीं 9 लाख टन कहा, अलग-अलग आंकड़े आये हैं। वस्तुस्थिति यह है कि इतना अधिक खराब नहीं हुआ है, इतना अधिक पुराना अनाज नहीं है, कम है। लेकिन मैं उसे जस्टीफाई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं केवल आंकड़ों को ठीक करना चाहता हूं कि हमारे पास पांच साल से अधिक का 2 लाख 6 हजार टन चावल और 57 हजार टन गेहूं केवल है। दो से तीन साल पुराना 3.41 लाख टन चावल, 2.03 लाख टन गेहूं, तीन से चार साल पुराना 0.55 राइस, 0.14 व्हीट, चार से पांच साल पुराना 0.43 राइस है, इतना अधिक नहीं है। केवल इतनी मात्रा है जो पांच साल, दो या तीन साल पुराना है।

डी कैटेगिरी के प्रिवेंशन ऑफ फूड एडलेटरी एक्ट प्योर फूड एक्ट के मुताबिक इशू किया जा सकता है लेकिन सरकार का निर्णय है कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती इसलिए उसे इशू नहीं किया जाता। हमारे पास डी कैटेगिरी का 2 लाख 15 हजार टन है। इसमें व्हीट 19 और राइस 196 है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक अंडर रिलैक्स्ड स्पैसीफिकेशन है, यह अधिक मात्रा में है। 1997-98

का 2 लाख 80 हजार टन, 1998-99 का 15 लाख 51 हजार टन, फसल खराब हो गई, वर्षा पड़ी थी। स्पैसीफिकेशन रिलैक्स कर दी गयी। सरकार ने प्रोक्योर किया, भंडार में आया और आज स्थिति यह है कि इस चावल को बहुत से लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। केरल के बंधुओं ने शिकायत की है और उनकी शिकायत में वजन है। मैं इस संबंध में दो बातें कहना चाहता हूं कि इतना नहीं है जितना आपने कहा, कम है। यह भी नहीं होना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हमने आदेश दिये हैं कि जहां पर भी ठीक ढंग का अन्न नहीं है, खाने के योग्य भले ही है। लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है, वहां पर उसको इश्यू नहीं किया जाये। हमने सरकारों को भी कहा है कि वे बिल्कुल उसको न लें रिलेक्स स्पेसिफिकेशन का चावल 15 लाख टन पड़ा है, हमने निर्णय कर दिया है कि इसमें से खराब चावल पी०डी०एस० में इश्यू नहीं किया जायेगा, क्योंकि इसका क्वालिटी ठीक नहीं है। पी०डी०एस० में इसको न देने का निर्णय कर लिया है। इसको डिस्पोज ऑफ करना है, यह एक अलग सवाल है। पहली बात यह है कि इतना नहीं है, जितना आपने कहा, लेकिन जितना है, वह भी नहीं होना चाहिए। एक यह भी सवाल है, जिस पर हम बुनियादी तौर पर विचार कर रहे हैं कि यह स्थिति क्यों आती है कि 5-5 साल तक अन्न पड़ा रहता है, खराब होता रहता है। इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और ऐसे नियम बनाये जा रहे हैं कि ऐसी नौबत न आये। इससे पहले कि अनाज खराब होने लगे, उससे पहले-पहले उसको दे दिया जाये, इश्यू कर दिया जाये, नीलाम कर दिया जाये, टेंडर कर दिया जाये, जो कुछ भी करना है, उससे पहले-पहले कर दिया जाये। आज नियमों में भी कुछ कमी है, विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के अधिकार नहीं हैं, वे ऊपर चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी आती है, जाती है, उसमें बहुत सा समय लग जाता है। इसके लिए सारे नियमों में संशोधन करके शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करके यह स्थिति लाई जा रही है कि इस प्रकार की स्थिति न आये, अनाज खराब न हो, उससे पहले-पहले उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाये।

दूसरी एक और बात आई है कि बहुत सी गड़बड़ी होती है और उसमें सजा नहीं दी जाती। ऐसी बात नहीं है। मैं विस्तार से सारी बात नहीं कहूंगा, लेकिन जहां-जहां कारपोरेशन के अन्दर गलत काम होता है, लोग पकड़े जाते हैं, कानून के मुताबिक उनको सजा भी होती है। 1997 के अन्दर कारपोरेशन में 549 लोगों को सजा दी गई थी, 1998 में 750 लोगों को विभिन्न सजाएं दी गई, 1999 में 1004 लोगों को सजा दी गई। सी०बी०आई० के अन्दर भी केसेज चल रहे हैं, कुछ मांग की गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां-जहां आवश्यक समझा जायेगा, सी०बी०आई० को भी, उचित केस जहां हैं, वे दिये जाएंगे।

एक यह भी कहा गया कि ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में जो लोसेज होते हैं, वे बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी फीगर्स भी जो बताई गई, वह वास्तविकता नहीं है। कुल मिलाकर हमारे लोसेज केवल 1.85 हजार टन हैं और उसमें जो परसेंटेज है, वह भी उतना ज्यादा नहीं है, जितना बताया गया है। लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि जितना भी उसमें बताया गया है, उनता भी नहीं होना चाहिए। इस समय कारपोरेशन के जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक 1998-99 के अन्दर परसेंटेज ट्रांजिट लॉसेज की 1.17 परसेंटेज है। परसेंट स्टोरेज लोसेज की 0.40 परसेंट है लेकिन इसमें अधिकतर जो लोसेज हैं, वे रेलवे के कारण हैं। यह कुछ माननीय सदस्यों ने बात बिल्कुल सच कही है कि फूड कारपोरेशन की बहुत बड़ी कठिनाई है कि जब हम अपना अनाज रेलवे को देते हैं तो वे क्लियर आर०आर० नहीं देते, सैट टूबी, इस शब्द का प्रयोग करते हैं और परिणाम यह होता है कि दूसरे स्थान पर जब हमको अनाज प्राप्त करना होता है, उसमें जो कमी होती है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जाती। यह जो ट्रांजिट लोसेज हैं, इनमें 96 परसेंटेज लोसेज केवल रेलवे के हैं। अब हमने निर्णय किया है कि इस सारे विषय पर गम्भीरता से बात करेंगे, रेलवे के साथ बैठेंगे और दोनों विभाग बैठकर निर्णय करेंगे कि अगर बाकी प्राइवेट लोगों को क्लियर आर०आर० मिलती है तो सरकार के विभाग को क्लियर आर०आर० क्यों नहीं मिलती। उसमें कठिनाई क्या है ? यदि उसमें कोई कठिनाई होगी तो उस कठिनाई को हम दूर करेंगे, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि इतने लोसेज भी होते हैं, वे भी कम होने चाहिए जितने लोसेज हैं, इनका मूल्य 328 करोड़ रुपये बनता है। इतना अधिक सामान स्टोर करने में, ले जाने में कहीं पर इधर-उधर हो जाये, यह चिन्ता का विषय है, इसके बारे में भी विचार किया जायेगा। कुछ और बातें कहीं गई हैं, आई०एल०ओ० कंवेंशन के बारे में, उस कनवेंशन को हमने रैटिफाई नहीं किया, लेकिन उसकी भावना को स्वीकार कर लिया है। निर्देश दे दिए गए हैं कि 100 किलो की जगह 50 किलो की बोरियां लगाई जाएं। यह निर्देश देने के बाद कई प्रदेशों ने कुछ समय के लिए छूट मांगी है, वह उनको दे दी गई है। लेकिन सिद्धांत रूप में हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है।

आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी ने बड़े गुस्से में दो बातें कहीं। एक तो यह कहा कि इकोनोमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यह ठीक है कि 580 रुपए में किसान से लेकर 900 रुपए इकोनोमिक कॉस्ट आती है, आपको ही अधिक नहीं लगती, मुझे भी लगती है। इस सारे मामले को देखा जा रहा है कि कहां क्या कमी की जा सकती है। लेकिन प्राइवेट ट्रेडर्स के मुकाबले में भारतीय खाद्य निगम की कुछ सीमाएं हैं। हमें मंडियों में जाकर खरीदना पड़ता है और सारे टैक्स देने होते हैं। इस तरह से 100-125 रुपए तो टैक्स के ही लग जाते हैं, जिसको एफ०सी०आई० छिपा नहीं सकती। बहुत से खर्च हैं, जिनको कम नहीं किया जा सकता। फिर भी हम गम्भीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। हैदराबाद स्टाफ कालेज को अध्ययन के लिए दिया है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने जा रहे हैं। जून तक वह रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इस इकोनोमिक कॉस्ट में कितनी कमी की जा सकती है, वह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रसाद जी से मेरा निवेदन है कि उन्होंने इतने गुस्से से यहां कहा जैसे यह इकोनोमिक कॉस्ट मेरे आने के बाद बढ़ी है, नई सरकार के आने के बाद बढ़ गई है। जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, जिसमें आप भी मंत्री थे, तब भी यही हालत थी। आठ रुपए चालीस पैसे कॉस्ट थी, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो नया बढ़ाया वह भी डाल दें तो नौ रुपए बन जाता है, तब भी यही हालत थी,

[श्री शांता कुमार]

जो आज है। तब भी अच्छी बात नहीं थी और अब भी नहीं है। आप पता नहीं स्वीकार करते थे या नहीं, मगर मैं करता हूं कि इकोनोमिक कॉस्ट कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम यह कर रहे हैं और बहुत जल्दी निर्णय करेंगे।

एक बात यह कही गई कि ये संशोधन है, उसमें कहा गया है कि सी०ए०जी० है, वह स्वयं करेगा। इसमें एक और शब्द है कि वह किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर लेगा। यह क्यों है, मैं समझता हूं यह एक स्टैंडर्ड फ्रेज है। इस सम्बन्ध में हमने भी उनसे पत्र व्यवहार किया था। मैं उनके उत्तर में से चार पंक्तियां यहां उद्धृत करना चाहता हूं :–

[अनुवाद]

> "नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति के आदेश पर प्रारूप संशोधन किया जाता है, हमारा उद्देश्य आदेश को स्वयं कार्यान्वित करने का है तथा किसी अन्य प्राधिकारी का उल्लेख किसी अप्रत्याशित आकस्मिकता को पूरा करने के लिए एक प्रावधान है।"

[हिन्दी]

कभी स्पेशल आर्डर करना पड़ता है, कमी कुछ करना पड़ता है, उद्देश्य यही है कि सारा का सारा आडिट का काम सी०ए०जी० करेगा। इस सम्बन्ध में कोई शक नहीं रहना चाहिए।

एक और बात यहां कहीं गई कि हमारी भंडारण क्षमता कम है, एफ०सी०आई० के बहुत कम गोदाम हैं, किराए के ज्यादा हैं। उसमें किराया बहुत अधिक दिया जाता है। मैं इसको ठीक करना चाहता हूं। कवर्ड गोदामों की केपेसिटी एफ०सी०आई० की 60 प्रतिशत है, 20 प्रतिशत सी०डब्ल्यू०सी० की है और केवल 14 प्रतिशत किराए की है। यह कोई अधिक नहीं है। जितनी आवश्यकता पड़ती है, उसमें उसको करना पड़ता है। फिजीकल वैरीफिकेशन एफ०सी०आई० में होता है और चेयरमैन उसके लिए हर वर्ष कुछ गोदाम तय करते हैं। उसमें फिजीकल वैरीफिकेशन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिजीकल वैरीफिकेशन साइंटिफिक है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसमें अलग-अलग मानदंडों के अनुसार होता है। सी०ए०जी० ने रिपोर्ट दी है, वह सरकार के पास विचाराधीन है। इसके अलावा मापने और तौलने के जो नियम हैं, उनमें इतना अंतर है कि इसके कारण कई बार परेशानियां आ जाती हैं। हमने इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता को फिजीकल वैरीफिकेशन की साइंटिफिक व्यवस्था सजेस्ट करने के लिए कहा है ताकि इस व्यवस्था के कारण सारा नाप-तौल किया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री जी आप कृपा बतायें कि 14 प्रतिशत जो प्राइवेट स्टोरेज होता है, 26 प्रतिशत सी०डब्ल्यू०सी० का है और जो एफ०सी०आई० के गोदाम हैं, इन तीनों की स्टडी करके देखिये। एक-एक नॉर्म्स, कंटेंट्स ऑफ पॉलिसी और मैनिपुलेशन इसमें से कहां ज्यादा होता है ? एफ०सी०आई० वाले में या सी०डब्ल्यू०सी० में या प्राइवेट वाले में ज्यादा होता है ? इसमें आपको आंकड़े पूरे मिल जाएंगे।

श्री शांता कुमार : इसे हम देख लेंगे। मैं नहीं कहता कि गड़बड़ नहीं होती। इसमें कुछ बातें होती है, इनको हम देख लेंगे। आगे से निश्चित साइंटिफिक नापतोल का नियम बनाकर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कहा गया कि हमारे भंडारों में बहुत अधिक भंडारण हो गया है और उसका कारण यह है कि देश के किसानों ने बहुत अधिक उत्पादन किया है और एम०एस० भी हम उस भाव पर तय करते हैं जो भी मार्केट में लेकर आता है, हमें उसे लेना पड़ता है लेकिन 42 मिलियन टन नहीं है केवल 28 मिलियन टन है। राजस्थान और गुजरात के बारे में बात कही गई है जो वहां अनाज दिया गया है, किस ढंग से दिया गया है ? उसका सरकार का एक निश्चित नियम है। उड़ीसा के अंदर साइक्लॉन आया था, वहां भी हमने दिया था। रियायती दर पर दिया जाता है, जो बी०पी०एल० रेट है, उसी पर दिया जाता है। एक बंगाल के संबंध में मिड-डे मील के संबंध में कहा गया कि बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। भ्रष्टाचार, कुप्रबंध की बहुत सी बातें आई हैं। मैं स्वकार करता हूं कि एफ०सी०आई० एक बहुत बड़ा दायरा है और सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहा है। सभी गलत लोग वहां नहीं हैं। सभी भ्रष्टाचार करने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। कुल मिलाकर ढ़ाई-पौने तीन लाख लोग वहां मजदूर कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं और कुल मिलाकर उन्होंने देश का बहुत बड़ा सिस्टम संभाला हुआ है लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत गल्तियां हैं। बहुत भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, कुछ हमारे सामने आये हैं। ये मामले देखे जा रहे हैं और जो जो भ्रष्टाचार के मामले हमारे ध्यान में आ रहे हैं, आप ध्यान में ला रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मैं जहां-जहां जाता हूं, मेरा नियम है, जैसे कल राजस्थान गया था। मैं वहां सूखा राहत के बारे में बातचीत करने के लिए गया था लेकिन थोड़ा समय मिला तो मैंने स्वयं गोदाम देखने की कोशिश की। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि एफ०सी०आई० की छवि जैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। हम सब के लिए चिंता का विषय है और उसकी छवि को ठीक करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी और जो भी मामले हमारे पास आएंगे, उन सभी मामलों पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे।

अंत में, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि जो सुझाव आये हैं, उन सभी सुझावों पर हम विचार करेंगे। यह छोटी सी अमेंडमेंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, उस पर आप सबका समर्थन मिला है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप कृपा करके इसे पास करें। धन्यवाद।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मिड-डे मील वाला जो चीटिंग का केस हुआ है और जिसकी सूचना मैंने आपको दी है, उसकी जरा जांच करवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य निगमन अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, यह सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"विधेयक पारित किया जाये।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

साय 7.45 बजे

गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) निरसन विधेयक

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) अधिनियम, 1962 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय (श्री बसुदेव आचार्य) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) अधिनियम, 1962 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, इस विधेयक में केवल दो खण्ड हैं, जिसका उद्देश्य पूर्व अधिनियम की दो धाराओं का निरसन करना है। पूर्व अधिनियम की धारा-2 में बताया गया है :

"इस बात के होते हुए भी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, भूतलक्षी प्रभाव से उस धारा के अंतर्गत आदेश बनाने के लिए केन्द्र सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि लोकहित में इस प्रकार अपेक्षित, किसी मामले, जिसके लिए खण्ड 3क तथा उस आदेश की अनुसूची में प्रावधान किया गया है, के संबंध में गन्ना (नियंत्रण) आदेश को या तो भावी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से राजपत्र में आदेश को अधिसूचित करके संधोधित कर सकती है तथा ऐसे संशोधन में अनुपूरक, प्रासंगिक और परिणामी प्रावधान जैसा कि केन्द्र सरकार आवश्यक समझे, शामिल किए जायें।"

हम इसे खण्ड 3(क) पढ़ सकते हैं। इस विधेयक को वास्तव में गन्ना नियन्त्रण आदेश, 1955 को संशोधित करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु लाया गया है। गन्ना नियन्त्रण आदेश, 1955, आवश्यक वस्तु, अधिनियम, धारा-3 के आधार पर लागू किया गया था। खण्ड 3(क)(1) में यह बताया गया है :

"यदि केन्द्र सरकार की यह राय है कि किसी स्थान पर किसी खाद्य वस्तु के मूल्यों में वृद्धि को नियन्त्रित करने या जमाखोरी रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करके यह निदेश दे सकती है कि उस मूल्य, को जिसपर उपधारा (3) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के खण्ड (च) के सन्दर्भ में दिए गए आदेश की अनुपालना में खाद्य-वस्तु उस स्थान पर बेची जायेगी, को इस-धारा के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।"

मैं यह बताना चाहता हूं कि मूल्य नियंत्रित करने और जमाखोरी के लिए यह प्रावधान किया गया था। ये दो बातें 1962 अर्थात् भारत-चीन युद्ध के समय आवश्यक थीं। उसके बाद भी, आम जनता, विशेषकर सरकारी कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराना अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अतः, यह अधिनियम खंड 3(क) को भूतलक्षी और भावी प्रभाव प्रदान करने के लिए जरूरी था।

इस अधिनियम को निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी ? अब भी, सरकारी कर्मचारियों, गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों और बाबू वर्ग के कर्मचारियों को चीनी के मूल्य में वृद्धि के कारण कष्ट उठाने

[श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन]

पड़ रहे हैं। किसानों, गन्ना उत्पादकों अथवा खेतों में काम करने वाले मजदूरों को मूल्यों में वृद्धि का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। केवल फैक्टरी मालिकों को लाभ हो रहा है। जो व्यापारी चीनी का संग्रह कर रहे हैं, उन्हें यह लाभ प्राप्त हो रहा है। इस अधिनियम को निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी ? आज भी यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को उचित मूल्य पर चीनी नहीं मिल रही है। हमें इस महान सभा के समक्ष इस विशेष विधेयक को लाने की वास्तविकता का प्रश्न उठाना है।

अत:, मेरा सुझाव है कि सरकार को इसके निरसन के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए।

ऐसा इसलिए है कि यदि इस अधिनियम को निरस्त किया जाता है तो मैं समझता हूं कि कालाबाजारी में लिप्त लोग और अन्य ऐसे लोग जिन्होंने चीनी की जमाखोरी की तथा जिन्हें स्टॉक जब्त किए जाने के साथ-साथ एक या दो वर्ष की कैद होनी चाहिए थी, वे कानून के शिकंजे से बच जायेंगे। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस समय इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार को बाजार को नियंत्रित करने की और अधिक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। सरकार की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह आम लोगों और विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों की सहायता करे। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर विचार करे चूंकि यह विधेयक आम व्यक्ति और विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों एवं मजदूरों के लिए मददगार नहीं है जिन्हें कष्ट उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें उचित मूल्य पर चीनी नहीं मिल रही है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, सामान्यत: मैं इस निरसन विधेयक का समर्थन करता, परंतु इसका जो कारण बताया गया, वह बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। विधेयक के उपबंधों के अनुसार, इस कानून को निरस्त करने हेतु बताया गया कारण यह है कि इसका प्रयोजन अब नहीं रह गया है। मैं इस तर्क को नहीं समझ पा रहा हूं।

सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका विशेष महत्व है। चीनी के कारण हमारे देश में काफी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यापारियों को लाभ होगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उन राजनीतिज्ञों को लाभ होगा जिनके पास शक्ति है। यक एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी देशभक्ति समाप्त हो गई और हमने चीनी का आयात किया। जब कारगिल युद्ध चल रहा था, तब हमारी सरकार पाकिस्तान से चीनी का आयात करने में अत्यधिक दिलचस्पी ले रही थी। इसपर, कोई शुल्क नहीं लगता था और लोग पाकिस्तान तथा अन्य देशों से चीनी आयात करने के लिए स्वतंत्र थे। हमारा राष्ट्रीय हित और आत्म-सम्मान रास्ते में आड़े नहीं आता था। जब कारगिल पर आक्रमण हो रहा था, तब ये लोग चीनी के आयात के लिए पाकिस्तान से बात कर रहे थे।

एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब भारत में गन्ना उत्पादकों पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ा था चूंकि चीनी का संग्रह गोदामों में किया गया था। यह बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं थी। चुनावों के दौरान, वोटों पर कब्जा करने हेतु हमारे राजनीतिज्ञों के लिए यह एक बहुत अच्छा विषय था। यह प्रथा लंबे समय तक चलती रही थी। प्रेस ने भी इस मामले की सूचना दी थी। प्रेस में इस विषय पर विभिन्न लेख प्रकाशित हुए थे। प्रेस में यह सूचना पहुंच गई कि पाकिस्तान से चीनी का आयात किया जा रहा है और कुछ गुप्त लेन-देन चल रहा है। ये सभी मामले थोड़े समय पहले तक हो रहे थे।

सरकार सभा में आकर चीनी के आयात हेतु 40 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने संबंधी घोषणा करने पर विवश हुई। सरकार से गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु पुन: सभा में उपर्युक्त शुल्क को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की। परंतु लेन-देन हो गया है। यह तब किया गया था जब यह अधिनियम लागू था। चीनी नियंत्रण आदेश तब भी लागू था। इसलिए हम पायेंगे कि 1962 के चीनी नियंत्रणा आदेश ने 1995 के आदेश का स्थान ले लिया और 1995 के आदेश ने 1952 के आदेश का स्थान लिया। निरस्त करने के लिए ये सभी तर्क दिये जाते हैं। मैं इस तर्क को नहीं समझ पा रहा हूं।

इस आदेश के सांविधि-संग्रह में रखने में कोई नुकसान नहीं है। नि:सन्देह पूर्व प्रशासनिक समिति ने इस अधिनियम को हटाने के लिए सरकार को कहा था। परन्तु इसे सांविधि-संग्रह में बनाये रखने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मेरा तर्क है कि इसे निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार, ये सौदे पहले ही पिछले एक वर्ष में हो चुके हैं। यह एक मान्य सच्चाई है। न केवल इस शासन में बल्कि पूर्व शासन में भी यह आयात चल रहा था। श्री शांता कुमार की कार्यावधि ही एकमात्र नहीं है। उनके कार्यकाल में भी यह चल रहा था। इसमें कोई राजनीतिक अंतर नहीं था। सरकार का कोई रंग नहीं होता। जब भा०जा०पा० के नेतृत्व वाली सरकार या अन्य सरकार सत्ता में थी तो यह चीनी सौदा बेरोकटोक चल रहा था।

गरीब आदमी बर्बाद हो गया है। इस प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह ठप्प हो गई है। मैं केरल राज्य से आता हूं जहां अब लागू की जा रही नीति के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह ठप्प हो गई है। गरीब लोग नियंत्रित मूल्य पर चीनी लेते थे। वह सुविधा वापस ले ली गई है। सरकार आम आदमी की आवश्यकता की चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया विधेयक के बारे में बोलें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यहां तक कि करदाताओं को भी उचित मूल्य पर चीनी खरीदने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गरीब आदमी को उचित मूल्य पर चीनी मिल जाएगी। सम्पूर्ण व्यवस्था कठिनाई में है, अस्तव्यस्त है और दांव पर रखी हुई है।

इसलिए मैं सरकार से, विशेषकर संबंधित मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यह देखें कि कम से कम चीनी के मामले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चालू रखा जाए जो कि आप बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता

हूं कि विधेयक को निरस्त करने के पीछे कोई समझदारी नहीं है।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, गन्ना नियंत्रण निरसन विधेयक के ऊपर गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की कठिनाइयों को संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गन्ना किसान की पीड़ा बहुत ज्यादा है। किसानों का सरकारी मिलों पर 600-700 करोड़ रुपये से कम बकाया नहीं होगा, लेकिन मिलें उनका भुगतान नहीं कर रही हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसान का बकाया यदि सूद सहित मिल जाये तो बहुत अच्छा हो। कानून में भी ऐसा प्रावधान है लेकिन वह किसान के मामले में लागू नहीं होता है।

आज उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र की चीनी मिलें बंद हो रही हैं जिससे किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में सरकार के अधीन कारपोरेशन की 15 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं।

जिन दिनों देश में 9 लाख टन चीनी पैदा होती थी बिहार में 3 लाख टन पैदा होती थी। आज देश में 164 लाख टन चीनी पैदा हो रही है लेकिन बिहार में अभी तक 3 लाख टन चीनी पैदा होती है जो पुराने जमाने में पैदा होती थी। लोग कहते हैं कि अब उसकी क्रशिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए और मिलों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, तभी मिलें चलेंगी। पहले लोग कहते थे कि ढाई हजार टन कैपेसिटी होने से मिल फायदेमंद हो जाती है, लेकिन जब विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि पांच हजार टन क्रशिंग कैपेसिटी प्रतिदिन हो तो मिल फायदेमंद होगी। बिहार के अफसर अभी दो-तीन दिन पहले केन्द्र सरकार के अफसरों से मिलने आये थे, मिटिंग की थी, बात की थी। सन् 1997-98 में शुगर टैक्नोलॉजिकल मिशन एक्सपार्ट कमेटी वहां गयी थी। मोतीपुर चीनी मिल और गुरोऊल चीनी मिल के संबंध में शुगर टैक्नोलॉजिकल मिशन ने रिपोर्ट दी।

रात्रि 8.00 बजे

उसे चालू करने के लिए कहा गया कि यह बायबल यूनिट है और मोतीपुर चीनी मिल को चीनी मिल के रूप में और गरोऊल चीनी मिल को गुड़, खांडसारी के रूप में चालू किया जाए, ऐसी रिपोर्ट दी गई है। राज्य सरकार भी चाहती है कि मिलें चालू हों। स्टैंडिंग कमेटी ने भी चिंता व्यक्त करते हुए रिपोर्ट दी और अनुशंसा की कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बंद चीनी मिलों को चालू करने के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए। एक शुगर डैवलपमैंट फंड है। रिपोर्ट में कहा गया कि नियमों में सुधार करके मिलों की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और बंद मिलों को चालू करने के लिए केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए। वे मिलें अगर प्राइवेटाइज हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। किसानों के हित में सरकारी महकमों की चीनी मिलों को चालू करने के लिए यदि केन्द्र सरकार इनका प्राइवेटाइजेशन करा दें तो वह स्वागत योग्य कदम होगा। बिहार के सैक्रेटरी ने आपके विभाग के संयुक्त सचिव और शुगर टैक्नोलॉजी मिशन से दो दिन पहले बात की। लोग सहमत हुए कि केन्द्र सरकार की तरफ से एक एक्सपोर्ट कमेटी शुगर टैक्नॉलोजी मिशन जाए। 15 बंद चीनी मिलों और बिहार में दो बंद चीनी मिलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट आ चुकी है। हमारी प्रार्थना है कि आप अधिकारियों, विशेषज्ञों और शुगर केन टैक्नॉलोजी मिशन को निर्देश दें कि बंद चीनी मिलों की जांच-पड़ताल करके एक रिपोर्ट दे। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार इस मामलें में मुस्तैद नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार गार्जियन के रूप में काम करे। यदि कोई लड़का पिछड़ जाता है तो उसे सहारा दिया जाता है। एक सप्ताह में बिहार में विशेषज्ञों को भेज कद बंद चीनी मिलों को चालू कराने के लिए और यहां तक प्राइवेटाइजेशन करने के बाद उन्हें चालू कराएं। किसान किसी भी हालत में चाहता है कि मिलें चालू हों और उसके गन्ने की खपत हो। वह गन्ने की ज्यादा खेती करना चाहता है। आर्थिक दृष्टि से वह उसके लिए लाभदायक भी है। इसलिए वहां तुरन्त अधिकारियों को भेज कर बंद चीनी मिलों को चालू कराया जाए। अन्य राज्यों में भी चीनी मिलें बंद हैं। उन्हें चालू कराने के लिए भी केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलिकारा) : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे अधिनियम को निरस्त करने के क्या कारण हैं क्योंकि यह अधिनियम स्वयं सरकार को बाजार में मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए थोड़ी शक्ति दे रहा है। दूसरे, यह जमाखोरों के लिए अवरोधक है और वर्तमान लोगों के लिए मददगार है। इसके साथ ही इस अधिनियम को निरस्त करने से हमें यह आशंका है कि जमाखोरों तथा कालाबाजारियों को मदद मिलेगी *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : यह गन्ना नियंत्रण निरसन विधेयक है। इसलिए जमाखोरी का कोई सवाल ही नहीं है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : सभापति महोदय, यह विषय बिल्कुल साधारण है। सच्चाई यह है कि यह 1955 का एक ऑर्डर है जिस का संशोधन करने के लिए यह बिल बना था। वह ऑर्डर समाप्त हो गया जिसके संशोधन के लिए यह बिल था। जिस ऑर्डर के संशोधन के लिए यह कानून था, जब वह ऑर्डर ही नहीं रहा तो उसके संशोधन करने वाले कानून के रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कमीशन बना कि कौन-कौन से कानून रिपील किए जा सकते हैं। उस कमीशन ने सुझाव दिया और उसके मुताबिक हम इसे लेकर आए।

जो बातें यहां कही गई उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। केरल के बारे में नई शिकायत की गई उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सी बातें कहीं। जो बातें यहां कही गईं, हमने उनको सुना लेकिन चीनी के बारे में पहली बार शिकायत आ रही है कि लैवी चीनी केरल में नहीं मिल रही है। ऐसी शिकायत आज तक विभाग के पास नहीं

[श्री शांता कुमार]

आई। अभी आपने मुझे इस बारे में कहा। पूरे देश में लैवी शूगर मिल रही है। हम उसे दे रहे हैं। यदि वितरण व्यवस्था में कोई कमी है तो उसे प्रदेश सरकार करे।

दूसरी शिकायत गन्ना उत्पादकों की अदायगी के बारे में कही गई। पिछले चार-पांच महीने में जो कदम सरकार ने उठाए, चीनी का इम्पोर्ट बंद किया, लेवी चीनी 10 परसेंट कम की। राहत दी गई, उसके कारण 4-5 महीने में लगभग 200 करोड़ रुपया अतिरिक्त अदायगी गन्ना उत्पादकों को की गई। अभी बिहार के बारे में कहा गया कि वहां मिलें बंद पड़ी हुई हैं। इस संबंध में बिहार सरकार की मांग आई है कि एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाये। उस मांग पर विचार किया जा रहा है लेकिन इस बारे में बिहार सरकार को आगे आना चाहिये। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आवश्यक हैं, उनके बारे में सोचा जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि यह विधेयक पास किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) अधिनियम, 1962, का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।

श्री शांता कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 9 मई, 2000 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.07 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 9 मई, 2000/19 वैशाख, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।